खण्ड-426, अंक-1
सोमवार, 20 आषाढ़, शक संवत् 1920
(20 जुलाई, 1998 ई0)

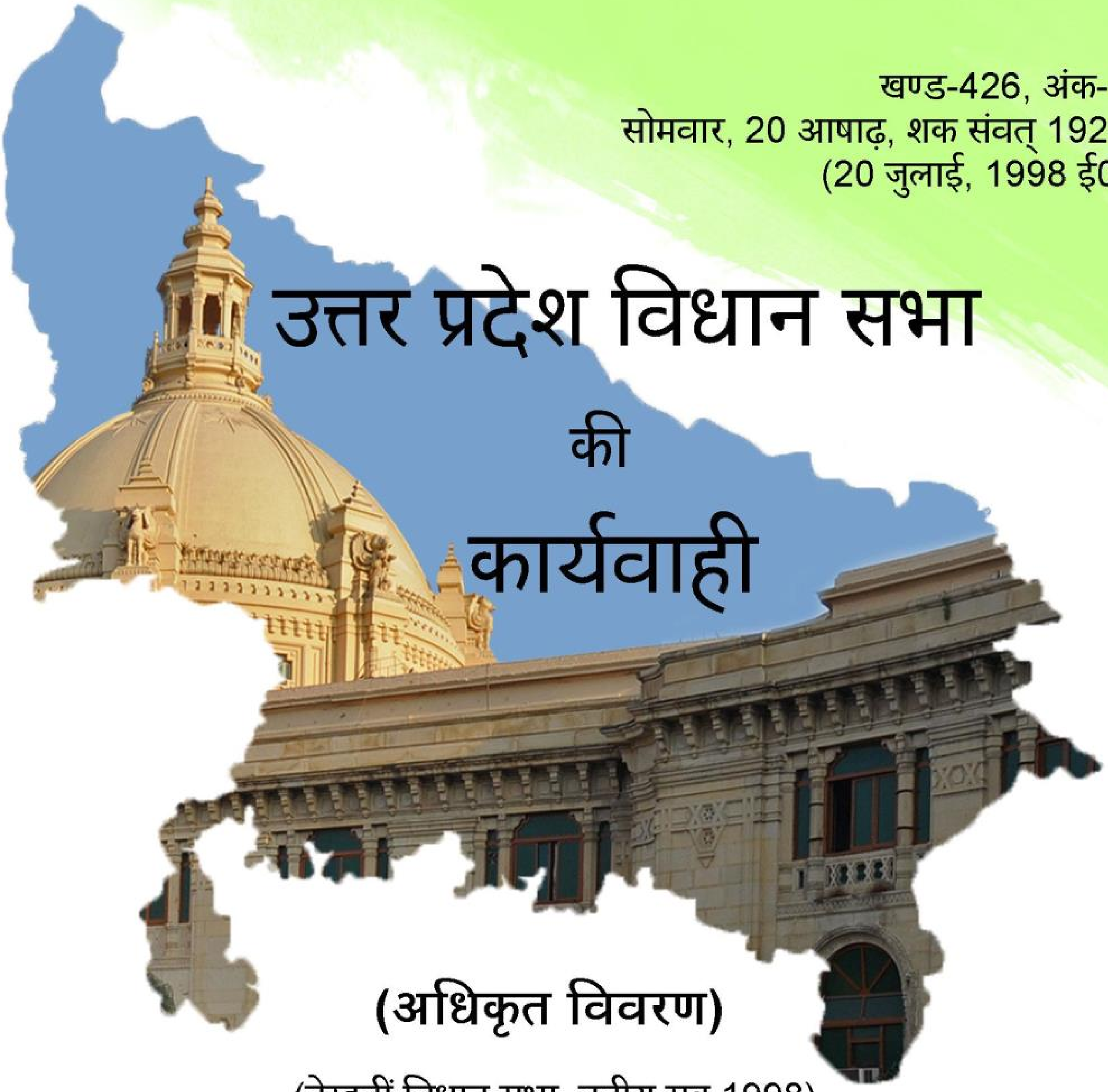

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1998)

खण्ड 426 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1998

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

## विषय–सूची


| विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| तेरहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची, महामहिम राज्यपाल, मंत्रि परिषद, नेता विरोधी दल, उ०प्र० विधान सभा के पदाधिकारियों तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची | अ–अः |
| — पूर्वी उत्तर प्रदेश में भयंकर बाढ़ से उत्पन्न स्थिति विषयक प्रकरण को उठाये जाने का प्रयास—(जारी) | 1 |
| — प्रश्नोत्तर | 2 |
| — नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं | 59 |
| — जनपद महराजगंज के ग्राम गौरी बढ़ई पुरवा निवासी रुधई हरिजन के विरुद्ध पुलिस द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | 59 |
| — जनपद आगरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में डाकुओं के आंतक से व्याप्त भय के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना। | 60–61 |
| — जनपद मेरठ में मेरठ से संजय गांधी स्नातकोत्तर महविद्यालय सरूरपुर तक सिटी बसें चलए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | 61 |
| — वाराणसी शहर के दक्षिणी क्षेत्रान्तर्गत ट्रान्सफार्मर एवं विभिन्न प्रकार के कन्डक्टर की घोर कमी से विद्युत आपूर्ति में हो रहे व्यवधान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | 61 |
| — जनपद बदायूं के विकास खण्ड अम्बियापुर में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत बनाए गये कतिपय मार्गों में कथित भ्रष्टाचार की जांच कराए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | 62 |
| — जनपद खीरी के श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत राजकीय इन्टर कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | 63 |
| — जनपद हरदोई के ग्राम सोनिकपुर के निकट प्राचीन ऐतिहासिक टीले को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | 63-64 |
| — औचित्य के प्रश्न की सूचनायें | 64 |
| — राज्य सरकार द्वारा लगातार ओवर ड्राफ्ट लिए जाने के फलस्वरूप रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा चेतावनी दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न | 64 |
| — विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के तीसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या—110 का उत्तर "सूचना एकत्र की जा रही है" दिये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न | 64-65 |
| — 16 जुलाई, 98 को नियम 56 के अन्तर्गत श्री लालजी वर्मा द्वारा उठाई गई सूचना पर मा० अध्यक्ष के निदेश का अनुपालन न किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न | 66 |
| — श्री दिलीप कुमार स०वि०स० को जान से मारने की धमकी दिये जाने से संबंधित औचित्य का प्रश्न | 66 |
| — प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न | 66 |

| विषय | पृष्ठ–संख्या |
|---|---|
| — पूर्वी उत्तर प्रदेश में भंयकर बाढ़ से उत्पन्न स्थिति विषयक प्रकरण को उठाए जाने का प्रयास–(जारी) | 67–68 |
| — नियम 56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं | 68-87 |
| — उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1998 -------(पारित) | 87–89 |
| — सन् 2000 से पूरे देश में शुरू होने वाली जनगणना से प्राप्त आंकड़ों का प्रदेश में बहुउद्देशीय प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में श्री अम्बरीष कुमार द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा | 89-95 |
| — प्रदेश में विशेष रुप से राजधानी लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान के नाम पर कथित रूप से गरीबों, दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जगदम्बिका पाल आदि द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा ----(जारी) | 95-132 |
| — जन-प्रतिनिधियों के साथ उचित व्यवहार किये जाने से सम्बन्धित व्यवस्था का प्रश्न | 132-133 |
| — प्रदेश में विशेष रूप से राजधानी लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान के नाम पर कथित रुप से गरीबों, दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जगदम्बिका पाल आदि द्वारा दी गई सूचना पर चर्चा -----(जारी) | 133–141 |
| — प्रदेश में बनरोझों (नीलगाय) से हो रही किसानों की फसलों की क्षति एवं उसकी रोकथाम के उपायों के विषय में दि० 6 जुलाई 98 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 नत्थी 'क' के सम्बन्ध में श्री अवधेश प्रसाद आदि द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन | 141 |
| — प्रदेश में आलू तथा अरबी (घुइयां) की फसलों में छटका फुंशी व खुरदरापन आदि बीमारियों लगने पर उनकी रोकथाम के विषय में श्री अम्बिका चौधरी आदि द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन | 141-142 |
| — वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा).....(जारी) | 142-143 |
| — प्रदेश में विशेष रुप से राजधानी लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान के नाम पर कथित रुप से गरीबों, दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में जगदम्बिका पाल आदि द्वारा दी गई सूचना पर चर्चा। | 143-144 |
| — वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) ....(स्वीकृत) | 144-145 |
| — वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या–39 भाषा विभाग, अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा).....(स्वीकृत) | 145–146 |

| विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| — वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) अनुदान संख्या–74 शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) अनुदान संख्या–75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)----- (स्वीकृत) | 146–148 |
| — नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं | 148–149 |
| — प्रदेश में वर्ष 1990 तथा 1992 के नियत वेतन पर नियुक्त एलोपैथिक चिकित्साधिकारी को वेतन समिति की संस्तुतियों के अनुरुप वेतन तथा नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत डा० सरज़ीत सिंह डंग द्वारा दी गई सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य | 150–151 |
| — जनपद मैनपुरी स्थित भोगांव संकिसा बौद्ध पर्यटक स्थल (जनपद फर्रुखाबाद) को सीधे जोड़ने हेतु सड़क मार्ग के प्रारम्भिक आगणन एवं प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन की स्वीकृति प्रदान कर सड़क का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत श्री राम औतार शाक्य द्वारा दी गई सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य | 151 |
| — "केन्द्रीय सरकार की भांति उत्तर प्रदेश में भी शहरी भूमि हदबन्दी कानून को तत्काल स्थगित किये जाने" के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेई द्वारा दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य | 152–153 |
| — सम्पूर्ण प्रदेश में मान्यता प्राप्त अप्रशिक्षित अध्यापकों का पत्राचार बी०टी०सी० प्रशिक्षण पूर्ण न कराने एवं बी०टी०सी० परीक्षाओं में सम्मिलित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र कुमार वाल्मीकी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य | 153 |
| — जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत निर्मित सम्पर्क मार्गों में अनियमितता तथा मजदूरों को स्वीकृत दर पर मजदूरी का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत श्री इन्द्रजीत सरोज द्वारा दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य | 154 |
| — जनपद पीलीभीत की पूरनपुर तहसील में उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत शारदा पार बसाये गये विस्थापित हजारों परिवारों के पुनः शारदा नदी के कटान से प्रभावित क्षेत्र में आ जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत श्री गोपाल कृष्ण द्वारा दी गई नोटिस के परिप्रेक्ष्य में संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य | 155-156 |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची)

1–अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
2–अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
3–अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
4–अजय कुमार पोइया, श्री — मथुरा
5–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री — गोण्डा
6–अजय भट्ट, श्री — अल्मोड़ा
7–अजय राय, श्री — वाराणसी
8–अजित कुमार मेहरोत्रा, श्री — सीतापुर
9–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
10–अतुल कुमार, श्री — मेरठ
11–अनिल कुमार, श्री — बलिया
12–अनीस खां, श्री — पीलीभीत
13–अफज़ाल अंसारी, श्री — गाजीपुर
14–अफज़ाल अहमद, श्री — जौनपुर
15–अफरोज़ अली खां, श्री — रामपुर
16–अब्दुल कलाम, श्री — बस्ती
17–अब्दुल कलाम, श्री — वाराणसी
18–अब्दुल खालिक, श्री — अलीगढ़
19–अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
20–अमर मणि, श्री — महराजगंज
21–अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
22–अमीर आलम खान, श्री — मुजफ्फरनगर
23–अम्बरीष कुमार, श्री — हरिद्वार
24–अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
25–अम्मार रिजवी, डा० — सीतापुर
26–अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
27–अरविन्द कुमार जैन, श्री — ललितपुर
28–अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
29–अरिमर्दन सिंह, श्री — महोबा
30–अरुण प्रताप सिंह, श्री — सुल्तानपुर
31–अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
32–अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
33–अशफाक अहमद, श्री — बरेली
34–अशोक कुमार, श्री — जौनपुर
35–अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
36–अशोक बाजपेई, डा० — हरदोई
37–अशोक यादव, श्री — फिरोजाबाद
38–आचार्य रामदेव वैश्य, श्री — बाराबंकी
39–आनन्द प्रकाश, श्री — पडरौना
40–आर० के० चौधरी, श्री — लखनऊ
41–आर०के० सिंह पटेल, श्री — बांदा
42–आलमबदी, श्री — आजमगढ़
43–इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
44–इन्द्रजीत सरोज, श्री — इलाहाबाद
45–इन्द्रदेव, श्री — बिजनौर
46–इल्म सिंह, श्री — सहारनपुर
47–उदयराज यादव, श्री — उन्नाव
48–उमाकान्त यादव, श्री — जौनपुर
49–उर्मिला देवी, श्रीमती — मैनपुरी
50–उबैदुर्रहमान, श्री — गोण्डा
51–ओइमबेश, स्वामी — बिजनौर
52–ओंकार सिंह, श्री — एटा
53–ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
54–ओम प्रकाश, श्री — एटा
55–ओम प्रकाश गुप्त, श्री — सीतापुर
56–ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
57–कमला प्रसाद रावत, श्री — बाराबंकी
58–कमलेश कुमार सिंह, श्री — बलरामपुर
59–कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़
60–कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री — सहारनपुर
61–काज़िम अली खां, उर्फ नवेद मिंया, श्री — रामपुर
62–काज़ी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री — हरिद्वार
63–काशिम हसन, श्री — फतेहपुर
64–काशीनाथ, श्री — सुल्तानपुर

65–किशन लाल बघेल, सेठ आगरा
66–कृपा शंकर सिंह, श्री उन्नाव
67–कृष्ण चन्द्र पुनेठा, श्री पिथौरागढ़
68–कृष्णपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
69–कृष्णा राज, श्रीमती खीरी
70–केदार सिंह फोनिया, श्री चमोली
71–केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
72–केशव मेहरा, श्री आगरा
73–के०सी० सिंह "बाबा", श्री ऊधम सिंह नगर
74–कैलाश, श्री गाजीपुर
75–कैलाश सिंह राजपूत, श्री फर्रुखाबाद
76–कोविद कुमार, श्री शाहजहांपुर
77–कौकब हमीद, श्री मेरठ
78–कौशल किशोर, डा० खीरी
79–गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री आगरा
80–गंगा बख्श सिंह, श्री उन्नाव
81–गंगा सिंह चौहान, श्री हरदोई
82–गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री मेरठ
83–गणेश, श्री गाजीपुर
84–गुलाब देवी, श्रीमती मुरादाबाद
85–गोपाल कृष्ण, श्री पीलीभीत
86–गोमती यादव, श्री लखनऊ
87–गोरखनाथ पाण्डेय, श्री भदोही
88–गौरी देवी, श्रीमती गोरखपुर
89–गौरी शंकर (एडवोकेट), श्री लखनऊ
90–चन्द्र किशोर, श्री महराजगंज
91–चन्द्र नाथ सिंह, श्री प्रतापगढ़
92–चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री झांसी
93–चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री बहराइच
94–चन्द्रेश पासवान, श्री गोरखपुर
95–चेतराम, श्री शाहजहांपुर
96–चौधरी बाबूलाल, श्री आगरा
97–छब्बू पटेल, श्री वाराणसी
98–छोटे लाल, श्री हरदोई
99–छोटे लाल गंगवार, मास्टर बरेली
100–छोटे लाल राजभर, श्री बलिया
101–छोटे लाल वर्मा, डा० महोबा
102–छोटे सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
103–जगत पाल सिंह, मेजर मुरादाबाद
104–जगदम्बिका पाल, श्री बस्ती
105–जगदीश नारायण (मुन्ना) श्री जौनपुर
106–जगदीश सिंह राणा, श्री सहारनपुर
107–जगपाल, श्री सहारनपुर
108–जटा शंकर, श्री बहराइच
109–जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
110–जय नारायन तिवारी, श्री सुल्तानपुर
111–जयपाल सिंह, श्री मेरठ
112–जय प्रकाश, श्री गाजियाबाद
113–जय प्रकाश निषाद, श्री देवरिया
114–जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
115–जयवीर सिंह भदौरिया, श्री इटावा
116–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भईया, श्री गोरखपुर
117–जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
118–ज्ञान चन्द, श्री उत्तरकाशी
119–ज्ञानवती सिंह, डा० अलीगढ़
120–ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महराजगंज
121–ज्वाला प्रसाद यादव, श्री जौनपुर
122–तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल, श्री गोरखपुर
123–तिलकराज बेहड़, श्री ऊधम सिंह नगर
124–तेजभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
125–तोताराम, श्री मुरादाबाद
126–तौफीक अहमद, श्री सिद्धार्थनगर
127–दद्दू प्रसाद, श्री बांदा
128–दयाशंकर, श्री जालौन
129–दल बहादुर कोरी, श्री रायबरेली
130–दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
131–दिलीप कुमार, श्री बहराइच
132–दिवाकर विक्रम सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
133–दीपक कुमार, श्री उन्नाव
134–दीप लाल भारती, श्री पडरौना
135–दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
136–देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री कानपुर देहात

137–देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर — एटा
138–धनराज यादव, श्री — सिद्धार्थनगर
139–धनीराम वर्मा, श्री — इटावा
140–धर्मज्ञ मिश्र, डा० — हरदोई
141–धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
142–धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकर नगर
143–नन्दराम, श्री — बरेली
144–नरेन्द्र, श्री — आजमगढ़
145–नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा० — इलाहाबाद
146–नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री — कानपुर देहात
147–नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री — बुलन्दशहर
148–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
149–नरेन्द्र सिंह सिशौदिया, श्री — गाजियाबाद
150–नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
151–नवाब सिंह नागर, श्री — गाजियाबाद
152–नारायण राम दास, श्री — अल्मोड़ा
153–निर्भय पाल शर्मा, श्री — सहारनपुर
154–नीरज चतुर्वेदी, श्री — कानपुर नगर
155–नेतराम सिंह, श्री — एटा
156–"पटेल" रामकुमार वर्मा, श्री — खीरी
157–परमानन्द दण्डी, स्वामी — रामपुर
158–परवेज हलीम खां, श्री — मेरठ
159–पीटर फैन्थम — नाम-निर्देशित सदस्य
160–पीतम राम, श्री — पीलीभीत
161–पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
162–पूर्णमासी पंकज, श्री — भदोही
163–प्रदीप कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
164–प्रभा द्विवेदी, श्रीमती — फर्रुखाबाद
165–प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री — वाराणसी
166–प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
167–प्रेमपाल सिंह यादव, श्री — बदायूं
168–प्रेम प्रकाश सिंह, श्री — देवरिया
169–प्रेमलता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
170–प्रेम स्वरूप पाठक, श्री — बदायूं
171–फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
172–फरीद महफूज किदवई, श्री — बाराबंकी
173–फागू, श्री — मऊ
174–बंश नारायण सिंह, श्री — भदोही
175–बंशीधर भगत, श्री — नैनीताल
176–बचनूराम पटेल, श्री — वाराणसी
177–बच्चा पाठक, श्री — बलिया
178–बनवारी लाल दोहरे, श्री — फर्रुखाबाद
179–बनारसी दास चान्दना, श्री — मेरठ
180–बांके लाल सोनकर, श्री — जौनपुर
181–बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
182–बाबू खां, श्री — हरदोई
183–बाबू राम, श्री — जालौन
184–बाबू राम यादव, श्री — मैनपुरी
185–बाबू लाल, श्री — उन्नाव
186–बाबू लाल कुशवाहा, श्री — बांदा
187–बाल चन्द्र मिश्र, श्री — कानपुर नगर
188–बालेश्वर त्यागी, श्री — गाजियाबाद
189–बावन सिंह, श्री — गोण्डा
190–बिजेन्द्र आर्य, श्री — मुजफ्फरनगर
191–बिन्दु लाल, श्री — गोण्डा
192–बिहारी लाल आर्य, श्री — झांसी
193–बी०आर० वर्मा, श्री — जौनपुर
194–बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री — सीतापुर
195–बेचन राम, श्री — गोरखपुर
196–ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
197–भगवती प्रसाद, श्री — कानपुर देहात
198–भगवान सिंह शाक्य, श्री — बदायूं
199–भरत सिंह, श्री — बलिया
200–भाई लाल, श्री — मिर्जापुर
201–भारत सिंह रावत, श्री — गढ़वाल
202–भीम प्रसाद, श्री — अम्बेडकरनगर
203–भोनू, श्री — गाजीपुर
204–भोला शंकर मौर्य, श्री — बदायूं
205–मंगल सिंह सैनी, श्री — मुरादाबाद
206–मंजू, श्रीमती — बलिया
207–मण्डलेश्वर सिंह, श्री — आगरा
208–मतेश चन्द्र सोनकर, श्री — इलाहाबाद
209–मथुरा प्रसाद, श्री — कानपुर देहात
210–मलखान सिंह, श्री — अलीगढ़

211–मस्तराम, श्री — उन्नाव
212–महाराज सिंह यादव, श्री — इटावा
213–महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा — आगरा
214–महेन्द्र कुमार, श्री — बुलन्दशहर
215–महेन्द्र कुमार, श्री — सीतापुर
216–महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा० — वाराणसी
217–महेन्द्र पाल निषाद, श्री — बांदा
218–महेन्द्र सिंह यादव, श्री — बुलन्दशहर
219–मातवर सिंह कण्डारी, श्री — टिहरी गढ़वाल
220–मानिक चन्द यादव, श्री — मैनपुरी
221–माया प्रसाद, श्रीमती — खीरी
222–मारकण्डेय चन्द, श्री — गोरखपुर
223–मिथलेश कुमारी, श्रीमती — एटा
224–मुख्तार अंसारी, श्री — मऊ
225–मुन्ना चौहान, श्री — देहरादून
226–मुन्ना लाल मौर्य, श्री — फतेहपुर
227–मुरलीधर, श्री — फतेहपुर
228–मुराद लारी, श्री — देवरिया
229–मुस्ताक सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
230–मुस्लिम, डा० — रायबरेली
231–मुहर सिंह अम्बाडी, श्री — इटावा
232–मूल चन्द, श्री — बिजनौर
233–मोती लाल, श्री — खीरी
234–मोहन सिंह रावत गांववासी, श्री — गढ़वाल
235–मोहम्मद मुकीम, श्री — सिद्धार्थनगर
236–यशपाल सिंह चौहान, श्री — अलीगढ़
237–यशवंत, श्री — आजमगढ़
238–योगेन्द्र कुमार, श्री — बदायूं
239–योगेन्द्र सिंह, श्री — देवरिया
240–रंगनाथ मिश्र, श्री — भदोही
241–रंगबहादुर पटेल, श्री — इलाहाबाद
242–रघुनाथ सिंह चौहान, श्री — अल्मोड़ा
243–रघुराज प्रताप सिंह "राजा भईया", कुंवर — प्रतापगढ़
244–रघुवर दयाल वर्मा, श्री — फिरोजाबाद
245–रणधीर सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
246–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर, — पडरौना
247–रमापति शास्त्री, श्री — गोण्डा
248–रमेश पोखरियाल "निशंक", डा० — गढ़वाल
249–रमेश सही, श्री — सीतापुर
250–रवीन्द्र पुण्डीर, प्रो० — मेरठ
251–रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
252–रवीन्द्र शुक्ला, श्री — झांसी
253–राकेश त्यागी, श्री — बुलन्दशहर
254–राकेश धर त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
255–राकेश सोनकर, श्री — कानपुर नगर
256–राजधारी, श्री — बलिया
257–राजपाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
258–राजपाल सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
259–राज राय सिंह, श्रीमती — पीलीभीत
260–राजा गज़नफर अली खां, श्री — बिजनौर
261–राजा राम पाण्डेय, श्री — प्रतापगढ़
262–राजा राम पाल, श्री — कानपुर देहात
263–राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
264–राजेन्द्र, श्री — बाजीपुर
265–राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री — प्रतापगढ़
266–राजेन्द्र सिंह, श्री — देहरादून
267–राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री — फतेहपुर
268–राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
269–राजेश कुमार सिंह, श्री — मुरादाबाद
270–राधेश्याम, श्री — कानपुर देहात
271–राधेश्याम गुप्त, श्री — फतेहपुर
272–राधेश्याम जायसवाल, श्री — सीतापुर
273–राधेश्याम सिंह, श्री — पडरौना
274–राम अचल राजभर, श्री — अम्बेडकर नगर
275–राम अवतार मिश्रा, श्री — शाहजहांपुर
276–राम आसरे पासवान, श्री — बस्ती
277–राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा० — कानपुर नगर
278–राम औतार शाक्य, श्री — मैनपुरी
279–राम कृपाल, श्री — इलाहाबाद
280–राम खिलाड़ी, श्री — बदायूं
281–राम चन्द्र मौर्य, श्री — मिर्जापुर
282–राम चन्दर यादव, श्री — फैजाबाद

283–रामजग, श्री आजमगढ़
284–राम तेज यादव, एडवोकेट बहराइच
285–राम नक्षत्र, श्री पडरौना
286–राम नरेश रावत, श्री गाजियाबाद
287–राम नरेश यादव, श्री आजमगढ़
288–रामनाथ, श्री प्रतापगढ़
289–रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
290–रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
291–राम पाल सिंह, श्री गोण्डा
292–राम प्यारे, श्री आजमगढ़
293–राम प्रताप सिंह, श्री गोण्डा
294–राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
295–राम बाबू हरित, श्री आगरा
296–राम रतन यादव, श्री सुल्तानपुर
297–राम लखन, श्री सुल्तानपुर
298–राम ललित चौधरी, श्री बस्ती
299–राम विशुन आजाद, श्री गोण्डा
300–रामवीर उपाध्याय, श्री अलीगढ़
301–रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
302–राम शंकर पाल, श्री उन्नाव
303–राम सखी, श्रीमती अलीगढ़
304–राम सिंह, डा० अलीगढ़
305–राम सिंह, श्री बुलन्दशहर
306–राम सिंह सैनी, श्री हरिद्वार
307–राम सेवक सिंह, श्री इलाहाबाद
308–राम सेवक सिंह, श्री बदायूं
309–राम स्वरूप शर्मा, श्री मथुरा
310–राम स्वरूप सिंह, श्री बिजनौर
311–राम हर्ष सिंह, श्री सुल्तानपुर
312–रामाधार सिंह, श्री हमीरपुर
313–रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री मैनपुरी
314–रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
315–रिफाकत हुसैन चौधरी, श्री मुरादाबाद
316–रूप चौधरी, श्री मेरठ
317–रेवती रमण सिंह उर्फ "मणि", कुंवर इलाहाबाद
318–लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा० मेरठ
319–लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्री मथुरा
320–लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
321–लवकुश कुमार, श्री बिजनौर
322–लाखीराम जोशी, श्री टिहरी गढ़वाल
323–लालजी टण्डन, श्री लखनऊ
324–लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
325–लालमणि प्रसाद, श्री बस्ती
326–लाल सिंह वर्मा, श्री इटावा
327–लोकपति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
328–वकार अहमद शाह, डा० बहराइच
329–वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
330–बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
331–विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
332–विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
333–विजय कुमार, श्री गाजीपुर
334–विजय पाल सिंह, श्री आगरा
335–विजय प्रकाश, श्री इलाहाबाद
336–विजय सिंह, श्री सोनभद्र
337–विद्या सागर गुप्ता, श्री लखनऊ
338–विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू", श्री गोण्डा
339–विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री गोण्डा
340–विनोद मणि, श्री महराजगंज
341–विभूति प्रसाद निषाद, श्री आजमगढ़
342–विरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
343–विरेन्द्र सिंह, श्री वाराणसी
344–विरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
345–विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
346–विशन सिंह चुफाल, श्री पिथौरागढ़
347–विशम्भर सिंह, श्री मथुरा
348–विश्वनाथ, श्री पडरौना
349–वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना, श्री शाहजहांपुर
350–वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री एटा
351–वेद प्रकाश, श्री बस्ती
352–वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०, डा० बिजनौर
353–शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
354–शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर

355–शिव गणेश लोधी, एडवोकेट रायबरेली
356–शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
357–शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
358–शिव पूजन राम, श्री वाराणसी
359–शिव प्रताप शुक्ल, श्री गोरखपुर
360–शिव बहादुर सक्सेना, श्री रामपुर
361–शिव शंकर, श्री बांदा
362–शिव सिंह चक, श्री फिरोजाबाद
363–शिवा कान्त, श्री प्रतापगढ़
364–शिवेन्द्र सिंह उर्फ
शिव बाबू, श्री महराजगंज
365–शिशुपाल सिंह यादव, श्री एटा
366–शेर बहादुर, श्री अम्बेडकर नगर
367–श्याम किशोर यादव, श्री लखनऊ
368–श्याम देव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
369–श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
370–श्याम लाल रावत, श्री सीतापुर
371–श्याम सुन्दर, श्री रायबरेली
372–श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
373–श्रीनिवास मणि, श्री देवरिया
374–श्रीराम, श्री जालौन
375–श्रीराम, श्री मऊ
376–श्रीराम यादव, श्री जौनपुर
377–संग्राम सिंह, श्री बाराबंकी
378–संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
379–संजय सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
380–संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
381–सतीश जतारिया, श्री झांसी
382–सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
383–सतीश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
384–सत्य प्रकाश सोनकर, श्री वाराणसी
385–सन्त, श्री गोरखपुर
386–सन्त राम सिंह, श्री जालौन
387–समरपाल सिंह, श्री मेरठ
388–सरजीत सिंह डंग, डा० मिर्जापुर
389–सरदार सिंह, श्री मथुरा
390–सरवर अली खां, श्री बाराबंकी
391–सरस्वती प्रताप सिंह, श्री खीरी
392–सर्वेश कुमार उर्फ
राकेश कुमार, कुंवर, श्री मुरादाबाद
393–सिंहासन, श्री गाजीपुर
394–सीताराम निषाद, श्री फैजाबाद
395–सीमा द्विवेदी, श्रीमती जौनपुर
396–सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
397–सुखपाल पाण्डेय, श्री बस्ती
398–सुखवीर सिंह पुण्डीर, श्री सहारनपुर
399–सुधाकर सिंह, श्री मऊ
400–सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री देवरिया
401–सुमन लता सिंह, श्रीमती बरेली
402–सुरेन्द्र नाथ, श्री बाराबंकी
403–सुरेन्द्र प्रताप सिंह श्री बरेली
404–सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
405–सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
406–सुरेश चन्द्र आर्य, श्री ऊधम सिंह नगर
407–सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
408–सुशील शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
409–सुशीला अग्रवाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
410–सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
411–सूर्य भान, श्री सुल्तानपुर
412–सौलत अली, मुरादाबाद
413–स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री रायबरेली
414–हरदेव सिंह, श्री बाराबंकी
415–हरपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
416–हरवंश कपूर, श्री देहरादून
417–हरिनारायण, श्री बलिया
418–हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री सोनभद्र
419–हरि शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
420–हरि शंकर माहौर, श्री अलीगढ़
421–हरीश चन्द्र गंगवार, श्री बरेली
422–हरीश चन्द्र "हरीश जी", श्री वाराणसी
423–हीरालाल गौतम, श्री आजमगढ़
424–हुकुम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
425–होराम सिंह, श्री बुलन्दशहर
426–रिक्त

# महामहिम राज्यपाल
# श्री सूरजभान
# मंत्रि-परिषद्

| क्र०सं० | नाम | कार्य विभाग (पोर्टफोलियो) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | श्री कल्याण सिंह (मुख्य मंत्री) | सामान्य प्रशासन, गृह, गोपन, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, वित्त, न्याय, विधायी, राज्य सम्पत्ति, नागरिक उड्डयन, औद्योगिक विकास, प्रोटोकाल, संसदीय कार्य एवं सार्वजनिक उद्यम। |
| 2 | श्री कलराज मिश्रा | लोक निर्माण, पर्यटन |
| 3 | श्री लालजी टण्डन | आवास, नगर विकास |
| 4 | श्री ओम प्रकाश सिंह | सिंचाई, गन्ना विकास |
| 5 | श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" | समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण |
| 6 | श्री नरेश अग्रवाल | ऊर्जा |
| 7 | श्री दिवाकर विक्रम सिंह | कृषि |
| 8 | डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर | उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा। |
| 9 | चौधरी नरेन्द्र सिंह | ग्राम्य विकास |
| 10 | श्री रमापति शास्त्री | स्वास्थ्य एवं चिकित्सा |
| 11 | श्री मारकण्डेय चन्द | लघु सिंचाई ग्रामीण अभियंत्रण। |
| 12 | श्री रघुवर दयाल वर्मा | वन |
| 13 | डा० नैपाल सिंह | माध्यमिक शिक्षा, भाषा। |
| 14 | श्री सूर्य प्रताप शाही | आबकारी |
| 15 | श्री राम कुमार वर्मा | सहकारिता |
| 16 | श्रीमती प्रेमलता कटियार | महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार। |
| 17 | श्रीमती प्रभा द्विवेदी | श्रम |
| 18 | श्री सरदार सिंह | वस्त्र उद्योग |
| 19 | श्री राधेश्याम गुप्ता | संस्थागत वित्त |
| 20 | श्री बाबू राम, एम०काम० | लघु उद्योग, निर्यात प्रोत्साहन। |
| 21 | श्री हुकुम सिंह | पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्य। |
| 22 | श्री एज़ाज़ रिज़वी | खाद्य एवं रसद। |
| 23 | श्री शिव प्रताप शुक्ल | कारागार |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 24 | श्री बच्चा पाठक | पर्यावरण, अतिरिक्त ऊर्जा । |
| 25 | श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही | राजस्व |
| 26 | श्री हरिशंकर तिवारी | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी |
| 27 | श्री मण्डलेश्वर सिंह | क्षेत्रीय विकास एवं परती भूमि विकास। |
| 28 | राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह | राष्ट्रीय एकीकरण एवं इलेक्ट्रानिक्स । |
| 29 | डा० रमेश पोखरियाल "निशंक" | उत्तरांचल विकास |
| 30 | चौधरी लक्ष्मीनारायण | उद्यान |
| 31 | श्री श्याम सुन्दर शर्मा | खेलकूद, युवा कल्याण,प्रान्तीय विकास दल । |
| 32 | श्री शिवाकान्त ओझा | चिकित्सा शिक्षा |
| 33 | श्री सरस्वती प्रताप सिंह | होमगार्ड्स, राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक सुरक्षा । |
| 34 | श्री फागू चौहान | संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व |
| 35 | श्री राजाराम पाण्डेय | खादी एवं ग्रामीण उद्योग |
| 36 | राजा रघुराज प्रताप सिंह | कार्यक्रम कार्यान्वयन |
| 37 | श्री जय नरायन तिवारी | सार्वजनिक उद्यम |

## राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

| क्र०सं० | नाम | कार्य विभाग (पोर्टफोलियो) |
|---|---|---|
| 1 | श्री सुन्दर सिंह बघेल | दुग्ध विकास |
| 2 | श्री रवीन्द्र शुक्ल | बेसिक शिक्षा |
| 3 | श्री गोरख प्रसाद निषाद | पशुधन |
| 4 | श्री महेन्द्र नाथ पाण्डे | नियोजन |
| 5 | श्री धर्मपाल सिंह | पंचायती राज |
| 6 | श्री जयपाल सिंह | बाढ़ नियंत्रण |
| 7 | श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह | परिवार कल्याण मातृ एवं शिशु कल्याण। |
| 8 | श्री अशोक यादव | अभाव तथा सहायता एवं पुनर्वास । |
| 9 | श्री राधेश्याम कोरी | अम्बेडकर ग्राम विकास एवं सेवायोजन । |
| 10 | राजा गज़नफर अली | अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज । |

## राज्य मंत्री

| क्र०सं० | नाम | कार्य विभाग (पोर्ट फोलियो) |
|---|---|---|
| 1 | श्री बालेश्वर त्यागी | वित्त |
| 2 | श्री फतेह बहादुर सिंह | औद्योगिक विकास |
| 3 | श्री सुखपाल पाण्डेय | परिवहन |
| 4 | श्री राम प्रसाद कमल | लोक निर्माण |
| 5 | श्री लल्लू सिंह चौहान | पर्यटन |
| 6 | श्री सुरेश खन्ना | आवास |
| 7 | श्री सतीश महाना | नगर विकास |
| 8 | श्री धनराज यादव | सिंचाई |
| 9 | श्री मंगल सिंह सैनी | गन्ना विकास एवं चीनी मिलें |
| 10 | श्री दल बहादुर कोरी | समाज कल्याण |
| 11 | श्री राम आसरे कुशवाहा | अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण |
| 12 | श्री रंगनाथ मिश्र | ऊर्जा |
| 13 | श्री भगवान सिंह शाक्य | कृषि |
| 14 | श्री वीरेन्द्र सिंह | कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान |
| 15 | श्री राकेश धर त्रिपाठी | उच्च शिक्षा |
| 16 | श्री यशवन्त सिंह | प्राविधिक शिक्षा |
| 17 | श्री शिवेन्द्र सिंह | ग्राम्य विकास |
| 18 | श्री बंश नारायण सिंह पटेल | ग्राम्य विकास |
| 19 | डा० अरविन्द कुमार जैन | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य |
| 20 | श्री राम आसरे पासवान | लघु सिंचाई |
| 21 | श्री चन्द्र किशोर | माध्यमिक शिक्षा |
| 22 | श्री विक्रमाजीत मौर्य | आबकारी |
| 23 | श्री रामचन्द्र बाल्मीकि | सहकारिता |
| 24 | श्रीमती गुलाब देवी | महिला कल्याण |
| 25 | श्री प्रेम प्रकाश सिंह | वस्त्रोद्योग |
| 26 | श्री बहोरन लाल मौर्य | संस्थागत वित्त |
| 27 | श्री बिहारी लाल आर्य | लघु उद्योग |
| 28 | श्री राकेश त्यागी | पंजीयन |
| 29 | श्री हरि नारायण राजभर | कारागार |
| 30 | श्री विवेक कुमार सिंह | पर्यावरण |
| 31 | श्री रामपाल राजवंशी | अतिरिक्त ऊर्जा |
| 32 | श्री शिव शंकर सिंह | राजस्व |
| 33 | श्री सतीश शर्मा | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी |
| 34 | श्री संग्राम सिंह | क्षेत्रीय विकास |
| 35 | श्री श्रीराम सोनकर | राष्ट्रीय एकीकरण |
| 36 | श्री मातवर सिंह कण्डारी | उत्तरांचल विकास |

| क्र०सं० | नाम | कार्य विभाग (पोर्टफोलियो) |
|---|---|---|
| 37 | श्री बंशीधर भगत | उत्तरांचल विकास |
| 38 | श्री नारायण रामदास | उत्तरांचल विकास |
| 39 | श्री दलवीर सिंह | खेलकूद |
| 40 | श्री अमर मणि त्रिपाठी | युवा कल्याण |
| 41 | श्री गंगा बख्श सिंह | चिकित्सा शिक्षा |
| 42 | श्री विनय पाण्डेय | होमगार्ड्स |
| 43 | श्री जितेन्द्र कुमार जायसवाल | संस्कृति |
| 44 | श्री रामलखन पासी | खादी एवं ग्रामीण उद्योग |
| 45 | श्री मुन्ना लाल मौर्य | उद्यान |
| 46 | श्री वेद प्रकाश | श्रम |
| 47 | श्री राजेन्द्र सिंह पटेल | ग्रामीण अभियंत्रण |
| 48 | श्री शिव गणेश लोधी | खाद्य एवं रसद |

**नेता विरोधी दल**

श्री धनीराम वर्मा

# उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

**अध्यक्ष**

श्री केशरीनाथ त्रिपाठी

**उपाध्यक्ष**

रिक्त

**सचिव**

श्री प्रेमचन्द्र सक्सेना

**अधिष्ठाता मण्डल**

1–डा० सरजीत सिंह डंग, सदस्य, विधान सभा (मिर्जापुर),
2–श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा (कानपुर नगर),
3–श्री निर्भय पाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा (सहारनपुर),
4–श्री केदार सिंह फोनिया, सदस्य, विधान सभा (चमोली),
5–श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा (अम्बेडकर नगर),
6–डा० अशोक बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा (हरदोई),
7–श्री मुन्ना चौहान, सदस्य, विधान सभा (देहरादून),
8–श्री गौरी शंकर एडवोकेट, सदस्य, विधान सभा (लखनऊ),
9–डा० अम्मार रिजवी, सदस्य, विधान सभा (सीतापुर),
10–श्री कौकब हमीद, सदस्य, विधान सभा (मेरठ),

अः

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## (तेरहवीं विधान सभा)

## सोमवार, दिनांक 20 जुलाई, 1998

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

| | |
|---|---|
| अकबर हुसैन, श्री | मुरादाबाद |
| अतीक अहमद, श्री | इलाहाबाद |
| अनीस खां, श्री | पीलीभीत |
| अफरोज अली खां, श्री | रामपुर |
| अब्दुल कलाम, श्री | बस्ती |
| अब्दुल खालिक, श्री | अलीगढ़ |
| अमित अग्रवाल, श्री | मेरठ |
| अमीर आलम खान, श्री | मुजफ्फरनगर |
| अरविन्द कुमार जैन, श्री | ललितपुर |
| अशफाक अहमद, श्री | बरेली |
| अशोक यादव, श्री | फिरोजाबाद |
| ओम प्रकाश सिंह, श्री | मिर्जापुर |
| कुंवर पाल सिंह मास्टर, श्री | सहारनपुर |
| काज़िम अली खां, उर्फ | |
| नवेद मियां, श्री | रामपुर |
| किशन लाल बघेल, सेठ | आगरा |
| गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री | आगरा |
| चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री | झांसी |
| चन्द्रेश पासवान, श्री | गोरखपुर |
| छोटे सिंह यादव, श्री | फर्रुखाबाद |
| ज्ञानवती सिंह, डा० | अलीगढ़ |
| देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर | एटा |
| धनराज यादव, श्री | सिद्धार्थनगर |
| नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री | कानपुर देहात |
| नरेन्द्र सिंह यादव, श्री | फर्रुखाबाद |
| नेतराम सिंह, श्री | एटा |
| पूरन सिंह बुन्देला, श्री | ललितपुर |
| प्रेम स्वरूप पाठक, श्री | बदायूं |
| फतेह बहादुर, श्री | महराजगंज |
| बच्चा पाठक, श्री | बलिया |
| बादशाह सिंह, श्री | हमीरपुर |
| बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री | सीतापुर |
| भारत सिंह रावत, श्री | गढ़वाल |
| महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा० | वाराणसी |
| मुख्तार अंसारी, श्री | मऊ |
| रघुराज प्रताप सिंह | |
| "राजा भईया", कुंवर | प्रतापगढ़ |
| रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर | पडरौना |
| रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री | सिद्धार्थनगर |
| राजधारी, श्री | बलिया |
| राजेन्द्र सिंह, श्री | देहरादून |
| राम खिलाड़ी, श्री | बदायूं |
| राम नाथ, श्री | प्रतापगढ़ |
| रामवीर उपाध्याय, श्री | अलीगढ़ |
| राम सेवक सिंह, श्री | इलाहाबाद |
| राम स्वरूप शर्मा, श्री | मथुरा |
| लालमणि प्रसाद, श्री | बस्ती |
| लोकपति त्रिपाठी, श्री | मिर्जापुर |
| विजय सिंह, श्री | सोनभद्र |
| विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नु", श्री | गोण्डा |
| विनोद मणि, श्री | महराजगंज |
| विशम्भर सिंह, श्री | मथुरा |
| शिव बहादुर सक्सेना, श्री | रामपुर |
| संदीप अग्रवाल, श्री | मुरादाबाद |
| सुखपाल पाण्डेय, श्री | बस्ती |
| सुधाकर सिंह, श्री | मऊ |
| हरि प्रसाद उर्फ धमड़ी, श्री | सोनभद्र |
| हरीश चन्द्र "हरीश जी", श्री | वाराणसी |

सोमवार, दिनांक 20 जुलाई, 1998

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

## प्रदेश में भयंकर बाढ़ से तबाही होने विषयक प्रकरण को उठाये जाने का प्रयास (जारी)

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। बाढ़ से पूर्वी उत्तर प्रदेश का अधिकांश हिस्सा चौपट हो गया है।....

श्री अध्यक्ष-

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। व्यवस्था का प्रश्न सदन की प्रक्रिया से संबंधित होता है।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, इस पर चर्चा लगी थी। शुक्रवार को लगी थी। परन्तु सरकार ने संख्या बल के आधार पर इसे स्थगित करवा दिया। इससे पहले इतनी भयंकर बाढ़ वहां कभी नहीं आयी। माननीय सदस्य स्वयं देखकर आये हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से मैं इस विषय पर विचार-विमर्श कर लूंगा कि इस विषय पर चर्चा कब लगा लें?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह मानवता का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि देख-रेख जारी है और बाढ़ पर नियंत्रण किया जा रहा है। जबकि वास्तविकता यह है कि न वहां पर कोई कार्यवाही हो रही है और न ही कोई रिलीफ का कार्य हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

कह तो दिया कि चर्चा का दिन निर्धारित कर देंगे।

## प्रश्नोत्तर

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### बागेश्वर और पिथौरागढ़ के वन क्षेत्रों में लगी आग से वन सम्पदा का नुकसान

**1. -श्री जगदम्बिका पाल-

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि माह मई, 1998 में प्रदेश के बागेश्वर और पिथौरागढ़ पर्वतीय जिलों के वन क्षेत्रों में आग लगने से वन सम्पदा का नुकसान हुआ है ? क्या इसके लिये जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(वन मंत्री) श्री रघुबर दयाल वर्मा-

जी हाँ। माह मई 1998 में बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में आरक्षित वन में क्रमशः 30.55 एवं 1.00 हे0 तथा सिविल/पंचायती वनों में 10.4 एवं 26.00 हे0 क्षेत्र में आग लगी है।

प्रश्नगत दोनों जनपदों में माह मई 1998 में "ग्राउन्ड फायर" लगी थी जो वनों में अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ के जमा होने व अन्य प्राकृतिक कारणों से घटित हुई थी। वन अधिकारियों/कर्मचारियों ने आग पर नियन्त्रण पाने का अथक प्रयास किया है। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में आरक्षित वन में क्रमशः 30.55 एवं 1.00 हे0 तथा सिविल/पंचायती वनों में 10.4 एवं 26.00 हे0 क्षेत्र में आग लगी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जितना क्षेत्र उन्होंने आग से प्रभावित बताया है, इसका मूल्य कितना था। दूसरा, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अधिकारियों/कर्मचारियों ने अथक परिश्रम से आग को बुझाया है, इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। मान्यवर, वन विभाग में स्थायी अधिकारी/कर्मचारी तैनात होते हैं, जिसमें फारेस्ट गार्ड/फारेस्टर/डी0एफ0ओ0 आदि होते हैं, जिनका रोज का कार्य होता है वन की पैट्रोलिंग का। इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो आग लगी, उसे बुझाने में कितना समय लगा ?

श्री रघुबर दयाल वर्मा-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा है कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ में जो आग लगी, उसमें कितना नुकसान हुआ ? मैं बताना चाहता हूं कि बागेश्वर में 5566

रुपये का नुकसान हुआ और पिथौरागढ़ में 3750 रुपये का नुकसान हुआ। दूसरा, माननीय सदस्य ने पूछा कि स्थायी अधिकारी/कर्मचारी तैनात रहते हैं जैसे फारेस्ट गार्ड/फारेस्टर आदि, इस संबंध में बताना चाहता हूं कि वन क्षेत्रों में अग्नि सीमा बनाई होती है। दूसरा, जो उपाय है हम अपने वन क्षेत्रों को बचाने के लिये जो नियंत्रणशालायें होती हैं। नियंत्रणशालाएं हैं और नियंत्रण कक्ष हैं जो अग्नि रोकने का काम करते हैं। आग लगने का मूल कारण यह है कि चीड़ के वृक्ष होते हैं और उसकी पत्तियाँ पतझड़ से गिरती हैं। अप्रैल से मई तक गिरती हैं। इसमें ऐसा ज्वलनशील पदार्थ होता है उसके कारण आग लग जाना स्वाभाविक होता है। इस ग्राउन्ड फायर को रोकने के लिये हमारा विभाग अग्नि कक्ष, नियंत्रण कक्ष बनाये होता है। जो पत्तियों होती हैं उससे 20-30 फिट की दूरी पर अग्नि फोकान होता है। ताकि जब इसमें आग लगे तो वह अन्य क्षेत्रों में न पहुंच जाय। पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादा ढ़लान और ऊंचान है। हमारे विभाग के पास वहाँ पर वायरलैस सेट है ताकि अगर कहीं आग लग जाती है तो उसकी सूचना मिल सके और वहाँ पर अग्नि पर काबू पाने के लिये दूसरे वृक्षों की टहनियाँ तोड़ कर पीट-पीट कर आग बुझाने का काम करते हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने सदन को वन सम्पदा के नुकसान के बारे में जो उत्तर दिया है कदाचित समुचित नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी बतायेंगे कि एक हेक्टेयर में कितने पौधों का वृक्षारोपण किया जाता है। अगर एक हेक्टेयर में दो हजार पौधे होते हैं तो 30 हेक्टेयर में आग लगने से जो नुकसान 5 हजार का बताया गया है वह कम है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां पर कितनी प्रजातियों के और कुल कितने पेड़ थे। सिविल/पंचायती बनों में 10.4 एवं 26.00 हेक्टेयर क्षेत्र में आग लगी यह बताया गया है तो क्या यह बतायेंगे कि वहाँ पर कितनी प्रजाति के कितने पेड़ थे। माननीय मंत्री जी ने यह भी बताया कि वहाँ पर वायरलैस सेट है। माननीय मंत्री जी भारत सरकार की तरफ से आपको हेलीकाप्टर व प्लेन दिया गया है कि अगर कहीं पर अग्नि कांड हो उसको बुझाया जा सके। माननीय मंत्री जी ने इसका उपयोग कितना किया?

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

माननीय पाल जी पहाड़ की तरफ गये नहीं। मैदानी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। मैं आपको हक़ीक़त बता रहा हूं ....

श्री अध्यक्ष-

माननीय पाल साहब का प्रश्न यह है कि किस-किस प्रजाति के पौधे थे? और कितने पेड़ थे?

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा पाल जी पहाड़ की तरफ नहीं गये। यह बात सही है कि मंत्री जी आगरा के रहने वाले हैं। हमारा तो पहाड़ से ताल्लुक है। हम तो वहां के रहने वाले हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, जब मंत्री जी के बारे में जानते हैं कि यह आगरा के रहने वाले हैं तो इस तरह की बात इनसे करनी ही नहीं चाहिए थी।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

श्रीमन्, पाल साहब व तिवारी जी को बता दूं कि आगरा में इलाज होता है, पहाड़ के लोगों का होता है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं अपनी बात वापस लेता हूं। इनका इलाज कहीं नहीं हो सकता है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

श्रीमन्, मैं फिरोजाबाद का रहने वाला हूं और वहीं से चुनाव लड़ता हूं। इनको सुहाग की ज्यादा चिन्ता हो गई है तो इनको चुड़ियां ला दूंगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

आगरा में जो बीमारी लाइलाज हो गयी इसलिये इन्होंने चूड़ियां पहन लीं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चीड़ के पेड़ में घाव होते हैं तो उससे नुकसान होता है एक घाव का नुकसान डेढ़ रुपया होता है जो आंकलन किया गया है जो एक-एक पेड़ का नुकसान हुआ वह बताया गया है। लीसा में घाव के रूप में प्रति घाव 1.50 रु0 2.50 रु0 क्षति जो पेड़ों की होती है उसमें, पूरा आंकलन इसमें करवाया गया है।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई, मौके पर नुकसान ज्यादा हुआ है, अधिकारियों ने बचने के लिए यह अग्निकांड कर दिया। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या अगले वर्षों के लिए विस्तृत परियोजना का प्रारूप तैयार है ताकि अगले वर्षों में आग लगने से बचाव किया जा सके।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

मान्यवर, जो हमने आंकलन किया है वह विधिवत् है हमारे प्रयास बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं अग्निकांड को रोकने के लिए एक कठिनाई हमारी है। तीन हजार फिट की ऊँचाई पर पेड़ कटान होता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, जो अग्नि लगी है जो गैप बनाकर रखते हैं वह नहीं हो पा रहा है पेड़ कट नहीं पा रहे हैं इसलिए उन्हें हटाने की अनुमति दी जाए इसके लिए हम प्रयासरत् हैं। हम वह गैप को बनाए रखने के लिए कोशिश में हैं। जहां तक कार्यवाही करने की बात है तो अधिकारियों ने आग बुझाने का काम इतनी चढ़ाई पर जाकर किया है तो उनके खिलाफ कार्यवाही करने का कोई सवाल नहीं है।

श्री अरविन्द गिरि-

मान्यवर मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आग से जितना नुकसान हुआ, इतना किसी से नहीं हुआ तो वर्तमान सरकार में जो आग बुझाने की प्रक्रिया है आप उससे संतुष्ट हैं? अगर नहीं हैं, तो उसमें क्या प्रभावी कदम उठा रहे हैं?

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

मैदानी क्षेत्रों में तो हम पानी आसानी से ले जा सकते हैं लेकिन पहाड़ों में पानी ले जाने की बहुत मजबूरी है। वहां आग पेड़ की टहनियों से बुझाई जाती है।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि साल में एक-दो बार आग लग जाती है और इस आग से पेड़ जल जाते हैं हजारों करोंड़ों की संख्या में पेड़ जल जाते हैं उन पेड़ों को फिर से लगाने के लिए आपने कोई विधि तैयार की है। जितने पेड़ जल गए हैं क्या उससे ज्यादा पेड़ लगाने पर आप विचार कर रहे हैं? और उसकी विधि क्या है? वहां पेड़ लगाने के दो तरीके हैं, एक तो बीज डाल दिए जाते हैं दूसरा हेलीकाप्टर से बीज रोपण किया जाता है जिससे जल्दी पेड़ लग जाते हैं। मान्यवर मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो नुकसान हुआ उसके लिए अभी तक क्या कार्यवाही की गई? कितने पेड़ लगाने का काम किया गया?

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

जिस क्षेत्र में आग लगती है उस क्षेत्र में आग पर काबू पाने के लिए, और उससे जो पेड़ों में कमी आती है तो वृक्षारोपण के लिए, दोनों के लिए प्रयास जारी है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जैसे चीड़ का पेड़ है तो उसकी पत्तियां इकट्ठी हो जाती हैं तो आग का कारण कभी-कभी यह भी होता है जानवरों की घास एक उगती है वह नहीं उग पाती है इन पत्तियों के इकट्ठा होने से, तो लोग इन पत्तियों में आग लगा देते हैं।

तो कभी यह परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं उसके कारण भी लोग आग लगा देते हैं नयी पत्तियां हटा दी जायें। दूसरा एक कारण यह भी है कि जो पर्यटक आता है वह भी आग लगाने में सहायक होता है तो इन दोनों कारणों से आग लगती है।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, मैं यह जानना चाह रहा हूं कि क्या उपाय कर रहे हैं और यह क्या जवाब दे रहे हैं?

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

मान्यवर, मैं बता रहा हूं। मान्यवर, कुछ पेड़ तो प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं और जो बाकी पेड़ लगाये जाते हैं उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष-

कुंवर रेवती रमण सिंह आप फिर से एक बार प्रश्न कर दीजिये। शायद मंत्री जी समझ नहीं पा रहे हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, हुकुम सिंह मंत्री जी इनको कुछ समझा रहे हैं। मंत्री जी आप हुकुम सिंह जी से मत समझिये, हम लोगों से समझें। यह आपको दिगभ्रमित कर देंगे। मान्यवर, मेरा सवाल यह है कि जो आग लगने से हजारों पेड़ जल गये हैं और पहाड़ों पर फिर से नये पेड़ लगें, इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? मैंने एक सुझाव दिया था। क्या हैलीकाप्टर द्वारा या प्लेन के द्वारा आप बीजों का बीजारोपण करायेंगे ताकि जो पेड़ जल गये हैं उनकी जगह फिर से नये पेड़ उगें?

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो कहा कि हजारों पेड़ जल गये हैं वह ठीक नहीं है। जो विधि हमारे वन विभाग ने पहाड़ों पर पेड़ लगाने की तय की है वह मैं बता रहा हूं। एक तो मान्यवर, स्वतः प्राकृतिक रूप से पेड़ उगते हैं और दूसरा जो बीजारोपण से लगाये जाते हैं उसकी यथावत् कार्यवाही चल रही है।

## उ0 प्र0 विधान सभा व विधान परिषद् के सदस्यों के आवास आवंटन हेतु नियमावली

श्री बी0 आर0 वर्मा-

**2- क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सदस्य, विधान सभा एवं सदस्य, विधान परिषद् उत्तर प्रदेश के लिये आवास आवंटन हेतु कोई नीति बनाई गई है? यदि हां, तो वह क्या है? क्या सरकार कोई ऐसी नीति बनाने पर विचार करेगी जिसमें वरिष्ठता, दल के नेता, पूर्व मंत्री आदि को आवास-आवंटन में वरीयता दी जाय?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

माननीय विधान मण्डल के सदस्यों को भवन आवंटन हेतु "उ0 प्र0 राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के निवास स्थान सम्बन्धी नियमावली 1963" है।

जी, नहीं।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जिस तरह से पार्लियामेंट में राज्य सभा और लोक सभा के सदस्यों को आवास आवंटन करने के लिए एक समिति है और जब वह समिति नहीं रहती है तो अध्यक्ष लोक सभा की देखरेख में वह काम होता है। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि उसमें इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता के आधार पर, दल के नेता को या जो कई बार मंत्री रह चुका हो, राज्य मंत्री रह चुका हो, मान्यवर, होता यह है कि जो एक बार जीतकर आया है और जो दल का नेता है और कई बार मंत्री रह चुका है तो उसके यहाँ आने वालों की भीड़ रहती है तो यह स्वाभाविक है कि उसके यहाँ दबाब होगा इसलिए उसको बड़े आवास की आवश्यकता रहती है और जो परिपाटी है एक ही लाईन से है। उसमें वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा जाता है। मंत्री रहा हो, या अध्यक्ष रहा हो, या किसी बड़े पद पर रहा हो जो अवेलेबिल हो उसी में दिया जाता है। क्या इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए दिया जायेगा? तो क्या माननीय मंत्री जी पार्लियामेंट की तरह इस तरह की व्यवस्था करेंगे?

कुंवर रेवती रमण सिंह-

आपकी अध्यक्षता में बन जाय।

लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)-

अभी जो नियम हैं उसके अन्तर्गत भवन का आवंटन होता है और उसमें सभी विधायकों को इस तरह से आवंटन करने की कोशिश की जाती है कि जो विधायक पहले था और जो दूसरा उसी क्षेत्र से चुनकर आता है तो उसको वहीं कक्ष आवंटित किया जाता है। इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री वी0 आर0 वर्मा-

जिस नियमावली का उल्लेख माननीय मंत्री जी ने किया है, जहां तक मेरी जानकारी है, उस नियमावली में समिति बनाने की भी व्यवस्था है, तो क्या माननीय मंत्री जी समिति बनाने पर विचार करेंगें?

श्री कलराज मिश्र-

ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

डा0 अशोक बाजपेयी-

जिस तरह से पार्लियामेंट में चुनाव होने के बाद समिति सदस्यों के भवन आवंटन का काम करती है और उसमें राजनैतिक वरिष्ठता को दृष्टिगत रखते हुए भवन आवंटन किये जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चुनाव के पूर्व ही विधान सभा क्षेत्र वाइज आवंटन हो जाता है तो क्या लोक सभा की भाँति उत्तर प्रदेश में भी आवास आवंटन करते समय इस चीज को ध्यान में रखते हुये नई नीति बनाने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री कलराज मिश्र-

इस संबंध में, इस प्रकार की कोई नीति बनाने की दृष्टि से विचार नहीं किया गया है । आपस में मिल बैठकर, संबंधित दल के नेतागण विचार-विमर्श करते हुये, यदि कोई चीज निकलती है तो विचार किया जा सकता है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

जैसा माननीय वर्मा जी ने पूछा था, जिस तरह की समिति लोक सभा में है, उस तरह की बनाने पर विचार करेंगे, जैसे वहाँ लोक सभा के अध्यक्ष की अध्यक्षता में है ताकि सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचार होकर कार्यवाही हो सके ?

श्री कलराज मिश्र-

माननीय अध्यक्ष जी जैसा निर्देशित करेंगे, उसमें कोई एतराज नहीं होगा ।

श्री लाल जी वर्मा-

लोक सभा और राज्यसभा की भाँति यहाँ के माननीय विधायकों की सुगमता को ध्यान में रखते हुये माननीय अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन व्यवस्था करने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

इसका उत्तर आ गया है ।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, नई नीति बनाने अथवा समिति बनाने में कोई वित्तीय अधिभार भी नहीं पड़ेगा और माननीय मंत्री जी भी सहमत हैं कि नेताओं से परामर्श कर लेंगे और उन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिया है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसी सत्र के चलते 24 तारीख से पहले माननीय नेताओं से विचार-विमर्श करके आपकी अध्यक्षता में ऐसी कमेटी बनाई जायेगी, इसका उत्तर दिलवा दें ?

श्री अध्यक्ष-

मैनें माननीय संसदीय कार्य मंत्री से इस बारे में अनौपचारिक रूप से

विचार-विमर्श किया था। माननीय मंत्री जी ने भी कह दिया है। अब लोक निर्माण मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा दल के नेताओं की जो भी आवश्यकता होगी, के साथ औपचारिक रूप से विचार-विमर्श कर लेंगे, वैसे आवास संबंधी संयुक्त समिति है, यदि उसे प्रभावी बना सकेंगे तो उस पर विचार करेंगे, नहीं तो अलग से देख लेंगे।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

## उ0 प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अधिनियम 1998) में, जेल भेजे गये छात्रों व अध्यापकों का विवरण

श्री राम औतार शाक्य-

* 1-क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998 के लागू होने के बाद कितने छात्र एवं अध्यापक पकड़े गये और उनमें कितने-कितने जेल भेजे गये? क्या सरकार ने ऐसे पकड़े गये छात्रों के विरुद्ध न्यायालयों में केसों की परीक्षण की अवधि तय की है? यदि हां, तो कितनी? यदि नहीं तो क्यों? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अब तक पकड़े गये छात्रों/आध्यापकों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालयों में दाखिल कर दिया गया है? कितने मामलों की विवेचना लम्बित हैं?

श्री कल्याण सिंह-

प्राप्त सूचनानुसार सन्दर्भगत अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात् पकड़े गये एवं जेल भेजे गये छात्रों एवं अध्यापकों का विवरण निम्नवत् हैं:-

| | पकड़े गये | जेल भेजे गये |
|---|---|---|
| (क) छात्र | 18639 | 31 |
| (ख) अध्यापक | 60 | 25 |

सन्दर्भगत अधिनियम की धारा -12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह प्राविधानित किया गया है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय समस्त अपराधों पर संक्षिप्त विचारण किया जायेगा। तद्नुसार न्यूनतम अवधि में ऐसे मामलों का निस्तारण हो सके, इसकी व्यवस्था की गयी है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

अब तक पकड़े गये छात्रों/अध्यापकों के विरुद्ध न्यायालयों में दाखिल किये गये आरोप-पत्रों की संख्या निम्नवत् है:-

| | कुल दाखिल आरोप-पत्र |
|---|---|
| (क) छात्र | 14673 |
| (ख) अध्यापक | 59 |

लम्बित विवेचना के प्रकरण निम्नवत् हैं :-

(क) छात्रों से सम्बन्धित 3694

(ख) अध्यापकों से सम्बन्धित 01

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, उत्तर के संदर्भ में यह बताया गया है कि पकड़े गये छात्र है 18639 और कुल दाखिल आरोप पत्र 14673, मान्यवर, विवेचना का विवरण भी इसमें अंकित है। 3673 की विवेचना हो रही है, तो इस तरह से 293 छात्र बचे हैं, तो इसमें अन्तिम रिपोर्ट की क्या स्थिति है ?

संसदीय कार्य एवं पंजीयन, मनोरंजनकर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री-(श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, जो विवेचना पूर्ण हो चुकी है और जो विचाराधीन है उसकी बावत मैनें बताया। इसके अतिरिक्त जो छात्र हैं, उसमें अंतिम रिपोर्ट लग चुकी है।

श्री राम औतार शाक्य-

जल्दी से जल्दी इनके मामलों का निस्तारण हो जाये तो इसमें विवेचना इतने दिनों तक लम्बित रहने का क्या औचित्य है। आपने बताया कि संक्षिप्त विचारण किया जा रहा है तो क्या इस एक्ट में संशोधन करके क्या इसके निदान की कोई व्यवस्था नहीं करेंगें, जिसमें सी0 आर0 पी0 सी0 लागू करेंगें, ताकि समय निश्चित हो जाए। ताकि मानवीय दृष्टिकोण से अगर आरोप सिद्ध नहीं होता है तो वह छात्र छूट जाए ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह तो व्यवस्था पहले ही हो चुकी है, संक्षिप्त विचारण की।

श्री समर पाल सिंह-

मान्यवर, जो संक्षिप्त विवरण है उसमें समय सीमा तय नहीं है। तो जो पकड़ जायेगें यदि उनका सरकारी नौकरी के लिए चयन होता है तो वह चयन प्राभावित नहीं होगा इसका प्राविधान हो, जो अध्यापक पकड़ेंगे उनकों गवाही के लिए अदालत में जाना पड़ेगा।

एक अध्यापक हो सकता है कि वह 15-20 लड़कों को पकड़े, तो उसे अनेकों बार अदालतों में गवाही आदि के लिये जाना पड़ सकता है और इसके लिये टी0ए0 डी0ए0 की व्यवस्था करनी होगी और इसके साथ ही साथ उतनें दिनों उसके लेक्चर्स भी छूट जायेंगे, उनकी भी व्यवस्था करनी होगी और दूसरी बात यह है कि पेपर केमिस्ट्री का है उसके पास से पर्ची पकड़ी गयी है वह फिजिक्स की है, तो ऐसी दशा में न्यायालय के सामने एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जायेगी, तो क्या न्यायालय में किसी एक्सपर्ट की व्यवस्था करने की कृपा करेगें ? क्या न्यायालय में किसी एक्सपर्ट को बुलाया जायेगा ?

श्री हुकुम सिंह-

प्रश्न के भाग एक और दो हैं। पहले के बारे में पहले से प्रक्रिया निर्धारित है। यह न्यायालय के विवेक की बात है कि वह एक्सपर्ट को बुलायेंगे या नहीं। सरकार के स्तर से कुछ न किये जाने की आवश्यकता है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, इस सरकार की पूरी मंशा इस प्रदेश के शिक्षकों को अपमानित करने की है। मान्यवर, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 293 मामलों में फाइनल रिपोर्ट लग गयी और वह छात्र अगली परीक्षा देने से वंचित रह गये। मान्यवर, जिन लोगों के कारण इन छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया, क्या उन लोगों को दण्डित करने पर विचार करेंगे?

श्री हुकुम सिंह-

एक अप्रैल, 1998 को आदेश पारित किये गये थे, कि यदि कोई छात्र ऐसे काम को करता पाया जाता है, नकल करता पाया जाता है तो उसकी परीक्षा देने में व्यवधान न पैदा किया जाय। अधीक्षक को मजिस्ट्रेट का पावर दिया गया है। पेपर होने के बाद वह जमानत ले ले और मुचलका पर छोड़ दे और फिर अभिभावक जमानत दे सकते हैं। यह इसलिए किया गया है जिससे छात्रों को परीक्षा देने में कठिनाई न हो।

श्री अम्बिका चौधरी-

वह छात्र अगर परीक्षा नहीं दे सकेगा तो उसका जीवन अंधकारमय हो जायेगा और आपकी जांच में निर्दोष पाया जायेगा। मैं ट्रायल की बात नहीं कर रहा हूं। जिसके खिलाफ, मुकदमा दर्ज हो जायेगा वह कैसे अगली परीक्षा देने में सफल होगा?

श्री हुकुम सिंह-

कोई प्रतिबन्ध नहीं है, जिस पेपर में पकड़ा गया है उसको भी देगा, अगले पेपर पर तो कोई प्रतिबन्ध ही नहीं है। जमानत की प्रक्रिया वहीं पूरी कर ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

परीक्षा का परिणाम तो घोषित होगा, या तो वह फेल होगा या पास होगा।

श्री मुन्ना चौहान-

अभी मा0 मंत्री जी ने उत्तर दिया, उससे एक बात स्पष्ट हो गयी है कि शासन के निर्देश थे कि जो छात्र नकल करता हुआ पकड़ा जायेगा पुलिस चौकी ले

जाने की आवश्यकता नहीं थी और आगे की परीक्षा को रोकने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन व्यवहारिकता में यह है कि जो छात्र पकड़े गये उनका पुलिस चौकी ले जाया गया और अगली परीक्षा में बाधा आयी। शासन के निर्देश थे लेकिन ऐसा नहीं पाया तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह के केसेज की चार्जशीट भी नहीं सम्मिट कर पाये अर्थात वह निर्दोष पाये गये और ऐसे निर्दोष पाये गये छात्रों के लिए विशेष परीक्षा का इन्तजाम करेंगे?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो प्रश्न मूल उत्तर में है उसके ऊपर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 18639 छात्र पकड़े गये जिसमें से केवल 31 जेल भेजे गये। यह भी वह केस है कि 18 तारीख में यह अध्यादेश हुआ, 18 तारीख के अध्यादेश में यह प्राविधान था कि जमानत पुलिस चौकी पर होगी या थाने पर होगी जब यह देखा गया कि छात्रों के लिए कठिनाई हो सकती है तो यह आदेश किया गया कि उनको न तो पुलिस चौकी ले जाया जायेगा और न थाने ले जाया जायेगा। बल्कि मुचलके और जमानत की कार्यवाही वहीं पर होगी ताकि उनको परीक्षा देने में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

श्री उदय राज यादव-

मान्यवर, जैसा माननीय समरपाल जी ने कहा कि परीक्षा किसी विषय की हो रही है और दूसरे विषय से संबंधित पर्चा किसी छात्र के पास पाया जाता है तो उसको जेल में भेजने का काम किया है और कहीं उनको परीक्षा देने से रोका गया। जेल से आने के बाद उत्तर प्रदेश के तमाम छात्र और छात्राओं ने आत्महत्या कर ली, तो मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे छात्र छात्राएं हैं, जिन्होंने नकल अध्यादेश में गलत फंसाये जाने के बाद आत्महत्या की है?

श्री अध्यक्ष-

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री राम तेज यादव-(एडवोकेट)

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें बताया है कि छात्र 18639 और जो जेल भेजे गये वह 31 हैं अध्यापक 60 पकड़े गये और 25 जेल गये, आपने यह भी कहा है कि अध्यापक जो 59 हैं उनके ऊपर चार्जशीट लगी तो एक अध्यापक कहाँ खो गया? यह बता दें और मान्यवर, छात्र जो 31 जेल गये उनके अभिभावक या गार्जियन न रहे होंगे या जातीय मुचलका नहीं दे पाये लेकिन जो अध्यापक जेल गये वह तो प्रभावी रहें होंगे, वह किन कारणों से जेल गये?

श्री हुकुम सिंह -

मान्यवर, एक तो जो अंतिम भाग है उससे शुरू करता हूं, मूल उत्तर आप देख लें, वह एक अध्यापक भी इसमें है। आपने कहा कि 60 पकड़े गये 59 के ऊपर आरोप पत्र दाखिल हुआ तो एक कहाँ गया, अगला हिस्सा अगर आप पढ़ लें तो उसमें लिखा हुआ है कि एक की विवेचना लम्बित है तो अब 60 पूरे हो गये।

श्री बी0 आर0 वर्मा -

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह मार्च, अप्रैल में परीक्षा हुई और जुलाई का आखिरी चल रहा है और अभी विवेचना चल रही है तो मान्यवर, यह तो समरी ट्रायल है और इसके लिए माननीय मंत्री जी कोई समय सीमा नही बांध पा रहें हैं परन्तु तमाम ऐसे केस हैं जिसकी विवेचना के लिए समय सीमा बांध दी गयी है जैसे एस0सी0एस0टी0 केस में है कि एक महीने में विवेचना पूर्ण हो जाय अगर नहीं पूर्ण होती है तो अनुमति लेनी होती है तो मान्यवर, इसी तरह से यह छात्र-छात्रा और अध्यापकों से संबंधित मामला है इसकी विवेचना के लिए कोई समय सीमा निश्चित करेंगे कि इसके अन्दर विवेचना पूर्ण हो जाय। दूसरा मान्यवर, जैसे 272 छात्र ऐसे हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट नहीं लग पाई उनका केस झूठा पाया गया और फाइनल रिपोर्ट लगायी गयी तो इन छात्रों में कोई छात्र ऐसा भी हो सकता है जिसको जेल जाना पड़ा हो और वह मुचलका न दे पाया हो, बेलबांड न दे पाया हो जिसकी बजह से जेल जाना पड़ा हो और बाद में आरोप सिद्ध नहीं हो पाया और फाइनल रिपोर्ट लग गयी तो ऐसे छात्रों के लिए कौन सी व्यवस्था करेंगें, जिससे उनका एक साल का नुक्सान न होने पाये उनके लिए पुनः परीक्षा की व्यवस्था हो, जिससे परीक्षा देकर आगे वाले सत्र में प्रवेश पा सकें?

श्री हुकुम सिंह -

मान्यवर, अन्तिम रिपोर्ट कब लगती है जब साक्ष्य का अभाव रहता है कोई घटना घटित हुई लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है, कि साक्ष्य का अभाव रहता है तो उसमें अन्तिम रिपोर्ट लग जाती है। दूसरी बात, जो जेल जाने की है, वह केवल एक धारा है, जो धारा-11 है। यदि कोई छात्र अपने साथ कोई हथियार लेकर जाता है जिससे किसी अध्यापक या परीक्षा कक्ष में जिसकी ड्यूटी लगी होती है उसकी जान को खतरा हो, तो ऐसी विषम परिस्थिति होती है तो उसमें यह प्राविधान है, बाकी में जेल जाने का प्राविधान नहीं है। (व्यवधान, कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अम्बिका चौधरी -

मान्यवर, यह सरकार असंवेदनशील है, और प्रश्न का उत्तर भी नहीं आ रहा है, और छात्रों के विरुद्ध यह सरकार है। गरीब और ग्रामीण अंचलों में रहने वाले छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है इसलिए हमारा दल इसके विरोध में सदन त्याग करता है। (श्री अम्बिका चौधरी दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

तारांकित प्रश्न

## प्रदेश के होमगार्डों की दयनीय दशा को देखते हुए उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उपाय

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

* 1-क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश भर के होमगार्ड सुविधाओं के अभाव में अत्यन्त दयनीय दशा में जीवन-यापन कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उनके जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु उनकी सेवाओं को विनियमित करने तथा उन्हें जीने लायक वेतन तथा अन्य सुविधायें देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

होमगार्डस, राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री सरस्वती प्रताप सिंह)-

होमगार्ड्स संगठन एक स्वयं सेवी संगठन है, जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित रूप में गठित है तथा इसकी प्राधिकृत मदों पर होने वाले व्यय का 25 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है तथा 75 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाता है । भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार संगठन के अवैतनिक पदों पर किसी सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी संस्था में सेवारत व्यक्ति अपने नियोजक की अनुमति प्राप्त करके अथवा स्वव्यवसायरत व्यक्ति उपयुक्तानुसार संगठन में स्वेच्छा से भर्ती हो सकता है । होमगार्ड संगठन के अवैतनिक पदधारकों को समय-समय पर आवश्यकतानुसार पुलिस बल के सहायक के रूप में ड्यूटी पर लगाया जाता है । शासन ने हाल ही में होमगार्ड्स के ड्यूटी भत्ते में बढ़ोत्तरी की है । उन्हें जिले के भीतर ड्यूटी करने पर रु0 50/- प्रतिदिन एवं जिले के बाहर ड्यूटी करने पर रु0 55/- प्रतिदिन ड्यूटी भत्ता दिया जाता है ।

ड्यूटी पर कार्यरत होमगार्ड्स की सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा की धनराशि रुपया 25000/- से बढ़ाकर रुपया 35000/- की गयी है । होमगार्ड्स स्वयं सेवकों एवं वैतनिक कर्मियों के कल्याण हेतु रुपये एक करोड़ की धनराशि से एक कल्याण कोष की स्थापना की गयी है, जिससे अर्जित ब्याज की राशि से आवश्यकतानुसार वैतनिक/अवैतनिक कर्मियों अथवा उनके आश्रितों को समय-समय पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । होमगार्ड्स को चार वर्ष में चरणबद्ध रूप से एक अतिरिक्त सेट वर्दी देने का निर्णय भी शासन ने लिया है ।

होमगार्ड्स संगठन के स्वयं सेवी स्वरुप एवं स्वयं-सेवकों की अंशकालिक ड्यूटी को देखते हुए इनकी सेवाओं को विनियमित किये जाने का औचित्य नहीं

पाया गया तथा शासकीय सेवकों की भांति वेतनमान एवं अन्य सुविधाएं दिये जाने का भी औचित्य नहीं।

(माननीय मंत्री जी के उत्तर पढ़ने पर)

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाएं क्योंकि उत्तर काफी लम्बा है।

श्री अध्यक्ष-

पढ़ा हुआ मान लिया गया।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मेरे मूल प्रश्न के अन्तिम पैरा के उत्तर में मा0 मंत्री जी ने कहा है कि होम गार्ड्स संगठन के स्वयंसेवी स्वरूप एवं स्वयंसेवकों की अंशकालिक ड्यूटी को देखते हुए इसकी सेवाओं को विनियमित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया शासकीय सेवकों की भांति वेतनमान एवं अन्य सुविधाएं दिये जाने का भी औचित्य नहीं।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसा कि यह होमगार्ड्स संगठन बहुत बड़ा संगठन है। इसकी सेवाओं की लम्बी श्रृखंला है। सामान्य दिनों के अतिरिक्त डकैतियों, मुठभेड और आतंकवादी गतिविधियों में तथा 1971 भारत-पाक युद्ध के समय में इनकी सेवा का लम्बा इतिहास है। यह समय-समय पर राष्ट्र के द्वारा वीरता पुरस्कार भी प्राप्त करते रहे हैं लेकिन जो उत्तर में कहा गया कि स्वयंसेवी संगठन और अंशकालिक ड्यूटी में नियुक्त हैं। आप सभी और पूरा सदन सहमत होगा कि अब ये स्वयं सेवक अंशकालिक ड्यूटी पर नहीं हैं, पूर्णकालिक हो गये हैं आज की परिस्थिति में सुरसा की मुंह की भांति महंगाई बढ़ रही है, उसको देखते हुए जो 50-55 रुपया ड्यूटी भत्ता दिया जा रहा है। वह किसी प्रकार औचित्यपूर्ण व न्यायोचित नहीं है। इनकी सेवाओं को देखते हुए 1998-99 का जो वार्षिक प्रतिवेदन है उसकी एक लाईन उद्धृत कर रहा हूं "अनवरत श्रृंखला में इस विभाग के स्वयं-सेवकों की कर्तव्यनिष्ठा, शौर्य, अभूतपूर्व पराक्रम और उनकी सूझबूझ के अनेकों उदाहरण हैं। "इस चीज को सरकार स्वीकार कर रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनकी लम्बी श्रृंखला, अभूतपूर्व, शौर्य, पराक्रम को देखते हुए 50-55 रुपये का भत्ता बहुत ही कम है, उनके जीने लायक भत्ता नहीं है, तो क्या सरकार 100 रुपया ड्यूटी भत्ता देने पर विचार करेगी?

श्री सरस्वती प्रताप सिंह-

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो भत्ता बढ़ाने की बात कही गयी है, अन्य राज्यों के मुकाबले देखा जाये तो दो-चार

राज्यों को छोड़कर हम अच्छा भत्ता दे रहे हैं, जो महंगाई को देखते हुए 100 रुपये करने की बात कही गयी है । हमारे स्वयं-सेवकों को इन भत्तों के साथ-साथ कई सुविधायें मिल रही हैं जो कि अन्य किसी प्रदेश में नहीं दी जा रही हैं ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि इसमें वैतनिक और अवैतनिक कर्मियों अथवा उनके आश्रितों को समय-समय पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अब तक कितने वैतनिक/अवैतनिक कर्मियों को कितनी सहायता दी गयी ?

श्री सरस्वती प्रताप सिंह-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में सूचना यहां उपलब्ध नहीं है । अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो उनको उत्तर दे दिया जायेगा ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि स्वयं-सेवकों को जो 50-55 रुपया भत्ता दिया जा रहा है वह बहुत कम है । क्या माननीय मंत्री जी उसको बढ़ाने के लिए कोई कार्य योजना बना रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी जी के प्रश्न के उत्तर में यह बात आ गयी है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि होमगार्ड सेवा में कार्यरत नौजवान अंशकालीन सेवा के रूप में कार्य करते हैं और उनकी पूरी जिन्दगी इसी तरह बीत जाती है । क्या इनके बेहतरी व नियमितीकरण के लिए माननीय मंत्री जी के पास कोई कार्ययोजना है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, प्रश्न का उत्तर दें । बात करना जरूरी है या प्रश्न का उत्तर देना ।

श्री सरस्वती प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं अनुपूरक सुन नहीं पाया हूं ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्या जी, कृपया दुबारा पूंछ लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि होमगार्ड सेवा में कार्यरत नौजवानों, जो अंशकालिक सेवा के रूप में कार्य करते हैं और पूरी जिन्दगी अंशकालिक ही रहते हैं तो उनकी सेवा की बेहतरी के लिए उनके नियमितीकरण करने के लिए सरकार की कोई कार्य योजना है ?

श्री सरस्वती प्रताप सिंह-

ऐसी कोई योजना नहीं है नियमितीकरण के लिए।

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी, आपके प्रश्न का उत्तर लिखित में आ गया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह होमगार्ड 24 घंटे जान हथेली पर रखकर पुलिस वालों के साथ ड्यूटी, करते हैं। उनकी बेहतरी के लिए कोई कार्य योजना नहीं है। सरकार की इस दुरंगी नीति के कारण मैं और मेरा दल सदन का वहिष्कार करता है।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन का त्यागकर चले गए।)

श्री बालचन्द्र मिश्र-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि होमगार्ड, पुलिस के साथ जो रेगुलर हैं हर कदम पर जुड़े रहते हैं, हर कार्यक्रमों में उनके साथ रहते हैं। क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि पुलिस की नियमित भर्ती में ऐसा कोई प्राविधान करेंगे कि होमगार्ड के सक्षम लोगों को भी पुलिस में चयन किया जाए। उस भर्ती में प्रोन्नत करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री सरस्वती प्रताप सिंह-

पुलिस, वन विभाग और मद्य निषेध विभाग में होमगार्ड का कुछ प्रतिशत रहता है।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, होमगार्ड हर थाने में, सी0ओ0 के यहां, एस0पी0 के यहां सभी जगह लगे हुए हैं। क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगें कि होमगार्ड के साथ

बेगारी करवाई जाती है, कहीं उनसे खाना मंगवाया जाता है, कहीं अपने घर का काम कराया जाता है तो इसको खत्म करने का काम करेंगे?

श्री अध्यक्ष-

अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

* 2-डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेई-

(12 वें शुक्रवार के ता0 प्र0 सं0 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

* 3-श्री राम औतार शाक्य-

(दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त)

* 4- श्री राजधारी-

(विभिन्न विभागों से संम्बन्धित होने के कारण निरस्त)

**प्रदेश के माफिया अपराधियों को चिन्हित करने का प्राविधान एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही की योजना**

श्री जगदम्बिका पाल-

* 5- क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माफिया विरोधी अभियान के अन्तर्गत किन-किन गिरोहों को शासन ने चिन्हित किया है? क्या सरकार बतायेगी कि माफिया विरोधी अभियान के खिलाफ कोई कार्य योजना तैयार की गयी है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

प्रदेश में माफिया गतिविधियों में लिप्त अपराधियों को निम्न श्रेणी में विभाजित कर चिन्हित किया गया है:-

1- भू-माफिया
2- वन माफिया
3- ठेकेदार माफिया
4- अपराधी माफिया
जी हाँ।

उक्त माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही की कार्य योजना बनाई गई है और निम्न बिन्दुओं पर सुनियोजित कार्यवाही के निर्देश दिये गये:-

1. विभिन्न माफिया गतिविधियों में लिप्त अपराधियों का चिन्हांकन।
2. उनके विरुद्ध कठोर धाराओं जैसे एन0एस0ए0, गैगस्टर आदि में कार्यवाही।
3. गैंगस्टर एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत माफिया सम्पत्ति की कुर्की।

4. ऐसे माफिया, जो जमानत पर हों की विभिन्न अभियोगों में जमानत निरस्त कराने की कार्यवाही।

5. ऐसे तत्वों के विरुद्ध पूर्व से विचाराधीन वादों में अभियोजन प्रभावी एवं त्वरित रूप से कराया जाना।

6. माफिया तत्वों का आर्थिक आधार समाप्त करने हेतु आवश्यक उपायों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन यथा उनकी विभिन्न ठेकेदारियों में स्वयं अथवा छद्म नाम से भागीदारी समाप्त किया जाना।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी के उत्तर से यह स्पष्ट हो गया कि यह सरकार प्रदेश के माफियाओं से निपटने में उदासीन है। क्योंकि स्पष्ट तौर पर आप देख लें। मैंने स्पष्ट रूप से पूछा था गृहमंत्री जी से जिसका उत्तर संसदीय कार्यमंत्री जी दे रहें हैं। क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माफिया विरोधी अभियान के अन्तर्गत किन-किन गिरोहों को शासन ने चिन्हित किया है? मैंने पूछा था कि कितने गिरोहों को चिन्हित किया है? क्योंकि अपराध बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराधी माफियों की कोई केटेगरी बनाई है? चाहे भू-माफिया हों, वन माफिया हों, ठेकेदार माफिया हों, अपराध माफिया हों, जिनसे कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्तमान समय में कितने गिरोहों को चिन्हित् किया गया है और उनके नाम क्या हैं? तथा उनसे निपटने के लिये सरकार ने क्या कार्य योजना बना रखी है?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, माफिया विरोधी अभियान के अन्तर्गत कितने गिरोहों को शासन ने चिन्हित किया है, उनका वर्गीकरण उत्तर में बताया गया है कि इस-इस वर्ग में गिरोह आते हैं। 1437 गिरोहों को चिन्हित किया गया है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, यह सम्मानित सदन जानना चाहता है और कानून-व्यवस्था को लेकर सभी लोग चिन्तित हैं। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़ा कि उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत चिन्हित् गिरोहों को लिक्विडेट करने के लिये निर्णय लिया गया है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे कौन से गिरोह हैं जिनको लिक्विडेट करने के लिये शासन ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है। माननीय मंत्री जी टाप 10 व टाप 5 गिरोहों के नाम बता दें?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 83 जिले हैं। शासन की ओर से यह निर्देश गये थे कि इस-इस श्रेणी में जो भी माफिया हों उनको चिन्हित किया जाय। 83 जनपदों से जो सूचना आई, उसके हिसाब से इनकी संख्या 1437 है, जिनका चिन्हीकरण किया गया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अखबार में क्या बयान दिया, यह एक अलग बात है। उत्तर प्रदेश में 1437 माफिया गिरोहों को प्रशासन तथा पुलिस द्वारा चिन्हीकरण किया जा चुका है जो विभिन्न समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने मुख्य सवाल को घुमा दिया। प्रदेश में टाप-10 गिरोह कौन हैं, उनके नाम माननीय मंत्री जी बता दें?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, कहीं न कहीं समझाने में भ्रम है। हर जिले के टाप-10 व थाने के टाप-5 के बारे में सरकार ने घोषणा की थी, वह मैंने बता दिया।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में माननीय मंत्री जी ने जिलास्तर, प्रदेश स्तर पर, मण्डल स्तर पर माफियाओं की सूची बनाने की बात कही। अब माननीय मंत्री जी को चिन्ता है कि अगर इन्होंने माफियाओं की सूची बता दी तो जैसा कि समाचार पत्र में छपा है कि यह भयमुक्त समाज वाले लोग उनकी मद्द तो नहीं ले रहे हैं। मान्यवर, मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है कि प्रदेश में अगर टॉप टेन या टॉप फाइव की दुर्दान्त अपराधियों की कोई सूची बनाई है तो उसे सदन में बता दें और इनमें से किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है कि नहीं, यह भी बता दें?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अभी तक जो कार्यवाही की गई है, मैं उसका विवरण बता दूँ।

श्री अम्बिका चौधरी-

क्या उन टॉप टैन में ऐसे भी दुर्दान्त अपराधियों का नाम है, जिनका नाम लेने से मंत्री जी डरते हैं?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं जो आशय प्रश्न का समझा था। हो सकता है मेरी समझ में कुछ कमी रह गयी होगी, मैं उसको ठीक कर लूंगा। मान्यवर, कौन-कौन से

ऐसे अपराधी हैं जिनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? जनपदवाइज कहें तो वह बता दूं, मण्डलवाइज कहें तो वह बता दूं।

श्री अध्यक्ष-

बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि प्रदेश के सबसे बड़े 10 अपराधी कौन हैं, उनका नाम बता दें ?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, आठवें, नौवें और दसवें दुर्दान्त अपराधी की सूची का नाम चाहता हूं। और यह भी जानना चाहता हूं कि आपने अब तक कितनों को लिक्वीडेट किया और कितनों को गिरफ्तार किया, यह सूचना बता दें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अभी तक 278 माफिया एन0एस0ए0 में गिरफ्तार हो चुके हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, प्रदेश के टॉप टैन के बारे में प्रश्न किया है माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहें हैं 278 ...

श्री हुकुम सिंह-

यह तो मैंने क्या किया, उसकी जानकारी है। यह किसी 10 के बारे में पूछना चाहते हैं। पूरे प्रदेश के बारे में सवाल किया था उसका जवाब है कि पूरे प्रदेश में 1,434 हैं। उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? वह मैं बता रहा हूं। उसमें आपके 10 आते हैं कि नहीं, यह आप देख लीजियेगा।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय तिवारी जी की रूचि केवल नाम जानने की है कि ऐसे कौन से 10 अपराधी हैं प्रदेश में जिनके खिलाफ आपने लिक्वीडेट या गिरफ्तार करने की कोई कार्यवाही की ?

श्री हुकुम सिंह-

चिन्हीकरण का उल्लेख नाम से किया जाना सम्भव नहीं है।

(व्यवधान)

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने पहली बार माफिया गिरोहों का चिन्हींकरण किया है और उस पर कार्य योजना

बनाई है, सरकार द्वारा माफिया गिरोहों को संरक्षण देने वाले, सहयोग करने वाले लोगों को जब तक चिन्हित नहीं किया जाएगा तब तक उस बुराई को दूर नहीं किया जा सकता है ? तो क्या माफिया गिरोहों का संरक्षण करने वाले लोगों को चिन्हित किया जाएगा। और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही होगी ?

श्री हुकुम सिंह-

जी हां, उनका चिन्हीकरण किया गया, उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है।

(व्यवधान)

विभिन्न जनपदों से ऐसे माफियाओं की संख्या जो संरक्षण देने का काम करते है ऐसे लोग 887 हैं यह एन0एस0ए0 और गैंगस्टर में भी बन्द हो चुके हैं उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर मूल प्रश्न है कि "क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माफिया विरोधी अभियान के अन्तर्गत किन-किन गिरोहों को शासन ने चिन्हित किया है।" उत्तर में कहा गया है कि "विभिन्न माफिया गतिविधियों में लिप्त अपराधियों का चिन्हांकन" निश्चित तौर पर चिन्हीकरण हुआ होगा। माननीय मंत्री जी ने चिन्हीकरण किया है तो लखनऊ के दस लोग, जिनका चिन्हींकरण किया है, बता दें। लखनऊ के बारे में माननीय मंत्री जी बता दें। अगर यह भी न हो तो जैसा डंग साहब ने पूछा संरक्षण देने वाले गिरोह का चिन्हीकरण किया है दोनों की सूची मंत्री जी बता दें। अगर मंत्री जी डर रहें हैं, तो उस सूची को सदन के पटल पर रख दें।

श्री हुकुम सिंह-

जानने का कोई प्रश्न नहीं है, सरकार पारदर्शी है सारी सूचना माननीय सदस्यों को दे दी गई है।

मान्यवर, मूल प्रश्न में यह कहा गया है कि किन-किन गिरोहों को शासन ने चिन्हित किया है ? मान्यवर किन-किन से जो आशय मैं समझा उसके अनुसार श्रेणी वाइज सूचना दे रहा हूं। अब आपने पूछा है लखनऊ के बारे में लखनऊ के बारे में श्रेणी वाइज सूचना मेरे पास है लेकिन आप नाम पूछना चाहते हैं, यह संभव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

उत्तर आ गया है, नाम बताना उचित नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल-

कुछ सूचीबद्ध गिरोह उत्तर प्रदेश के हैं। सरकार उनका नाम नहीं बता

रही है यह उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

कभी-कभी जनहित में नाम नहीं बताए जाते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, पूछा गया "किन-किन गिरोहों को" उसका मतलब होता है पर्टिकुलर नाम से, अगर श्रेणी वाइज पूछा जाता तो कैटेगरी होती, मान्यवर मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 1,437 गिरोह को माननीय मंत्री जी ने चिन्हित किया है, तो एक हजार चार सौ तैंतीस गिरोहों में क्या कोई ऐसा गिरोह हैं जिसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है या वह सरकार में शामिल है?

* श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, बहुत हल्के ढंग से लगाया गया यह आरोप है और माननीय सदस्य जो कि पार्टी के नेता भी है उन्होंने बहुत ही हल्के ढंग से यह आरोप लगाया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार सजग है और सचेत है और एक व्यक्ति भी इस सरकार में शामिल नहीं है, जिसके खिलाफ इस प्रकार की कार्यवाही चल रही है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, सरकार का जवाब टाल मटौल का आ रहा है। यह एक भी गिरोह के व्यक्ति का नाम नहीं बता रहे हैं। यह सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है और कई माफिया इनके मंत्रिमंडल में शामिल हैं। इसलिए हम और हमारा दल इसके विरोध में सदन का वहिष्कार करते हैं।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, (× × ×)

श्री अध्यक्ष-

मैं इसकी आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह लिखा नही जायेगा। खाली कल्पना के आधार पर नहीं कहा जा सकता है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, टास्क फोर्स और केश डायरी में भी यह लिखा है कि (× × ×) इसलिए हम और हमारा दल इसका बहिष्कार करते हैं।

---

नोटः- (×××) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री हुकुम सिंह -

मान्यवर, जितना संरक्षण इनकी सरकार ने दिया है उतना किसी ने नहीं दिया होगा। अगर नाम बता दिया गया, तो इनके लिए भारी पड़ जायेगा। यह मैं नेता कांग्रेस पार्टी को बता देना चाहता हूं।

**प्रदेश के कतिपय पार्कों को मनोरंजन कर से मुक्त करने का औचित्य**

श्री समरपाल सिंह -

* 6- क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कुछ पार्कों को मनोरंजन कर से मुक्त करने का फैसला सरकार ने लिया है? यदि हां, तो इस योजना के तहत कितने पार्क शामिल किये गये हैं? उनका मानक क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार पार्कों को मनोरंजन कर से मुक्त करने पर सरकार को राजस्व की कितनी हानि होगी? सरकार इसकी पूर्ति कहां से करेगी?

श्री हुकुम सिंह -

जी हाँ।

वर्तमान में स्थापित एवं भविष्य में स्थापित किये जाने वाले मनोरंजन पार्क इस योजना में शामिल किये गये हैं।

जनता को स्वस्थ एवं रोचक मनोरंजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान में स्थापित तथा भविष्य में स्थापित होने वाले मनोरंजन पार्कों को मनोरंजन कर से मुक्ति प्रदान की गयी है।

मनोरंजन पार्कों को मनोरंजन कर से मुक्त करने पर वर्ष 1998-99 में लगभग 17.37 लाख रुपये की हानि होने की सम्भावना हैं। स्थायी छविगृहों एवं मनोरंजन के अन्य स्रोतों से, प्रभावी प्रबन्धन एवं प्रवर्तन कार्य को चुस्त-दुरुस्त करके इसकी पूर्ति करने का प्रयास किया जायेगा।

श्री समरपाल सिंह -

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता था कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कुछ पार्कों को मनोरंजन कर से मुक्त करने का फैसला सरकार ने लिया है। उत्तर आया "जी हाँ" फिर मैंने पूछा था कि यदि हां, तो इस योजना के तहत कितने पार्क शामिल किये जायेंगे, तो उत्तर आया कि वर्तमान में स्थापित एवं भविष्य में स्थापित किये जाने वाले मनोरंजन पार्क इस योजना में शामिल किये गये हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जितने

भी मनोरंजन पार्क हैं और जितने भविष्य में बनेंगे क्या सभी पार्कों को मनोरंजन कर से मुक्त रखा जायेगा? दूसरा प्रश्न का मानक क्या है तो उत्तर आया कि मनोरंजन कर से मुक्त रखा जायेगा। तो वह मानक क्या है। वह लोक प्रियता का मानक है या आइटम का मानक है वह क्या है?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आरम्भ में प्रदेश में कुछ मनोरंजन पार्कों की स्थापना हुई और उन पर नियमानुसार 30 प्रतिशत मनोरंजन कर लगता था। शनैः शनैः यह देखा गया और व्यावहारिक दृष्टि से भी एक भी पार्क लाभकारी सिद्ध नहीं हो पाया और वह बन्द हो गये।

बार-बार विज्ञापन आते गये कि पार्क चलने की स्थिति में नहीं है। प्रदेश सरकार का यह प्रयास था कि जो पूंजी लगी है, उसको स्थापित करने में, और जो जनता का और विशेषकर बच्चों का मनोरंजन करते हैं उसको बन्द न किया जाय। मान्यवर, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि दक्षिण के हर प्रान्त में मनोरंजन कर से छूट दी जाती है और वहाँ पर मनोरंजन कर नहीं लगाया जाता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि मनोरंजन कर को हटा दिया जाय।

श्री समरपाल सिंह-

मान्यवर, यह कहा गया कि जनता को स्वस्थ एवं रोचक मनोरंजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान में मनोरंजन कर से मुक्ति दी गयी है। मान्यवर, जनता को सस्ता और स्वस्थ्य मनोरंजन तभी प्राप्त होगा जब टिकट की दर पर प्रतिबन्ध लगायें। तो क्या टिकट की दर पर नियंत्रण रखने का प्राविधान है। तथा जो जलपान गृह हैं। जो बाहर कोल्ड ड्रिंक नौ रुपये की मिलती है वह अन्दर 20/- रुपये की मिलती है। तो क्या इन चीजों पर नियंत्रण रखा जायेगा?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, माननीय सदस्य को शायद मालूम नहीं है कि मेरठ जनपद में इलेक्ट्रा वर्ल्ड बन्द हो गया है। उसपर नियंत्रण लगाकर चलने देना या न चलने देना का कोई सवाल नहीं है।

**बलिया जनपद के उभांव थाना अन्तर्गत ग्राम सहिया में महिलाओं को जलाने व हत्या का विवरण**

*7-श्री अम्बिका चौधरी तथा श्री श्याम किशोर यादव-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद के उभांव थाना अन्तर्गत हल्दीरामपुर ग्राम सभा के टोला रामपुर, पनिसरा और सहिया में महिलाओं को जलाकर हत्या करने की घटनायें माह मई व जून, 1998 में कितनी हुई हैं?

क्या यह सही है कि दो हत्याओं की रपट भी अब तक दर्ज नहीं की गयी है तथा जो रिपोर्ट दर्ज है उस पर भी स्थानीय पुलिस द्वारा मुल्जिमों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

माह मई, जून, 1998 के काल में थाना उभांव में माह जून 1998 में ग्राम सहिया में एक महिला की मृत्यु जलने से हुई।

जी नहीं। ग्राम सहिया में घटित घटना के संबंध में पंजीकृत मु0अ0सं0-170/98 धारा 498ए/304बी/201 भा0द0वि0 व 3/4 डी0पी0एक्ट में नामित सभी अभियुक्त (केवल एक अभियुक्त सुमन को छोड़कर) जेल में हैं। सुमन के विरुद्ध धारा 82-83 की कार्यवाही की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार पारदर्शी होने का दावा करती है, सरकार तो पारदर्शी है नहीं, इसका आवरण जरूर पारदर्शी है वह भी तार-तार हो गया है। मान्यवर, जब से यह सरकार पदारूढ़ हुई है तब से महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं खास तौर से दहेज अत्याचार बहुत हो गये हैं। मेरा प्रश्न था कि जनपद बलिया के तीन टोलों में दहेज हत्याएं हुई थी रामपुर, पनिसरा और सहिया में तो इस उत्तर में केवल एक की ही सूचना आई है। ग्राम सहिया की बाकी दो टोलों में जो हत्या हुई थी उसकी सूचना नहीं आई है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि टोला रामपुर और पनिसरा में जो दहेज हत्या हुई उनकी तिथि क्या थी और उनकी रिपोर्ट कब दर्ज हुई और नहीं हुई तो क्यों दर्ज नहीं हुई?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, ग्राम सहिया में जहां एक महिला की मृत्यु हुई है, यह घटना 21 मई, 1998 को हुई है, 22 तारीख को इसमें एफ0 आई0 आर0 हुई है, दूसरी घटना 2-6-98 की है और 5-6-98 में एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न में तीन गांवों की घटनाओं के बारे में पूछा गया है उत्तर में आपने कहा है केवल। ग्राम सहिया के बारे में कि एक हत्या हुई, टोला रामपुर और पनिसरा में कोई उत्तर नहीं है, ये आप जानना चाहते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, टोला रामपुर और पनिसरा के बारे में बता दें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, 21-5-98 वाली घटना पनिसरा की है और दूसरी वाली सहिया

की है । परिसरा की घटना वह है जिसमें एक सीमा सिंह नामक महिला की हत्या हुई सल्फास खाकर, यह 21-5-98 की घटना है और एफ0आई0आर0 22-5-98 को दर्ज हुई इसमें अभियुक्त एक महिला और तीन पुरुष थे उनकी गिरफ्तारी हुई और उनकी दरख्वास्त तक सेशन से खारिज हुई और दूसरी संगीता की हत्या हुई जिसमें 6 अभियुक्त थे सबकी गिरफ्तारी हुई और जेल में हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, सहिया में जो घटना हुई जिसकी सूचना आई है क्या उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध है और यदि है तो कारण क्या बताए गए हैं, टोला रामपुर में जिस थाना अध्यक्ष ने तथ्यों को छिपाने और लीपापोती की कार्यवाही किया है क्या उसे दण्डित करेंगे ।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, 6 लोग नामजद थे और सब गिरफ्तार हुए और जेल में हैं । पहले वाले में उसने सल्फास खाया था उसके पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिनके खिलाफ रपट थी वह गिरफ्तार हुए, एक बाहर है उसके खिलाफ 82-83 की कार्यवाही चल रही है ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

## जनपद गोण्डा व बलरामपुर की कृषि ऋण सहकारी समितियों द्वारा किसानों को ऋण पर खाद व बीज

*8-श्री कमलेश कुमार सिंह-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर व जनपद गोण्डा की प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों द्वारा किसानों को ऋण पर खाद, बीज उपलब्ध कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त दोनों जनपदों में प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों द्वारा किसानों को ऋण पर खाद, बीज उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री ('पटेल' राम कुमार वर्मा)-

जनपद गोण्डा एवं बलरामपुर की क्रमशः 13 एवं 10 समितियों द्वारा रबी 97-98 में किसानों को ऋण पर खाद-बीज उपलब्ध कराया गया । जिला सहकारी बैंक गोण्डा की दुर्बल आर्थिक स्थिति एवं नाबार्ड अथवा शीर्ष बैंक से पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण खरीफ 98 में भी सीमित संख्या में समितियों से ऋण वितरण कराया जा रहा है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

---

नोटः- ( * ) तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

**प्रतापगढ़ में अपराधी गिरोह द्वारा खाने में जहर मिलाकर देने से हुई कथित मौत**

*9-श्री चन्द्र नाथ सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ में अपराधी गिरोह द्वारा खाने की वस्तुओं में जहर मिला कर नागरिकों और यात्रियों को लूटा जा रहा है? क्या यह सही है कि इससे अब तक 50 से अधिक लोगों की जिला अस्पताल में मृत्यु हो चुकी है? यदि नहीं, तो प्रतापगढ़ में कितने व्यक्तियों की अब तक जहर खाने पर मृत्यु हुयी है? इसको रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं।

जनपद प्रतापगढ़ में इस प्रकार की कोई घटना प्रकाश में नहीं आयी है।

जी नहीं।

जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में दिनांक 1-4-97 से 30-6-98 तक जी0आर0पी0 द्वारा लाये गये सस्पेक्टेड प्वाइजनिंग के रोगियों में से एक की मृत्यु हुयी है।

पुलिस प्रशासन को आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही करने तथा सतर्कता बरतने के आदेश हैं।

**जनपद जालौन के थाना आटा के ग्राम परासन के निवासी श्री वृन्दावन अहिरवार की हत्या विषयक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन**

*10-श्री श्रीरामपाल-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री वृन्दावन अहिरवार निवासी ग्राम परासन थाना आटा जनपद जालौन की वर्ष 1997 में हत्या की गयी थी? क्या यह सही है कि संबंधित प्रकरण में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है? क्या यह भी सच है कि हत्यारों को पता लगाने में पुलिस असफल रही है? यदि हां, तो क्या सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 द्वारा घटना की जांच कराकर हत्यारों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

श्री वृन्दावन अहिरवार पुत्र श्री फोसे निवासी ग्राम परासन की हत्या वर्ष 1997 में नहीं वरन् वर्ष 1996 में दिनांक 8-11-1996 को हुई थी।

जी नहीं। इसका मुकदमा वादी श्री फूल सिंह पुत्र स्व0 श्री वृन्दावन निवासी ग्राम परासन थाना आटा द्वारा दिनांक 9-11-1996 को थाना आटा में मु0अ0सं0

402/96 धारा 302 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। इसकी विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष श्रीराम शंकर सिंह थाना चुर्खी द्वारा की गयी थी। विवेचना के दौरान अभियुक्त (1) रघुबीर पुत्र बंटा (2) पप्पू पुत्र दस्सी। (3) मुन्ना पटवारी पुत्र राम कुमार (4) खिरोही दीन पुत्र दीन दयाल, निवासीगण ग्राम परासन थाना आटा तथा (5) राजू पुत्र जगमोहन पंडित, निवासी अटरिया, थाना आटा प्रकाश में आये, जिनमें अभियुक्त राजू को दिनांक 29-1-1997 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अभियुक्त मुन्ना पटवारी को दिनांक 1-2-1997 को, रघुबीर एवं खिरोही दीन को दिनांक 18-3-97 को तथा पप्पू को दिनांक 3-4-97 को अदालत में हाजिर कर जेल भेजा गया।

अभियुक्त राजू पंडित के विरुद्ध साक्ष्य न मिलने के कारण नामजदगी गलत पायी गयी। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 47, दिनांक 24-4-1997 न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है जो न्यायालय में विचाराधीन है, जी नहीं। समस्त अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता है।

## प्रदेश के महानगरों में निजी फाइनेन्स कम्पनियों की अवैधानिक गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग

*11-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के महानगरों लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी तथा आगरा में निजी फाइनेन्स कम्पनियां कार्यरत हैं? क्या यह कम्पनियां बहुत कम समय में जमा धन को दुगना करने का सब्जबाग दिखाकर जनता की गाढ़ी कमाई को समेट कर धीरे-धीरे फरार हो रही हैं? यदि हां, तो सरकार इन फाइनेन्स कम्पनियों की अवैधानिक गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ

नान बैंकिंग फाइनेन्स कम्पनियाँ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम-1934 के अन्तर्गत रिजर्व बैंक की अनुमति से ही व्यापार कर सकती है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार सहायक रजिस्ट्रार व अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) को अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र में तलाशी वारन्ट जारी करने के लिये सक्षम न्यायालय को आवेदन करने का अधिकार तथा जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, व सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में परिवाद दायर करने के अधिकार शासन द्वारा दे दिये गये हैं।

**जिला-हरदोई के जेलों में कैदियों के लेटने के लिए समुचित बैरिकों की व्यवस्था**

*12-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या कारागार मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई की जेल में 400 कैदियों के रहने की बैरिकें बनाई गई थीं जिसके विपरीत इस समय जेल में 1100 के लगभग कैदी हैं ? क्या यह सही है कि उनके लेटने के लिये जेल में कोई जगह नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अतिरिक्त व्यवस्था हेतु बैरेक बनाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)-

बैरिकों के भीतर निर्मित वर्थों के आधार पर जिला कारागार हरदोई की बन्दी क्षमता 546 है जिसके सापेक्ष इस समय लगभग 1040 बन्दी निरुद्ध है । इनमें अधिकांश विचाराधीन बन्दी हैं । शय्याओं के आधार पर बन्दी क्षमता से अधिक अतिरिक्त बन्दियों को बैरिकों के भीतर उपलब्ध रिक्त स्थानों पर उनके लेटने की व्यवस्था की गयी है । राज्य के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर वर्ष 1998-99 में 60 बन्दी क्षमता की एक नई बैरक बनायी जायेगी ।

13- श्री सीताराम निषाद-

(5 वें बुद्धवार ता0 प्र0 सं0 "16" के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

**अतारांकित प्रश्न**

1-श्री राम औतार शाक्य-

आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

**जनपद-गोरखपुर, के थाना झंगहा, ग्राम-विशुनपुर मटियरा की श्रीमती साबिया बेगम के प्रार्थना-पत्र पर विवेचना**

2-श्रीमती गौरी देवी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोरखपुर के थाना झंगहा के ग्राम बिशुनपुर मटियरा के महिला प्रधान श्रीमती साबिया बेगम ने थाना-दिवस को, थाना-झंगहा के प्रभारी के नाम ग्राम समाज की जमीन व सम्पत्ति पर से अवैध कब्जा हटाने हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांक 30-5-98 में दिया है ? यदि हां, तो क्या इस पर जांच व अवैध कब्जा हटाने हेतु एक सब इन्सपेक्टर, सिपाही व 2 लेखपाल मौके पर भेजे गये ? क्या यह सत्य है कि पुलिस सब इन्सपेक्टर की उपस्थिति में ही प्रधान व उप प्रधान को धमकी व गालियां दी गईं जिसकी सूचना एस0 पी0 (देहात), गोरखपुर को दिनांक 1-6-98 को दी गई है ? यदि हां, तो इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।
जी हाँ।
जी हाँ।

प्रश्नगत प्रकरण की थाना-झंगहा में अब मु0अ0सं0 198/98 धारा 504/506 पंजीकृत होकर विवेचना की जा रही है।

**जनपद-गोरखपुर, थाना-झंगहा, ग्राम-विशनपुर मटियरा में चकबन्दी कार्यकर्ताओं के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा किये गये दुर्घटनाओं के विरुद्ध कार्यवाही**

3-श्रीमती गौरी देवी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-गोरखपुर के थाना-झंगहा से संबंधित ग्राम-विशुनपुर मटियरा में चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत चकों के कब्जा परिवर्तन करा रहे चकबन्दीकर्ता व लेखपाल को असामाजिक, आतंकवादी, गुण्डा किस्म का एक आदमी अपने अन्य साथियों के साथ गांव पर दिनांक 31-5-98 को अपमानित करने व जानमाल की गम्भीर धमकी देते हुए सरकारी कार्य में बाधा पहुंचायी और डरा-धमका कर चकबन्दी की कार्यवाही बाधित की है? यदि हां, तो इस दिशा में कार्यवाही हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर एवं थानाध्यक्ष झंगहा, गोरखपुर को शीघ्र प्रभावी व कानूनी कार्यवाही हेतु दिनांक 31-5-98 से दिनांक 3.6.98 के बीच कोई पत्र उप संचालक चकबन्दी, गोरखपुर ने लिखा है? यदि हां, तो उस पर कृत कार्यवाही का विवरण क्या है?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

जी नहीं। इस सम्बन्ध में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी गोरखपुर द्वारा दिनांक 3-6-98 को एक पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व थानाध्यक्ष झंगहा को लिखा गया था।

थाना-झंगहा में मामले का मु0आ0सं0 197/98 धारा 353/504/506 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत होकर विवेचना की जा रही है।

**चित्रकुट धाम मण्डल के ग्राम-बरौली के बाबा सन्तोष पटेल (भगत) की गतिविधियों की सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 सर्तकता विभाग से जांच की मांग**

4-श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 26-4-98 को आयुक्त चित्रकूट धाम मण्डल के आवास पर बांदा जनपद के ग्राम-बरौली, आजम थाना विसण्डा के बाबा संन्तोष पटेल उर्फ भगत द्वारा कितने आक्रमणकारियों को प्रदर्शन

हेतु लाया गया ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि प्रदर्शनकारियों के पास अवैधानिक रूप से असलहे आदि भी थे ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त बाबा सन्तोष पटेल की गतिविधियों की जांच सी0बी0सी0आई0डी0/सतर्कता विभाग से करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

श्री सन्तोष पटेल उर्फ भगत, दिनांक 26-4-98 को 8-30 से 9-00 बजे रात्रि के मध्य अपने लगभग 350 समर्थक ज्ञापन दाताओं के साथ श्री सुधीर निगम, जिला संवाददाता के विरुद्ध ज्ञापन देने आये थे, परन्तु आयुक्त के तत्समय उपलब्ध न होने पर उक्त ज्ञापन उप-जिलाधिकारी, सदर बांदा को दे दिया गया था। ज्ञापन देने के पश्चात सभी लोग अपने गन्तव्य को शान्तिपूर्वक चले गये थे।

जी नहीं।

ज्ञापन दाताओं के पास कोई अवैध शस्त्र होना नहीं पाया गया।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जी नहीं।

श्री सन्तोष पटेल उर्फ भगत की विधि विरुद्ध कोई गतिविधियाँ संज्ञान में नहीं आयी है। अतः सम्प्रति इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

## जनपद-मैनपुरी में स्थित कस्बा भोगांव में परिवहन निगम की बसों को रुकवाने के निर्देश

5-श्री राम औतार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-मैनपुरी में स्थित कस्बा भोगांव में परिवहन निगम की विभिन्न जगहों के लिये जाने वाली बसों को रुकवाने के निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि निगम की बसें जानबूझकर भोगांव में नही रोकी जाती हैं ? यदि हां, तो दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

दिनांक 28 जनवरी, 97 को इस आशय के आदेश जारी किए गये हैं, कि भोगांव में सभी बसें रुकें।

प्रश्न नहीं उठता।

**राज्य परिवहन निगम में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं की नियुक्ति करने की मांग**

6-श्री राम हर्ष सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगें कि मुख्य सचिव के आदेश संख्या-1-वी-1070/क-1-1996 एवं आदेश संख्या-2818(1)/36-6-7(3) प्रशिक्षु/97 दिनांक 3-1-98 क्या है? क्या उक्त आदेश जो परिवहन विभाग के प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के संबंध में है, का अनुपालन नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

प्रश्न में उल्लिखित पत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं को वरीयता प्रदान करते हुए विभाग में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध समायोजन की कार्यवाही किए जाने के आदेश दिए गये थे।

अब तक परिवहन विभाग में 673 प्रशिक्षुओं की नियुक्ति की जा चुकी है।

**मा0 विधायकों को शासन की नीति के अनुसार गनर दिये जाने की व्यवस्था**

7-श्री दीपक कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-3-98 एक अतिरिक्त गनर दिये जाने के संबंध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

प्रश्नकर्ता मा0 विधायक को शासन की नीति के अनुसार एक गनर निःशुल्क प्रदत्त है। सम्यक् विचारोपरान्त अतिरिक्त गनर दिए जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-उत्तरकाशी के विकास कार्यों हेतु रेडक्रास सोसायटी, सहकारी विधायन व शीतगृह संघ में दिये गये धन का विवरण**

8-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उत्तरकाशी में विकास कार्यों हेतु, उत्तर प्रदेश सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ (पैक्स पैड) को ग्राम्य विकास अभिकरण उत्तर काशी द्वारा 15.62 लाख रुपये, दुग्ध संघ द्वारा

4.69 लाख रुपये तथा रेडक्रास सोसाइटी द्वारा दो लाख रुपये दिया गया ? यदि हां, तो क्या उ0 प्र0 सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ द्वारा कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा-

जी हाँ।

जी नहीं।

तत्कालीन स्थानीय सहायक अभियन्ता द्वारा वित्तीय अनियमितता, गबन करने के कारण उक्त कार्य पूर्ण नहीं हो सके थे। रेडक्रास सोसाइटी को रु0 2.00 लाख वापस कर दिया गया है, दुग्ध संघ के निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिये गये है तथा ग्राम्य विकास अभिकरण के अवशेष कार्यों की धनराशि जिलाधिकारी द्वारा वापस मांगी गई है।

**जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बांदा को श्री डी0 एन0 शुक्ला द्वारा अनुसूचित जाति के कर्मचारी का कथित उत्पीड़न विषयक पत्र पर जांच**

9-श्री बाबू लाल कुशवाहा-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता (ल0सिं0) बांदा का पत्र संख्या-314/ल0सिं0/स्था0/दिनांक 17-6-97 जिलाधिकारी बांदा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बांदा को श्री डी0 एन0 शुक्ला द्वारा अनुसूचित जाति के कर्मचारी के उत्पीड़न विषयक प्राप्त हुआ है ? यदि हां, उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

जिलाधिकारी बांदा द्वारा प्रश्नगत शिकायती-पत्र की जांच करायी गयी। जांच से किसी भी अनुसूचित जाति अथवा अन्य कर्मचारी का उत्पीड़न किया जाना नहीं पाया गया।

प्रश्न ही नहीं उठता।

10-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

(दिनांक 6-7-98 को अता0प्र0सं0 117 द्वारा उत्तरित)

**मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर हिमगिरि एक्सप्रेस ट्रेन से करोड़ो रुपये के पकड़े गये किसान विकास पत्र**

11-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अप्रैल, 1998 में स्थानीय रेलवे पुलिस

द्वारा मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर हिमगिरि एक्सप्रेस ट्रेन से कई करोड़ रुपये मूल्य का किसान विकास पत्र बरामद किये गये थे? क्या उक्त किसान विकास पत्र जाली थे तथा क्या किसी ने उक्त के लिये दावा प्रस्तुत किया? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण में कोई गिरफ्तारी हुई? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी सम्पूर्ण प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ, दिनांक 1-4-1998 को हिमगिरी एक्सप्रेस ट्रेन में 4 करोड़ रुपये मूल्य के किसान विकास पत्र मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर जी0आर0पी0 एवं आर0पी0एफ0 द्वारा लावारिस अवस्था में बरामद किये गये थे।

जी नहीं, उक्त किसान विकास पत्र मु0अ0सं0 29/98 धारा 468/409/379/320 बी भा0दं0वि0 थाना जी0आर0पी0 पटना में पंजीकृत चोरी की घटना से संबंधित थे। अतः दिनांक 2-4-98 को उन्हें जी0आर0पी0 मुगलसराय द्वारा जी0आर0पी0 पटना को सुपुर्द कर दिया गया। अब मामला बिहार प्रदेश से संबंधित है। अतः इस राज्य सरकार द्वारा उच्चस्तरीय जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-लखनऊ के थाना-गाजीपुर में तैनात श्री उदयवीर राठौर व श्री राजेन्द्र सिंह चौहान उपनिरीक्षक रेडियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र**

12-श्री उदयराज यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना-गाजीपुर, जनपद-लखनऊ में तैनात श्री उदयवीर राठौर, सिपाही यातायात पुलिस निवासी 19/116, इन्दिरा नगर, लखनऊ तथा श्री राजेन्द्र सिंह चौहान, उप निरीक्षक रेडियो (वायरलेस) लखनऊ मुख्यालय निवासी-19/186 इन्दिरा नगर, लखनऊ के विरुद्ध अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? क्या इनके संबंध असामाजिक तत्वों से हैं? क्या इसकी गोपनीय जांच करायी गयी है? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

कान्स0 श्री उदयवीर राठौर, यातायात पुलिस तथा श्री राजेन्द्र सिंह चौहान, प्रधान परिचालक के विरुद्ध एक-एक शिकायतें प्राप्त हुई है।

जी नहीं। इस बारे में अभिलिखित साक्ष्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आरोपों/साक्ष्यों के अभाव में कोई जांच कराना औचित्य पूर्ण नहीं है।

13-श्री उदयराज यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यातायात पुलिस, लखनऊ में तैनात सिपाही, श्री उदयवीर राठौर, निवासी-19/116, इन्दिरा नगर, लखनऊ तथा श्री राजेन्द्र सिंह चौहान, उपनिरीक्षक, (रेडियो) वायरलेस, मुख्यालय, महानगर, लखनऊ निवासी 19/186, इन्दिरा नगर, लखनऊ, थाना-गाजीपुर, लखनऊ में इनके विरुद्ध 971/96 या 97 मुकदमा कायम हुआ है? यदि हां, तो क्या वे न्यायालय में पेशी पर उपस्थित होते रहे? यदि हां, तो पेशी की तिथियों में क्या सरकारी ड्यूटी पर पूरे समय उपस्थित रहे हैं और वेतन आहरित करते रहे? उक्त दोनों पुलिस कर्मी कितनी बार निलम्बित रह चुके हैं? क्या उक्त दोनों पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस मैनुअल के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं।

पेशी पर जाने का प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति विभाग में सरकारी ड्यूटी पर कार्यरत् रहकर अपना वेतन आहरित कर रहे हैं।

लखनऊ में नियुक्ति अवधि के दौरान कभी निलम्बित नहीं हुए।

प्रश्न नहीं उठता।

बिना किसी आरोप/साक्ष्य के किसी कर्मी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही नहीं की जाती है।

**जिला छत्रपति शाहू जी महराजनगर में हुई लोगों की हत्या तथा बलात्कार से से संबंधित घटना तथा निरोधात्मक कार्यवाही**

14-श्री दद्दू प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अप्रैल, 1998 से अब तक जिला छत्रपति शाहू जी महराजनगर में कितने लोगों की हत्या की गयी है तथा कितनी बलात्कार की घटनायें हुई हैं? क्या अपराधों को रोकने के लिये कोई ठोस कार्यवाही की जा रही है? क्या मु0आ0 सं0-33/98, थाना-रैपुरा के मामले में धारा 120 बी0 के वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

आलोच्य अवधि में 1 अप्रैल से 12 जुलाई, 1998 तक 16 व्यक्तियों की हत्यायें हुई तथा बलात्कार की एक घटना घटित हुई।

अपराधों को रोकने के लिये निम्नालिखित कदम उठाये गये हैं:-

(क) अपराधों का शीघ्रता से अनावरण करना।

(ख) अभियुक्तों को शीघ्रता से गिरफ्तार किया जाना।

(ग) अभियोगों में समय से आरोप-पत्र प्रेषित किया जाना।

(घ) घटनाओं को रोकने के लिये प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना।

मु0अ0सं0 33/98 धारा 302 भा0दं0वि0 व 3 (2) 5 एससी/एसटी एक्ट में पंजीकृत है। इसमें धारा 120बी सम्मिलित नहीं है। अतः इस धारा के अन्तर्गत कोई अभियुक्त गिरफ्तार नहीं किया गया है।

**जिला सहकारी बैंक लि0, उन्नाव, शाखा हसनगंज में हुई चोरी व अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग**

15-श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जिला सहकारी बैंक लि0, उन्नाव की शाखा हसनगंज में दिनांक 19/20 मार्च, 1998 को हुई चोरी में तिजोरी सहित रुपये 1,23,800/- लगभग चोरी चला गया था? क्या उपरोक्त चोरी की विभागीय जांच करायी गयी? क्या जांच में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाया गया है? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

'पटेल' राम कुमार वर्मा-

प्रश्नगत शाखा में दिनांक 19/20 मार्च, 1998 को चोरी नहीं हुई थी, बल्कि चोरी दिनांक 20/21 फरवरी, 1998 की रात्रि में हुई, जिसमें तिजोरी सहित रु0 1,24,898-97 चोरी चला गया था।

जी हाँ।

जी हाँ।

जांचाख्या के आधार पर प्रकरण में शिथिलता के लिये दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। इस प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट पूर्व में ही दर्ज करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद कानपुर देहात के चौबेपुर क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाईयों से कथित रूप से निकलने वाले विषैले धुंए व गन्दे पानी की रोकथाम की मांग**

16-श्री कृष्ण पाल सिंह-

क्या पर्यावरण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-कानपुर देहात के नगर क्षेत्र चौबेपुर के आस-पास स्थापित औद्योगिक इकाईयों से निकलने वाले विषैले धुएं तथा कैमिकल मिश्रित गन्दे पानी के कारण जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु कोई कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यावरण, अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री-(श्री बच्चा पाठक)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जिला सहारनपुर, थाना गंगोह में अपराध संख्या 55/98 की घटना में गवाहों के जानमाल की सुरक्षा की मांग**

17-श्री शिवचरण प्रजापति, श्री इलम सिंह तथा श्री जगपाल-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुकदमा अपराध संख्या-55/98, धारा 302, 201 आई0पी0सी0, थाना-गंगोह, जिला-सहारनपुर में घटित घटना दिनांक 14-3-98 के शिकायतकर्ता तथा घटना के चश्मदीद गवाह की मुल्जिमान द्वारा जमानत के बाद मारपीट करके जान से मारने की धमकी दिये जाने की प्राथमिकी दर्ज की गई थी? यदि नहीं, तो क्या मुद्दई व घटना के गवाहान की जान माल का अभियुक्तों से खतरा होने पर उन्हें सुरक्षा प्रदान कराई गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं।

वादी व गवाहन के द्वारा जिला प्रशासन से कोई सुरक्षा की मांग नहीं की गई है।

**श्री सूर्य प्रकाश तिवारी, महासचिव, समता पार्टी का जनपद अम्बेडकर नगर की कथित रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था सम्बन्धी पत्र**

18-श्री राजधारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सूर्य प्रकाश तिवारी, महासचिव, समता पार्टी द्वारा जनपद अम्बेडकर नगर में बिगड़ती कानून व्यवस्था से

संबंधित दिनांक 27-4-98 को भेजा गया पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कल्याण सिंह -

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद फर्रुखाबाद में हुई स्व0 ब्रह्मदत्त द्विवेदी पूर्व राजस्व मंत्री की हत्या में शामिल अभियुक्तों का विवरण एवं कृत कार्यवाही**

19-श्री राम औतार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्व राजस्व मंत्री श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड अ0सं0-109/97, जनपद व कोतवाली फर्रुखाबाद के केस में अब तक कौन-कौन अभियुक्त पकड़े गये और किन-किन ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया ? क्या ऐसा भी कोई अभियुक्त है जिसने केवल आत्मसमर्पण का न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया हो और वास्तव में कारागार में न गया हो ? यदि हां, तो वह कौन है ?

श्री कल्याण सिंह -

श्री ब्रहम दत्त द्विवेदी हत्याकाण्ड से सम्बन्धित अ0सं0-109/97, जनपद व कोतवाली फरुर्खाबाद के केस में अब तक अभियुक्त पंचशील राजपूत, संजीव महेश्वरी, सहजाद को सी0बी0आई0 द्वारा तथा अभियुक्त बलविन्दर कुमार, नाजिम सलमानी, रमेश ठाकुर, श्रीमती दमयन्ती सिंह, स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये। और अभियुक्त विजय सिंह, उपदेश सिंह चौहान, पंकज मिश्र, शिव प्रताप सिंह तोमर तथा श्रीमती उर्मिला राजपूत ने न्यायालयों में आत्मसमपर्ण किया।

उपरोक्त मुकदमें में अभी तक कोई ऐसा अभियुक्त नहीं है जिसने आत्म-समर्पण का प्रार्थना-पत्र न्यायालय में दिया हो और कारागार नहीं गया हो।

19(अ)-श्री राम औतार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त हत्याकाण्ड में निरुद्ध रहे उपदेश खलीफा निवासी बेवर, मैनुपरी के सगे भाई शिवराज सिंह, पी0टी0आई0 व उसके परिवार जनों व गिरोह के लोगों ने अपराध संख्या-171/98, 172/98, 84/98 थाना बेवर व 549/98, थाना कोतवाली मैनुपरी, जनपद मैनुपरी में अपराध किये और उनमें से अभी तक किसी में गिरफ्तारी नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

मु0अ0सं0-171/98 थाना बेवर पर शिवराज सिंह, पी0टी0आई एवं उसका

भतीजा तथा अन्य साथी के विरुद्ध पंजीकृत हुआ है जिसकी विवेचना से पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर गिरफ्तारी की जायेगी। अ0सं0-172/98, शिवराज सिंह पी0टी0आई0 संतोष सिंह, सुरेन्द्र सिंह, टीटू, पिस्सु, जनेश, मुनेश, देवेन्द्र उर्फ कसू, विजेन्द्र उर्फ भल्लू तथा 15-20 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध थाना बेवर पर पंजीकृत होकर विवेचना जनपद एटा से हो रही है जिसमें अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अ0सं0, 84/98, थाना बेबर पर वीरेन्द्र कुमार, अभिलेख कुमार व अरूणेश कुमार उर्फ अन्नू के विरुद्ध पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना से पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध न हो सकने के कारण अपराध में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई।

अ0सं0-549/98 थाना कोतवाली, मैनपुरी पर उपदेश चौहान, प्रेम पाल सिंह उर्फ प्रेम सिंह, पिंकी दुबे, करूआ, भल्लू के विरुद्ध पंजीकृत हुआ है जिसका अभियुक्त उपदेश चौहान आगरा जेल में है, शेष अभियुक्तों की गिरफ्तार विवेचना से पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर की जायेगी। विवेचना प्रचलित है।

## जनपद जौनपुर के अम्बेडकर ग्राम राजेपुर में बीड़ी औद्योगिक सहकारी समिति के आर्थिक सहायता हेतु पत्र

20-श्री बांके लाल सोनकर-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद के अम्बेडकर ग्राम राजेपुर के ग्राम प्रधान ने बीड़ी औद्योगिक सहकारी समिति के आर्थिक सहायता हेतु कोई ज्ञापन जनपद के प्रभारी मंत्री श्री राम सोनकर को 14 अप्रैल, 1998 को तथा जिलाधिकारी, जौनपुर को 3-5-98 में दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

'पटेल' राम कुमार वर्मा-

जनपद के प्रभारी मंत्री मा0 श्री राम सोनकर को प्रश्नगत ज्ञापन दिया गया था, परन्तु जिलाधिकारी, जौनपुर को उनके कार्यालय अभिलेखों के आधार पर प्रश्नगत पत्र प्राप्त होना नहीं पाया जाता।

इस प्रकरण पर जांच कराने के आदेश दिये गये हैं, जिसके आधार पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

21-श्री बांके लाल सोनकर-

पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।

## जिला सन्त कबीरनगर, थाना बखिरा के श्री मोती लाल चौधरी की कारागार में हुई हत्या की सी0आई0डी0 से जांच

22-श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1992 में थाना बखिरा, जिला सन्त कबीर नगर में श्री मोतीलाल चौधरी खुटवा निवासी की पुलिस अभिरक्षा में हत्या हो गयी थी ? क्या इस प्रकरण की सी0आई0डी0 से जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह जांच पूर्ण हो गयी है ? क्या अभियुक्त के विरुद्ध सम्बन्धित न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं। मोती लाल की मृत्यु जिला कारागार में हुई थी।

जी हाँ।

जी हाँ।

जी नहीं।

एक अभियुक्त दीना नाथ के विरुद्ध दिनांक 30-6-98 को आरोप-पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है तथा शेष अभियुक्तों उप निरीक्षक गोरखनाथ पाण्डेय तथा नन्द लाल राय एवं कान्सटेबिल मुन्नालाल यादव-गणेश पाण्डेय-बलवंत दुबे के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति शासन के विचाराधीन है।

## जनपद उन्नाव के साधन सहकारी समितियों के सचिवों के सामुहिक बीमा प्रीमियम की कटौती

23-श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जनपद के साधन सहकारी समितियों के सचिवों के सामूहिक बीमा की प्रीमियम की कटौती 50 रुपया प्रतिमाह की जाती है ? यदि हां, तो क्या उक्त कटौती की धनराशि सचिव/महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक लि0, उन्नाव द्वारा बीमा कम्पनी को भुगतान की जा रही है ? यदि नहीं, तो कयों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा-

जी हाँ।

31-12-97 तक काटी गयी धनराशि बीमा की किस्ते बीमा कम्पनी में जमा करा दी गयी हैं। 1-1-98 से जून, 98 तक नियमित धनराशि न जमा कर एक मुश्त जमा करने के सम्बन्ध में उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

24-श्री यशपाल सिंह चौहान-

(दिनांक 29-6-98 को अता0प्र0सं0 24 द्वारा उत्तरित)

**श्रीमती आशा देवी, पत्नी स्व0 गंगा प्रसाद, निवासी 14/12, बरफखाना, उदयगंज लखनऊ के पड़ोसी बचानू के परिवार द्वारा उत्पीड़ित करने के सम्बन्ध में पत्र**

25-श्री समर पाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती आशा देवी, पत्नी स्व0 गंगा प्रसाद, निवासी 14/12, बरफखाना, उदयगंज, लखनऊ का प्रार्थना-पत्र श्री नेतराम विधायक के पत्र सहित दिनांक 4-5 मार्च, 1998 को प्रमुख सचिव, गृह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को जो इन्हीं के पड़ोसी बचानू के परिवार द्वारा उत्पीड़ित किये जाने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

प्रश्नगत पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी, आलमबाग द्वारा की गयी। जांच से पाया गया कि आवेदिका एवं विपक्षी दोनों का निकास व आवास आस-पास होने के कारण छोटी-छोटी बातों को लेकर आपस में वाद-विवाद होता रहता है। जांच अधिकारी द्वारा दोनो पक्षों को समझा दिया गया है कि आपस में वाद-विवाद न करें तथा आवेदिका को अवगत करा दिया गया है कि यदि पुनः विपक्षी से कोई परेशानी हो तो वह स्वयं लड़ाई-झगड़ा न कर प्रभारी निरीक्षक, हुसैनगंज से सम्पर्क कर अपनी समस्या से अवगत करायें। स्थानीय पुलिस द्वारा दोनों पक्षों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री सूर्य प्रकाश तिवारी, महासचिव, समता पार्टी, द्वारा जनपद फैजाबाद पुलिस के विरुद्ध कथित शिकायत की जांच**

26-श्री राजधारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सूर्य प्रकाश तिवारी, महासचिव, समता पार्टी द्वारा थाना गोसाईगंज, जनपद फैजाबाद के पुलिस कर्मियों के गलत आचरण से संबंधित दिनांक 21-4-98 को भेजा गया पत्र शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी नगर से कराई गयी। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

**जनपद बलिया, कोतवाली रसड़ा, चौकी संवरा के गोपी शंकर चौबे निवासी गोपालपुर के सब इन्स्पेक्टर के विरुद्ध कार्यवाही की मांग**

27-श्री राजधारी-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया अन्तर्गत कोतवाली रसड़ा के चौकी संवरा में अपराध सं0 न्या0 आदेश 1/96 दिनांक 15-8-96 जो गोपीशंकर चौबे निवासी गोपालपुर से संबंधित है, की जांच कार्यवाही पूरी की गई है? यदि हां, तो क्या संबंधित पुलिस सब इन्सपेक्टर के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई दोष विवेचना में पाया गया? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं। प्रश्नगत मामले की विवेचना अभी पूर्ण नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद कुशीनगर के थाना कप्तानगंज में श्री त्रिपुरारी पाण्डेय की अधिग्रहीत भूमि के बदले भूमि का हस्तान्तरण का प्रकरण**

28-श्री दीप लाल भारती-

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि थाना कप्तानगंज (कुशीनगर) श्री त्रिपुरारी पाण्डेय पुत्र स्व0 गोमती पाण्डेय सा0 बसहिया उर्फ कप्तानगंज, जिला कुशीनगर के गाटा सं0 4128/2=0.39 डिसमिल भूमि अधिग्रहीत कर थाना निर्मित हुआ है? क्या उसका मुआवजा नहीं दिया गया? यदि हां, तो मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा?

श्री कल्याण सिंह-

श्री त्रिपुरारी पाण्डेय की भूमि थाना निर्माण हेतु अधिग्रहीत नही की गयी थी। उक्त भूमि त्रुटिवश थाना परिसर में सम्मिलित हो गयी थी। उक्त भूमि के बदले ग्राम समाज की उतनी ही जमीन श्री पाण्डेय को दिए जाने की प्रक्रिया विचाराधीन है। उक्त ग्राम चकबन्दी में है। इस कारण भूमि के हस्तान्तरण में विलम्ब हो रहा है।

**जिला कुशीनगर में खड्डा कला व नगर पालिका पडरौना के सौर ऊर्जा चालित पम्प को चालू करने के सम्बन्ध में जानकारी**

29-श्री दीप लाल भारती-

क्या सरकार को ज्ञात है कि सौर-ऊर्जा चालित-पम्प, जल संयत्र

कुशीनगर जनपद में खड्डा कलां के दक्षिणी अनुसूचित जाति बस्ती व नगर पालिका पडरौना में लगा है, जो बन्द है ? यदि हां, तो क्या उसे चालू किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक-

जी हाँ।

भारत सरकार द्वारा अपने स्तर से वर्ष 1982 में जनपद कुशीनगर के खड्डा कलां के दक्षिण हरिजन-बस्ती व नगर पालिका पडरौना के हाथीसार नौका टोला एवं तुरडा टोला में सौर ऊर्जा चालित पम्प स्थापित कराये गये थे। सौर ऊर्जा पम्प के सभी संयंत्र निष्प्रयोज्य हो चुके हैं इसलिए इन्हें क्रियाशील किया जाना सम्भव नहीं है।

**उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की दिल्ली मार्ग की बसों को वाया हरदोई चलाने के सम्बन्ध में जानकारी**

30-श्री दीप लाल भारती-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की चलने वाली लखनऊ दिल्ली मार्ग की सभी बसें वाया सीतापुर शाहजहांपुर अथवा वाया कानपुर से ही चलायी जा रही हैं ? क्या यह सही है कि सायं काल अथवा रात्रि में चलने वाली बसें वाया हरदोई-शाहजहांपुर न चलने के कारण रात्रि 8 बजे के उपरान्त यात्रियों को यात्रा करने में घोर कठिनाइयां उठानी पड़ती है और निगम को आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार दिल्ली-लखनऊ चलने वाली बसों में कतिपय बसों की सेवा वाया हरदोई किये जाने हेतु आदेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर अराष्ट्रीयकृत मार्ग है, जिसकी दूरी 173 कि0मी0 है। लखनऊ से केवल हरदोई के लिए प्रतिदिन दो सेवाएं संचालित हैं।

लखनऊ से शाहजहांपुर वाया हरदोई मार्ग अराष्ट्रीयकृत व अलाभकारी होने के कारण लखनऊ, दिल्ली वाया हरदोई सेवाएं संचालित करना अपेछित नहीं है।

**उ0 प्र0 परिवहन निगम की लखनऊ से हरदोई मार्ग पर 2 से अधिक बसें चलाने के सम्बन्ध में जानकारी**

31-श्री दीप लाल भारती-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान समय में लखनऊ से हरदोई तक परिवहन निगम की कितनी बसें चलाये जाने हेतु परमिट दिये गये हैं

तथा उसके विरुद्ध कितनी बसें उक्त मार्ग पर चल रहीं है ? क्या यह सही है कि लखनऊ हरदोई मार्ग पर दस परमिट होते हुये मात्र दो बसे ही चलायी जा रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ? परमिट के अनुसार बसें न चलाये जाने का क्या कारण हैं ? उक्त अवशेष बसें कब तक चलायी जायेंगी ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**प्रदेश में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पदों पर हुई पदोन्नति में श्री लखन लाल चक्रवर्ती का नाम सम्मिलित न करने का औचित्य**

32-श्री शब्बीर अहमद-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि 16.1.98 व 5.3.98 को ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-2 व ग्रेड-1 के पद से जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/ लेखा परीक्षा अधिकारी ग्रेड-2 के पदों पर पदोन्नति की गयी है ? यदि हां, तो उक्त तिथि की पदोन्नति सूची में वरिष्ठ श्री लखन लाल चक्रवर्ती का नाम न सम्मिलित किये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ ।

चयन की तिथि को उपलब्ध कोटिक्रम सूची में श्री लखन लाल चक्रवर्ती के सम्बन्ध में स्पष्ट विवरण उपलब्ध न होने के कारण उन्हें उक्त तिथियों में हुए चयन के लिये तैयार की गई पात्रता सूची में शामिल नहीं किया गया था । श्री लखन लाल चक्रवर्ती ने चयन की तिथि तक परिचालित कोटिक्रम सूची के विरुद्ध कोई प्रत्यावेदन भी नहीं दिया था, जिसके फलस्वरूप पदोन्नति सूची में उनका नाम सम्मिलित न हो सका ।

**जनपद अम्बेडकर नगर में शाहगंज रेलवे स्टेशन के पास पाये गये दो मृतक तथा एक घायल व्यक्ति की जी0 आर0 पी0 द्वारा विवेचना**

33-श्री राम अचल राजभर-

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि व्यवसाय के सिलसिले में दिनांक 7.6.98 को 52 डाउन सियाल्दह एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा कर रहे अकबरपुर अम्बेडकर नगर निवासी श्री आफताब पुत्र श्री मुश्ताक अहमद एवं श्री इकबाल अहमद पुत्र श्री मास्टर मुहम्मद अहमद (दोनों परास्नातक छात्र) को जान से मारकर एवं श्री हीरालाल पुत्र श्री रामजीत यादव निवासी दर्जीपुर, थाना-हंसवर, अम्बेडकर नगर को जीवित शाहगंज जं0 रेलवे स्टेशन के निकट बोगी से बाहर फेंक दिये जाने की घटना की जानकारी स्थानीय प्रशासन एवं स्वयं उन्हें है ?

यदि हां, तो इस संबंध में प्रशासनिक स्तर पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

दिनांक 8.6.98 को दो व्यक्तियों के शव एवं एक व्यक्ति के घायल अवस्था में शाहगंज रेलवे स्टेशन के आउटर सिगनल के समीप पाये जाने की घटना की जानकारी मिली । कालक्रम में विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि मृतक व्यक्ति श्री आफताब खान तथा इकवाल अहमद एवं घायल व्यक्ति श्री हीरालाल थे । थानाध्यक्ष, जी0आर0पी0 फैजाबाद द्वारा विवेचना की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

## जिला कारागार, हरदोई की पुरानी बैरिकों के स्थान पर नई बैरिकें बनवाने की मॉग

34 - डा0 धर्मज्ञ मिश्र -

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद की जेल में बैरिकों का निर्माण लगभग 100 वर्षों पूर्व कराया गया था जो अब बेकार हो गई हैं और किसी समय वह गिर सकती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर पुरानी बैरिकों के स्थान पर नई बैरिकें बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल -

यह सही है कि जनपद हरदोई की जिला कारागार की बैरिके लगभग 100 वर्ष पुरानी हैं लेकिन बैरिके अभी सही हालत में है । कुछ बैरकों में मरम्मत की आवश्यकता है जिसे वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कराया जायेगा । वर्ष 1998-99 में इस कारागार में एक नई बैरिक निर्मित कराये जाने का प्रस्ताव है ।

## जिला कारागार हरदोई में बन्दियों के लिए शौचालय की व्यवस्था

35 - डा0 धर्मज्ञ मिश्र -

क्या कारागार मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि हरदोई जनपद में जेल में शौचालय की समुचित व्यवस्था न होने के कारण काफी गन्दगी व्याप्त रहती है तथा भयंकर बीमारी फैल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार 1100 सौ बंदियों के लिये सीवर टैंक बनाकर बन्दियों के प्रयोग हेतु शौचालय की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

कारागार प्रशासन कारागार में निरुद्ध बन्दियों को स्वच्छ एवं हाईजैनिक वातावरण देने हेतु सदैव प्रयत्नशील रहता है। जिला कारागार हरदोई में अष्टम वित्त आयोग के अन्तर्गत 08 सीट वाले 03, 04 सीट वाले 01 एवं 01 सीट वाले 18 स्वच्छ शौचालयों का निर्माण कराया गया तथा इसके अलावा वर्ष 92-93 में भी 06 दिन-स्वच्छ शौचालयों (डे-लैट्रिन) का निर्माण कराया गया। वर्ष 98-99 में 08 दिन स्वच्छ शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा। पुराने शौचालयों की मरम्मत भी करायी गयी है।

**जनपद गोरखपुर के ग्राम झंगहा के श्री मोलई पुत्र श्री राम मूरत द्वारा श्मशान पर फर्जी ढंग से नाम चढ़वाने के विरुद्ध जांच**

36-श्रीमती गौरी देवी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के उप जिलाधिकारी चौरी चौरा ने अपने कार्यालय के पत्रांक 452/दिनांक 3.11.97 में थानाध्यक्ष झंगहा को श्री मोलई पुत्र श्री राममूरत ग्राम विशुनपुर मटियरा के विरुद्ध इसी ग्राम की जमीन सं0 347 रकबा 25 डि0 श्मशान पर फर्जी ढंग से नाम चढ़वाने और दुष्प्रेरणा का अपराध करने की बात लेते हुये तथा डी0 डी0 सी0 गोरखपुर के बाद सं0 44, निर्णय दिनांक 19.3.94 से उत्पन्न स्थिति पर रपट करने की बातें लिखी हैं? यदि हां, तो क्या रपट दर्ज होकर जांच की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या संबंधित व्यक्ति पुलिस का चौकीदार होने के कारण इसके विरुद्ध रपट नहीं हुई? यदि हां, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

जी हां। प्रकरण में जांच की गई एवं जांच में साक्ष्य न पाये जाने पर अन्तिम रिपोर्ट सं0 30.97 दि0 3.11.97 न्यायालय गोरखपुर प्रेषित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्बन्धित व्यक्ति पुलिस का चौकीदार है। उसी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद हरदोई की तहसील विलग्राम में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की अदालत स्थापित करने की मांग**

37-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के तहसील बिलग्राम में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की अदालत स्थापित करने की व्यवस्था कब

तक कर दी जायेगी ? क्या इसका संबंधित अधिकारियों द्वारा सर्वे भी कराया जा चुका है ? यदि हां, तो अदालत कब तक स्थापित कर दी जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह -

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के न्यायालय की स्थापना हेतु भवन उपलब्ध नहीं है। इसके लिये उपयुक्त भवन उपलब्ध होने पर मा0 उच्च न्यायालय का अभिमत प्राप्त किया जायेगा। तत्पश्चात उक्त न्यायालय के सृजन के प्रस्ताव पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

जिलाधिकारी हरदोई द्वारा प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया गया और यह भूमि न्यायालय के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के लिये अनुपयुक्त पाई गयी।

उक्त न्यायालय हेतु उपयुक्त भवन उपलब्ध होने पर मा0 उच्च न्यायालय का अभिमत प्राप्त किया जायेगा। तत्पश्चात न्यायालय के सृजन के प्रस्ताव पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

## परिवहन निगम वाराणसी (पू0 जो0) के श्री सतीश चन्द्र द्विवेदी मण्डलीय प्रधान प्रबन्धक के अनियमित कार्यों व आर्थिक घपलों की उच्च स्तरीय जाँच

38-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि सतीश चन्द्र द्विवेदी मण्डलीय प्रधान प्रबन्धक, परिवहन निगम, वाराणसी (पू0 जो0) द्वारा भ्रष्ट कार्यों, अनियमितताओं व आर्थिक घपलों की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने हेतु उनको संबन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6 अप्रैल, 98 तथा 17 जून, 98 मा0 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? क्या परिवाद में उठाये गये बिन्दुओं की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के पूर्व श्री द्विवेदी को स्थानान्तरित किये जाने हेतु कोई आदेश उन्होंने दिया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

जी हां।

जांच करायी जा रही है। जांचोपरान्त उचित कार्यवाही यथासमय की जायेगी।

## जनपद हरदोई की जेल में बंदियो को बैरिकों में शुद्ध हवा पहुंचाने के लिए पंखे लगवाने की मांग

39-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या कारागार मंत्री जनपद हरदोई की जेल में बंदियों को बैरिकों में शुद्ध हवा पहुंचाने के लिये पंखे लगाने के आदेश जारी करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

राज्य के वित्तीय संसाधनों एवं कारागारों में उपलब्ध स्वीकृत विद्युत भार को देखते हुए अभी शासन स्तर से प्रदेश की सभी कारागारों में पंखे लगवाये जाने का निर्णय नहीं लिया गया है लेकिन बन्दियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये जिलाधिकारियों के माध्यम से स्वयं सेवी संगठनों/संस्थाओं से बैरिकों में पंखे लगाये जाने हेतु सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। अभी जिला कारागार, हरदोई में किसी स्वयं सेवी संस्था/संगठन द्वारा पंखे लगाये जाने की सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं।

**विधायकों के लखनऊ आवास क्षेत्र में लगे टेलीफोन पर फ्री टेलीफोन लोकल काल सुविधा बढ़ाने की मांग**

40-श्री योगेन्द्र कुमार-

क्या संसदीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायकों को उनके स्थानीय लखनऊ आवास क्षेत्र में लगे टेलीफोन पर फ्री टेलीफोन सुविधा 250 लोकल काल प्रतिमाह के स्थान पर 2000 काल करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो यह सुविधा कब तक दे दी जायेगी?

श्री हुकुम सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**उत्तर प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण, जल एवं वायु प्रदूषण के बढ़ते हुए प्रभाव की रोकथाम हेतु समुचित प्राविधान**

41-कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री जगदम्बिका पाल-

क्या पर्यावरण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण रोकने के लिये क्या नियम हैं? प्रदूषण के बढ़ते हुये प्रभाव को रोकने के लिये क्या सरकार नियमों, अधिनियमों में प्रभावी संशोधन करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक-

भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 लागू किया गया है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी ग्रहण किया गया है। इन अधिनियमों में जल, वायु तथा ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए सुसंगत प्राविधान किये गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्त अधिनियम केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित किये गये हैं अतः इनमें संशोधन भी केन्द्र सरकार द्वारा ही किया जा सकता है। उक्त अधिनियमों में ही बढ़ते हुये प्रदूषण की रोकथाम के लिये समुचित प्राविधान उपलब्ध है।

**लखनऊ में डीजल चालित टैम्पो/टैक्सियों में प्रदूषण रोकने हेतु स्कूटर इण्डिया से अनुरोध**

42-कुंवर रेवती रमण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ टैम्पों चालन से वायु प्रदूषण बहुत ही बढ़ गया है जिससे जनता के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदूषण को दूर करने के लिये टैम्पों में "कन्वर्टर" लगाये जाने हेतु आदेश देगी? जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण प्रभावी हो सके?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

डीजल चालित टैम्पों टैक्सियों के प्रदूषण उत्सर्जन स्तर को कम करने के उद्देश्य से इस वाहन के इंजन में आवश्यक तकनीकी परिवर्तन करने का अनुरोध इसके निर्माता स्कूटर इंडिया से किया गया है।

**जनपद मैनपुरी थाना बेवर में दर्ज अपराध संख्या-325/98 के तहत नामित व्यक्तियों की गिरफ्तारी की मांग**

43-श्री राम औतार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या 325/98 धारा 147/148/323/504/506/326 आई0 पी0 सी0 थाना बेवर जनपद मैनपुरी में कौन अभियोगी है और कौन-कौन नामित व अन्य अभियुक्तगण प्रकाश में आये हैं? क्या उक्त केस के अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी की गई? यदि हां तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त केस में अभियुक्तगणों को गिरफ्तार करवाकर चार्जशीट लगवायेगी?

यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

उक्त मुकदमा दिनांक 12-6-98 को वादी श्री युधिष्ठिर सिंह द्वारा शिवराज सिंह उर्फ पी0टी0आई0 पूर्व विधायक भल्लू उर्फ विजेन्द्र सिंह, करुण, निवासीगण किशनपुर गढ़िया, प्रेमपाल सिंह, निवासी चिलौसा थाना बेबर, मैनपुरी के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। नामित के अतिरिक्त अन्य कोई अभियुक्त प्रकाश में नहीं आया है।

अभियोग विवेचनाधीन है, पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर गिरफतारी की जायेगी। अभी किसी की गिरफतारी नहीं हुई है।

अभियोग में नामित अभियुक्तों की गिरफतारी पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर ही किया जाना सम्भव होगा।

44-श्री राम औतार शाक्य-

(दिनांक 6-7-98 को अता0 प्र0 सं0 115 द्वारा उत्तरित)।

**राज्य परिवहन प्राधिकरण (एस0टी0ए0) गोरखपुर द्वारा अस्थाई परमिट को जनहित में आगे बढ़ाने की मांग**

45-श्री राम ललित चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण (एस0टी0ए0) द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक गोरखपुर को आगरा-अजमेर वाया भरतपुर-जयपुर मार्ग के लिये राजस्थान सीमा में प्रति हस्ताक्षर शर्त के साथ 29 मई, 1998 से 28 जून, 1998 तक कोई अस्थाई परमिट जारी किया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार उन परमिटों को जनहित में आगे बढ़ायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

प्रश्नगत अनुज्ञा-पत्र के समाप्त हो जाने पर राज्य परिवहन प्राधिकरण को उक्त अनुज्ञा-पत्र को आगे बढ़ाये जाने के संबंध में कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

**परिवहन आयुक्त द्वारा प्रभारी पी0टी0ओ0 तथा प्रभारी ए0आर0टी0ओ0 के पद पर कथित रूप में तदर्थ नियुक्ति**

46-श्री राम ललित चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग में प्रभारी पी0टी0ओ0 तथा प्रभारी ए0आर0टी0ओ0 के पद तदर्थ रूप से नियुक्ति के लिये परिवहन आयुक्त सक्षम है? यदि नहीं, तो वर्ष 1998 में परिवहन आयुक्त द्वारा की गयी उपरोक्त तदर्थ नियुक्तियों को क्या सरकार निरस्त करेगी? क्या सरकार उक्त नियुक्त करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो क्या तथा कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं।

परिवहन आयुक्त द्वारा प्रश्नगत पदों पर कोई तदर्थ नियुक्तियां नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जि0 सुल्तानपुर, थाना-चांदा, ग्राम महरानी गंज के श्री रामफेर ओझा का 4 अप्रैल, 98 के कथित प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही की मांग**

47-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को श्री राम फेर ओझा, भूतपूर्व सूबेदार, ग्राम-महारानी, थाना-चांदा, सुल्तानपुर का पत्र दिनांक 4 अप्रैल, 98 श्री रमाशंकर ओझा, 653, इंजीनियर प्लान्ट कम्पनी मार्फत 56 ए0पी0ओ0 (भगोड़ा सैनिक) के अनियमित कार्यों के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार लापरवाही बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-सुल्तानपुर थाना चांदा के श्री रामफेर ओझा द्वारा दि0 28-12-97 में दर्ज कराई गई एफ0आई0आर0 एवं उस पर कार्यवाही**

48-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना-चांदा, जनपद सुल्तानपुर में श्री रामफेर ओझा द्वारा दिनांक 28-12-97, 29-1-98 तथा 17-4-98 को क्रमशः भा0दं0वि0 की धारा 352/504, 323/504 एवं 467/468/420/471 एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गयी है ? यदि हां, तो अभियुक्तगणों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

श्री रामफेर ओझा द्वारा दिनांक 28-12-97 को एन0सी0आर0नं0 134/97 धारा 352/504 भा0दं0वि0 तथा उनके पुत्र श्री आनन्द कुमार ओझा द्वारा दिनांक 24-4-98 को एन0सी0आर0नं0 62/98 धारा 323/504 का अभियोग थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर में पंजीकृत कराया गया था। दिनांक 17-4-98 को थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर में श्री रामफेर ओझा द्वारा धारा 467/468/420/471 का कोई अभियोग पंजीकृत नहीं कराया गया है।

दिनांक 28-12-97 को प्राप्त रिपोर्ट में विवेचना के दौरान दोनों पक्षों में तनाव होने के कारण शान्ति भंग के अंदेशा पर थाना चांदा के एक पक्षीय धारा 107/116 द0प्र0सं0 में कार्यवाही की गई। जिसका मु0अ0सं0 419/97 धारा 107/116 थाना चांदा में पंजीकृत है जो विचाराधीन न्यायालय है। दिनांक 24-4-98 में दर्ज मुकदमा विवेचनाधीन है। प्रश्न नहीं उठता है।

**पुलिस रेडियो शाखा में अपर राज्य रेडियो अधिकारी के विरुद्ध 1995 में भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ से जांच**

49-श्री विनोद मणि-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस रेडियो शाखा में अपर राज्य रेडियो अधिकारी के विरुद्ध वर्ष 1995 में भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ से जांच करायी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

जांच रिपोर्ट गोपनीय एवं वर्गीकृत अभिलेख है । अतः इसे जनहित में सदन के पटल पर रखा जाना सम्भव नहीं है ।

**कुम्भ मेला हरिद्वार 1998 के वायरलेस सेटों एवं उपकरणों के क्रय में उप महानिरीक्षक दूरसंचार द्वारा की गई भारी अनियमितता की जांच**

50-श्री विनोद मणि-

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि कुम्भ मेला हरिद्वार 1998 के दौरान वायरलेस सेटों एवं उपकरणों के क्रय में उप महानिरीक्षक दूरसंचार पश्चिमी द्वारा भारी अनियमितता की गयी है ? क्या उसकी जांच विभाग द्वारा करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच में दोषी पाये गये अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

प्राप्त शिकायतों की जांच कराने के लिए पुलिस महानिदेशक को अप्रैल, 1998 में आदेशित किया गया है । जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

"प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद शाहजहांपुर के ग्राम फतेहपुर गैसरा निवासी श्री धीरेन्द्र सिंह द्वारा थाना तिलहर में धारा 363 के तहत दर्ज कराये गये मुकदमें में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग**

51-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि धीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम सिंह नि0 फतेहपुर गैसरा थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर ने दिनांक 30-4-98 को थाना तिलहर में धारा 363 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत अपनी पुत्री के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी ? यदि हां, तो उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार उपरोक्त अपहरण की जांच सी0आई0डी0 से कराने के आदेश देकर उपरोक्त रिपोर्ट पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

वादी श्री धीरेन्द्र सिंह ने अपनी पुत्री के अपहरण का मु0अ0सं0-89/98 धारा 363 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात थाना तिलहर पर दर्ज कराया था।

विवेचना के मध्य प्रकाश में आये अभियुक्त अरविन्द उर्फ बबलू, रामकृष्ण उर्फ नन्हे तथा भाईलाल को 3-7-98 को बन्दी बनाकर अपहृता को बरामद किया।

पुलिस द्वारा अभियुक्तों को बन्दी बनाकर अपहृता को बरामद कर लिया गया अतः किसी अन्य कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद जौनपुर के विधायक श्री अफ़ज़ाल अहमद का सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा कथित फर्जी ऋण वितरण के सम्बन्ध में पत्र**

52-श्री बांकेलाल सोनकर-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद के विधायक श्री अफ़ज़ाल अहमद का सहकारी ग्राम्य विकास बैंक के फर्जी ऋण वितरण के संबंध में 28-5-98 का पत्र उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र व संलग्नक का विवरण क्या है ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा-

जी हाँ।

मा0 विधायक श्री अफ़ज़ाल अहमद के पत्र व संलग्नक में बैंक की शाखा शाहगंज द्वारा सुअर पालन योजना के अंतर्गत ग्राम मेहरांवा के ऋणी सदस्य तुलसी व श्री मुंशी पुत्रगण बृज लाल हरिजन के नाम से शिव कुमार का फोटो दोनों आवेदन पत्रों पर चिपका कर फर्जी ऋण निकालने की शिकायत की गयी है। इसके अतिरिक्त न्याय पंचायत मेहरांवा खलिलपुर में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के नाम सुअर पालन का फर्जी ऋण निकालने की शिकायत की गयी है।

प्रकरण की जांच करायी गयी। जांच में शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद आगरा के विकास खण्ड फतेहाबाद के ग्राम बिधरई को समीप के थाने में समाहित करने की मांग**

53-श्री विजय पाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के विकास खण्ड फतेहाबाद में ग्राम बिधरई आगरा नगर के थाना ताजगंज में समाहित है जिसकी दूरी 30 कि0मी0 है जबकि उक्त ग्राम की थाना शमसाबाद से 10 कि0मी0 दूरी है व थाना डौकी से 8 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम को समीप के थाने में समाहित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

ग्राम विधरई को समीप के थाने में समाहित किये जाने हेतु आवश्यक प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से प्राप्त किया जा रहा है। प्रस्ताव प्राप्त हो जाने पर परीक्षणोपरांत, आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

54-श्री इकबाल महमूद-

(6ठें मंगलवार में अता0प्र0सं0 "137" के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

**जनपद मथुरा के नगला पहलवारिया थाना गोवर्धन राधाकुण्ड के निवासी श्री रतन सिंह पुत्र श्री देवी सिंह को न्याय दिलाने की मांग**

55-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के नगला पहलवारिया थाना गोवर्धन राधाकुण्ड के निवासी श्री रतन सिंह पुत्र श्री देवी सिंह को विपक्षीगण एवं स्थानीय पुलिस ने न्याय दिलाने के संबंध में विधायक कोष्ठ का पत्रांक-सी0 एम0/वि0 को0/एम-3/9000/मथुरा/98, दिनांक 9-4-98 प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

उक्त पत्र पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के पृष्ठांकन डी0जी0-छः-83(58)/98, दिनांक 2-6-98 द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, आगरा को भेजा गया। ज्ञात हुआ कि श्री रतन सिंह अपराधों में वांछित होने के कारण ही स्थानीय पुलिस एवं विपक्षीगणों के विरुद्ध शिकायत की है। जांच में इसे सत्य नहीं पाया गया।

**जनपद मैनुपरी के केस के दौरान विवेचना को पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा जनपद एटा को स्थानान्तरित करने का औचित्य**

56-श्री राम औतार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या 146/91 धारा गैंगस्टर अधिनियम थाना बेवर जनपद मैनुपरी के केस के दौरान विवेचना सरकार द्वारा वापिस लिया गया था? यदि हां तो क्यों? उसमें कौन-कौन अभियुक्त थे? क्या यह सही है कि उक्त केस में वांछित कुछ अभियुक्त स्व0 ब्रह्मदत्त द्विवेदी पूर्व राजस्व मंत्री की हत्या के केस में भी विवेचना के दौरान कारागार में रहे? क्या यह सही है कि अपराध संख्या 171/98 धारा 384 आई0पी0सी0 एवं अपराध संख्या 172/98 धारा

332/353/307 आई0पी0सी0 थाना बेवर जनपद मैनुपरी के केसों में व अपराध संख्या 146/91 धारा गैंगेस्टर अधिनियम थाना बेवर व करीब 40 अन्य केसों में नामित अभियुक्त शिवराज पी0टी0आई0 निवासी गढ़िया किसनपुर थाना बेवर जनपद मैनपुरी व प्रतिनिधि सांसद फर्रुखाबाद व उसके परिवारजन उक्त केसों में वांछित चल रहे हैं और उक्त केस भी वापिस/स्थानान्तरित किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ। उक्त मुकदमा शासकीय निर्णय के अधीन वापस लिया गया।

उक्त अभियोग में अभियुक्त उपदेश सिंह उर्फ खलीफा, संतोष सिंह, मुनेश, शिवराज सिंह उर्फ पी0टी0आई,0 संतोष उर्फ भूरा प्रेमपाल, देवेन्द्र उर्फ करु, श्री चन्द्र, सुरेन्द्र सिंह थे। अ0सं0-146/91 में संलिप्त अभियुक्तों में से केवल अभियुक्त उपदेश सिंह उर्फ खलीफा दिनांक 30-5-97 को जेल गया था तथा दिनांक 6-6-97 को रिहा हुआ। इसके बाद दिनांक 9-9-97 को पुनः जेल गया तब से अब तक जेल में है तथा अभियुक्त प्रेमपाल दिनांक 26-3-98 को जेल गया था तथा दिनांक 30-4-98 को रिहा हुआ।

अपराध संख्या-146/91 को वापिस लिया गया है। शेष की वापिसी का प्रश्न अब तक शासन के विचाराधीन नहीं है।

अभियोग संख्या-172/98 की निष्पक्ष विवेचना के उद्देश्य से इसकी विवेचना पुलिस उप महानिरीक्षक आगरा द्वारा जनपद एटा को स्थानान्तरित की गई है।

## पूर्वांचल के जिलों में कार्यरत यक्ष ग्रुप आफ कम्पनीज नामक फाइनेन्स कम्पनी के एम0डी0 के विरुद्ध दर्ज एफ0आई0आर0 पर कृत कार्यवाही

57-श्री अफ़ज़ाल अहमद-

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि पूर्वांचल के जिला में कार्य कर रही यक्ष ग्रुप आफ कम्पनीज नामक फाइनेन्स कम्पनी द्वारा जनवरी, 1998 में अपना करोबार अचानक बन्द कर दिया गया है? क्या जनता द्वारा जमा की गयी करोड़ो रुपये की धनराशि को गबन कर कम्पनी का एम0डी0 फरार हो गया है? क्या यह सही है कि फाइनेन्स कम्पनी के एम0डी0 के विरुद्ध जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा थाना कैन्ट जिला गोरखपुर में फरवरी, 1998 में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।
जी हाँ।

थाना केन्ट जिला गोरखपुर में फरवरी, 1998 में श्री डी0के0 पाल प्रबन्धक यक्ष ग्रुप आफ कम्पनीज बलिया काम्पलेक्स गोरखपुर के विरुद्ध मु0अ0सं0 161/98 धारा 406/420 भा0द0वि0 थाना कैन्ट गोरखपुर में पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

**परिवहन निगम के कार सेक्शन के प्रबन्धक के विरुद्ध मा0 सदस्य श्री अब्दुल मन्नान द्वारा की गई शिकायत पर सर्तकता से जांच की मांग**

58-श्री राम औतार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री अब्दुल मन्नान, सदस्य, विधान सभा के शिकायती-पत्र पर प्रबन्धक, कार सेक्शन परिवहन निगम के विरुद्ध सतर्कता जांच के आदेश दिनांक 4-9-97 को तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये थे? क्या यह सही है कि उन्हें कार सेक्शन से स्थानान्तरित करने के आदेश विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन विभाग के अर्द्धशासकीय प0सं0-175 मु0मं0/30-1-97 दिनांक 16 सितम्बर,1997 द्वारा दिये गये थे? यदि हां, तो क्या उनका स्थानान्तरण कर उनके विरुद्ध सतर्कता जांच करायी गयी?यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या है? यदि जांच नहीं कराई गई, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

**श्री अमृत सिंह यादव प्रभारी पुलिस वायरलेस शक्ति भवन लखनऊ के स्थानान्तरण को रद्द करने की मांग**

59-श्री महराज सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री अमृत सिंह यादव, प्रभारी पुलिस, वायरलेस, शक्ति भवन लखनऊ के स्थानान्तरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच की याचिका संख्या-1822/95 में दिये गये निर्णय का अनुपालन किया गया है? यदि हां, तो किस अधिकारी के द्वारा? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी के स्थानान्तरण को रद्द करते हुए पूर्व स्थान पर पुनः बुलाने हेतु आदेश जारी करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ। प्रश्नगत निर्णय का अनुपालन उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) पुलिस रेडियो मुख्यालय, लखनऊ द्वारा किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता। श्री अमृत सिंह यादव का स्थानान्तरण लखनऊ से गढ़वाल जनपद किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय में प्रश्नगत रिट याचिका

में याची को निर्देशित किया था कि स्थानान्तरण के संबंध में वर्तमान नियुक्त उच्चाधिकारियों से पैरवी करें। तद्नुसार श्री यादव का स्थानान्तरण दिनांक 17-6-96 को गढ़वाल से संशोधित कर जनपद पीलीभीत के लिये किया गया।

**उत्तर प्रदेश के कारागार में उच्चतर श्रेणी के निरुद्ध कैदियों की संख्या तथा उन पर व्यय की गई धनराशि का विवरण**

60-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कारागार में निरुद्ध उत्तर श्रेणी के कैदियों की वर्ष 1996 में कितनी संख्या थी? उनके ऊपर उक्त वर्ष में कितना धन खर्च किया गया? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उच्चतर श्रेणी की सुविधा देने का मानक क्या है? क्या सरकार उस मानक में कोई संशोधन करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो वह क्या है और कब तक संशोधन हो जायेगा?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

उत्तर प्रदेश के कारागारों में वर्ष 1996 में उच्चतर श्रेणी के कुल कैदियों की संख्या 1148 थी।

उनके ऊपर उक्त वर्ष में रुपये 4,07,324-09 खर्च किया गया।

उत्तर प्रदेश के जेल मैनुअल के प्रस्तर-279 व 280 के प्राविधानों के अन्तर्गत बन्दी की शैक्षिक योग्यता, चरित्र, अपराध की प्रकृति आदि को ध्यान में रखते हुए स्वयं अथवा सक्षम न्यायालय की संस्तुति पर जिला अधिकारी द्वारा तथा मा0 उच्च न्यायालय की संस्तुति पर शासन द्वारा उच्च श्रेणी दिए जाने का प्राविधान है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बलरामपुर की तहसील उत्तरौला के विकास खण्ड श्री दत्तगंज/गैडास बुजुर्ग हेतु स्वीकृत कार्यों को पूरा न करने के सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता को दण्डित करने की मांग**

61-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर की तहसील उतरौला के विकास खण्ड श्री दत्तगंज/गैडास बुजुर्ग हेतु वर्ष 1995-96 में 22 और 1996-97 में 02 मार्गों के लिए 99,298 लाख रुपया स्वीकृत किया गया था और कार्यदायी विभाग उ0प्र0 सहकारी विधाईन एवं शीतगृह लिमिटेड पैक्स पैड द्वारा 31-3-97 तक 77,78 लाख व्यय किया गया था? यदि हां, तो शेष कार्य 31-3-98 तक पूरा न किये जाने का क्या कारण है? क्या सरकार सहायक अभियन्ता को दण्डित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

'पटेल' राम कुमार वर्मा-

प्रश्नगत विकास खण्डों हेतु संबंधित वर्षों में केवल 17 मार्गों हेतु 70.31 लाख रुपया स्वीकृत हुआ था तथा पैक्सफेड द्वारा दिनांक 31-3-97 तक कुल रु0 43.11 लाख व्यय किया गया।

31-3-98 तक 7 मार्ग पूर्ण हो चुके हैं 05 मार्गों की द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं हुई, एक मार्ग की धनराशि डी0आर0डी0ए0 को वापस कर दी गयी है तथा 04 मार्गों का जो कार्य 31 मार्च, 98 तक प्रगति पर था उनमें से 31-3-98 के पश्चात् 03 मार्गों का कार्य पूर्ण हो गया है और एक मार्ग में स्थानीय व्यक्तियों द्वारा अवरोध उत्पन्न करने के कारण, धनराशि डी0आर0डी0ए0 को वापस की जा रही है।

जी नहीं।

उपर्युक्त स्थिति में इसकी आवश्यकता नहीं है।

## नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20 जुलाई, 1998 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गई हैं, पहली सूचना डा0 राम बाबू हरित की, दूसरी सूचना श्री विजय पाल सिंह की, तीसरी सूचना श्री समरपाल सिंह की, चौथी सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की, पांचवीं सूचना श्री भोला शंकर मौर्य की, छठी सूचना श्रीमती माया प्रसाद की, सातवीं सूचना श्री राम पाल वर्मा की है ये सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाती हैं।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी)

## जनपद महराजगंज के ग्राम गौरी बढ़ई पुरवा निवासी रुधई हरिजन के विरुद्ध पुलिस द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* डा0 राम बाबू हरित-

(महोदय, पुलिस द्वारा अनुसूचितों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ जनता में दिन-प्रतिदिन आक्रोश व्याप्त होता जा रहा है। उदाहरणार्थ रुधई हरिजन ग्राम गौरी बढ़ईपुरवा, जनपद महराजगंज को चल-अचल सम्पत्ति को थाना प्रभारी कोठीभार ने धारा 87-88 के अन्तर्गत न्यायपालिका के आदेश पर दिनांक 4-1-96 को कुर्क करके घरेलू सामान को थाने में रख लिया तथा दुधारू भैंस, एक जोड़ा जवान कृषि योग्य बैल को कांजी हाऊस में डाल दिया। सामानों को नष्ट न होने पावे धारा 116 के अन्तर्गत नीलामी की कार्यवाही की सूचना भी नहीं दी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जानवरों को दिनांक 4-1-96 को न्यायालय ने छोड़ने का आदेश दिया। जानवर न छोड़कर नियम विरुद्ध नीलामी में लाये गये जानवरों को बदलकर अन्धे, लंगड़े बैल को दुधारू पशु के साथ दिनांक 22-4-97 को पुलिस के संज्ञान में ही नीलाम कर दिया। नीलामी धनराशि को 124 हेड में न तो जमा किया गया और न ही अनुसूचित परिवार को वापस किया गया। यदि हां तो यह सही है कि रुधई ने दिनांक 19-4-97, 22-4-97, 7-5-97, 27-7-97, 6-9-97 तथा 17-12-97 को लिखित पुलिस अधीक्षक, डी0आई0जी0 जोन, गोरखपुर को देकर सामानों की वापसी की मांग करता रहा किन्तु अनुसूचित परिवार को आज तक कुर्क सुदा सामान वापस नहीं किया गया।

यही नहीं, पूर्व विधायक श्री शारदा प्रसाद जायसवाल ने दिनांक 16-1-98, 5-3-98, 16-3-98 एवं 29-3-98 को अपर पुलिस अधीक्षक, महराजगंज को लिखित शिकायत की किन्तु आज तक रुधई को न तो जानवर वापस किये गये और न ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही की गयी।

आपसे मांग करता हूं कि सरकार इस समस्या का निराकरण कर दोषियों को दण्ड दिलाने तथा रुधई को न्याय दिलाने का कष्ट करें।

## जनपद आगरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में डाकुओं के आंतक से व्याप्त भय के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजय पाल सिंह -

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के मध्य प्रदेश की सीमा में लगे फतेहाबाद हैं। इस क्षेत्रों में रहजनी, पकड़े डकैती, हत्याएं आदि नित रोज का प्रसंग है। उक्त क्षेत्र की जनता डाकुओं से तो त्रस्त हैं साथ ही पुलिस की अकर्मण्यता व बर्बरता पूर्ण रवैया से भी आतंकित है। उक्त क्षेत्र के किसान इतना भयभीत हैं। अपनी फसलों में रात के समय पानी नहीं दे पाता है। अपनी निजी सिंचाई हेतु जो बोरिंग आदि किसानों ने लगा रखा है। उन पर तो सो नहीं सकता है, अपनी खड़ी फसलों की रखवाली नहीं कर सकता। सब कुछ राम भरोसे ही चल रहा है।

मुख्य कारण सीमा पर लगे थानों से ग्रामों की दूरी अधिक होना कि थाना-फतेहाबाद से ईदौन, परौली की दूरी 20 कि0मी0 है। ऐसे ही बेगमपुर रिहावली, की दूरी भी इतनी ही है। निवोहरा से धनौतीकला, रोहाई आदि की दूरी 15.20 कि0मी0 होना ऐसे ग्रामों में यदि कोई घटना घटित होती है तो थाने तक पहुंचने में कई घंटे लग जाते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को इसका

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लाभ मिलता है। थानों में स्टाफ की कमी भी है। जिसकी वजह से अपराधों को बढ़ावा मिलता है। साथ ही नये थाने खोले जाने के साथ ही अधिक दूरी के ग्रामों रिपोर्टिंग चौकी आदि स्थापित किये जाने से कुछ थोड़ी बहुत उक्त क्षेत्र की जनता को भी राहत मिल सकती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त क्षेत्र की जनता को राहत दिलाये जाने हेतु शासन का ध्यान आकर्षित करने की कृपा करें।}

**जनपद मेरठ में मेरठ से संजय गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सरूरपुर खुर्द तक सिटी बसें चलाए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री समर पाल सिंह-

{मान्यवर, मेरठ जनपद में, मेरठ से दबथुआ तक सिटी बसें चलती हैं। जबकि वहां से मात्र 7 कि0मी0 आगे सरूरपुर में एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। जिसमें प्रतिदिन अनेक छात्र एवं छात्रायें मेरठ एवं आस-पास से पढ़ने के लिये जाते हैं। सिटी बसें न चलने के कारण इन हजारों छात्र-छात्राओं को घोर असुविधा होती है। अनेक बार अधिकारियों से तथा सरकार से अनुरोध के बावजूद प्रशासन इस समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं लोक महत्व की इस समस्या की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये मांग करता हूं कि मेरठ से संजय गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सरूरपरु खुर्द तक अविलम्ब सिटी बसें चलाये जाने की व्यवस्था की जाय।}

**वाराणसी शहर के दक्षिणी क्षेत्रान्तर्गत ट्रान्सफार्मर एवं विभिन्न प्रकार के कण्डक्टर की घोर कमी से विद्युत आपूर्ति में हो रहे व्यवधान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री श्याम देव राय चौधरी-

{महोदय, मेरे दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में आने वाली कठिनाइयों एवं उसके समाधान हेतु विभिन्न अवसरों पर विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली के नियम 301 एवं विधान सभा में प्रश्नों के माध्यम से कई बार ध्यानाकर्षण के बावजूद समाधान की दिशा में परिषद् द्वारा कोई भी सार्थक कदम नहीं उठाया गया। वाराणसी में ट्रान्सफार्मर बिल्कुल नहीं है जिससे जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने में 8 से 10 दिन का समय लग रहा है जबकि शासन की नीति 72 घण्टे में बदलने की है। मेरे क्षेत्र में कई स्थानों पर लगे हुए ट्रांसफार्मर के उच्चीकरण एवं कई स्थानों पर नये ट्रांसफार्मर लगाये जाने की नितान्त आवश्यकता है

---

नोट :- { } यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इसके सम्बन्ध में विभाग द्वारा पैकेज बनाकर प्रेषित किया गया है लेकिन विभिन्न कारणों से अन्तिम स्तर पर स्वीकृति हेतु लम्बित है ।उल्लेखनीय है कि माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा प्रेषित अर्धशा0 पत्र संख्या 1295 पी0-3/98-24 ऊर्जा अनुभाग-3 दिनांक 17 जून, 1998 तथा विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के दूसरे शुक्रवार को अतारांकित प्रश्न सं0 127 में उल्लिखित कोई भी कार्य अभी तक सम्पादित नहीं कराये गये हैं जिससे विद्युत आपूर्ति में व्यवधान एवं जन असंतोष बरकरार है ।

अतः उपरोक्त ट्रान्सफार्मर की कमी तथा उपरोक्त पत्र, प्रश्न में उल्लिखित सभी समस्याओं के निदान हेतु मैं माननीय सदन का ध्यानाकृष्ट करता हूं एवं सम्बन्धित विभाग को कार्यों के सम्पादन हेतु प्रभावी निर्देश दिये जाने की मांग करता हूं ।]

**जनपद बदायूं के विकास खण्ड अम्बियापुर में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत बनाए गए कतिपय मार्गों में कथित भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

* श्री भोला शंकर मौर्य-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 1997-98 के अन्तर्गत जवाहर रोजगार योजना जो कि विकास खण्ड अम्बियापुर जनपद बदायूं को 15 प्रतिशत निम्नलिखित मार्ग बनाने के लिए जो धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी उसमें खण्ड विकास अधिकारी जयमोहन सिंह यादव तथा विजय विक्रम सिंह तत्कालीन प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी तथा संबंधित सेक्टर प्रभारी ने मिलकर बिना किसी स्वीकृति एवं अनुमोदन के एक लम्बा घोटाला किया है केवल 1-2 फुट ऊंची निम्नलिखित सड़कों को तीन मीटर ऊंची दिखाकर एम0बी0किया है और सरकारी धन का आहरण किया है । मार्गों का विवरण निम्नवत है:- बदायूं, बिजनौर मार्ग से तिद्धपुर चित्रसेन, बनवेहटा से सिरासौल, उल्लैया से सीतापुर दीननगर शेखपुर से बांस बरौलिया ।

यहां यह उल्लेखनीय है कि यह समस्त कार्य मजदूरों के द्वारा न कराकर ठेकेदारी प्रथा से क्रमशः ठेकेदार राजबीर सिंह यादव, वेबी सिंह मास्टर, देवेन्द्र सिंह राठौर, मुकेश मौर्या आदि से कराया गया है ।

अतएव इस लोक महत्व एवं तात्कालिक प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि इस प्रकरण की जांच किसी प्रदेश स्तर के अधिकारी से करायी जाय तथा दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

## जनपद खीरी के श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्रीमती माया प्रसाद-

(महोदय, आपके माध्यम से अत्यन्त अविलम्बनीय समस्या की ओर सदन के संज्ञान में निम्न तथ्य लाते हुए आवश्यक कार्यवाही की मांग करती हूं।

जनपद खीरी के श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत एक भी राजकीय इण्टर कालेज न होने से बच्चों की समुचित शिक्षा न होना, प्राइवेट कालेज प्रबन्धक द्वारा अभिभावकों का आर्थिक शोषण आदि परिस्थितियां आये दिन उत्पन्न होती है। क्षेत्र में एक ही प्राइवेट इण्टर कालेज है, जहां शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है। क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए काफी दूर-दूर से खीरी जाना पड़ता है।

अतः मेरे क्षेत्र में बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु राजकीय इण्टर कालेज खोला जाना अपरिहार्य है।)

## जनपद हरदोई के ग्राम सोनिकपुर के निकट प्राचीन ऐतिहासिक टीले को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम पाल वर्मा-

(महोदय, विनम्र निवेदन के साथ अनुरोध करना है कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत बि0 खं0 भरावन में ग्राम सोनिकपुर के निकट एक प्राचीन ऐतिहासिक टीला है, उसी टीले पर तीन विशाल प्राचीन शिवलिंग विद्यमान हैं। प्राचीन ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि सोनिकपुर के स्थान पर सोणितपुर में महाराजा बाण की राजधानी थी, उसी समय महाराजा बाण ने इन तीन शिवलिंग की स्थापना की थी। वर्तमान समय में उक्त स्थान भगवान बाणेश्वर के नाम से विख्यात है। प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि व अन्य अवसरों पर विशाल मेला लगता है तथा श्रद्धालुगण बड़ी दूर-दूर से दर्शन करने आते हैं। स्थानीय नागरिकों में इस प्राचीन ऐतिहासिक स्थल के प्रति अपार श्रद्धा व विश्वास है। इसी के साथ लोगों में इस बात का भी दुःख है कि ऐसे प्राचीन व ऐतिहासिक स्थान के बारे में सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस पवित्र प्राचीन व ऐतिहासिक स्थल की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि सरकार पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण कराकर उक्त स्थान को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कराने की कृपा करें।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएँ अस्वीकार की गयी उनके नाम हैं-

श्री विन्दुलाल, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री राम विशुन आजाद, डा0 धर्मज्ञ मिश्र, श्री अजय कुमार पोइया, श्री रमेश राही, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री तेजभान सिंह, डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी, श्री राम ललित चौधरी, श्री सतीश जतारिया, श्री चन्द्रनाथ सिंह, श्री उदय राज यादव, श्री आर0 के0 चौधरी।

## औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20.7.98 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई - पहली सूचना श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद तिवारी व श्री समरपाल सिंह की है राज्य सरकार द्वारा लगातार ओवर ड्राफ्ट् लिये जाने के फलस्वरूप रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा चेतावनी दिये जाने के बारे में है, यह नियम 300 में कैसे आयेगी?

### राज्य सरकार द्वारा लगातार ओवर ड्राफ्ट लिये जाने के फलस्वरूप रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा चेतावनी दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, प्रदेश के वित्तीय संकट की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं यह काई आक्षेप नहीं है। मान्यवर, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया में सरकार को 11 जुलाई को एक पत्र भेजा है। मान्यवर, इस सदन से बजट पारित किया गया पिछले दिनों अनुपूरक किया गया अगर उत्तर प्रदेश सरकार ओवर ड्राफ्ट् करती है, तीन बार ओवर ड्राफ्ट् किया गया जिसके कारण वित्तीय स्थिति को सुधारने की नोटिसें आ चुकी हैं। मान्यवर, पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का वेतन रुक जायेगा, सारा कार्य रुक जायेगा,या जो वित्तीय स्थिति पैदा होने जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

श्री जगदम्बिका पाल को सुनने के पश्चात, मेरी राय में यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती, अतः अस्वीकार की जाती है।

### विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के तीसरे सोमवार के अ0प्र0सं0 110 का उत्तर, सूचना एकत्र की जा रही है। दिये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री राम औतार शाक्य की है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, विधान सभा के सदस्यगण सरकार से जानकारी प्राप्त करने के लिये जनहित के सवाल करते हैं और सरकार से यह अपेक्षा की जाती है जो हमारी विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली है, उसके अनुसार समय सीमा के अन्तर्गत सरकार जो जवाब देना चाहिये। मेरा एक छोटा सा प्रश्न था, क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि श्री अब्दुल मन्नान, सदस्य, विधान सभा के शिकायती पत्र पर प्रबन्धक, कार सेक्शन परिवहन निगम के विरुद्ध सतर्कता जांच के आदेश दिनांक 4-9-97 को तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये थे? क्या यह सही है कि उन्हें कार सेक्शन से स्थानान्तरित करने के आदेश विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन विभाग के अर्द्धशासकीय प0सं0-175 मु0 मं0/30-1-97 दिनांक 16 सितम्बर, 1997 द्वारा दिये गये थे? यदि हां तो क्या उनका स्थानान्तरण कर उनके विरुद्ध सतर्कता जांच करायी गई, यदि हां तो जांच का परिणाम क्या है? यदि जांच नहीं कराई गई, तो क्यों?

मान्यवर, प्रश्न बहुत सीमित था, केवल स्थानीय लखनऊ से संबंधित था, सतर्कता विभाग से संबंधित था। पहले इस सत्र के तीसरे सोमवार के लिये आतारंकित सं0 110 के लिये निश्चित था, उस दिन सरकार ने यह जवाब दिया कि सूचना एकत्र की जा रही है। यही प्रश्न आज दि0 20-7-98 को पांचवें सोमवार के लिए अ0प्र0संख्या-58 में आया, इसमें भी जवाब आया कि सूचना आया कि सूचना एकत्र की जा रही है तो मान्यवर, यह सही प्रश्न की बात नहीं है, कई और माननीय सदस्यों के सवालों के जवाब भी इसी तरह आते हैं, इस तरह से सरकार अपने दायित्व का निर्वहन नही कर रही है और जानबूझकर माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन कर रही है। माननीय अध्यक्ष द्वारा जो नियम बनाये गये हैं, उनका परिपालन नहीं हो रहा है, इससे अध्यक्ष पीठ की गरिमा गिरती है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

संसदीय कार्य पंजीयन, मनोरजंन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मैं इस बात को मानता हूं कि इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिये। मैं आपकी बात से सहमत हूं और इस संबंध में मैं जरूर दिखाऊंगा, यदि किसी अधिकारी का दोष है तो कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के निदेश संख्या 29(2) के अनुसार दूसरा स्थगन केवल आपवादिक अवस्थाओं में ही स्वीकृत किया जा सकता है और सामान्यतया जिन प्रश्नों की सरकार को एक मास की सूचना मिल चुकी हो उन्हें स्थगित नहीं किया जाता है। प्रश्नगत मामले में इस प्रश्न की सूचना 20 जून, 1998 को शासन को भेजी गई थी और आज उसे भेजे हुये एक महीना हो रहा है, अतः संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के उपरान्त इसमें कोई औचित्य का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है, इसलिये मैं इसे अस्वीकार कर रहा हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

**16 जुलाई, 98 को नियम 56 के अन्तर्गत श्री लाल जी वर्मा द्वारा उठाई गई सूचना पर मा0 अध्यक्ष के निर्देश का अनुपालन न किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न**

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री लाल जी वर्मा की है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, वैसे 17 जुलाई को वांछित सूचना सदन को दे दी गई थी।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, हम लोगों को उपलब्ध नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष-

17 जुलाई, 1998 को माननीय संसदीय मंत्री द्वारा सूचना सदन को दे दी गई थी, उसमें पूरी सूचना है, आप कार्यवाही देख लीजियेगा श्री लालजी वर्मा की सूचना अग्राह्य की जानी है।

**श्री दिलीप कुमार स0 वि0 स0 को जान से मारने की धमकी दिये जाने से सम्बन्धित औचित्य का प्रश्न**

श्री अध्यक्ष-

श्री दिलीप कुमार की सूचना नियम-56, में हैं, इसलिये इसको भी अस्वीकार किया जाता है।

**प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न**

* डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है नत्थी "ग" तारा0प्र0सं0-2 में मैंने प्रश्न किया था, वह 12वें शुक्रवार के तारा0 प्र0सं0-2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिया गया है जो इस सत्र में नहीं आयेगा। इस प्रश्न को मैंने 1-5-1998 को किया था। 24 दिन बाद यह प्रश्न स्थगित हो गया है। यह प्रश्न पांच बार लग चुका है और माननीय मंत्री जी ने पत्रावली पर हस्ताक्षर भी कर दिये हैं। मैंने एक सैद्धान्तिक प्रश्न पूछा था कि किराया नियंत्रण के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मुकदमों को दृष्टिगत रखते हुए उनके निस्तारण की दृष्टि से उक्त अधिनियम में संशोधन करने पर क्या सरकार विचार कर रही है और उसकी रूपरेखा क्या है? प्रक्रिया संबंधी निर्देशों में यह व्यवस्था है कि अगर प्रश्न को स्थगित करना है तो टिप्पणी देनी होगी। समान्यतया प्रश्नों का स्थगन केवल एक की बार स्वीकार किया जायेगा। अगर दूसरी बार प्रश्नों को स्थगित करना आवश्यक हो तो स्थगन की प्रार्थना के साथ उसके कारणों की व्याख्यात्मक टिप्पणी भी संलग्न की जानी चाहिए। दो बार से ज्यादा स्थगित नहीं हो सकते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस पत्रावली को निकलवाकर देख लूंगा और आज ही व्यवस्था दे दूंगा।

**पूर्वी उत्तर प्रदेश में भंयकर बाढ़ से उत्पन्न स्थिति विषयक प्रकरण को उठाए जाने का प्रयास (क्रमागत)**

*श्री अवधेश प्रसाद-

आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस समय बाढ़ की बहुत बड़ी विभीषिका है और हम लोग क्षेत्र से आ रहे हैं। पूर्व उ0 प्र0 में 150 लोग मर गये हैं दो-तीनं हजार जानवर मर गये हैं और पांच हजार से अधिक लोगों का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। वहां पर सेना को बुलाने की आवश्यकता पड़ गयी है। यह विषय 16 और 17 तारीख को आया था और चर्चा भी शुरू हो गयी थी। पाल जी चर्चा कर भी चुके थे। 1/3 जनता बाढ़ से पीड़ित है। छोटे-छोटे बच्चे पानी और दूध के लिए चिल्ला रहे हैं। सरकार ने संख्या बल के आधार पर चर्चा को स्थगित करा दिया।

श्री अध्यक्ष-

आज जब सुबह उपवेशन प्रारम्भ हुआ था तो मैंने कहा था कि संसदीय कार्य मंत्री से परामर्श करके कल चर्चा करा दूंगा।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, वहाँ पर कोहराम मचा हुआ है।

श्री जगदम्बिका पाल-

आपने इसको 16 तारीख को चर्चा के लिए स्वीकार किया था।

श्री अध्यक्ष-

मैं अभी परामर्श कर लूंगा। कल चर्चा करा दूंगा।

श्री सुबास चन्द्र श्रीवास्तव-

श्रीमन्, आप इसकी अर्जेन्सी को तो देख लें।

श्री जगदम्बिका पाल-

आपकी पीठ ने स्वीकार कर लिया और फिर स्थगित हो गया। यह उचित नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

मैं परामर्श तो कर लूं। मैं सदन को सूचित कर दूंगा। इसके लिए कार्य मंत्रणा की आवश्यकता नहीं है। परामर्श करने का अवसर तो दें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

यह सरकार राहत पहुंचाने के प्रकरण पर उदासीन है इसलिये मेरा निवेदन है कि यह सदन सर्वोच्च है उसे अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिये। संपूर्ण पुर्वांचल चाहे वह देवरिया हो, गोरखपुर हो, महाराजगंज हो, बस्ती हो, या संतकबीर नगर हो, सर्वत्र बाढ़ आई है और सैकड़ों लोगों की जानें चली गयी हैं लेकिन आज तक सरकार कान में तेल डाले बैठी है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी प्राण रक्षक दवायें लोगों की नहीं मिल रही हैं और न ही कोई राहत कार्य चल रहें हैं। अतः तत्काल इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष

या तो मेरी व्यवस्था मान लीजिये या फिर मेरी व्यवस्था मत मांगिये। मैंने कहा इस मामले में संसदीय कार्यमंत्री से विचार-विमर्श करुंगा।

* श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरा अनुरोध सुन लीजिए आजकल हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सलमान खुर्शीद साहब गोरखपुर आदि के दौरे में इसी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों को देखने के लिए गये हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वहां कोई राहत कार्य नहीं चल रहें है जैसा कि आपने कहा मा0 संसदीय कार्यमंत्री से विचर-विमर्श करने के बाद 24 घन्टे बाद चर्चा होगी तब कि काफी विलम्ब हो जाएगा। इस विभीषिका से निपटने के लिए तत्काल सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए राहत कार्य को वहां शुरू कर देना चाहिए। इसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

प्रतीक्षा नहीं करेगें। यहाँ इस प्रकार की विपदायें आती है उनसे निपटने के लिए त्वरित कार्यवाही करते हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

बाढ़ की विभीषिका से राहत पहुंचाने के लिए तत्काल सहायता नहीं दी जा रही है।

## नियम 56 के अन्तर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20.7.98 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर चयनित निम्नलिखित प्रथम पांच सूचनाओं पर ग्राहयता हेतु सुना जाऐगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री राम विशुन आजाद जी की है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बाढ़ और जल भराव के कारण कालरा जैसी भयंकर बीमारी फैल चुकी है और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण उसे रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर मैं व्यवस्था का प्रश्न कभी-कभी उठाता हूं, चूंकि इस समय जो प्रकरण चल रहा है। उसके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, नियमों में दिया हुआ है कि कोई प्रश्न सत्र में एक बार ही आयेगा दुबारा नहीं आयेगा। तो 17 तारीख को मैंने एक हैजे के मामले पर एक इसी प्रकार प्रश्न उठाया था, आपने उसे निरस्त कर दिया था। आज चूंकि यह मामला फिर आ गया है, दो मिनट हमें भी सुन लें (व्यवधान) आज कृपया पूर्वक आपने चयनित कर लिया है, 17 तारीख का निकलवाकर देख लें कार्यस्थगन में स्वीकार नहीं किया था।

श्री अध्यक्ष-

तो आज 17 ता0 के कार्यस्थगन को 20 के कार्यस्थगन में सुनें क्या आप चाहते हैं? 17 तारीख को आपने अपने विचार व्यक्त कर दिये होंगे।

श्री जगदम्बिका पाल-

17 तारीख आपने निरस्त कर दिया था।

श्री अध्यक्ष-

आज स्वीकार हो गया तो क्या दिक्कत है।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कालरा की बीमारी के लिए कोई उपचार की व्यवस्था नहीं हो रही है, और उनकी लापरवाही के कारण पूरे प्रदेश में कालरा फैल चुका है। यहीं राजधानी में मैं कहता हूं। यह सरकार अपने को संवेदनशील और पारदर्शी होने की बात करती हैं। यहीं राजधानी में मार्टिनपुरवा जो मा0 मुख्य मंत्री के आवास से आधा किलोमीटर दूरी पर है, कालरा फैल गया है। जियामऊ स्थित है, मानसनगर स्थित है। मुख्यमंत्री जी के आवास के पास सफाई की व्यवस्था हो रही है, दवा की भी व्यवस्था है, नगर निगम भी लगा हुआ है, जल निगम और स्वास्थ्य विभाग भी लगा हुआ है, वहीं पर मार्टिनपुरवा जिसकी आबादी 5 हजार है, पूरे शहर का कूड़ा करकट इकट्ठा कर दिया जाता है और उसके सड़ने से कालरा, हैजा जैसी बीमारियां फैल रही हैं। जिसके कारण कई लोगों की मृत्यु हुई और दिनांक 10-7-98 से 250 लोग हैजे की चपेट में हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। स्वास्थ्य विभाग एक तरफ कहता है कि हम हैजे से निपटने के लिए कृत-संकल्पित हैं। दूसरी तरफ मुख्य चिकित्साधिकारी, इस बात को नहीं मान रहे हैं कि लखनऊ में हैजा फैला हुआ है। मेरी निश्चित जानकारी है कि पूरा लखनऊ हैजे की चपेट में आ गया है। माननीय मंत्री जी हंस रहे हैं। अभी उत्तर आ जायेगा कि कालरा और हैजा नहीं फैला है। मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि राजाजीपुरम्, अलीगंज, डालीगंज, हुसैनगंज आदि में हैजा फैला हुआ है और स्वास्थ्य विभाग लापरवाही बरत रहा है। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है।

आज जो पीने का पानी आता है। उनके पाइप लाइन में लीकेज की वजह से प्रदूषित पानी आ रहा है। जिसके पीने से अतिसार व हैजा फैला हुआ है। आज पूरे प्रदेश में कानपुर, गोरखपुर, बाराबंकी, गोण्डा, बहराइच, बस्ती, सिद्धार्थनगर, हरदोई जैसे जनपदों में बीमारियां फैल रही है। गोण्डा जनपद में विभिन्न स्थानों पर जलभराव की वजह से पानी भरा हुआ है और पूरी तरह से हैजे की चपेट में है। मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री जी गोण्डा के ही हैं और उनका डिविसर विधान सभा क्षेत्र है। उसी से लगा हुआ नवाबगंज, वजीरगंज आदि क्षेत्र हैं। मेरा क्षेत्र मनकापुर भी उसी से जुड़ा हुआ है और जिस तरह से जलभराव है व गन्दगी है उससे पूरी आशंका हैजा फैलने की है। लेकिन किसी प्रकार की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग ने नहीं किया है जबकि बरसात से पहले ही स्वास्थ्य विभाग को सारी व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी। आज क्लोरीन की गोलियां भी नहीं है। अभी माननीय मंत्री जी रूकन्दीपुर, राजाजीपुरम् गये थे तो वहां के नागरिकों ने मुर्दाबाद के नारे लगाये। माननीय मंत्री जी को मार्टिनपुरवा भी जाना चाहिए था। क्योंकि जो हैजे से मरे हैं। उनके परिवारवालों को सांत्वना देते। जो लोग मरे हैं, उनके परिवार वालों को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाये और वहां पर उचित व्यवस्था की जाये। मार्टिनपुरवा और जियामऊ में लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है, वहां पर लैट्रिन बनवायी जाये। इसी के साथ मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि सदन का सारा कार्य रोककर इस पर एक घण्टे की चर्चा करायी जाये।

* (स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री) श्री रमापति शास्त्री-

मार्टिनपुरवा, जियामऊ और रूकन्दीपुर, राजाजीपुरम् में मैं स्वयं गया था। कुछ जगह जलभराव एवं दूषित पानी होने के नाते कै-दस्त से लोग परेशान हुए हैं। उनके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गयी है। कहीं से भी जनहानि की कोई बात प्रकाश में नहीं आयी है। हर प्रकार की असुविधाओं से निपटने के लिए समस्त जनपदों को सख्त निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री राम विशुन आजाद-

माननीय मंत्री जी जो कहते हैं। वह बिल्कुल गलत है। हैजा फैला हुआ है। वह गरीब और परेशान हैं। दवायें नहीं मुहैया हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग कहता है कि हैजा फैला नहीं हैं वहां 4 लोग मर चुके हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह मार्टिन पुरवा और राजाजीपुरम् स्वयं गये थे। जैसा कि श्री राम विशुन आजाद जी ने उल्लेख किया प्रदेश के अनेक जनपदों में हैजा फैला हुआ है। सिद्धार्थ नगर बस्ती, गोण्डा, आजमगढ़, बहराइच बाराबंकी में हैजा फैला हुआ है। मेरी कान्सीचुएन्सी में 10 लोग मर चुके हैं। गैस्ट्रो, कालरा से मौतें हुई हैं। लेकिन प्रभावी व्यवस्था नहीं की गई।

श्री समरपाल सिंह-

मेरे क्षेत्र में हररा गांव में हैजा फैला हुआ है।

* कुवंर रेवती रमण सिंह उर्फ "मणि"-

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश में जैसा कि श्री राम विशुन आजाद ने बताया हैजा फैला हुआ है। सरकार कहती है आन्त्रसोथ है। पूरे प्रदेश में कई मौतें हो गयी है। अभी 15 दिन पहले तक पूरे प्रदेश में कही पर भी दवा का छिड़काव नहीं किया गया है, जिसके कारण बीमारी फैल रही है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी दवा छिड़काव के निर्देश दे दें।

श्री रमापति शास्त्री-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में निर्देश दे दिए हैं। सारी व्यवस्था पूरी कर ली है।

श्री अध्यक्ष-

जरा कार्यान्वयन के बारे में भी देख लीजिए।

माननीय राम विशुन आजाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री को सुनने के पश्चात् में इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

दूसरी सूचना 9 माननीय सदस्यों की है। यह उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत परिषद् के अभियंताओं के अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चले जाने के संबंध में है। यह सूचना माननीय जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार तथा सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव, एवं श्री समरपाल सिंह, श्री कौकब हमीद, श्री परवेज हलीम, एवं कुंवर रेवती रमण सिंह, डा0 अशोक बाजपेयी, एवं श्री राम औतार शाक्य ने दी है। इस तरह से कुल 9 सदस्यों ने इस पर सूचना दी है। मेरा निवेदन है कि 3-4 माननीय सदस्य इस पर अपनी बात कह दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगदम्बिका पाल-

श्रीमन् मैं समझता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय विद्युत संकट की स्थिति है। यह अत्यंत लोक महत्व का विषय है। मैं समझता हूं कि जो कार्य स्थगन की चर्चा के लिए जो तीन बिन्दु हैं। ग्राह्यता के लिए वह पूरे होते हैं। मान्यवर, सूचना अविलम्बनीय होनी चाहिए, लोक महत्व की होनी चाहिए, तात्कालिक होनी चाहिए। आज पूरे प्रदेश के लगभग साढ़े चार हजार अभियंता हड़ताल पर चले गये हैं और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री द्वारा जो वार्ताक्रम चल रहा था। वह टूट गया है और इसी कारण पूरे प्रदेश में आनपरा, ओबरा और अन्य पावर स्टेशन हैं। उनके विद्युत उत्पादन पूर्णतयः ठप्प है। आज पूरे प्रदेश की दो इकाईयों में लगभग 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है आज उत्तर प्रदेश सरकार को विद्युत आपूर्ति देने के लिए एन0टी0पी0सी0 से 3 हजार मेगावाट बिजली आयातित करनी पड़ रही है।

आज तीन हजार मेगावाट बिजली का आयात करना पड़ रहा है। इससे 25 करोड़ रुपये का खर्चा पड़ रहा है। विद्युत परिषद् के अभियन्ताओं द्वारा पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन की मांग की गई है। केन्द्र द्वारा पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गई हैं। इन्हीं सिफारिशों के अनुरूप वह वेतन की मांग कर रहे है। इन्होंने पुनरीक्षित वेतनमान दिए हैं। जिसमें पांचवे वेतन आयोग के वेतनमान में विसंगति है। भिन्नता है। आज पूरे प्रदेश में 4300 अभियन्ताओं द्वारा हड़ताल पर चले जाने के कारण कई जिलों में 72-72 घंटे से बिजली नहीं आ रही है। राजधानी लखनऊ में ही कल बिजली की आपूर्ति की अनियमितता के विरोध में 9 जगह जाम लगा। अमीनाबाद जैसे बाजार में पूरे दिन जाम रहा। दो दिन से वहां बिजली नहीं आई। इसी तरह से अलीगंज में हालत रही।

राजधानी में लोग विद्युत उपकेन्द्र का घेराव कर रहे हैं। सरकार राजधानी में विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं कर सकी है। एक समाचारों में वक्तव्य आया है। जिसमें राज्य विद्युत परिषद् के अभियन्ताओं को देशद्रोही कहा गया है। जब यह अभियन्ताओं को देशद्रोही कह रहे हैं, तो समाधान किस तरह से निकलेगा। आप उनको रासुका में बन्द करने की धमकी दे रहे हैं। उनकी मान्यता समाप्त करने की बात कर रहे हैं। यह आग में घी डालने का काम करेगा। इस समय उत्तर प्रदेश में 5000 मेगावाट जनरेसन की आवश्यकता है जबकि उत्तर प्रदेश में केवल 300 मेगावाट प्रतिदिन विद्युत उत्पादन हो रहा है। इतने में पूरे प्रदेश की सप्लाई कैसे करेंगे? सरकार हठवादिता का रवैया अख्तियार कर रही है। इस रास्ते को छोड़कर उनकी समस्या के समाधान के लिए कोई रास्ता निकालने का प्रयास होना चाहिए। नहीं तो प्रदेश में जो विद्युत कठिनाई है, उससे गम्भीर संकट पैदा हो जायेगा। कृपया इस सूचना को चर्चा हेतु स्वीकार करें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, जिस तरह से यह सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर विफल रही है। उसी प्रकार ऊर्जा के मोर्चे पर इसकी विफलता की कहानी की जितनी निन्दा की जाए, कम है। सच्चाई तो यह है कि पिछले कुछ महीनों से पूरा उत्तर प्रदेश विद्युत के अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। कस्बे, गांव, जिला मुख्यालय इसके शिकार हुए हैं। मुझे जहां तक ज्ञात है कि इस सभा मण्डप में इसी सत्र में 5-6 बार बिजली गई। जबकि आप पीठासीन रहे। जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। विद्युत परिषद् में हड़ताल का सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। यह विद्युत विभाग में जो हड़ताल हुई है वह भ्रष्टाचार की परिणीत है। जब योग्य लोगों को हटाया जायेगा और अयोग्य लोगों को मेरिट के आधार पर नियुक्त किया जायेगा तो यही होगा।

आज की तारीख में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश को गिरवी रख दिया है। कहीं भी बिजली नहीं आपूर्ति हो रही है। दुख इस बात का है कि जब यह कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं। तो समस्या का समाधान खोजना चाहिए। लेकिन समाचार पत्रों में जैसा छपा है और हमारे सम्मानित सदस्य ने भी कहा है, उनसे भी मैं अपने को जोड़ता हूं। आन्दोलनकारियों को देशद्रोही कहा गया है। देशद्रोही की परिभाषा क्या होती है। अगर वह देशद्रोही हैं, तो आप देशद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आप से बड़ा देशद्रोही कौन होगा? देशद्रोही शब्द की गम्भीरता की जानकारी होनी चाहिए। कल तक आप उनको अच्छा बता रहे थे। इस तरह की बात आप न करें। वार्ता के जरिये इस समस्या का समाधान ढूँढा जाना चाहिये।

आनपारा जो सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादित करता है, आज बंद पड़ा हुआ है, ओबरा, जो एशिया का सबसे बड़ा प्लान्ट है, आज बंद पड़ा हुआ है, इसी तरह कई अन्य विद्युत गृह आज बंद पड़े हुए हैं। इस तरह से बिजली कहां से आयेगी। मान्यवर, यह किसी अक्षमता के कारण नहीं हो रहा है अपितु यह स्वार्थ के कारण हो रहा है। आज मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री के बीच में होड़ लगी है। यह दबाव की राजनीति कर रहे हैं, कौन किसको नीचा दिखाये इस वजह से यह सब हो रहा है। आप क्या करेंगे क्या नहीं, जनता को बिजली मिलनी चाहिये। आप कठोर कार्यवाही करें परन्तु भाषा पर नियंत्रण रखें और प्रजातंत्र का जो स्वरूप है, भाषा के जरिये उसका दुरुपयोग न किया जाये।

प्रोफेसर अवस्थी जी जो कई बार सदस्य रह चुके हैं, उनके यहां रात में पुलिस पहुंचती है। उनकी सोती हुई लड़की को जगाया जाता है और पुलिस इस तरह से उनको परेशान करती है। क्योंकि उनके परिवार का एक सदस्य अभियंता है। यह कितनी शर्मनाक बात है। वह लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। यह कितने घटियापन की सीमा है और उत्पीड़न की सीमा है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी इतने घटिया पर उतर आयें कि एक वरिष्ठ सदस्य की महिला को

इस तरह से उत्पीड़ित किया जाय। यदि इस प्रकार उत्पीड़ित किया गया तो हम चुप बैठने वाले नहीं है। माननीय मंत्री जी अवश्य कार्यवाही करें और हड़ताल को समाप्त करायें परन्तु पहले अपने भ्रष्टाचार को समाप्त करें और अपनी अक्षमता को देखें। प्रदेश की जनता का यह अधिकार है कि उसे बिजली मिलनी चाहिये।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

मान्यवर, यह प्रकरण अत्यन्त लोक महत्व का, सामयिक और तात्कालिक है तथा प्रदेश के जन-जीवन से जुड़ा हुआ है। 19 तारीख की रात्रि 10 बजे से विद्युत परिषद् के समस्त अभियंता बेमियादी हड़ताल पर चले गये हैं। श्रीमन्, आप स्वयं भी अवगत होंगे कि विद्युत परिषद् के अभियंता विगत अनेक महीनों से उत्तर प्रदेश सरकार से मांग कर रहे थे कि सरकार और उनके बीच पूर्व के वर्षों में जो यह समझौता हुआ था कि पांच वर्ष के बाद उनके वेतन का पुनरीक्षण किया जायेगा परन्तु सरकार ने अभियन्ताओं के साथ हुए समझौते का उल्लंघन करते हुए निर्धारित अवधि में उनके वेतन का पुनरीक्षण नहीं किया। अभियंता संघ का यह कहना था कि सरकार और हमारे बीच जो समझौता हुआ था, उसके उल्लंघन के साथ ही साथ पंचम वेतन आयोग की जो संस्तुतियां है, उनका भी उल्लंघन किया गया है। इस मांग को लेकर विगत अनेक महीनों से वे लोग शान्तिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार से कह रहे थे। परन्तु सरकार की हठवादिता के कारण तथा उदासीनता के कारण पूरे प्रदेश के अभियंता कल दिनांक 19-7-98 की रात्रि 10.00 बजे से हड़ताल पर चले गये। उदासीनता मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां उत्तर प्रदेश शासन के सचिव तथा विद्युत अभियन्ता संघ के बीच में जो वार्ता चल रही थी, उसी समय उत्तर प्रदेश के मा0 ऊर्जा मंत्री ने दूरदर्शन को यह बयान दिया कि अनपरा में जो अभियंता कार्यरत हैं, उन्होंने पावर हाऊस में तोड़-फोड़ की है इसलिए वे राष्ट्रद्रोही हैं। मा0 मंत्री जी के उक्त वक्तव्य ने शान्तिपूर्ण ढंग से चल रही समझौता वार्ता को विफल करने का काम किया।

(इस समय 12 बजकर 58 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए।)

उसका परिणाम यह हुआ कि कल सम्पूर्ण प्रदेश में अभियन्ताओं ने हड़ताल कर दी। श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से दो मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। तहसील स्तर पर पूर्णतया बिजली कटौती की जा रही है तथा जिला मुख्यालय पर 50 प्रतिशत बिजली कटौती की जा रही है। मान्यवर, जहां 1630 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाले अनपरा बन्द है, 630 मेगावाट क्षमता वाला पावर हाउस ओबरा पूरी तरह से बन्द है, तथा पनकी पावर हाउस भी बन्द है। कहीं पर भी उत्पादन का कार्य नहीं हो रहा है। जितने कंट्रोल रूम हैं, पनकी, मुरादाबाद, रूड़की, सारनाथ वे सब अभियन्ता विहीन हो गये है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। कुछ लिखा नहीं जायेगा।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

( × × ×)

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें। आपको अनुमति नहीं दी जा रही है। कुछ नहीं लिखा जा रहा है जो आप बोल रहे हैं।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

(× × ×)

श्री समरपाल सिंह-

अधिष्ठाता महोदय, यह विषय लोक महत्व का है, प्रदेश के जन-सामान्य से जुड़ा हुआ विषय है। श्रीमन्, इसी सत्र में कई बार प्रदेश के बिजली संकट के ऊपर चर्चा नियम-56 के अन्तर्गत सूचना देकर हमने करवाई है और प्रदेश के अन्दर जो बिजली का भयंकर बिजली संकट है। उसके बारे में सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे और चिन्ता प्रकट की। जिस समय उत्पादन हो रहा था। उस समय भी बिजली का संकट था और आज जबकि हड़ताल हो गई है और उत्पादन कार्य बिल्कुल ठप्प है। बिजली का अभूतपूर्व संकट प्रदेश के अन्दर है। कल रात्रि 10 बजे से प्रदेश के साढ़े चार हजार अभियंता हड़ताल पर चले गये हैं जिसका नतीजा यह हुआ कि पूरे प्रदेश के अन्दर बिजली का काम नहीं हो रहा है।

बिजली ऐसी चीज है, जो हर व्यक्ति को हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। धान की फसल का काम हो रहा है, आज बिजली न आने की वजह से वह प्रभावित हुआ है। उद्योग धन्धे बिजली न आने के कारण से प्रभावित हैं। दूसरी बात यह है कि यह लोग बिजली आयात कर रहे हैं। अनपरा और ओबरा बन्द पड़े हैं और एन0टी0पी0सी0 से विद्युत आयात हो रहा है। 20 करोड़ रुपये की रोज बिजली आयात करके प्रदेश को सप्लाई कर रहे हैं। जो अभियन्ता दिन रात मेहनत करके विद्युत उत्पादन करते हैं। उनकी कुछ करोड़ की मांग को पूरा करने पर विचार नहीं कर रहे हैं। यह बिजली का अभूतपूर्व संकट सरकार की अदूरदर्शिता की वजह से हुआ है। यह अकस्मात् नहीं हुआ। इन्होंने बहुत दिनों से कह रखा था, चेतावनी दी थी और मेमोरेन्डम भी दिया था। इनकी मांगे सरकार के विचाराधीन थी।

जो उन्होंने पंचम वेतन आयोग की मांगे की हैं। उनको पूरा नहीं किया, उनके संयम को आप देखें फिर भी सरकार को उन्होंने चार-पांच दिन का समय दिया कि चार-पांच दिन में आप रास्ता निकाल लें वरना हमें मजबूर होकर हड़ताल करनी पड़ेगी? मान्यवर, इन्होंने कुछ नहीं किया इसलिए उनको मजबूर होकर

---

नोटः- { × × × } यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

हड़ताल पर जाना पड़ा । आज सरकार ने उनकी एक भी बात को मानने से इन्कार कर दिया है । सरकार की कोई नीयत नहीं है, मुख्यमंत्री जी की कोई नीयत नहीं है कि हड़ताल समाप्त हो, बिजली का संकट समाप्त हो । इसके अलावा उत्तेजनात्मक बयान दिए जा रहे हैं । वह लोग हड़ताल पर चले गए तो क्या वह देशद्रोही हो गए ? क्या हड़ताल करना असंवैधानिक है ? महात्मा गांधी ने भी सिखाया था । हड़ताल करना, लेकिन मान्यवर, यह सरकार उनके हड़ताल करने पर उनको एन0एस0ए0 में बन्द कर देगी, उनको देशद्रोही की श्रेणी में रखा जा रहा है । पूरा प्रदेश चिन्तित है । रूड़की कन्ट्रोल रूम पूरी तरह से ठप्प है । इससे पूरे प्रदेश में उत्तेजना व्याप्त है ।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें ।

श्री समरपाल सिंह-

मान्यवर, दूसरे कन्ट्रोल रूम, पनकी मुरादाबाद, रूड़की सारनाथ कंट्रोल रूम, पनकी मुरादाबाद, पनकी पावर हाउस सब जगह उत्तेजना व्याप्त है । पूरे प्रदेश का जन-जीवन प्रभावित है ।

श्री अधिष्ठाता-

अब अंकित नहीं किया जायेगा ।

श्री समरपाल सिंह-

(× × ×)

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ "मणि"-

मान्यवर, आज इस गम्भीर प्रकरण पर पूरा सदन चिन्तित है । यह मामला उठा क्यों, सरकार की उदासीनता के कारण कदाचित सरकार संवेदनशील होती, सोचती, तो यह प्रकरण उठता ही नहीं, हड़ताल भी नहीं होती । कुछ दिन पहले मान्यवर, मैंने इसी सदन में नोटिस दिया था, इस पर बात भी की थी उस दिन ऊर्जामंत्री जी नहीं थे, संसदीय कार्यमंत्री जी हर चीज की गवाही देने के लिए खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कहीं संकट नहीं है, हम निपट लेंगे, समझ लेंगे । मान्यवर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एक दिन यही सवाल उठाया था त्रिवेणी इंजीनियरिंग मिल नैनी में बन्द हो गई, इसमें संसदीय कार्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि तत्काल कार्यवाही होगी, मेजा कताई मिल बन्द हो गई इस पर सवाल उठा ।

संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कार्यवाही होगी, आज कई हजार लोग विधान सभा के सामने धरना दे रहे हैं । विद्युत कर्मियों के लिए कुछ नहीं किया इसमें कोई उपाय आप करते । मान्यवर, अनपरा, ओबरा, हरदुआगंज बन्द है । यह आयातित बिजली प्रदेश को दे रहे हैं आयातित करने के बाद भी प्रदेश अंधकार में है । लखनऊ में अधिकांश मोहल्लों में अंधकार है, जाम लगे हुए हैं । विद्युत कर्मी मारे जा रहे हैं । सरकार को अगर कार्यवाही करनी है, तो इसकी कार्यवाही पहले करनी चाहिए थी अगर यह पहले कार्यवाही करते तो हड़ताल न होती । मेरा मानना है कि कई इकाईयां बन्द ही नहीं हो गई हैं अपितु इकाईयां खराब भी कर दी गई हैं इसमें निकट भविष्य में कोई उत्पादन होना संभव नहीं है ।

---

नोट:-{ × × ×} यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मेरा यह दावा हैं कि सरकार आने वाले दिनों में जो विद्युत का संकट है। उससे इस प्रदेश को उबार नहीं पायेगी। आप कर क्या रहे हो। इतने दिनों से वार्ता चल रही है। पांच करोड़ या चार करोड़ जो भी उनकी मांग है। हम उस पर जाना नहीं चाहते हैं। मेरी आपके माध्यम से यह मांग है कि यह तात्कालिक है और पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ सवाल है। इस पर सारा काम रोककर चर्चा कराई जाय और इसका हल आज ही सरकार से सदन में घोषित करायें कि सरकार इसके लिए क्या कराने जा रही है?

* डा0 अशोक बाजपेयी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश आज अभूतपूर्व विद्युत संकट से गुजर रहा है। इस संकट को टाला जा सकता था। विद्युत परिषद् के अभियंता से लगातार वार्ता करके। इससे इस समस्या का कोई समाधान निकाला जा सकता था। लेकिन सरकार के अविवेकपूर्ण और दंभपूर्ण रवैये के कारण इसका कोई सही हल नहीं निकल सका। मान्यवर, कल दिनांक 19-7-98को रात्रि 10.00 बजे से प्रदेश के सभी विद्युत अभियंता हड़ताल पर चले गये और जिससे इस प्रदेश में विद्युत का संकट पैदा हो गया। ओबरा और अनपरा का विद्युत उत्पाद शून्य हो गया है। आयातित होकर के कहीं-कहीं बिजली पहुंचाने का काम किया जा रहा है।

मान्यवर, विद्युत हमारे सार्वजनिक जीवन की आवश्यकता है। विद्युत अवरोधित हो जाने से न अस्पतालों में आपरेशन हो सकेंगे। आज पी0जी0आई में तमाम मरीज घूम रहे हैं। आपरेशन नही हो रहे हैं। यही हालत मेडिकल कालेज की है। पूरा जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है। मान्यवर, वैसे ही हम उद्योग के क्षेत्र में पिछड़े हैं, इस विद्युत संकट के कारण प्रदेश का उद्योग धन्धा शून्य हो जायेगा। इस समय किसान को सबसे अधिक आवश्यकता बिजली की है। धान की रोपाई में बाधा आयेगी, ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली नहीं मिलेगी। कृषि उत्पादन समाप्त हो जायेगा। कड़ाई से निपटने की बात आई है तो वैकल्पिक व्यवस्था की गई होती।

आपने इस सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम बनाया है कि विद्युत संयंत्र चलाये जा सकें। मान्यवर, हड़तालें जनतंत्र में हुआ करती हैं। जब कभी भी हमारी जायज मांगे नहीं मानी जाती हैं। तो धरना प्रदर्शन होते हैं। यही काम अभियंताओं ने किया है, लेकिन सरकार इतनी बर्बर हो जायेगी। मान्यवर, एक वरिष्ठ विधायक डा0 हरिकृष्ण अवस्थी जी जो विधान परिषद् के अनेक वर्षों तक सदस्य रहे। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। उनके घर पुलिस रात को इस तरह से घुसती है जैसे कोई माफिया का घर हो। उनकी लड़की जो विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष हैं उनके यहां की तलाशी ली जाती है। मान्यवर, जहां प्रदेश में माफिया आज स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों के यहां पुलिस बर्बर काम कर रही है यह निन्दा की बात है। यह एक जगह नहीं आज अनेक जगह पर घटनायें हो रही हैं। मान्यवर, इस विद्युत उत्पादन के सवाल पर चर्चा स्वीकार करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामऔतार शावय-

मान्यवर, विद्युत का सवाल जनजीवन से जुड़ा सवाल है। आप सहमत होंगें कि 80 फीसदी आबादी गांवों में रहती है, जब गांवों में पीक आवर हुआ करता है, उस समय बिजली के अभाव में जब किसान की लहराती फसल सूखने लगती है, तो उसके दिल और धड़कन का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इसका नतीजा यह होता है कि किसान पीड़ित होता है। उसकी क्रय शक्ति कम हो जाती है, वह आत्म हत्या के लिए भी तत्पर हो जाते हैं। किसानों की क्रयशक्ति ठीक होगी तभी गांव खुशहाल होंगे तभी शहर खुशहाल होंगें।

मान्यवर, यह उद्योगों प्रतिष्ठानों और छोटी-छोटी मजदूरी करने वालो से जुडा सवाल है। मान्यवर, जब इस प्रदेश के मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव जी हुआ करते थे, तब किसानों को 18 घण्टे से लेकर 22 घण्टे तक बिजली मिला करती थी। आज वही बोर्ड है, तो कौन सी ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि किसानों को लगातार दो-चार घण्टे भी बिजली नहीं मिल पा रही है। मान्यवर, हमारे यहां मैनपुरी में भोगांव क्षेत्र है, वहां बेवर से देहाती क्षेत्रों में एक माह से बिजली नही जा रही है। किशनपुर के जो भू माफिया हैं, बिजली काट दी जाती है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री राम औतार शाक्य-

ब्लैकमेलिंग करने के लिए ये काम करते हैं। बेवर सुल्तानगंज क्षेत्र में ये प्रक्रिया चल रहीं है। इस प्रक्रिया को रोका जाय। मानयवर, ये पहले ऊर्जा मंत्री हैं। रिक्शा वाले, होटल वाले, जन-जन में ये विख्यात हैं, इनकी विशेषताएं श्री प्रमोद जी ज्यादा जानते हैं। मान्यवर, अभी कुँवर साहब ने कहा, ये मान्यवर, जो हड़ताल हो रही है पहली बार अभियन्ताओं के जो प्रजातांत्रिक और संवैधानिक अधिकार हैं उनका हनन किया जा रहा हैं। मान्यवर, ये पहलें ऊर्जा मंत्री हैं, इससे पहलें किसानों का इतना अहित कभी नहीं हुआ, विभाग में इतना अधिक भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ। ये सरकार ये ऊर्जा मंत्री जी धन्य हैं। जिन्होंने प्रदेश को चौपट कर दिया है। मान्यवर, इस लोकमहत्व के प्रश्न पर आप चर्चा स्वीकार करें।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, विद्युत संकट और हड़ताल के संबंध में जो विचार हमारे कई माननीय सदस्यों ने प्रकट किये हैं उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए, यह कहना चाहूंगा कि इस प्रश्न को हल्कें फुल्के तरीके से नहीं लेना चाहिए। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी विशेष रूचि लेकर कोई तत्काल हल ढूढ़े। मुख्य मंत्री जी यहां हैं नहीं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ही इस समस्या का हल चन्द घण्टों में ही निकालें चूंकि सारा प्रदेश बिजली के संकट से ग्रस्त हैं, त्रस्त है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीषण नहीं किया है।

श्रीमन् यह तो ठीक है कि बड़े उद्योगपति हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उत्पादन का कार्य नहीं भी होगा 2-4 दिन, तो काई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो पावर लूम वाले गरीब लोग हैं, जो रोज उत्पादन करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, उनके ऊपर इसका कुप्रभाव पूरी तरह से पड़ेगा और उनके सामने रोजी-रोटी की समस्या पैदा हो जायेगी। श्रीमन् मैं यहां इस विषय में और चर्चा करके माननीय मंत्री जी से यह जरूर चाहूंगा कि इसका हल शीघ्र निकाले और अगर शीघ्र नहीं निकलता है, वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं, तो गावों में भी बिजली पहुचानें का कार्य करें। क्योंकि शहरों और कस्बों में आप वैकाल्पिक व्यवस्था कर देंगें लेकिन देहात और गांवों में जहां बिजली मिलती नहीं और जो विद्युत व्यवस्था है, वह पूरी तरह से ठप हो गयी है, छोटे कस्बों में बिजली न होने की बजह से पानी की दिक्कत पैदा हो गई है, पेय-जल का गंम्भीर संकट हैं, ऐसी स्थिति में देहाती क्षेत्र ज्यादा प्राभावित होगें इसके साथ ही साथ अगर वैकल्पिक व्यवस्था होती है। आप अपनी हट पर, जिद पर अड़े रहते हैं, गांवों में जो निर्धारित बिजली है। अगर वह नहीं मिलती है। तो जितना पैसा लेते हैं। उसको जरूर माफ कर देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस लोकमहत्व के प्रश्न पर जो अविलम्बनीय है, मेरी मांग है कि अन्य कार्यों को राककर इस पर चर्चा करा ली जाए जिससे इस पक्ष के और उस पक्ष के विचार आ जाएं और शीघ्र हल निकल सके।

(श्री राम जग द्वारा बोलने के लिए खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

जिन माननीय सदस्यों के सूचना पर हस्ताक्षर नहीं हैं, मैं उनको अनुमति नहीं दूंगा।

श्री राम जग-

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं नियमों का उल्लंघन नहीं करुंगा।

श्री राम जग-

मान्यवर, आपका विवेक है, आप मुझे अनुमति दे दें (व्यवधान)।

श्री अधिष्ठाता-

मेरा विवेक ही है कि मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप को इतनी दिलचस्पी थी, तो आपको नोटिस देनी चाहिए थी।

श्री राम जग-

( × × ×)

श्री अधिष्ठाता-

इनकी कही गयी कोई बात कार्यवाही में अंकित नहीं की जाएगी यह दुराग्रह ठीक नहीं है।

(श्री राम जग सदन के फ्लोर पर आ गये)

---

नोट :- ( ×× ) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कृपया अपने स्थान पर वापस जायें, मैं आपके इस व्यवहार को बिल्कुल उचित नहीं मानता हुं।

(श्री प्रमोद कुमार एवं श्री अम्बिका चौधरी के प्रयास श्री राम जग सदन के फ्लोर से वापस चले गये)।

* ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश अग्रवाल)-

मैं विपक्ष के सदस्यों को बधाई दूंगा कि जिन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को विधान सभा में उठाया है। माननीय प्रमोद जी ने भ्रष्टाचार की बात कही, मैं समझता हूं कि यह "सौ-सौ चूहे खाय के बिल्ली हज को चली" वाली कहावत को चरितार्थ कर रहें हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इस सरकार का कोई मंत्री अन्य किसी मंत्री को नीचा दिखाने में नहीं लगा है। माननीय प्रमोद जी याद कर लीजिये, यह परम्परा कांग्रेस में होती है। श्री प्रमोद जी ने यह भी कहा कि भ्रष्ट तरीके से अयोग्य इंजीनियर्स को बैठा दिया गया है, जबकि भाई समरपाल जी ने उन्हें ईमानदार कहा लेकिन जब बजट पर चर्चा हो रही थी, तब उन्होंनें इन्हीं इंजीनियर्स को भ्रष्ट बेईमान, चोरी में लिप्त, अपने मुख से कहा था, कार्यवाही में यह शब्द छपे हुये हैं। ठीक है, आज आप वह विचारधारा नहीं रखते हैं, लेकिन सरकार इस परिवर्तन को नहीं मानती है। श्री राम औतार शाक्य जी से कहना चाहूंगा कि आप अभी थोड़ा ट्रेनिंग लीजिये।

श्री अधिष्ठाता-

मंत्री जी आप पीठ को संबोधित करके अपनी बात कहें।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, चूंकि मेरा नाम लिया गया है, इस लिये मैं ऊर्जा मंत्री से कहना चाहता हूं कि हमको आपने ट्रेनिंग लेने की सलाह दी है। मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा वाले आपके स्कूल में मुझे ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ऊर्जा मंत्री से ट्रेनिग लेने की मुझे जरूरत नहीं है।

( × × × )

श्री प्रमोद कुमार-

( × × × )

श्री अधिष्ठाता- यह अंकित नहीं किया जायेगा। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:- ( ×× ) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

यह कार्यवाही में अंकित नहीं किया जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार-

(× × ×)

श्री नरेश अग्रवाल-

हमने कोई ट्रेनिंग कैम्प नहीं खोला है। अगर कांग्रेस से और सदस्य आयेगें तो ट्रेनिंग कैम्प खोल दूंगा। अगर कोई भ्रष्ट हैं, तो मैं नहीं कह सकता हूं। न मैं कभी बिना टिकट पकड़ा गया और न बिना टिकट चलने की आदत हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरा नाम आया है।

श्री अधिष्ठाता-

आप अपनी गरिमा का ध्यान रखें। माननीय मंत्री जी से और माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि यह विषय बड़ा गम्भीर है और इसी (लिये इसको नियम 56 में स्वीकार किया गया है। इसलिये विषय की गम्भीरता को देखते हुये व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप न लगाकर ग्राह्यता पर चर्चा हो, तभी हम किसी परिणाम पर पहुंच सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी, मा0 प्रमोद कुमार जी और मा0 राम औतार शावय जी व्यक्तिगत आरोप लगाने से बचायें और विषय की गम्भीरता को देखते हुये इस पर चर्चा करें। इसको हल्का न करें, तो अच्छा होगा।

श्री नरेश अग्रवाल-

20 और 22 घन्टे कभी भी किसानों को बिजली नहीं मिली है। कुंवर रेवती रमण सिंह जी बिजली मंत्री रह चुके हैं। आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया, किसी सरकार के जमाने में नहीं हुआ, आदेश दिखा दें जिसमें हो कि 20-22 घन्टे बिजली देने की बात कही गयी हो।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ "मणि"-

मैं बताना चाहता हूं कि 79 में देखे लें, सूखा पड़ा था, तो 20 घंटे बिजली दी गयी थी। मैं बता रहा हूं सन् 79 में दी गयी थी, आप निकलवाकर देख लें।

श्री नरेश अग्रवाल-

सरकार की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। जितनी बिजली देते हैं, उतनी ही एनाउन्स करते हैं। जहां तक दल के नेता ने हमें भ्रष्टाचारी बताया है, अपने नेता से पूछ लें हमको लेने के लिये कितने प्रयास किये।

---

नोट:-( × × × ) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 प्रमोद कुमार जी आप पर कोई आक्षेप नहीं किया है, (व्यवधान) आप बैठें, कुछ नहीं लिखा जाएगा।

श्री नरेश अग्रवाल-

श्रीमन् हम उनकी ऐसी बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहता हूं, जो स्वयं नंगें हों उनका जवाब नहीं देना चाहते हैं। हम यथार्थ में आना चाहते हैं। राज्य विद्युत परिषद् में 93000 कर्मचारी हैं, कल से हमारी बात चल रही है, राज्य विद्युत परिषद् के जो मुख्य युनियन है उनके साथ समझौता किया है आज सुबह ही समाचार पत्रों में वह प्रकाशित हुआ है, 75,000 से 80,000 के बीच कर्मचारी जिन्होंने हड़ताल की नोटिस दी थी। उसे वापस ले लिया है। पावर इंजीनियर एशोसियेशन से लगातार वार्ता चल रही है, चूंकि मुझे यहां सदन में जबाब देने के लिए आना था। मैं चला आया, हमने सही वेतनमान दिये हैं, इसको देने पर राज्य विद्युत परिषद् पर 600 करोड़ का बोझ आया है और 17 करोड़ प्रतिमाह वेतन के रूप में दे देने पर बोझ आ रहा है। राज्य विद्युत परिषद् 1.5 करोड़ प्रतिमाह घाटे पर चल रहीं है। ऐसी स्थिति में क्या यह वेतन कम दे रहें है? राज्य विद्युत परिषद् के वेतनमान पूरे देश के सब अभियन्ताओं से ज्यादा है।

हमने राज्य कर्मचारियों की बातों को न मानते हुए उसके बाद भी जो उचित था, वेतनमान स्वीकार किया है। हम पूरे देश के विद्युत अभियन्ताओं से ज्यादा वेतनमान दे रहें है। इसके बाद भी यह हठधर्मी करना यह देशद्रोह नहीं है। कल से हड़ताल की नोटिस दी थी और दो दिन पहले जो हमारा सबसे अच्छा अनपरा विद्युत गृह था। उन्होनें बन्द कर दिया। आज जबकि एक चौथाई उत्तर प्रदेश बाढ़ से ग्रस्त है। अस्पतालों, बाढ़ गस्त क्षेत्रों जलआपूर्ति और यहां तक कि रेलवे को ठप्प करने की धमकी दे रहें हैं तो यह सरकार उनकी हठधर्मिता के आगें नहीं झुकेंगें ऐसे में अगर हमें रासुका से ज्यादा कोई कानून लगाना पड़े हम उसके लिए भी जाने को तैयार हैं। श्रीमन् अगर हमें इस बात के लिए पूरी जनता के पास भी जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार है। ऐसे भ्रष्ट बेइमान और निकम्मों को हम देशद्रोही न माने तो और क्या कहेंगें? ऐसे में जनता राज्य विद्युत परिषद् के हित में जो फैसला लेना चाहें हम उनके साथ है।

प्रदेश की जनता मात्र चार हजार इंजीनियरों के साथ नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी पूरा करने का प्रयास कर रहें है। यह सही है कि हमारा थर्मलपावर जनरेशन गिरा है। लेकिन हाइड्रो पावर जनरेशन को हमने बढ़ाया है और बाहर से भी हम आयात कर रहें है और हम प्रदेश में विद्युत आपूर्ति में कमी नहीं होने देगें। इस समय हम प्रदेश की जनता को विद्युत देने का भरसक संकल्प कर रहें हैं। आप भले ही इस वक्त तीन-चार हजार की संख्या में जो अभियन्ता हड़ताल पर है। इनका प्यार लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको जनता का प्यार नहीं मिल पाया जनता ने आपकों नकार दिया विद्युत् परिषद्

के अभियन्ताओं की क्रेडीविलिटी जनता में बिलकुल नहीं है। डिस्ट्रीव्यूशन सिस्टम को पैरेलाइज करने की कोशिश कर रहें है। ऐसे में जनता उनके पक्ष में कभी नहीं होगी तो ऐसे में भी हम अभियन्ताओं के इस कार्य को राष्ट्रद्रोह न माने तो और क्या कहें? हमारे वह भाई अगर इसको राष्ट्रद्रोह न मानते हो तो अपनी डिक्शनरी में इसे लिख ले, कि इसे क्या कहते हैं?

उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार की डिक्शनरी में ऐसा शब्द नहीं है, जो जनता के साथ अन्याय करने को कृतसंकल्प है। उनको राजद्रोही की संज्ञा दी जायेगी और उनके आचरण को राजद्रोह मानेगें। इसके बावजूद भी मेरी उन लोगों से अपील है कि इससे पहले कि जनता उनका आमना सामना करने को तैयार हो जाय उससे पहले वह जनहित में अपने काम पर वापस चलें आयें। सरकार कल से नयी भर्ती करने जा रही है। सरकार झुकने को तैयार नहीं है। हमने डी0एम0, एस0पी0, कमिश्नर्स से कहा है कि अभियंताओं के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय। अभी पूर्व माननीय सदस्य का नाम लिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होता है कि हर लायक बाप का बेटा लायक ही हो। इतिहास में कहीं नहीं लिखा है कि हर लायक बाप का बेटा लायक ही निकला।

इस हड़ताल के विरोध में जनता का अभियंताओं पर दबाव है, आप भी दबाव दीजिये। तमाम लोंगों को जिनको आपने रखवाया है। उनसे कहें कि काम पर लौट आयें। अगर डिस्ट्रीव्यूशन का कोई अभियंता हड़ताल पर जायेगा तो हमने तय किया है कि उसको कभी भी डिस्ट्रीव्यूशन में नहीं पोस्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश की यह सरकार जनता के प्रति पूरी तरह से संकल्पित है। हम जनता के हित को ध्यान में रखकर उसका अहित नहीं होने देंगें। मान्यवर, यह न कहीं पर अविलंबनीय है, न कहीं लोक महत्व का है और न कहीं अंधकार है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसको नियम 56 में स्वीकार न करें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

नियम 56 में यह परम्परा नहीं रही है।

माननीय जगदम्बिका पाल, माननीय समरपाल सिंह, माननीय रेवती रमण सिंह, माननीय अशोक बाजपेयी, माननीय राम औतार शावय और ऊर्जा मंत्री को सुनने के बाद मैं सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री धनीराम वर्मा-

मान्यवर, यह सरकार विद्युत व्यवस्था ठीक करने में अक्षम है हड़ताल से पूरा प्रदेश प्रभावित है। इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का वहिष्कार करता है।

(श्री धनीराम वर्मा अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्यागकर चले गये)
(शोर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, बिजली, से पूरा प्रदेश प्रभावित है । सरकार हड़ताली कर्मचारियों को उकसाने की कार्यवाही कर रही है । उसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से वर्हिगमन करता है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों सहित सदन को त्यागकर चले गये)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, पूरा प्रदेश बिजली अभियंताओं की हड़ताल से प्रभावित है । माननीय मंत्री जी के भ्रष्टाचार से पूरा प्रदेश प्रभावित है । इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों के सहित सदन को त्यागकर चले गये)

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, बिजली संकट के कारण पूरा प्रदेश प्रभावित है । सरकार कोई व्यवस्था करने में असमर्थ है । इसके विरोध में मैं और मेरा दल मदन का त्याग करता है ।

(श्री कौकब हमीद अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री सुवाष चन्द्र श्रीवास्तव-

मान्यवर, सरकार बिजली नहीं दे पा रही है जिससे पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है । इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री सुवाष चन्द्र श्रीवास्तव अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्यागकर चले गये ।)

श्री राम जग-

सरकार बिजली व्यवस्था करने में पूरी तरह से फेल है इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री राम जग अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्यागकर चले गये ।)

(डा0 धर्मज्ञ मिश्र का नाम पुकारे जाने पर और उनके अनुपस्थित होने पर)

*श्री सतीश जतारिया-

मान्यवर, लगभग एक महीने से मेरे पास गनर नहीं है । जगह-जगह सदस्यों के साथ घटनायें हो रही हैं मैं व्यक्तिगत रूप से दो बार संसदीय कार्यमंत्री से कह चुका हूं लेकिन मेरी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है । मेरे गनर का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ट्रॉन्सफर किया गया मैं असुरक्षा महसूस कर रहा हूं। यदि मेरे कहने के बावजूद भी मेरी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जाती, तो मैं समझता हूं कि यह सरकार विधायकों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर नहीं है। मेरी सुरक्षा व्यवस्था की जाय।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री सतीश जतारिया को एक गनर निःशुल्क अनुमन्य है। दि0 11-12-97 को 1002 सी0पी0 मोहन लाल नाम का गनर दिया गया जो दिनांक 26 अप्रैल, 1998 तक नियुक्त था। इसको विधायक जी द्वारा वापस कर दिया गया इसके बाद 26-4-98 से रमेश सिंह सेंगर हेड कान्सटेबिल दिया गया जो 20-6-98 से छुट्टी पर चला गया। दिनांक 21-6-98 से एक कान्सटेबिल ए0पी0 बाबूलाल नियुक्त किया गया है मेरी सूचना के अनुसार माननीय सदस्य को गनर उपलब्ध कराया गया है जिसका नाम ए0पी0 बाबू लाल है माननीय सदस्य कहते हैं, नहीं है, तो उसकी जांच करा लेंगे।

श्री सतीश जतारिया-

मेरे पास एक महीने से गनर नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

यह माननीय सदस्य की सुरक्षा संबंधी मामला है, माननीय सदस्य की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करायें। अगर गनर नहीं भेजा गया है, तो उसको उपलब्ध करायें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरी जानकारी है कि गनर उपलब्ध है। अगर नहीं गया है, तो जिस अधिकारी ने गल्ती की होगी उसके विरुद्ध कार्यवाही निश्चित रूप से की जायेगी। अगर गनर उपलब्ध है तो फिर उपलब्ध तो है ही।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय श्री सतीश जतारिया और संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

अगली सूचना माननीय राजेन्द्र यादव की जनपद गाजीपुर के कोआपरेटिव बैंक के वरिष्ठ प्रबन्धक द्वारा कथित रूप से ग्रामीण किसानों के फर्जी नाम पर बैंक से करोड़ो रुपये निकाले जाने के संबंध में है।

डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

मान्यवर, एक सूचना मेरी थी।

श्री अधिष्ठाता-

आपका नाम पुकारा गया आप अनुपस्थित थे।

श्री राजेन्द्र-

मान्यवर, जनपद गाजीपुर के कोआपरेटिव बैंक से एक करोड़ रुपये का घपला हुआ है। मान्यवर, एक वर्ष पहले बैंक के शाखा प्रबन्धक द्वारा किसानों के नाम पर फर्जी ट्रैक्टर, भैंस, बैल, थ्रेसर के नाम पर ऋण ले लिया गया।

जब तक शाखा प्रबन्धक उस बैंक में तैनात थे, तब तक काश्तकारों के यहां वसूली नहीं गई, उनके यहां से हटने के बाद किसानों एवं खेत मजदूरों के यहां वसूली के नाम पर आर0 सी0 जारी कर दी गयी और अब वह काश्तकार जेलों में बन्द किये जा रहे हैं और वह रो रहे हैं। मैं कई बार इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख चुका हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सी0आई0डी0 की रिपोर्ट के बाद शाखा प्रबन्धक जेल में बन्द हैं और यह साबित हो गया है कि शाखा प्रबन्धक ने एक करोड़ रुपये का घोटाला किया। मान्यवर, जिन किसानों के ऊपर आर0 सी0 जारी की जा रही है, उनकी वसूली स्थगित की जाये और शाखा प्रबन्धक से रिकवरी की जाये।

(श्री पीतम राम के अनुपस्थित होने पर)

सहकारिता मंत्री "पटेल" (राम कुमार वर्मा)-

मान्यवर, गाजीपुर जनपद में किसानों के नाम फर्जी ऋण देने के आरोप में पूर्व वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक कपिल देव सिंह के विरुद्ध 93 और 1995 में क्रमशः अपराध संख्या 96/93 व 221/95 रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। उन्हें 6-6-98 को जेल भेज दिया गया है। सम्बन्धित प्रकरण में सहकारिता प्रकोष्ठ द्वारा विवेचना की जा रही है। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि किसी भी किसान व मजदूर से कोई फर्जी ऋण की वसूली नहीं की जायेगी और ऋण न लेने वाले किसानों का उत्पीड़न न हो इसे भी सुनिश्चित किया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

श्री राजेन्द्र एवं माननीय सहकारिता मंत्री जी सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य करते हुए निरस्त किया जाता है।

सातवीं सूचना श्री दिलीप कुमार वर्मा की जनपद-बहराइच के हरदी थाना निवासी श्री सुरेश्वर सिंह द्वारा मा0 सदस्य को जान से मारने की धमकी दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री अम्बिका चौधरी एवं श्री राम तेज यादव एडवोकेट की जनपद-रायबरेली के जिला चिकित्सालय में कार्यरत प्लास्टिक सर्जन डा0 एन0एस0 माथुर एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा0 जी0आर0 शर्मा की ड्यूटी के समय पिटाई किये जाने से पी0एम0एस0 संवर्ग के डाक्टरों में व्याप्त रोष एवं जनपद की चिकित्सा सेवाओं पर पड़ रहे दुष्प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है एवं नवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की नवगठित जनपद-अम्बेडकर नगर में शामिल किये गये जनपद-आजमगढ़ के ग्रामों की स्पष्ट जानकारी खण्ड विकास अधिकारियों को न होने के कारण ग्रामीणों को मिलने वाली, चीनी, मिट्टी का तेल आदि की सुविधाओं के न मिलने से ग्रामवासियों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में है, पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाओं को नियम-56 के अन्तर्गत चयनित नहीं किया गया है, अतः अस्वीकार की गयी - वे हैं श्री उदयराज यादव, श्री रामललित चौधरी, श्री भगवती प्रसाद सागर एवं राजाराम पाल, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री लालजी वर्मा, श्री सतीश जतारिया, श्री मूलचन्द्र, श्री फरीद महफूज किदवई, श्रीचन्द्र नाथ सिंह, श्री आर0 के0 चौधरी, श्री अफजाल अंसारी, श्री भोनू श्री कैलाश यादव।

डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना है।

श्री अधिष्ठाता-

जब आपका नाम पुकारा गया, तब आप अनुपस्थित थे।

## उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1998 (पारित)

* पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलिब्धयां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा 5 के उपबंधों के अधीन विधान सभा तथा विधान परिषद् के प्रत्येक सदस्य ऐसे मूल्य के रेल कूपन पाने के हकदार हैं जैसा कि रेलवे बोर्ड के परामर्श से निर्धारित किया जाय। कूपन वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदस्य प्रतिवर्ष 38,500 रुपये से अनधिक मूल्य के रेल कूपन पाने के हकदार थे।

रेल किराये में वृद्धि होने के कारण और सरकार द्वारा विनिश्चय लिये जाने की प्रत्याशा में तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष ने दिनांक 4 मार्च, 1991 के आदेश के अनुसरण में विधान सभा के सदस्यों को 6500 रुपये मूल्य के रेल कूपन इस अनुबन्ध के साथ जारी किये गये थे कि यदि अधिनियम को संशोधित नहीं किया गया तो उक्त रेल कूपन अनुगामी वर्ष में समायोजित कर लिये जायेंगे। किन्तु 4 अप्रैल, 1991 को विधान सभा विघटित हो जाने के कारण अधिनियम में संशोधन नहीं हो सका और इस प्रकार सदस्यों को दिये गये अतिरिक्त रेल कूपन समायोजित नहीं किये जा सके। मान्यवर, पुराने कूपन जो जारी किये गये थे, माननीय सदस्यों को उसके लिए अधिकार नहीं था। उसके समायोजन का मामला है।

...लेकिन क्योंकि मा0 अध्यक्ष ने आज्ञा दी, निर्देश दिये थे, उनके निर्देश का पालन करते हुए जारी किए गए थे। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसको पारित किया जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

कोई माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहें।
(किसी सदस्य द्वारा अपने विचार न रखने पर)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**खण्ड-2, खण्ड-1 प्रस्तावना तथा शीर्षक**

**उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1998**

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा 5 में, शब्द और अंक "दिनांक एक जून, 1997 से पचासी हजार रुपये प्रति वर्ष से अनधिक" के स्थान पर शब्द और अंक "दिनांक पहली जून, 1990 से 15 अगस्त, 1991 तक की अवधि के लिए पैंतालीस हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक, दिनांक 16 अगस्त, 1991 से पहली मई, 1994 तक की अवधि के लिए चौवन हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक, दिनांक 2 मई, 1994 से 31 मई, 1997 तक की अवधि के लिए पैंसठ हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक और दिनांक पहली जून, 1997 से पचासी हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक" रख दिये जायेंगे। — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 5 का संशोधन

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

**सन् 2000 से पूरे देश में शुरू होने वाली जनगणना से प्राप्त आंकड़ों का प्रदेश में बहुउद्देशीय प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में श्री अम्बरीष कुमार द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा**

श्री अम्बरीष कुमार-

...अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण चर्चा इस सदन में प्रारम्भ करना चाहता हूं। सन् 2000 में जो जनगणना हो रही हैं। पूरे देश में उससे जो आंकड़े उपलब्ध होंगे। उनके बहुउद्देश्यीय प्रयोग के संबंध में आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। जब हमने इस देश में स्वतंत्रता प्राप्त की तो स्वतंत्रता हासिल करते समय हमने इस देश के नागरिकों से वायदा किया था। हम आपको राजनैतिक, न्याय देंगे, सामाजिक न्याय देंगे, और आर्थिक न्याय भी देंगे। यह देश कानून से चलेगा। इसका शासन संविधान और कानून के अनुसार चलेगा। लेकिन आजादी के स्वर्ण जयन्ती वर्ष में एक विडम्बना है कि आज भी बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी हैं, जो नियम और कानून के अनुसार नहीं चल पा रही हैं।

हमारे इस देश में वयस्क मताधिकार है। इसके लिए सन् 1960 में निर्वाचन पंजीकरण नियम भी बनाए गए थे। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि उन नियमों में यह कहीं भी उल्लेख नहीं है कि जो निर्वाचक नामावलियां बनाएंगे वह कब अप-टू-डेट की जायेगी। उसका तरीका क्या होगा। उसको कौन करेगा? यह कोई व्यवस्था नहीं है। सिवाय एक व्यवस्था के कि हमारे जो क्षेत्र हैं, चाहे एसेम्बली के क्षेत्र हों या लोक सभा के निर्वाचन क्षेत्र हों जब उनका पुर्नसीमांकन होगा, तो उसके आधार पर निर्वाचक नामावलियां अप-टू-डेट की जायेंगी। 1976 में जब से संविधान में संशोधन हुआ है, दो हजार तक निर्वाचन क्षेत्रों का पुर्नसीमांकन नहीं होगा। आज लोकतंत्र एक लेखपाल के हाथ में है। जिसके माध्यम से निर्वाचक नामावलियां बनाने का काम होता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह विषय उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं है। लेकिन अगर सरकार इस सदन की भावनाओं से सहमत है, तो केन्द्र सरकार से यह प्रस्ताव भिजवाने का काम करे। सन् 2000 में जो जनगणना होने जा रही है, अगर उसके आधार पर हम निर्वाचक नामावलियां बनवाने का काम करें, तो उसके पश्चात् प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक जो

हमारे यहां जन्म और मृत्यु के रजिस्टर जो ब्लाक स्तर या नगर पालिका में रखे जाते हैं। उसके आधार पर निर्वाचन नामावलियां पुनरीक्षित करने का काम करें, तो कुछ हद तक जो लोकतंत्र को सववर्ट करने का काम किया जाता है। उससे काफी हद तक मुक्ति मिल सकती है। आज यदि कोई लेखपाल तथा एस0डी0एम0 चाहे, तो वह पांच हजार वोट बढ़ा सकता है या घटा सकता है, जिससे लोकतंत्र में जो मूल अधिकार होता है, वह सववर्ट हो जाता है अर्थात मूल अधिकार खिसक जाता है। जब किसी प्राईमरी स्कूल के अध्यापक तथा लेखपाल को वोटर लिस्ट बनाने के लिये भेजा जाता है, तो वह अपनी विचारधारा के आधार पर पूरी की पूरी लोकेलिटी को छोड़ देता है, जिसका बहुत हद तक जनादेश पर प्रभाव पड़ता है।

इसलिए सुझाव के रूप में अगर उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से यह कहे कि निर्वाचक नामावली हर 10 साल के बाद होने वाली गणना से उसे सम्बद्ध कर दिया जाय तथा उसको अद्यतन करने के लिये हर साल 31 दिसम्बर तक जो हमारे जन्म-मृत्यु के रजिस्टर हैं। ब्लाक स्तर पर और नगर पालिका स्तर पर उनसे सहायता ली जाय, इसमें कोई फिजूल खर्ची भी नहीं होनी है, फर्जी वोटर की लिस्ट बनाकर जो लोगों के साथ राजनैतिक अन्याय हो रहा है, आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर हमें यह संकल्प लेने का काम करना होगा कि हम जनादेश को फर्जी वोट के द्वारा बदलने का काम नहीं होने देंगे, तो इससे जनतंत्र की एक बहुत बड़ी सेवा होगी।

मान्यवर, राशन कार्ड हमारे यहां बनते हैं। सभी जनप्रतिनिधि इस बात को जानते हैं कि कितने राशन कार्ड फर्जी बनते हैं। कुछ राजनैतिक लोग तो स्थानीय स्तर पर यही काम करते हैं कि कितने फर्जी राशन कार्ड बनाये जायं। इसी प्रकार जो राशन डीलर हैं, वह भी 100-200 फर्जी राशन कार्ड बनाते हैं, जिससे होता यह है कि जिसे राशन मिलना चाहिये उसका वह हक नहीं मिल पाता है और फर्जी राशन कार्ड के जरिये वह डीलर राशन को काले बाजार में बेचने का काम करता है। इसलिए राशन को भी 2000 में होने वाली गणना से जोड़ दिया जाय और साथ ही जन्म-मृत्यु के जो रजिस्टर हैं, उन्हें अद्यतन कर दिया जाय, जिससे इस समस्या पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है।

मान्यवर, जितने व्यक्तियों का राशन कार्ड होता है, वह पूरा राशन मिल नहीं पाता है। 1991 की जनगणना के आधार पर ही कोटा निर्धारित किया जाता है। 10 साल से पहले और कोई तरीका है नहीं। हम सही ढंग से केन्द्र सरकार को आंकड़े उपलब्ध करा सकें कि हमारी जनसंख्या क्या है और हमारी आवश्यकता क्या है, पिछले 10 वर्षों में हमारे यहां जो जन्म मृत्यु के रजिस्टर हैं, उसी की गणना के आधार पर हम आंकड़े दे सकते है। यदि हम 31 दिसम्बर तक इन्हें अद्यतन कर सकें, तो हम केन्द्र सरकार से कह सकते हैं कि ये हमारे रजिस्टर हैं और यह हमारी जनसंख्या है, इसलिए हमें इतना अनाज मिलना चाहिये और इतना मिट्टी का तेल मिलना चाहिये आदि।

मान्यवर, जहां तक विकास का प्रश्न है । आज जो हमारी आई0आर0डी0पी0 योजना है या दूसरी अन्य योजनायें हैं तथा नगरों में जो हमारी रोजगार की योजनायें हैं चाहे वह मलिन बस्ती का कार्यक्रम हो चाहे वह गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जनगणना का प्रश्न हो । उनके लिये जब कोई योजना प्रारम्भ करते हैं तो सर्वेक्षण का काम शुरू करना होता है जिसमें संसाधनों का अपव्यय होता है शक्ति का अपव्यय होता है । अगर जनगणना के आंकड़ों को बहुउद्देशीय बनाने के उद्देश्य से कार्य करें कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले कितने लोग हैं, कितने मध्यम लोग हैं, एक कालम बनाकर यह भी प्रविष्टि की जाय तो यह सारी सूचना हमारे पास आ जाय और हर साल हम उसको अप-टू-डेट करते रहें तो शासन की जो योजनाएं लागू करनी होती हैं वह समय से लागू हो जायं । सर्वेक्षण आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण हम ठीक से योजनाएं नहीं बना सकते । वृद्धावस्था पेंशन को ही ले लें ।

अगर आंकड़े उपलब्ध हैं कि कितने लोग किस आयु वर्ग के हैं तो जैसा मैंने पहले बताया कि हम आंकड़े अप-टू-डेट करते रहें तो शासन को सुविधा होगी । हर साल वृद्धावस्था में कितना पैसा देना चाहती है । हर जिले हर तहसील में हाहाकार मचा हुआ है । बहुत लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है । सरकार की अपनी सीमा है, सरकार का अपना बजट है और वह उससे ज्यादा दे नहीं सकती । मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं सरकार से और सदन से कि अगर हम दो हजार की जो जनगणना है वह आंकड़ों का बहुउद्देशीय बनाने के हिसाब से करेंगे तो उससे निर्वाचन नामावली में, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को भेजने में, प्रदेश स्तर पर योजनाओं को लागू करने में बहुत मदद मिलेगी ।

केन्द्र सरकार से जो योजनाएं आती हैं उनके कार्यान्वयन में सहायता मिलेगी । हमारे यहां व्यक्ति आधार पर यह कार्य कराया जाता है और वह सर्वेक्षण किस पूर्वाग्रह से, किस आधार पर करता है । कोई मापदण्ड नहीं है । मैं सरकार से और इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से हमारी योजनायें निष्फल हो जाती हैं निरर्थक हो जाती हैं अतः व्यक्ति आधार पर आधारित व्यवस्था को बदलना होगा और उसके स्थान पर एक ऐसी व्यवस्था लागू कर दें जिससे हमारे यह सब काम सही तरीके से हो सकें और हम लोगों को राजनैतिक लाभ भी दे सकते हैं जैसा कि संविधान में वायदा किया है लोगों को आर्थिक और समाजिक न्याय मिल सकेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपील करना चाहता हूं सरकार से कि इस पर विचार करे और जो सुझाव केन्द्र सरकार को भेजने हैं वह केन्द्र को भेजें और जो जिन सुझावों पर अपने स्तर से कर सकती है अपने से उनको स्वीकार करके लागू करें ।

(कृषि मंत्री) श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय अम्बरीष जी एक योग्य और सम्मानित सदस्य हैं । मान्यवर, जो जनगणना का कार्य होता है यह जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि भारत सरकार के निर्देश पर किया जाता है और

भारत सरकार ही इसका व्यय भार वहन करती है। माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा जिस पर चर्चा स्वीकार हुई उसमें बिन्दु यह है कि जनगणना को बहुउद्देशीय बनाया जाय। अपने भाषण में माननीय सदस्य ने यह बात उठाई कि इसको निर्वाचन नामावली से जोड़ा जाय। एक बात और आई जन्म और मृत्यु के रजिस्टर से इसको जोड़ने की। मान्यवर, जन्म और मृत्यु से संबंधित रजिस्टर होता है इसके लिए उत्तर प्रदेश में कानून बना है। यह जरूरी है और हर व्यक्ति का दायित्व माना गया है कि किसी के परिवार में जन्म या मृत्यु हो तो संबंधित रजिस्टर में दर्ज कराये। जनगणना और जन्म, मृत्यु दोनों का भिन्न स्वरूप है। जनगणना भारत सरकार के निर्देशों से हर दस वर्ष में एक बार कराई जाती है। 1991 के पूर्व जब जनगणना होती थी तो वह केवल कितने व्यक्ति हैं, और कहा हैं, किस गांव में कितने लोग रह रहे हैं किस ब्लाक में कितने लोग रह रहे हैं, किस जिले में कितने लोग रह रहे हैं। यह होनी थी वर्ष 1991 में जो जनगणना हुई उसको स्वतः ही बहुउद्देशीय बना दिया गया। वर्ष 1991 की जनगणना में सारे तथ्य लिखे गए कि आमदनी के स्रोत क्या है, आमदनी का स्तर क्या है, सीमान्त कृषक हैं या लघु कृषक है, पेशेवर हैं तो क्या पेशा करते हैं। जातियों क्या हैं, कितने लोग कहां रह रहे हैं, गरीबी की रेखा से नीचे कितने लोग रह रहे हैं। जो जनगणना का कार्य बहुउद्देशीय भारत सरकार के निर्देश पर बना दिया गया। इसकी किताब कदाचित् नियोजन विभाग में उपलब्ध है। इसका उपयोग जितने प्लानिंग हो रहे हैं सभी में इसका उपयोग किया जाता है। जिस विभाग को आवश्यकता रहती है, वह नियोजन विभाग से आंकड़े प्राप्त करते हैं कि कहां गरीबी की रेखा से नीचे लोग रह रहे हैं।

कितने शहरी लोग हैं कितने ग्रामीण लोग हैं कितने खेतिहर किसान हैं, किस जाति के हैं यह सारी चीजें 1991 की जनगणना की किताब में उपलब्ध हैं। जनगणना का कार्य जब प्रारम्भ होता है तो विभाग के सब लोग मिलकर इसको करते हैं। साल भर यह कार्य चलता है। प्रतिवर्ष इस कार्य को कराया जाय इसमें अच्छा खासा समय लगता है, इसलिए यह संभव नही है। दूसरे भारत सरकार इस बात की अनुमति नहीं दे रही है। एक जनगणना के आंकड़े आ गए उसके आधार पर नियोजन किया, प्लानिंग किया, उसका रिजल्ट तुरन्त नहीं आ पाता है। एक बार नियोजन हमने किया उसके वया काम हैं इसके रिजल्ट के लिए समय चाहिए। अगर प्रतिवर्ष करें तो उसके रिजल्ट प्रतिवर्ष नहीं मिलते हैं।

इसे बहुउद्देशीय बनाने के लिए हम कहां गरीबी की रेखा से नीचे लोग रह रहें, कितने लोग रह रहे हैं, यह आंकड़े, लेकर उसका उपयोग करें। कहां अनुसूचित जाति के लोग रह रहे हैं उन बस्तियों को कैसे अच्छादित करें, इसमें कार्य कर सकते हैं। मान्यवर, अम्बरीष जी द्वारा राशनकार्ड के बारे में कहा गया। जनगणना के लिए कहा कि आबादी बढ़ सकती है गांव की आबादी के आधार पर

आंकड़े पेश करते हैं तो केन्द्र सरकार इसको नहीं मान रही है। प्रतिवर्ष जनगणना की बात प्रैक्टिकल मालुम नहीं पड़ रही है। प्रतिवर्ष कैसे इसको किया जाय। जब तक भारत सरकार निर्देशित नहीं करती है तब तक सरकार कर नहीं सकती। जहां तक निर्वाचक नामावली दुरुस्त करने की बात है इसे इलैक्शन कमीशन करता है। तब तक आदेश नहीं होगा तब तक निर्वाचक नियमावली में परिवर्तन या परिवर्धन नही कर सकते हैं। तो यह सारी सुविधायें स्वतः उपलब्ध हैं। बहुउद्देशीय जनगणना 1991 में हुई है। हमारा सारा नियोजन उसी आधार पर किया जा रहा है। 10 वर्ष में कितनी कमियां रही हैं, कहां पर नियोजन हुआ, कौन से क्रियाकलाप नहीं फल दे सके इसमें समय लगेगा इसका रिजल्ट आने में। प्रतिवर्ष किया जाना यह संभव नहीं है और यह औचित्य नहीं बनता है।

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो कुछ कहा शायद भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। मेरा आशय यह नहीं था। इतना तो मैं भी जानता हूं कि जनगणना कराने का काम केन्द्र सरकार का है और प्रतिवर्ष चाहें तो यह संभव नहीं है। मैंने शुरू में ही निवेदन कर दिया था कि जैसा कि जनगणना प्रति दस वर्ष बाद आती है उसको अप-टू-डेट कराने का काम किया जाय। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जन्म और मृत्यु रजिस्टर में अंकित करना मेन्डेटरी नहीं है।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इसको अनिवार्य कर दें। वह मैंने अनुरोध किया था कि यह भी बताने का कष्ट करें कि जो राशन की मात्रा जैसे चावल, मिट्टी का तेल, गेहूं केन्द्र सरकार से उपलब्ध हो रहा है, 1997, 98-99 में जितनी जनसंख्या होगी उसी के आधार पर मिल रहा है, या 1991 की जनसंख्या के आधार पर मिल रहा है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह निश्चित रूप से 1991 की जनसंख्या के आधार पर मिल रहा है। तो जितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है, जो 1991 की जनसंख्या को मिल रहा है।

आप जनगणना प्रतिवर्ष करा नहीं पायेंगे तो हमारे जो शहरों और ब्लाकों में जन्म मृत्यु के रजिस्टर हैं वह मैनडेटरी बनें और उसी के आधार पर अप-टू-डेट कर दें तो हम केन्द्र से मांग कर सकते हैं कि हमारी वास्तविक मांग यह है कि और हमें उसी आधार पर सामग्री उपलब्ध करायें। दूसरा यह है कि जो आज धांधली हो रही है, क्या माननीय मंत्री जी और सरकार निश्चित रूप से यह कह सकती है कि दुकानों पर फर्जी राशन कार्ड नहीं है और उन फर्जी राशन कार्डो के आधार पर राशन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि यह काम केन्द्र सरकार का है कि चुनाव आयोग निर्वाचक नियमावली बनाये, यह जो इलेक्शन रूल्स 1960 है उसी को पढ़कर मैं बता रहा हूं कि चुनाव निर्वाचक नियमावली है उसको लिंक कर दें और प्रतिवर्ष इन रजिस्टर के आधार पर करा ली जाय।

मान्यवर, जो जनगणना से प्राप्त आंकड़े हैं उनका बहुउद्देशीय प्रयोग किया जाय उस पर कोई प्रकाश नहीं डाला। सरकार इन सुझावों पर अपनी अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करें। जो धांधलियां हो रही हैं, हमारे प्रदेश का प्रतिवर्ष का सर्वेक्षण उपलब्ध नहीं है उनको रोकने में रूचि दिखायें।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

मान्यवर, जो 1991 की जनगणना हुई है उसका बहुउद्देशीय उपयोग किया जा रहा है जितने नियोजन हैं सब में उनका उपयोग किया जा रहा है। कितने अनुसूचित जाति के लोग कहां अधिक रह रहे हैं उसको देखा जा रहा है। कितनी अमीर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में अधिक है, कहां पलायन शहरी क्षेत्र में अधिक हो रहा है। इसको देखा जा रहा है। विद्युतीकरण की बात, गांवों में जहां अधिक आबादी है, उनमें विद्युतीकरण किया जाय, अनुसूचित जाति की ज्यादा बस्ती है वहां प्राथमिकता के आधार पर किया जाय, यह शासन के निर्देश हैं। शासन के निर्देश है कि इतने आबादी तक के गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाय, उसमें इन किताबों का ही उपयोग किया है। जन्म और मृत्यु रजिस्टर की जो बात है वह भिन्न चीज है। माननीय सदस्य की जो राय है कि इसे मेन्डेटरी बनाया जाय तो इस पर अलग से सदन विचार कर सकता है, सदन सक्षम है जो उचित निर्णय लेना चाहे ले सकता है।

जहां तक राशन कार्ड की बात आयी सन् 1991 से लेकर 1998 के बीच में क्या वृद्धि हुई प्रत्येक प्रदेश का जन्म मृत्यु प्रतिशत क्या है यह तो यूनाईटिड नेशन से प्रकाशित होता है। हमारे यहां पापुलेशन इन्क्रीज़ क्या है उसको जोड़ लें तो अनुमान निकल आता है। यह अलग बात है कि 1991 के आधार पर सामान मिल रहा है। जो उपलब्धता है, हमारे पास कितना राशन उपलब्ध है क्या आबादी है, उस पर निर्भर करता है। लम्पसुम फीगर तो हम अनुमान के आधार पर बता ही सकते हैं।

श्री अम्बरीश कुमार-

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि इस अवधि में प्रतिशत इतना बढ़ा आबादी का, उसका अनुमान लगा सकते हैं, उसके आधार पर हम मांग कर सकते हैं। प्रदेश भर के जो आंकड़े हो सकते हैं लेकिन कितनी शहरों में गांवों में क्षेत्रों में आबादी बढ़ी ये सब सामान्य रूप से नहीं पता चलता। हर नगर, हर क्षेत्र की आबादी के बढ़ने के प्रतिशत में अंतर आता है इसको अप-टू-डेट करने की मांग की जाती है अगर उसी आधार पर सब देखते रहें तो स्थिति ठीक हो सकती है, जो चर्चा है उसके माध्यम से व्यवस्थाओं को ठीक किया जा सकता है। मान्यवर, आप लखनऊ की आबादी को ले लीजिए कितना प्रतिशत बढ़ा है, देहरादून की स्थिति देख लें। मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि मंत्री जो सुझाव आये हैं उन पर विचार करें।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

मान्यवर, जनगणना प्रत्येक वर्ष वैसे भी संभव नहीं है । आंकड़ों का बहुउद्देशीय उपयोग किया जा रहा है । इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता-

चर्चा समाप्त हुई ।

**प्रदेश में विशेष रूप से राजधानी लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान के नाम पर कथित रूप से गरीबों दलितों पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जगदम्बिका पाल आदि द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा जारी**

श्री अधिष्ठाता-

मेरा एक निवेदन है इसमें माननीय 36 सदस्यों के नाम सूचना में लिखे हुए हैं और 1 घंटे की चर्चा है । स्वाभाविक है कि इस पर प्रतिपक्ष और सत्तापक्ष से भी लोग विचार प्रकट करना चाहेंगे अन्यथा वह चर्चा नहीं रह जायेगी अगर आप सब की सहमति हो, तो मेरा सुझाव है ।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है अभी माननीय अम्बरीष जी ने एक चर्चा प्रस्तुत की थी और उसमें एक घंटे का समय था। वह 30 मिनट में ही समाप्त हो गयी तो उसका 30 मिनट भी इसी में समाहित कर दिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता-

मेरा सुझाव है कि प्रथम इसको जो प्रस्तुत करेंगे वह 5 मिनट में अपनी बात कह लें समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल होने के नाते कोई 3 माननीय सदस्य बोल लें, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करूँगा कि 3 लोगों के नाम भेज दें, बसपा से कोई 2 माननीय सदस्य और अन्य सभी दलों से एक-एक माननीय सदस्य अपनी बात कह लें । सत्तापक्ष से कोई अपना विचार प्रकट करना चाहे वह सभी माननीय सदस्य तीन मिनट में अपनी बात कह लें तो सारा-सारा समय उपयोग हो जायेगा और सार्थक चर्चा हो जायेगी । कृपया दल के नेता नाम भेजने का कष्ट करें ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, सी0बी0आई0 से जांच का आर्डर कर दें, तो सारा समय बच जायेगा ।

* श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, राजधानी के अन्दर बालागंज और ठाकुरगंज मोहल्ले के अन्दर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर विकास मंत्री के इशारे पर अपने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

निजी स्वार्थों को हल करने के लिए लखनऊ के गरीबों के एक महीने से लगातार मकान तोड़े जा रहें हैं। 50-50 साल पुराने मकान, डेढ़-डेढ़ सौ साल पुराने मकान, पीढ़ियो दर पीढ़ियों से रहने वालों के मकान निजी स्वार्थों के कारण लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने ढा दिये हैं आज लखनऊ के हजारों परिवार इस धूप और वर्षा के मौसम में खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं धूप और वर्षा के कारण हजारों लोग बीमार भी पड़ गये हैं, वहां मौतें भी हो रही हैं। मान्यवर, लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं उनका पिछला इतिहास रहा है कि जहां-जहां पर यह रहे उन्होंने बड़े-बड़े बिल्डर्स और बड़े-बड़े भूं-माफियों से गरीब जनता का, गरीब लोगों का हक छीनने का काम किया है।

...मान्यवर, यह जब देहरादून में थे, तब इन्होंने किशनपुर योजना बिना शासन की अनुमति के बनाई और वहां पर गरीब किसानों की जमीन कम कीमत पर हड़प लिया, लेकिन वह योजना चली नहीं इस प्रकार लाखों रुपया प्राधिकरण का नष्ट किया। जब यह मुरादाबाद में रहे तो इन्होंने 22 करोड़ का गबन किया, यह बात विशेष आडिट रिपोर्ट में भी आई थी और वहां के कमिश्नर ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। यहां लखनऊ में भी इन्होंने बड़े-बड़े बिल्डर्स और माफियाओं से मिलकर विकास प्राधिकरण को लूटने का काम किया है।

उपाध्यक्ष ने अपनी सम्पत्ति को बढ़ाने के लिये, नगर विकास मंत्री ने अपनी सम्पत्ति, अपने परिवार की सम्पत्ति की कीमत को बढ़ाने के लिये यह सब किया। लखनऊ में पुरानी सड़क 50-60 फीट थी, उसके अलावा दुकानों को तोड़ा गया, मकानों को तोड़ा गया, जो वहां मसाले की दुकानें थी, आटे की चक्की थी, बुलडोजर चला-चलाकर गरीब लोगों का सब तोड़ दिया गया जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये गांव के लोग यहां पर रह रहे थे, जो दुकान का काम करते थे, उन सबकी सारी की सारी सम्पत्ति को इस उपाध्यक्ष द्वारा नष्ट कर दिया गया है।

मान्यवर, पुराने लखनऊ में एक जल निगम रोड है, पुरानी सड़क है, उसकी चौड़ाई 80 फीट थी लेकिन अपनी सम्पत्ति की कीमत बढ़ाने की खातिर उसे 100 फीट करके वहां के जो मकान थे, दुकानें थी, को तोड़ दिया गया। आप जानते है कि इसी लखनऊ में 50 फीसदी नक्शे पास नहीं होंगे, आज गोमती नगर में किस तरह से भू-माफिया, बड़े-बड़े बिल्डर जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन इसकी चिन्ता नहीं की जा रही है। क्योंकि प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तथा यहां के मंत्री को वहां से बहुत पैसा मिल रहा है, इसलिये उनके मकान नहीं तोड़े जाते हैं।

(लाल बत्ती जलने पर)

आपने लाल बत्ती जला दी है, वैसे मेरे पास भ्रष्टाचार के बहुत से अभिलेख हैं, उन्हें मैं आपको दे दूंगा, इसे कार्यवाही में जोड़ लिया जाय और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को आप बर्खास्त करने का निर्देश देंगे, नहीं तो यह लखनऊ मिट जायेगा। आज उत्तर प्रदेश का सारा का सारा खजाना लूटा जा रहा है, आज लखनऊ विकास प्राधिकरण को लूटा जा रहा है। मेरी आपसे अपील है कि ऐसे भ्रष्ट मंत्री को बर्खास्त किया जाय और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को निलम्बित करके इसे सारे मामले की सी0बी0आई0 से जांच कराई जाय तथा इसको लखनऊ विकास प्राधिकरण से हटाया जाय। यह सारे अभिलेख मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। इस पर कार्यवाही करा देंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि कई लोगों ने हाईकोर्ट के आदेश लिए और इसके लिए स्टे लिए लेकिन उपाध्यक्ष ने हाईकोर्ट के आदेशों का अपमान किया है। 135 साल के मकान तोड़े हैं, तमाम लोगों के मकान तोड़े हैं। मेरा इतना ही निवेदन है कि अल्पसंख्यकों और गरीब लोगों के मकान तोड़े हैं इसलिए मैं अभिलेखों को देता हूं उन पर आप जांच करा दें।

श्री अधिष्ठाता-

बहुजन समाज पार्टी के नाम नहीं आये हैं अगर आप लिखकर भिजवा दें तो आसानी हो जायेगी।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, हम आपके आभारी हैं इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। श्रीमन् यह पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में हुआ है कि एक तरफ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई मोहल्ले ऐसे हैं जो अतिवृष्टि के कारण बाढ़ से प्रभावित हो गये हैं और उनमें पानी एक-एक दो-दो फीट भर गया है। और प्रयास किया जा रहा है कि लखनऊ में ऐसे नागरिकों को आवागमन का रास्ता बनाया जाय। कई मोहल्ले अतिवृष्टि के कारण शहर के शेष भाग से कट गये हैं। मान्यवर, एक ओर तो अतिवृष्टि हो रही है और वर्षा का रिकार्ड टूट रहा हो, दूसरी ओर प्रदेश की राजधानी में अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है, जिसके कारण तमाम मकान तोड़े जा रहे हैं।

मान्यवर, अगर नगर के सौन्दर्यीकरण की योजना है तो इसमें एकरूपता होनी चाहिए। सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि चारबाग, हुसैनगंज, हजरतगंज और चिनहट की सड़क को चौड़ा किया जाना चाहिए और उसमें जो अतिक्रमण हैं उन्हें हटाया जाना चाहिए। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस सड़क को 6 लाइन की सड़क बनायेंगे। मान्यवर, इस सड़क पर सबसे ज्यादा यातायात का दबाव है।

आलमबाग से लेकर चिनहट तक इस सड़क पर बहुत दबाव है । मान्यवर, इस सड़क के किनारे पर जगह भी काफी है । लालजी टण्डन जी मौजूद हैं । इस सड़क को चौड़ा करा दें तो एक बात है कि सड़क चौड़ी हो गयी है । लेकिन श्रीमन् एक तरफ जब लखनऊ में चारों ओर रिंग रोड बन रही है और जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि बुलडोजर से बरसात के महीने में मकानों को गिराया गया है, यह उनके साथ घोर अन्याय है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी बरसात में अतिक्रमण विरोधी अभियान नहीं चलाया गया है जब प्रकृति का प्रकोप होता है तो अतिक्रमण विरोधी अभियान नहीं चलाया जाता है ।

इस सरकार का कोई अंकुश अपने अधिकारियों पर नहीं रह गया है, लखनऊ में इस तरह की कार्यवाही विकास प्राधिकरण के द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध हो रही है उसके विरोध में उस दिन मा0 सदस्यों ने विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के खिलाफ गंभीर आरोप लगाएं और इस सदन में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब संसदीय कार्यमंत्री ने इस प्रकार से कहा हो कि जो अधिकारी यहां पर नहीं है उसके खिलाफ यदि कहा तो उसे कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनना चाहिए गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप उनके खिलाफ लगाए अगर हमारे पब्लिक सर्वेन्ट कोई अनियमितता करें और कहा जाएं कि सदन में उनका नाम न लिया जाएं और उनपर चर्चा नहीं की जा सकती है तो फिर इस सदन की कोई उपयोगिता नहीं रह जाऐगी । इस सदन में उस दिन मैं समझता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री यह कहते कि जो भी बातें उपाध्यक्ष के लिए कहीं जा रहीं है, चाहें वह देहरादून की हो या मुरादाबाद की हो उनकी जांच करायेगें तो कोई बात थी ।

(इस समय 2 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए)

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा जहां कुछ लोगों के मकान को छोड़ दिया गया । जैसा समाचार पत्रों में भी आया है, राजा डन्डैयी और लोक तान्त्रिक कांग्रेस के नेता का मकान छोड़ दिया गया । तो अतिक्रमण विरोधी कार्यक्रम में भी भेदभाव बरता जा रहा है जो गरीब और बेसहारा है जो अनाथ है, जो किसी प्रकार अपने परिवार की गुजर-बसर कर रहें है उनके मकानों पर तो बुल्डोजर चला दिया और प्रभावशाली लोग जिनके लिए जनता मांग कर रहीं है, जिन्होंने वाकई में अतिक्रमण किया है और जिसके कारण असुविधा हो रहीं है उनकों छुआ तक नहीं ।

श्री अधिष्ठाता-

पाल साहब, आप समाप्त करें ।

श्री जगदम्बिका पाल-

इमामबाड़े की दीवार तोड़ दी गयी जिस पर लोगों ने विरोध किया और पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी, मैं समझता हूं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा जिस प्रकार की कार्यवाही हो रही है वह अत्यन्त भेदभाव पूर्ण है, इससे पहले वह कानपुर में भी रह चुके हैं वहां पर भी जिस तरह से सत्तारूढ़ और विधायकों के साथ मिलकर स्थिति पैदा की। उसकी जांच होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

आप समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल-

यह किसी भी अधिकारी को अधिकार नहीं है कि वह मनमानी करें कोई भी मकान जो 50 वर्षों से नक्शा पास किए हुए है या जिस जिस पर स्टे और उसकों गिरा दें और कुछ लोगों के मकानों को तोड़ दें यह उचित नहीं है। यह ऐसी चीज है कि मैं समझता हूं कि उस पर अंकुश लगना चाहिए। इससे पूर्व भी इस तरह की कार्यवाही पर यहाँ जिक्र आया है 50-50 साल के मकान गिरा दिये गयें उनके द्वारा चाहें वह देहरादून में हो या कहीं भी हों, उस पर यह कहना कि वह बहुत ईमानदार अधिकारी है क्या उनकों मनमानी करने की छूट दे दी जाएंगी?

श्री अधिष्ठाता-

जो समय निर्धारित है उससे ज्यादा हो गया है, आप समाप्त करें और हमारा सहयोग करें।

श्री जगदम्बिका पाल-

जो सड़कों के किनारे रहने वाले लोग हैं उनके लिए मा0 मंत्री जी बताएं कि उन्हें नहीं उजाड़ा जाएंगा और या जो विस्थापित हो रहे है उनके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कोई नयी आवास योजना शुरू नहीं की है, लखनऊ के गरीब लोगों को रहने के लिए मकान बनाने की कोई योजना उन्होंने नहीं बनाई। खास कर इस 5-6 महीने में जो लोग उजाड़े जा रहें है चाहें यह गरीब हो, या दलित हों कोई हों उनके विकास का कोई कार्य नहीं किया है।

मान्यवर, विकास प्राधिकरण द्वारा जो मकान गिराये गये हैं कल को यह अधिकारी जब नहीं रहेंगे तो इसका मुआवजा भी देना पड़ेगा क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी ऐसे अधिकारियों पर डालेगी। जिस तरह से शासन में मतभेद है इससे साफ जाहिर है कि शासन के मतभेदों के नाते नगर विकास मंत्री, प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी के क्षेत्र को कमजोर कर रहें हैं। 22 मोहल्लों में जाम लगा है मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा गंभीर बात और कोई नहीं हो सकती है।

मेजर जगतपाल सिंह-

मान्यवर, हमारे सम्मानित विपक्ष के सदस्य लखनऊ विकास प्राधिकरण

के उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा कर रहें थे मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष है वह मुरादाबाद में भी रह चुके हैं जब वह मुरादाबाद में थे तो उन्होंने इतने अच्छे काम किये कि मुरादाबाद की जनता आज भी उनको याद करती है। जब वह वहां थे तो उन्होंने देहली रोड, सम्भल रोड और दूसरी सड़कों से जहां पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था उनके मकान गिरवायें और सड़कें चौड़ी कीं। उनके काम में जनता ने पूरा सहयोग दिया।

वहां का पुल इतना सकरा हो गया था, निकलने में दिक्कत होती थी वहां का अतिक्रमण दूर कराया गया। मुरादाबाद के जो लाइन पार का इलाका है वह मेरे क्षेत्र में पड़ता है वहां पर अनेक विकास कार्य किये गये और प्राधिकरण द्वारा आज भी विकास कार्य हो रहें हैं। श्री प्रभात कुमार द्वारा लाइन पार सड़क को ठीक किया गया और अनाधिकृत निर्माण को हटाकर सड़क को डबल-वे किया गया जिससे जनता को बहुत आराम मिला वहां की जनता संतुष्ट थी। जनता को उनके समय में कोई परेशानी नहीं थी आज भी मुरादाबाद की जनता कहती है कि आप उनको मुरादाबाद पोस्ट कर दें ताकि उनका यह सुधार हो।

उनके समय में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जिन लोगों की जमीने प्राधिकरण में ली गई थी उनको मुआवजा दिलवाया गया इसके अतिरिक्त जब वह मुरादाबाद में थे तो गरीब हो या अमीर हो सबको बुलाकर वह मीटिंग करते थे और उनके सुझाव के अनुसार काम करते थे, जो प्राधिकरण में 19 गांव लिये गये उन गांवों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ था, श्री प्रभात कुमार के जमाने में उन गांवों का डबलपमेंट का काम कराया गया। मुरादाबाद की तमाम सड़कें उन्होंने ठीक करायी इसके साथ ही साथ रामगंगा कालोनी जो सबसे बड़ी कालोंनी है उसको ठीक कराया उन्होंने हमेशा निष्पक्षता से मुरादाबाद में काम किया था इसलिए वहां की जनता भूली नहीं है। अगर लखनऊ के लोग नहीं चाहते हो तो उनको मुरादाबाद में वापस कर दें। लखनऊ में उन्होंने उन मकानों को तुड़वाया जो जबरदस्ती कब्जा करके सरकारी जमीन पर बनाये गये थे, और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किया गया था उन जमीनों को खाली करवाने का काम किया है, यह उचित है। मुरादाबाद में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और वहां के सभी अमीर, गरीब उनकी प्रशंसा करते है। उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कोई गलत काम नहीं किया है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी-

माननीय अधिष्ठाता जी, इस पर चर्चा करने से पहले ही मैं चर्चित हो गया। मान्यवर, यह सदन रहेगा, पक्ष एवं विपक्ष रहेगा लेकिन अगर व्यवस्था विखंडित हो गयी तो एक प्रश्नचिन्ह लग जायेगा। यहां सवाल किसी व्यक्ति या लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का नहीं है, सवाल इस बात का है कि कोई भी दोषी हो, हम व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं करते हैं, व्यक्ति के कार्यों का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मूल्यांकन करते हैं। भाई शिव पाल सिंह यादव, जगदम्बिका पाल जी एवं मेजर साहब की बातों को सुना। मैं केवल एक बात बड़े अदब के साथ मेजर साहब से कहूंगा कि वह क्या कारण थे कि कैट रिपोर्ट में 22 करोड़ रूपये की अनियमितता की नोटिस दी गयी तो इंगित किया गया तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री प्रभात कुमार को। बिजनौर से काठ राजमार्ग बनाया गया तो उससे लाभान्वित कौन से लोग हुये? हमारे पास विकास प्राधिकरण की पत्रावली के पन्ने हैं, अगर आप चाहेगे तो मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दूंगा। मान्यवर, शुक्रवार और शनिवार को बारिस हुई, इस सदन के बगल में आकाशवाणी का भवन हैं, उसके बगल में स्टेट बैंक है और बगल में ही नाला बहता है।

हमारे सम्मानित आवास मंत्री जी यहीं के हैं वह मुझसे ज्यादा इस शहर की नस-नस को जानते हैं और इन्होनें अपना राजनैतिक जीवन महापलिका के सदस्य के रूप में शुरू किया था। मान्यवर, वह नाला उफनाया स्टेट बैंक की दीवार टूटी और पानी आकाशवाणी के कण्ट्रोल रूम में घुस गया, पानी घुसने से 30 करोड़ रुपये का उपकरण ध्वस्त हो गया। उस नाले को नहीं बनाया गया। इन्क्रोचमेंट हटाने के नाम पर तमाम गरीबों की झोपड़िया गिरा दी। सुन्दर लखनऊ और हरा लखनऊ हम भी चाहते हैं। लेकिन एक गरीब के तन पर कपड़ा नहीं है उसको अगर एक साया मिल जाता है तो उसको भी गिरा दिया जाता है। इन्क्रोचमेंट हटाने का भी एक मानक होता है। लखनऊ शहर का सबसे खूबसूरत मार्केट हजरतगंज कहा जाता है लेकिन अगर आप इस सदन की एक कमेटी बनाकर अगर जनपथ मार्केट है उसके एक-एक दुकान की अगर आप मुआयना करवा लें तो देखेगें एक दुकान में 700-700 फीट लोगों ने जगह बना ली। बेसमेंट बना लिया। 50-50 लाख रुपए की सम्पत्ति लोगों ने अर्जित कर ली। साहू सिनेमा के बगल में एक घड़ियों का शोरूम है। उसके खिलाफ वर्तमान नगर प्रमुख एस0सी0राय ने नोटिस भी दिया लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण के इनक्रोचमेंट अधिकारियों ने उसको संरक्षण दिया आज तक वह दुकान नहीं हटाई गई। दो करोड़ रुपये की सम्पत्ति उसने अर्जित कर ली। गरीब का झोपड़ा अगर 700 रुपए का है तो उसको गिरा दिया जाएगा लेकिन दो करोड़ रुपए की सम्पत्ति को यह नहीं गिरा सके। क्योंकि उसे राजनैतिक संरक्षण प्राप्त था। यह आपकी मरी हुई व्यवस्था है।

मैं इनकी नेकनीयती पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाता, इनकी ईमानदारी पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाता लेकिन सदन की एक समिति बना दी जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वर्ष 1985-98 के बीच में लखनऊ विकास प्राधिकरण में विधायकों सांसदों की पत्रावलियां इसलिए लम्बित की गई क्योंकि उन्होनें पैसा खर्च नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी-

अगर अधिकारी सम्मानित सदस्यों से ब्लैकमेलिंग करेंगें, तो क्या यह युक्तिसंगत है। हमें इस बात से शंका है कि हमें हमारी छत से छीना जा सकता है। एक व्यक्ति अपना कैरियर एस0डी0एम0 देहरादून से शुरू करता है एक सम्पत्ति अर्जित करता है अपनी पत्नी के नाम से, अपनी सास के नाम से अपने बच्चों के नाम से वही व्यक्ति जब वाइस चेयरमैन बनकर देहरादून जाता है तो जिस जगह उसकी सम्पत्ति है उस रोड पर देहरादून-मंसूरी पर देहरादून विकास प्राधिकरण की एक योजना शुरू करता है जिससे वहां की जमीन की कीमत सात गुना बढ़ जाती है। सात गुना हो जाने के बाद 20 दिन बाद वह योजना कैंसिल कर दी जाती है। नतीजा जो लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं वह मर जाते हैं।

आप लखनऊ विकास प्राधिकरण की विपुल खण्ड गोमती नगर की जांच कराएं सर्वाधिक ट्रांसफर पांच महीनों के दौरान हुआ है। इस जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप अवैध इनक्रोचमेंट हटा रहे हैं लखनऊ बटलर पैलेस के पास पुराना तालाब है वह सम्पत्ति राज्य सम्पत्ति विभाग की है इस पर कमरे बने हैं। गैराज बनाए गए हैं,वह किस पैसे से बनाया गया है किस ठेकेदार के द्वारा बनाया गया है। सी-14 बटलर पैलेस जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के चेयरमैन का आवास है वहां पर अवैध निर्माण किस ठेकेदार द्वारा हो रहा है। क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण राज्य सम्पत्ति विभाग में निहित हो गया है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण राज्य सम्पत्ति विभाग का कार्य कर रहा है? इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं कहना है। आपके माध्यम से मेरी यह मांग है कि जनता के हित में सरकार निर्णय लेने का कष्ट करे।

श्री सुबास चन्द्र श्रीवास्तव-

मान्यवर, लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के द्वारा चलायें जा रहे अतिक्रमण बिरोधी अभियान के नाम पर राजधानी के अन्दर जो गरीबों, मजलूमों, छोटे व्यावसाइयों तथा दुकानदारों के साथ जो ज्यादती की जा रही है, उस पर विपक्ष के माननीय नेताओं ने जो विचार व्यक्त किया हैं, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसके नीतियों को कार्यान्वित करने वाली जो कार्यपालिका है, उसके कार्यकलापों से भी निष्पक्षता जाहिर होनी चाहिये, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिये और सरकार की रीतियों को क्रियान्वित करने में कोई डिसपैरिटी नहीं होनी चाहिये, कोई भेद-भाव नहीं होना चाहिये और कोई पक्षपात नहीं होना चाहिये।

इस प्रकरण पर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने उपाध्यक्ष को उनकी बहादुरी और ईमानदारी की गाथा गाई हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि

यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दृष्टि में लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष यदि राजा हरीशचन्द्र के वंशज के रूप में देखती है तो उन्हें कहीं और बेहतर जगह पर ले जांय कहीं और उन्हें महिमा मंडित करें, कम से कम इस राजधानी में बसने वाले गरीबों के ऊपर जो वह जुल्मों-सितम ढ़ा रहें हैं, उससे तो निजात दिलाई जाय। आज इस उपाध्यक्ष की ईमानदारी को जिस तरह से बढ़ाचढ़ाकर यहां पर सत्ता पक्ष के लोगों ने प्रस्तुत किया है, वह उनके अतीत पर दृष्टिपात करें तो वह ईमानदारी के धरातल पर कहीं भी टिक नहीं पायेगें। जब वे परगनाधिकारी, देहरादून थे तो उस समय इस ईमानदार अधिकारी ने इस पद का दुरुपयोग करते हुए न केवल देहरादून में अपने तथा अपनी पत्नी के नाम पर मंहगी जमीन को सस्ते दाम पर लिया बल्कि फिर उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हुए लोगों को अपने प्रभाव में लेकर अपने को देहरादून-मंसूरी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर पदास्थापित करा लिया वह पद पर स्थापित होने के बाद अपने तथा अपनी पत्नी के नाम पर ली गई जमीन के बगल में प्राधिकरण की एक आवासीय योजना लॉंच करते हैं।

इसके पीछे मन्शा यह है कि जो भूमि उन्होंने अपने तथा अपनी पत्नी के नाम पर ली है, उसकी कीमत को बाजार की कीमत से बढ़ा दिया जाय। यह इनकी ईमानदारी है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात की जानकारी है। यह आदमी जब मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष था तो उस समय राज्य सरकार के निर्देश पर तत्कालीन आयुक्त द्वारा जांच की गई थी जिसमें 22 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताऐ पायी गई थी। मण्डलायुक्त ने इस उपाध्यक्ष के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आज कितनी निर्लज्जता की बात है कि एक अधिकारी जो इस राजधानी की सुन्दरता के नाम पर गरीबों के ऊपर जुल्म कर रहा है उसे सरकार संरक्षण दे रहीं है। जनता की सुरक्षा करना राज्य सरकार का कार्य है परन्तु आज जब प्राधिकरण का उपाध्यक्ष राजधानी में गरीबों के ऊपर इस तरह के अत्याचार कर रहा है तो गरीबों को सुरक्षा प्रदान करने के बजाय ऐसे अत्याचारी उपाध्यक्ष की हमदर्द यह सरकार बन गई है।

इससे बड़ी शर्मिन्दगी की बात और क्या हो सकती है। श्रीमन्, आपका आदेश शिरोधार्य करते हुए एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं कि जो विपक्ष के माननीय सदस्यों का कथन है, मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। इतना जरूर कहूंगा कि इस प्रकरण में दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने के लिए इस माननीय सदन के सभी दलों के सदस्यों की एक समिति बना दी जाय जो इस प्रकरण की जाँच कर अपनी रिपोर्ट सदन को दें। अतिक्रमण अभियान के नाम पर निर्बल लोगों पर किये गये अत्याचार से सम्बंधित प्रकरण तथा उपाध्यक्ष के

द्वारा किये गये अनियमित कार्यों का यदि इस सदन की सर्वदलीय समिति जांच करती है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जायेगा।

खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक चर्चा लखनऊ विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन के सन्दर्भ में यहाँ हो रही है। जिसमें तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाये जा रहें हैं। जहाँ तक इस सरकार का प्रश्न है, यह सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मान्यवर, जहां तक यह संज्ञान में लाया गया है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के विरुद्ध और इस सरकार के विरुद्ध यह मनगढन्त कहानी बनाई गई और ब्रीफ होल्डर तैयार किया गया। यह ब्रीफ होल्डर छोटा-मोटा नहीं, एक ब्रीफ होल्डर के ऊपर करीब-करीब लागत आई है एक हजार रुपये एक हजार के हिसाब से 425 सदस्यों को वह दिया गया।

इस पर कितनी लागत आई, जांच इस बात की भी होनी चाहिए। एक प्रश्न उठाने के लिये लाखों लाख रुपया ब्रीफ्र होल्डर के माध्यम से सरकार को बदनाम करने के लिए तैयार किया गया, जांच इसकी भी होनी चाहिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्रीजी, अपने व अपने साथी मित्रों को कितना मिला है, यह राशि बता दें। बाकी की जांच करना मुनासिब समझें तो करवा लें।

* श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

ब्रीफ होल्डर संज्ञान में लाया गया है। इसकी कीमत का मूल्यांकन आप करवा लें आपने यह कहा कि देहरादून में ऐसा किया। देहरादून में अगर किसी को बैठाया गया वी0सी0 को तो इस सरकार ने बैठाया था कि आपकी सरकार ने बैठाया था। मुलायमं सिंह की सरकार थी तब आपने यह बात नहीं कही। आज उस ब्रीफ होल्डर के पीछे कहानी क्या है? कौन यह व्यक्ति हैं? यह मैं जानना चाहता हूं जिसने एक महीने पहले कह दिया है कि निश्चित रूप से इस वी0सी0 को हटाकर रहेंगें। यह भी आना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि एक भू माफिया कौन है, वह भी आना चाहिए। जिसने नगर निगम से करोडों रुपये में एक जमीन ली और उसके बदलें में करोड़ों रुपये की और दाब ली। जब वी0सी0 ने उससे वह जमीन छुडवाने का प्रयास किया तो वह व्यक्ति कौन थे जिसने यह आवाज उठाई। यह भी आना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार में जो ऐसे अधिकारी हैं, जो खराब हैं उन्हें निरूत्साहित प्रत्येक कदम-कदम पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया गया है। हर अधिकारी जो अच्छा है, उसे प्रोत्साहित करने का काम किया है आज उन सब चीजों की भू-माफिया की जानकारी होनी चाहिए। जो करोड़ों रुपयों की जमीन छीनने की बात कर रहे थे उसका नाम यह बता सकते हैं, उसकी जानकारी होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

जो सदस्य कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते हैं उनका नाम नहीं लेना चाहिए।

श्री श्यामसुन्दर-

मैंने किसी का नाम नहीं लिया है आप चाहें तो कार्यवाही देख लें। मान्यवर, यह सरकार जनतंत्र में विश्वास करने वाली है। ब्रीफ होल्डर की बात आई है मैं चाहूंगा इसमें भी जांच करा लें।

* श्री बी0आर0वर्मा-

मान्यवर आज जो प्रदेश की महत्वपूर्ण समस्यायें हैं उसमें से एक इस प्रदेश की सार्वजनिक जमीनों के ऊपर सड़कों के ऊपर जितनी भी सार्वजनिक कीमती जमीने हैं उन पर जो आए दिन अतिक्रमण हो रहें हैं उस पर इस सदन में चर्चा हो रही है आज मान्यवर यह समस्या है कि जितनी भी कीमती जमीने हैं आए दिन करोड़ों की सम्पत्ति जो है इस पर अतिक्रमण हो रहा है, कब्जा हो रहा है यह कब्जे गरीब लोग नहीं कर रहे हैं यह दबंग लोग, ताकतवर लोग कर रहें हैं। इससे सरकार को नुकसान होता है इस गम्भीरता हो देखते हुए मान्यवर सुश्री मयावती जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, लालजी टण्डन जी उस समय भी मंत्री थे और आज भी नगर विकास मंत्री हैं, उस समय यह तय किया गया था कि सरकार जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को हतोत्साहित किया जाए और इसको संज्ञेय अपराध बनाया गया।

सुश्री मायावती जी के नेतृत्व में प्रदेश की सारी जमीनों पर जो करोड़ों की सम्पत्ति थी और भू-माफिया कब्जा कर रहे थे उसको संज्ञेय अपराध बनाया गया इसमें व्यवस्था की गई कि गरीबों का नुकसान न होने पावे। जो गरीब लोग झोपड़ी बनाकर रह रहें हैं उन गरीब लोगों को पुनर्वासित नहीं किया जाएगा उनको नहीं हटाया जाएगा ऐसी व्यवस्था की गई।

...मान्यवर, यह अतिक्रमण के खिलाफ चाहे इस पक्ष के सदस्य हो या उस पक्ष के सदस्य हो सभी की यह चाहत होगी कि यह अतिक्रमण हटना चाहिए। आज इसका खामियाजा कोई भी माननीय सदस्य जो लखनऊ से बरेली जाता होगा तो रास्ते में शाहजहाँपुर में जो अतिक्रमण का रूप दिया है उसको उसने देखा होगा। आज कोई शहर ऐसा नहीं है जहां पर बाई पास बनाने की जरूरत न

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पड़ी हो। आज पहले पेड़ काटकर फिर टिन शैड डालकर और फिर दीवाल बनायी जाती है। मान्यवर, मैं यह बताना चाहूंगा कि आज अतिक्रमण हटाने की अगर किसी ने हिम्मत की थी तो वह स्व0 संजय गांधी ने की थी। आज जो उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अतिक्रमण हो रहा है, जो सार्वजनिक जमीनों पर अतिक्रमण हो रहा है उसे हटाया जाना चाहिए। मंदिरों के नाम पर, कहीं किसी की मूर्ति के नाम पर कब्जा किया जाता है, कहीं मंदिर बनवा लिया जाता है। कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि बी0जे0पी0 की सरकार है। इस अतिक्रमण हो हटाया जाना चाहिए।

एक सदस्य-

मस्जिदों के नाम पर भी हो रही है।

श्री अधिष्ठाता-

2.25 पर यह चर्चा शुरू हुई थी और 3.25 पर यह खत्म हो जायेगी आप कृपया संक्षिप्त करें। 3.17 हो रहा है। 3.20 पर समाप्त कर दें।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, मैं अपने दल से अकेला बोलूंगा। अतः यह जितना समय आप देना चाहते हैं वह मुझे दे दें।

श्री अधिष्ठाता-

3.20 पर समाप्त करें।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, चाहे जो धार्मिक स्थल हैं, किसी भी धार्मिक स्थल पर उसके नाम पर अतिक्रमण किया जाता है, सरकारी जमीनों पर किया जाता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस मत का हूं कि वह नहीं होना चाहिए। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश का कोई थाना नहीं बचा है, कोई जेल नहीं बची है, कोई पुलिस लाइन नहीं बची है जहां पर धार्मिक पूजा ग्रह न बना हो। यह धर्मनिरपेक्ष सरकार है। या तो यह सुनिश्चित करें कि या तो सभी धर्मों का पूजा स्थल वहां पर बने या फिर जो मंदिर बने हैं उसको भी हटाया जाय। मान्यवर, जिस अतिक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है मैं भी इस मत का हूं कि अतिक्रमण हटाया जाना चाहिये।

आज इस प्रदेश की जो चार-पांच समस्यायें है उसमें सबसे ज्यादा समस्या सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण की हैं। इनकी कीमती जमीनों पर अतिक्रमण हो रहा है। इस सरकार ने कल्याणकारी राज्य की कल्पना की थी इसलिए जो काम होने चाहिए थे वह प्रदेश की जनता को, गरीब लोगों को कल्याण देने के लिए होने चाहिए। मान्यवर, जब हमने कानून बनाया था तो इसे संज्ञेय अपराध माना था। आज जो गरीब आदमी सड़क के किनारें बस गये हैं, वह रोजी-रोटी की तलाश में आते हैं, कोई खुशी के लिए नहीं आते है। वह मेहनत मजदूरी करके रोजी-रोटी कमाने के लिए आते हैं और रात में रहने के लिए कोई जगह तो उनके पास होती नहीं हैं, जो सबसे गन्दा स्थान होता है उसे साफ करके, नदियों, नालों के किनारे अपना झोपड़ा बना लेते हैं। मान्यवर, इसलिए ऐसे लोगों की

व्यवस्था होनी चाहिए जो गांव से चलकर शहर में शरण लिए है। मान्यवर, जब पाकिस्तान के बंटवारे के समय यहां आने वाले शरणार्थियों को जमीन दी जा सकती है, कश्मीर से उग्रवाद से पीड़ित होने पर दिल्ली जाने वाले लोगों को शरण दिया जा सकता है, तो गांव से आने वाले लोगों के लिए आप व्यवस्था नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? उनको इस बरसात के समय में ध्वस्त न किया जाय, मायावती जी के समय में यह व्यवस्था थी कि ऐसे लोगों को तब तक नहीं उजाड़ा जायेगा जब तक उनको व्यवस्थित नहीं कर लिया जायेगा। मान्यवर, ऐसे झोपड़पटिट्यों पर सरकारी संस्थाओं को शीघ्रता से बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए था। आप चयनित करें कि लखनऊ के अन्दर कौन बड़ा आदमी है जिसने सार्वजनिक जमीन पर कब्जा कर लिया है। आप उसके यहां बुलडोजर चलायें, हम सब समर्थन करेंगे। मान्यवर, इससे अतिक्रमण भी दूर होगा।

आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री लाल जी टण्डन)-

मान्यवर, एक बात कह दूं उत्तर संसदीय कार्यमंत्री जी दे देंगे।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, नियमों में यह व्यवस्था है कि अगर उस विभाग का मंत्री मौजूद है, तो उन्हें ही यथा सम्भव उत्तर देना चाहिए। मान्यवर, माननीय टण्डन जी विधान परिषद् के नेता हैं, हम लोगों ने उनका चेहरा यहां बहुत दिनों बाद देखा है, वे लखनऊ के विधायक भी हैं, इस विषय पर वे ही समुचित उत्तर दे सकते हैं। हुकुम सिंह जी तो किसी दूसरे का हुकुम बजा लायेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

यह तो शासन के विचार का विषय है। यह कोई व्यवस्था की बात नहीं है।

श्री लाल जी टण्डन-

मान्यवर, जिस दिन सदन में यह विषय उठा दुर्भाग्य से मैं यहां उपस्थित नहीं था, इसलिए पूरी चर्चा का जवाब तो माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी देंगे। मान्यवर शासन की नीति क्या है? मैं उस विभाग का मंत्री हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि जो कुछ हो रहा है, मैं बहादुरी के साथ स्वीकार करूँ। और यह कहूं कि जो नीतियां हैं, किसी के क्रियान्वयन के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं उन नीतियों के बारे में कर रहा हूं मैं विशेष रूप से, बी0आर0 वर्मा जी का आभारी हूं कि उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि प्रदेश में जो समस्यायें हैं उसमें अतिक्रमण भी एक समस्या है। आज हम इक्कीसवीं शताब्दी में जा रहे हैं, उन्होंने संजय गांधी का नाम लिया। मैं राजीव गांधी का नाम लेना चाहता हूं। वह कहते थे कि इक्कीसवीं शताब्दी में भारत जायेगा तो क्या होगा, मुझे लगता है कि तब वाहन सड़कों पर इतने होंगे कि आदमी कुचला हुआ पड़ा होगा। क्योंकि सड़कें सिकुड़ती ही जायेंगी और वाहन बढ़ते ही जायेंगे। ऐसे-ऐसे रोग होंगे जिनका

उपचार करना किसी सरकार के वश का नहीं होगा। आज यह एक सामाजिक व्यवस्था है, जो सड़क 100 वर्ष पहले जैसी थी, 50 वर्ष पहले जैसी थी, तब न उतना यातायात था, न उतने वाहन थे। अगर हम उन्हें बढ़ा नहीं सकते हैं, तो हम उन्हें उतना ही कायम रखें, यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। मान्यवर जिस कानून का जिक्र किया गया, यह कानून मैंने बनाया था, उस समय हमारी और बसपा की मिली-जुली सरकार थी।

श्री प्रमोद कुमार-

आपका तो भाई-बहन का रिश्ता है।

श्री लालजी टण्डन-

रिश्ते बदलते नहीं हैं। मैंने कह दिया तो कह दिया। आप किसी भी दृष्टि से देखते हों, मुझे साहस है, यह स्वीकार करने का, इसलिए यह कहकर मुझे भ्रमित करने की कोशिश न करें। मैं आपके बारे में भी जानता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

यह एक घण्टे की चर्चा थी, 2.25 पर शुरू हुई थी और 3.25 हो गया है अभी अन्य दलों के विचार आने हैं।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव है कि चर्चा 4 बजे तक बढ़ाई जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने इस चर्चा को 4 बजे तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, हरदोई रोड की चर्चा कर रहे थे, हरदोई रोड योजना में यह जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, उनके आने के पहले उस सड़क पर यह प्रारम्भ हो गया। शायद इस बात की जानकारी होगी। मैं नाम नहीं गिनाना चाहता हूं और न इसे राजनीति रूप देना चाहता हूं। क्योंकि मैं तो एक सहमति चाहता हूं। शहर में इन्क्रोचमेण्ट हटाने की आवश्यकता है। यह जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, उतनी ही विपक्ष की भी है। लोग आम तौर पर सड़कों पर दुकानें लगवाते रहे है और मैं हटवाता हूं। तो क्या मुझे सुखद लगता है? लेकिन मुझे सुख की अनुभूति है क्योंकि आज जिसे हटाया है उसे वैकल्पिक स्थान दिया है, बेघर नहीं किया है। आज भी मैं हिम्मत के साथ कह सकता हूं कि बालागंज में जिस जगह पर हमने विध्वंस कर नजूल की जमीन खाली करवाई, जिस भू-माफिया का जिक्र बरखूराम जी ने किया है ऐसे बाहुबलियों से यह जमीन खाली करवाई है। और खाली करवा के वहां पर बाजार बनवाना शुरू किया था। चूंकि वह काकोरी को जाने वाला मार्ग है।

(इस समय 3 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

काकोरी शहीदों की स्मृति में राम प्रसाद बिस्मिल बाजार का विज्ञापन हो गया था, जिस समय काफी तोड़-फोड़ हो गई, लोगों ने मुझसे कहा कि वहां जाइयेगा नहीं, नहीं तो पत्थर चलेगें। मैंने कहा मैं उन कारो में नहीं हूं, मैं जनता के बीच में जाकर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करूँगा, अगर जनता मुझे पत्थर मारेगी तो मैं समझूंगा कि मैंने गलत काम किया है, लेकिन आज मुझे खुशी है कि इतनी तोड़-फोड़ के बाद जिस दिन बाजार का शिलान्यास किया गया, किसी नेता को उतना सम्मान क्या मिला होगा, जिनता मुझे उस दिन मिला और जनता ने मुझे तमाम फूल-मालाओं से लादकर मेरी जय-जयकार की।

कल तक जो आदमी यदि वहां एक खोमचा भी लगा रहा था, उसकी भी हमने व्यवस्था कर दी है। हम यदि हटा रहे हैं तो उसे बसा भी रहे हैं। यह हमारा समाज के लिये कमिटमेंट है। पाल साहब ने एक बात कही जो मुझे आपत्तिजनक लगी, बीच में धार्मिक भावनायें नहीं लाना चाहिये। उस पूरी सड़क पर इस तरह की कोई इमारत का हिस्सा पड़ता नहीं। मुझे पाल साहब यदि इजाजत दें तो कहना चाहूंगा कि देश में 2-4 मस्जिदें हैं, जिन्हें हिन्दुस्तानी संस्कृति का गौरव कह सकते हैं, उसमें से एक है, जुमा मस्जिद, जिसे देखने हजारों लोग आते थे, आज वहां पर सैकड़ों बीघा जमीन कुछ लोगों को, जमीनदारों ने बांट दी।

पहले हम देखा करते थे कि वह मस्जिद सड़क से बिलकुल साफ दिखाई देती थी लेकिन अब उस मस्जिद को सड़क से देखा ही नहीं जा सकता है और वह चारों तरफ इनक्रोचमेन्ट से घिर चुकी है। मैं कहना चाहता हूं कि पता नहीं लोगों को क्या फोबिया हो गया है कि वह अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के मामलें में भी साम्प्रदायिकता को बीच में ले आते हैं। जिस सड़क को हमने तोड़ा है, उसे बनवा रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किसी-किसी का तो वहां बिल्कुल भाग्य ही खुल गया, जिनके भवन हैं, उनकी लाटरी खुल गई, जो इनक्रोचमेंट किये थे, बहुत से उनमें से उन मकानों के किरायेदार थे, जिनसे उनके मालिक कभी खाली नहीं करा सकते थे, जब उनका आगे का हिस्सा तोड़ा गया तो रातों-रात उनके मालिकों ने बाकी का हिस्सा भी गिरवा दिया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को भी हम बसा रहे हैं, हमें उनकी भी व्यवस्था करना पड़ रहा है।

हम किसी को बेघर नहीं होने देंगे। आप वहां के विकास की कल्पना करके देखें। इसी तरह 1992 में चौक में मैंने दो बुर्जियां हटवा दीं। लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया कि अरे अब तो बिल्कुल अंधेर आ गया, पता नहीं क्या हो गया, मैंने ईटें निकलवाकर प्रेस वालों को दिखाई, जिनमें 1933-1935 अंकित था और लोगों ने हल्ला मचाया कि यह 250 साल पहले की किसी बेगम के द्वारा बनवाई गई थीं, लेकिन आप बतायें कि क्या 250 साल पहले ईटें कहां से बन गई। आज आप वहां के विकास की असलियत देखना चाहें तो मैं सबको दावत देता हूं कि आप मेरे साथ चलें बढ़िया ठंडाई, चाट सबकी व्यवस्था करूंगा। जिन लोगों की 15 हजार

की हैसियत भी नहीं थी, उनको भी दुकान बनाकर दी है, आज जो काम करके दिखाया है उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जिस व्यक्ति की बिक्री 50 रुपये नहीं होती थी रोटी के लाले थे, आज वह व्यक्ति पांच-पांच हजार रुपये की बिक्री कर रहा है चौक लखनऊ शहर का पुराना मोहल्ला है। उसको हम शहर का आधुनिक मोहल्ला बनाकर खड़ा कर रहे हैं जिन लोगों को हटाया गया है उनको बसाने की जिम्मेदारी ली है। जो अधिकारी इसमें काम करेंगे उनकी हैसियत मेरे से ज्यादा नहीं होगी। जो यथार्थ है वह है। यह हमारी उपलब्धि है पचास-पचास साल बीत गये हैं लेकिन उन्हें एक छत नहीं दे पाये हैं। हम हटा रहे हैं, मकान तोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी हम वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इस नीति का उल्लंघन कर रहे हैं। तकरोही के माडल को उन्होंने दिखाया और कह दिया कि हम तुमको दिला देंगे और उन्हें खराब जगह पर बसा दिया।

इसके लिए शासन को नया कानून बनाना होगा। मान्यवर, व्यवस्था की बात होनी चाहिए। मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी के पास सारा प्रकरण है वह इसका उत्तर देंगे। मैं कहना चाहता हूं, मुश्किल से 25 मकान टूटे होंगे और जो मकान टूटे हैं उनके भाग्य खुल गये हैं अगर यह कहा जाय, यह गलत है तो मुझे सोचना होगा कि क्या समाज के लिए कोई जिम्मेदारी है। मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूं हमारी सरकार उस चुनौती को स्वीकार करती है और इसीलिए यह इनक्रोचमेंट हटाये जा रहे है और हटाये जोयंगे। मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप इस पुनीत कार्य में सहयोग दें। अगर नीचे स्तर पर बहस आयेगी तो बहुत सी बातें आयेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आश्वस्थ करता हूं कि जो कुछ हो रहा है सरकार के निर्देशानुसार हो रहा है। योजना के अनुसार हो रहा है, उसमें कोई एक अधिकारी विशेष महत्व नहीं रखता है।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

लखनऊ के जो पांच बड़े भू-माफिया है क्या उनके ऊपर हाथ लगायेंगे या नहीं।

श्री लाल जी टण्डन-

सब पर लगायेंगे। पांच सौ करोड़ रुपये की जमीन वसूल की है। एक हजार करोड़ की जमीन लोकेट कर ली है इसलिए मैं फिर कहता हूं कि व्यक्ति पर न जायें, नीतियों पर जायें।

*श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, आज जिस मुद्दे पर बहस हो रही है। लखनऊ बाज इस प्रदेश की राजधानी है। बड़े जोरों पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों को और खासकर पिछड़ें और दलित लोगों के मकानों को ढहाने का काम हो रहा है। पांच-छः दिन पहले हम लोगों ने ठाकुरगंज, हरदोई रोड और बालागंज इलाकों को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देखा है। अभी माननीय मंत्री जी बहुत ही गंभीरता से सुनने का काम किया, लेकिन अफसोस है कि अतिक्रमण हटाने का काम हो रहा है जब सारे नगर में और पूरे प्रदेश में जलभराव है, तो उनको उजाड़ा जा रहा है, ऐसे ही गर्मियों में एक-एक बूंद पानी के लिए लोग तरस गये थे उस वक्त भी यही हुआ, उनको पानी देने के बजाए उनको उजाड़ दिया गया। अभी परसों लखनऊ के अन्दर एक भूतपूर्व सांसद की दीवाल गिरने से लोग दब कर मर गये। उनको राहत देने के बजाए सरकार तबाह कर रही है। माननीय टण्डन जी बहुत ही विद्वान है हमारे पुराने साथी है, इस वक्त सबसे पहले यह होना चाहिए था जब कि बंरसात के समय में चिड़ियों का घोंसला भी नहीं उजाड़ा जाता है उस वक्त यह लोगों को उजाड़ रहे हैं। तो इस तरह से वहां के लोगों में खुशहाली नहीं ला सकते हैं, आज लोगों को सड़क पर रहना पड़ रहा है और मंत्री जी बसाने की बात कर रहें है। आप मेरे साथ चले। मंत्री जी से कह रहा हूं कि इस सदन के पांच लोगों की कमेटी भेज दीजिए, न जाने कितने परिवार आसमान के नीचे, दिक्कत में रह रहे हैं।

मंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने बसाने का काम किया है लेकिन आपने बसाने का नहीं उजाड़ने का काम किया है। मैं जानना चाहता हूं, जब आपकी मिली जुली सरकार थी, आपने क्रानून बनाया था, कि अगर कोई अधिकारी उसमें शिथिलता बरतता है। और अतिक्रमण हटाने पर बाधा पहुंचाता है तो उनको दण्डित करेंगे तो आप बताएं उस कानून को बने एक साल हो गया तो कितने अधिकारियों को इस कानून के चलते दण्डित किया है, लखनऊ को उत्तर प्रदेश ही नहीं हिन्दुस्तान ही नहीं दुनिया जानती है यहां की गंगा-जमुनी संस्कृति के नाम से माना जाता है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है और स्वयं मैंने देखा है इमामबाड़े की दीवाल को टच करने का कार्य इस सरकार ने किया है।

यह सरकार किस तरह का संदेश दे रही है, अल्पसंख्यकों को दबाने का काम कर रही है। मंत्री जी में हिम्मत हो तो अमीनाबाद में जाकर देखें, वहां के लोगों ने मेरे से कहा है कि कम से कम पांच सौ टेलीग्राम हम प्रधानमंत्री जी को भेज चुके हैं उनके भी संज्ञान में यह बात है कि लखनऊ को उजाड़ा जा रहा है जब यहां की जनता एक-एक बूंद पानी के लिए गर्मी के मौसम में तरस रही थी, बिजली के लिए तरस रही थी और नालियों बजबजा रही थी, उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और उनको उजाड़ने का काम यह कर रहे है। अमीनाबाद में जहां बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएं हैं। वहां पर कुछ करने की इनकी हिम्मत नहीं है और जहां पर अल्पसंख्यक जाति, अनुसूचित जाति के गरीब लोग बसते हैं, उनको तोड़ने-का काम यह करते हैं और उनको मुआवजा भी नहीं देते।

आप इसको नहीं करेंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग आन्दोलन करेंगे। आज पूरे प्रदेश में बाढ़ आ रही है उसमें राहत का काम नहीं कर रहे हैं लेकिन उजाड़ने का काम कर रहे है चाहे वह फैजाबाद में या कानपुर में हो वहां लोगों

को उजाड़ा जा रहा है। यह सरकार उनको बसाने की योग्यता नहीं रखती लेकिन (× × ×)

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जायेगा। आप अब बैठिये।

श्री अवधेश प्रसाद-

(× × ×)

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, चाहे माननीय सदस्य इधर बैठे हों या उधर बैठे हों एक बिन्दु पर सहमत होंगे कि अतिक्रमण अतिक्रमण है। जहां भी अतिक्रमण होगा, मंदिर के नाम पर मस्जिद के नाम पर, किसी महापुरुष के नाम पर चाहे व्यापार के नाम पर वह किया गया अतिक्रमण अतिक्रमण होता है। चाहे किसी सम्प्रदाय का व्यक्ति हो अगर सड़क पर अतिक्रमण करता है तो मैं मानता हूं कि प्रत्येक वह सदस्य जिसका दिमाग इस प्रदेश के नागरिकों के प्रति किसी प्रकार के सहयोग का है वह इसका स्वागत करेगा कि अतिक्रमण हटाया जाय। लखनऊ की गलियां संकरी हो गयी हैं सड़के घिर गयी हैं सरकार ने साहसपूर्वक पहली बार अतिक्रमण को हटाया और संवेदनशीलता का परिचय दिया इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। अभी नगर विकास मंत्री जी ने कहा कि अगर उजाड़ा गया है तो बसाया जा रहा है।

इस चर्चा में दलित, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों का नाम लिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन से गरीब लोग थे जिन्होंने यह अतिक्रमण किया था। मैं संसदीय कार्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह बतायेंगे कि जब अतिक्रमण हटाया गया तो कौन-कौन से पूंजीपति, कौन-कौन से राजनीतिक और माफिया लोग थे जिन्होंने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया था उनका नाम सामने आना चाहिये। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि इस विषय पर चर्चा एक बहुत बड़ा षडयंत्र है और उसके पीछे वह पूंजीपति और राजनैतिक हैं जिनकी उंगली पर कुछ लोग नाच रहे हैं।

मैं जानता हूं कि इस देश में जो भ्रष्टाचार और कदाचार है जो उसके बारे में चिंता करते हैं चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के हों उनको सोचना चाहिये कि जो 2-4 दीप अंधकार में टिमटिमा रहे हैं उसके लिये आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे टिमटिमाते हुए दीपों को बचाने की हिमायत करें और ऐसे लोगों को जो हतोत्साहित और बदनाम करने और नैतिक बल गिराने का काम करते हैं ऐसे हाथों को तोड़िये। जिस अधिकारी कानाम बार-बार लिया गया समान रूप से उसकी ख्याति है। बहुत ईमानदार अधिकारी हैं। वह इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि यदि कानून का पालन कर रहे हैं तो कितना ही बड़ा आदमी क्यों न सामने आ रहा है, वह इस बात

---

नोटः- (× ××) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

की चिंता नहीं करते हैं कौन रूष्ट हो जायेगा। वह इस बात की चिन्ता नहीं करता है कि सारा संसार हमारे खिलाफ खड़ा हो जायेगा। मैं निवदेन करना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी का सम्मान सुरक्षित रखना चाहिए, उसकी पीठ थपथपानी चाहिए, उसको साधुवाद देना चाहिए लेकिन उसके खिलाफ चर्चा कराने की हिमाकत की जा रही है। मान्यवर, हमें बदबू आ रही है और माननीय सदस्यों को भी सही तथ्यों की जानकारी करनी चाहिए। नैतिकता की बात करना और नैतिक शक्तियों के खिलाफ डंडा लेकर खड़ा हो जाना ऐसा दो मुहाँपन कहीं नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार मिटाने की बात की जाती है लेकिन जो भ्रष्टाचार मिटाने का काम करता है हम उसका विरोध करना शुरू कर दें, उसका पक्ष न लेकर उसका विरोध करें। यह उचित नहीं है। माननीय नगर विकास मंत्री जी एवं उनके अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने लखनऊ को प्रदेश की वास्तविक राजधानी बनाने के लिए जो अतिक्रमण हटाने का काम कर रहे हैं उसकी यही नहीं पूरे देश में प्रशंसा हो रही है और सारे अखबारों में यह बात छपी है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री चन्द्र नाथ सिंह -

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमें इस चर्चा पर बोलने का अवसर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी डंग साहब और माननीय शर्मा जी ने पोथन्ने के बारे में कहा है, वह पोथन्ना मेरे पास है। जब श्री शिव पाल सिंह जी एक डेलीगेशन के साथ ठाकुरगंज और बालागंज गये थे तो सार्वजनिक जमीन पर नहीं बल्कि बैनाम की जमीन पर बने आवासों को गिरा दिया गया है। मान्यवर, यह मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसमें गरीबों का घर है, अल्पसंख्यकों और दलित भाईयों का घर है, वह घर तोड़ दिये गये। नगर विकास मंत्री जी ने कहा कि 1935 के मकान बने हैं वह अतिक्रमण नहीं हे। अतिक्रमण के नाम पर अल्पसंख्यकों और समाजवादी पार्टी के लोगों को उजाड़ा जा रहा है, झुग्गी-झोपड़ी वालों को उजाड़ा जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए कि इन्हें क्यों उजाड़ा गया। लखनऊ सुन्दर होना चाहिए वह हम भी चाहते हैं और पूरा सदन चाहता है। कानून का राज कहा जा रहा है मान्यवर, क्या यही कानून का राज है कि किसी को नोटिस नहीं दिया गया, किसी को बताया नहीं गया, बरसात हो रही है, लखनऊ डूब रहा है और गरीबों के मकान ढाये जा रहे हैं। अभी सरकार कहेगी कि बी0सी0, एल0डी0ए0 बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, उससे अच्छा और ईमानदार अधिकारी कोई दूसरा नहीं है। मान्यवर, यह फोटोग्राफ है, इस अधिकारी ने करोड़ो रुपये की जमीन मंसूरी में अपनी पत्नी के नाम खरीदी है। यह जमीन उसने तब खरीदी है जब वह एस0डी0एम0 मंसूरी थे और कांग्रेस के समय में वह वहां के एस0डी0एम0 बनाये गये थे। मान्यवर, इस अधिकारी ने करोड़ो रुपये की सम्पत्ति अर्जित कर रखी है।

श्री अध्यक्ष-

अगर आरोप निराधार पाया गया तो आप विशेषाधिकार हनन की सूचना आने की प्रतीक्षा कीजिए। कोई भी आरोप बिना प्रमाण के न लगाईये।

सदन में लगाए गए आरोपों को मैं बहुत गम्भीरता से लेता हूं। इसलिए आपने जो आरोप लगाए हैं उनके प्रमाण-पत्र भी रखिए, इस सदन को हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का माध्यम नहीं बनने देंगें।

* श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इसी सदन में अभी एक मंत्री जी ने आरोप लगाया कि ब्रीफ होल्डर ने उसकी फीस लेकर उसको उठाने का काम किया। हमको प्रसन्नता होती अगर मंत्री जी के आरोप को भी आप गम्भीरता से लेते और उनसे भी कहते कि आरोप लगाने से पहले विशेषाधिकार के हनन की सूचना की प्रतीक्षा करते रहें। इस तरह से सत्ता पक्ष के साथ दूसरे तरह का व्यवहार और विपक्ष के साथ दूसरे तरह का ट्रीटमेंट यह धौंस है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइए मैं दोनों के बारे में कह रहा हूं।

(श्री बाबूराम यादव के खड़े होने पर)

प्रो0 बाबू राम जी बैठ जाएं मैंने अनुमति नहीं दी है। श्री चन्द्रनाथ सिंह जी अपनी बात जारी रखें।

श्री चन्द्रनाथ सिंह-

मान्यवर, आपने विशेषाधिकार की बात की, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा अगर सी0बी0आई0 से जांच करने के बाद आरोप सिद्ध न पाए गए उस अधिकारी के विरुद्ध सी0बी0 आई0 जांच बिठा लीजिए। अगर मुख्यमंत्री जी ईमानदारी का ढोंग करते हैं कानून के राज की बात करते हैं तो उस अधिकारी के विरुद्ध सी0बी0आई0 की जांच कराएं उसके घर में ही करोड़ों रुपए की सम्पत्ति बरामद हो सकती है। उसके फर्नीचर को देखें। अभी उसने लखनऊ में ही ढाई लाख रुपए खर्च करके अतिक्रमण किया है। अपने सरकारी आवास में अवैध निर्माण कराया है। एक समिति बना दी जाए जो इसकी जांच करें। भारत सरकार की नियमावली के नियम अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली के नियम 16/3 तथा नियम 311 का उन्होंने उल्लंघन किया है। मंसूरी की जमीन क्रय करते समय क्या उन्होंने परमीशन ली हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देहरादून की जमीन क्रय करते समय क्या उन्होंने परमीशन लिया है, मुरादाबाद में कितने घपले के उन पर आरोप लग रहे हैं। वहां के कमिश्नर की रिपोर्ट देख लें। हम लोग विधायक गण चुनाव में जनता को फेस करते हैं लेकिन आई0ए0एस0 अधिकारी नौकरी में आने के बाद स्वच्छंद हो जाता है, वह नादिशाही कायम करने की कोशिश करता है। यह लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी औलाद यहीं छोड़ गए। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक डी0एम0 के व्यवहार के कारण कितना रो चुके हैं। उस समय आप भी उपस्थित थे। लखनऊ में इन अधिकारी ने कितना घपला किया है। मुरादाबाद से तीन अधिकारी अपने साथ लाए हैं। कम्पाउन्डिंग के नाम पर लाखों रुपए की वसूली की जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

मुझे ब्यौरा दे दीजिए।

श्री चन्द्रनाथ सिंह-

मान्यवर, मैं उन अधिकारियों के नाम भी लिखित रूप में दे दूंगा। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सच्चाई का पता लगाया जाए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। आप इनके विरुद्ध सी0बी0आई0 की जांच कराएं जिससे सच्चाई सामने आ जाए।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना लखनऊ में अतिक्रमण हटाए जाने के सम्बन्ध में है या किसी अधिकारी पर आरोप लगाने के सम्बन्ध में है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह-

मान्यवर, मैं जो यह सूचना दे रहा हूं वह विकास प्राधिकरण लखनऊ के उपाध्यक्ष के बारे में दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

आधे घण्टे का समय और बढ़ा दिया जाय इस चर्चा का।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह चर्चा 4.30 बजे तक बढ़ा दी जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि जो चर्चा इस सदन में चल रही है, उसका समय 4.30 बजे तक बढ़ा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

इसी के साथ ही श्री चन्द्रनाथ सिंह जी आप अपनी बात भी समाप्त कर दें। 3-4 मिनट आपको ज्यादा दे दिये गये हैं।

श्री चन्द्रनाथ सिंह-

अब लखनऊ में ही उनके द्वारा किये गये पक्षपात की बात करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक मुस्लिम भाई नेता बन गये हैं, परन्तु उनकी इमारत एस0 आर0 काम्पलेक्स को नहीं ढ़ाया गया। मिनार काम्पलेक्स को इसलिये नहीं ढाया गया क्योंकि श्री श्याम सुन्दर शर्मा, लोक तांत्रिक कांग्रेस पार्टी के वे समर्थक हैं, के पार्टी में है, श्री नरेश अग्रवाल के कहने पर इस मिनार काम्पलेक्स को नहीं ढाया गया। इस प्रकार की पक्षपातपूर्ण कार्यवाही कर रहा है। मेरे पास तमाम आरोप हैं। इस आई0ए0एस0 अधिकारी ने लखनऊ के ही कई भाजपा विधायकों से बदतमीजी की है इसकी सूचना प्रधानमंत्री जी को दी गई।

हमसे बदतमीजी कर चुका है इतना बदतमीज और बदमिजाज अधिकारी कोई और हो नहीं सकता, इसलिये अपनी बेइमानी को छिपाने के लिये इस प्रकार की कार्यवाही कर रहा है। इसलिये मेरी मांग है कि इस प्रकरण की सी0बी0आई0 से जांच करायी जाय और तब तक इस अधिकारी को मुअत्तल किया जाय। यदि इस अधिकारी की सी0बी0आई0 से जांच नहीं करायी गई और मेरे आरोप सही नहीं पाये गये तो मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। मेरे पास इस अधिकारी के विरुद्ध जो आरोप हैं उनके प्रमाण सहित देने के लिये मैं तैयार हूं।

श्री बाल चन्द्र मिश्र-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अतिक्रमण विरोधी विषय पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले तो श्री वरखू राम वर्मा जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मैं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर प्रतिपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य और वरिष्ठ सदस्य को इस बात के लिए साधन्यवाद देता हूं कि इस बात से सहमत हैं कि जो अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है वह दमदार तरीके से चलना चाहिये और ठीक से चलना चाहिये और जो अधिकारी इसे चला रहा है उसका मनोबल बढ़ाया जाये मुझे खुशी है कि विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि एक ऐसा अधिकारी जो इमानदारी से यह कार्य कर रहा है, ऐसे अधिकारी के ऊपर हमला हो रहा है। अतिक्रमण हटाने की शासन की नीति है और अतिक्रमण को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है।

हम सभी सहमत होंगे और माननीय सदस्य प्रतिपक्ष के भी सहमत होंगे कि उत्तर प्रदेश में अरबों खरबों की सम्पत्ति पर भू-माफिया और अपराधियों ने कब्जा कर रखा है। इस सम्पत्ति का खाली कराने के उद्देश्य से अतिक्रमण

कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए और इस तरह के कब्जे को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। एक अधिकारी जो प्रबल इच्छा शक्ति से काम कर रहा है। ऐसे भू-माफियाओं के कब्जे से सार्वजनिक सम्पत्ति को छुड़ा रहा है उसके ऊपर आरोप लगाये जा रहे हैं उसके अच्छी इच्छा शक्ति को बर्दाश्त करने की शक्ति आपमें नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ जब माननीय सदस्य चन्द्र नाथ सिंह जी जो दूसरे जनपद के रहने वाले हैं, वह प्रतापगढ़ से आते हैं। लखनऊ में अतिक्रमण हटाया जा रहा है उससे इतने ज्यादा दुःखी हैं कि सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र देने की घोषणा कर दी है। श्रीमन् सभी सहमत होंगे कि 1% अतिक्रमणकारी 99 प्रतिशत जनता की सम्पत्ति पर कब्जा कर लेते हैं और सार्वजनिक की सम्पत्ति का दोहन करते हैं, उनका शोषण करते हैं।

मुझे तो अच्छा लगता कि राजनैतिक दुराग्रह से ऊपर उठकर हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य भी निकल कर आते और हिम्मत करते और ऐसे उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण जो हिम्मत के साथ सरकार की नीतियों को कार्यान्वित कर रहे हैं, को धन्यवाद देते, बधाई देते। मान्यवर, आज वह उपाध्यक्ष बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, एक उदाहरण देना चाहता हूं कानपुर में एक एस0एस0पी0 आये। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से काम किया जितने अपराधी थे, भू-माफिया थे उनके खिलाफ कार्यवाही की तो उन अपराधियों ने उसके खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया। जितने अपराधी उनके विरोधी होते गये उससे समझ में आने लगा कि यही एक ईमानदार अधिकारी है यह भू-माफियों के, अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है इसलिये यह लोग उनका विरोध कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह भी आज एक सुनियोजित षडयंत्र है। जो भू-माफिया, अपराधी करोड़ों की सम्पत्ति कब्जा किये हैं उन्हें जब पता चला कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के द्वारा वह सम्पत्ति जो वे कब्जा किये हैं वह छिन जायेगी तो उन्होंने उस अधिकारी का (मौरल) मनोबल डाउन करने का प्रयास किया ताकि वह अरवों करोड़ों की सम्पत्ति बची रह जाय और वे आपस में मिल कर बांट लें। मैं बल पूर्वक कहना चाहता हूं कि कानपुर में इससे अच्छा कार्य किया और उसे और अच्छा काम देने के लिये हटाया गया था। मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है कि सड़कों और फुटपाथ की जमीन को कब्जा करके छोटी-छोटी दुकानें बनाकर भी यह भू-माफिया और अपराधी लोग गरीबों को किराये पर दे देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें। चर्चा लखनऊ की हो रही है आप कानपुर की कर रहे हैं।

श्री बाल चन्द्र मिश्र-

श्रीमन्, मुझे पीड़ा हुई है जब किसी एक अधिकारी के ऊपर योजनाबद्ध

तरीके से, खास तौर से उस ईमानदार व्यक्ति के ऊपर इसलिये आरोप लगाये जा रहे हैं क्योंकि वह किसी भू-माफिया के आगे नतमस्तक नहीं हो रहा है। मैं इस बात की निन्दा करता हूं कि उसके ऊपर इस तरह से आरोप लगाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि विपक्ष के माननीय सदस्य जो उसको जानते हैं हिम्मत करके उसके पक्ष में आये और अतिक्रमण विरोधी इस अभियान को कार्यन्वित कराने में मदद करें।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे विषय की गम्भीरता को देखते हुए समय दिया। शायद कदाचित् यह पहला विषय था जब आपने नियम-56 की सूचना पर .....

श्री अध्यक्ष-

शान्त रहें।

* श्री प्रमोद कुमार-

नियम-56 में कदाचित यह पहला अवसर है जहां आपने पूरी सदस्यता का परिचय देते हुए चर्चा स्वीकार कर ली इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज चर्चा चल रही है तो मैं समझता हूं कि इस पर सबके विचार आ जाएं। यहां कुछ कहते हैं तो सूचनाओं के आधार पर हम बोलते हैं, यहां कुछ कहते हैं तो जनहित का विषय उठाने के लिए कहते हैं मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह जरूरी नहीं है कि अगर कोई सदस्य विचार रखे तो उसके साथ उसका कोई मोटिव हो व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कहेंगे तो मैं समझता हूं चर्चा नहीं हो पाएगी अभी लाबी में चर्चा हो रही थी कि एक-एक हजार रुपया बीज देने के लिए है आप तो मान्यवर, सब जानते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप तो सबसे ज्यादा ज्ञाता हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

आज जो-जो लोग उस अधिकारी के पक्ष में बोलेंगे उनको लखनऊ डेवलपमेंट अथारिटी से एक-एक प्लाट दिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आपने पक्ष में बोलने की बात कही है तो - "निन्दक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए" इस हिसाब से तो विपक्षियों को दो-दो प्लाट मिल जाएंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद कुमार-

यही पढ़कर तो आपके करीब रहना चाहते हैं और आप रहने नहीं देते हैं। पहले प्रसन्न रहते थे इस वक्त गड़बड़ा गए हैं पहले बिल्कुल ठीक थे।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं अगर इतना विरोधी दल के सदस्य कह रहे हैं कि यह आरोप हैं, यह थोड़े ही कह रहें हैं कि फांसी पर चढ़ा दीजिए, न यह कह रहे हैं कि उनको निलम्बित कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा जांच करा दें यह कह रहें हैं अगर आप जांच करा लेंगे तो कौन से नियम टूट जाएंगे कौन सी आफत आ जाएगी, अगर वह सोना होंगे तो कुन्दन बनकर सामने आ जाएंगे, भ्रष्टाचारी होंगे तो सामने आ जाएंगे। मान्यवर, किसी सदस्य ने यह नहीं कहा कि निलम्बित कर दें या उन्हें गिरफ्तार कर लें या उन्हें जेल भेज दिया जाए। जांच कराने की बात कही गई। जांच होती है तो आरोप साफ हो जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

शान्त रहें।

* उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राकेशधर त्रिपाठी)-

हमारी भी जांच करा दें इनकी भी जांच करा दें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, कदाचित् संयुक्त जिम्मेदारी का सिद्धान्त होता है यह मंत्री जी ने बात कही है और चुनौती दी है तो इसमें जांच करा ली जाए और एक हाई-कोर्ट के जज से जांच करा ली जाए। अगर यह मंत्री जी हैं तो, अगर हटा दिए गए हों तो और बात है, तो मान्यवर संयुक्त जिम्मेदारी का सिद्धान्त है। अगर मंत्री जी हैं तो कोई आपत्ति मुख्य मंत्री जी को नहीं होनी चाहिए। जांच हमारी राकेश जी की और उनकी तीनों की करा लें। मैं यह कहना चाहता हूं कि आई0 ए0 एस0 के सभी अधिकारी भ्रष्ट होते हों ऐसी बात नहीं है ईमानदार भी हैं मैं तीन-चार सवाल करना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी बैठे हैं मैं चाहता हूं संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब दें इनका रोल अब चेन्ज हो गया है। उसमें चेंज हो गया। जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जो श्यामली से विधायक थे तब यह डी0एम0 थे। उस समय यह रोया करते थे। बाल चन्द्र मिश्रा जी, जब यह उपाध्यक्ष कानपुर में थे, तो यह कहा करते थे कि बड़ा सख्त है। इसको हटवा दिया जाय। तो मेरा कहने का मतलब है कि अतिक्रमण हटाया जाय इसमें कहीं से मेरी विचारधारा में फर्क नहीं है और मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इसकी शुरूआत हमारे नेता संजय गांधी जी ने की थी। लेकिन अतिक्रमण के नाम पर कुछ पूंजीपतियों को छोड़ा जाय, या आपके दल के सदस्य, विधान परिषद् के सदस्य या नगर विकास मंत्री जी को खून देकर तौलने वाले हों उनको नोटिस दी जाय और फिर उसको वापस ले ली जाय तो यह न करायें। मान्यवर, मैं उदाहरण दे रहा हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एस0आर0 काम्प्लेक्स ठाकुरगंज में है इनको नोटिस दी गयी लेकिन बाद में उनको बख्श दिया गया। तो क्यों बख्शा गया। एक मस्जिद जो ववफ की प्रापर्टी है उसका कुछ हिस्सा कैसे तोड़ा गया जबकि डी0एम0 ने रोका था, मैं जानना चाहता हूं हो सकता है कि मेरी जानकारी गलत हो। एक मीनार गेस्ट हाऊस है। उसको सूचना दी जाती लेकिन फिर शाम को मामला तय हो जाता है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि यही उपाध्यक्ष महोदय मुरादाबाद में थे, कुछ अधिकारियों की टीम थी तो यह टीम अतिक्रमण हटाओ के नाम पर काम नहीं करती थी बल्कि भ्रष्टाचार बनाओ की तर्ज पर काम करती थी। यह पहले तो नोटिस देते थे और उसके बाद इनके कुछ अधिकारी जो टीम में थे वह सुलह करने पहुंच जाते थे, इन सबका उत्तर यहां पर आना चाहिए इनको यहां पर इसलिए नहीं लाया गया कि भ्रष्टाचार को हटाया जाय बल्कि इनको इसलिए यहां पर लाया गया है कि भ्रष्टाचार की गंगा बहायी जाय।

मान्यवर, इसी तरह से राजा छाऊ लाल, इमाम बाड़े में एक राजा ठंडाई वाले हैं उनको नोटिस दी गयी लेकिन फिर तोड़ा नहीं गया। हो सकता है कि उन्होंने ठंडा कर दिया हो। अगर ईमानदार अधिकारी है तो श्यामली के जो विधायक संसदीय कार्य मंत्री हैं वह क्यों कह रहे थे। मान्यवर, जब कोई अधिकारी जहां पर नियुक्त होता है अगर वह वहां पर जमीन खरीदता है या उसकी पत्नी जमीन लेना चाहती है तो जो सेवा नियमावली के सिद्धान्त हैं उसके अनुसार इजाजत लेनी चाहिए। देहरादून के अन्दर जो जमीन खरीदी गयी, जो कि काफी कीमती है, कितनी कीमत की है मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं, सी0 आर0 पी0 सी0 एक्ट के तहत कहना चाहता हूं कि जब यह देहरादून में थे तो इन्होंने जो जमीन खरीदी थी उस समय उन्होंने शासन से कोई इजाजत नहीं मांगी थी। किशनपुर की योजना बनी थी। जब यह उपाध्यक्ष थे, तो किशनपुर कालोनी बनाने की योजना बनी थी और उसके बीस दिन बाद इस योजना को वापस ले लिया इससे उस जमीन के भाव बढ़ गये थे। तो क्या यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है ?

मान्यवर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि उन्होंने एस0 डी0 एम0 रहते हुए श्रीमती हिमानी के नाम पर जो कि उनकी पत्नी है, जमीन खरीदी और उसकी इजाजत नहीं ली। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो जो दण्ड प्रक्रिया संहिता है, आवश्यकता होगी तो मैं धारा भी बता दूंगा, उसके अन्तर्गत क्या वह गुनाहगार

नहीं है ? एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के खिलाफ जांच कर सकता है। मुरादाबाद में जब यह उपाध्यक्ष के रूप में थे तो राजा राम एक आई0ए0एस0 अधिकारी थे उन्होंने जांच की थी और उन्होंने यह आरोप लगाया था कि आपकी वजह से प्राधिकरण को इतना नुकसान हुआ है जो काम 6 प्रतिशत में हो सकता था उसको आपने 8 प्रतिशत में किया है। चार्ज शीट से शासन को सूचित किया। मान्यवर, जब यह मुरादाबाद में थे स्पेशल आडिट टीम में शासन के निर्देश पर जांच करके कहा कि 22 करोड़ का घपला है।

मान्यवर, यह विषय ऐसा नहीं है कि शासन इसमें अपनी हटवादिता में पड़े अपनी ताकत दिखाये। अगर वह व्यक्ति बड़ा ईमानदार है तो एक समिति बनाई जाए जो जांच कर ले। मान्यवर, अगर यह उन्हें वहां से नहीं हटाते हैं, सदस्यों की समिति से जांच नहीं कराते हैं, तो यह कहने में कोई दिक्कत नहीं कि इनके दामन में भी दाग है, यह भी भ्रष्ट हैं।

नेता विरोधीदल (श्री धनी राम वर्मा)-

मान्यवर, कार्यस्थगन में इस पर चर्चा स्वीकार करते हुए आपने आज चर्चा का दिन निश्चित किया। हमारे इस सदन के पक्ष और विपक्ष के बहुत से माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। मान्यवर, विपक्ष की ओर से जो कार्यस्थगन का प्रश्न उठाया गया था उसमें जो अतिक्रमण के नाम पर पार्टी बन्दी भ्रष्टाचार और मनमानी करने का आरोप लगाया गया था उसमें भी हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये। उधर से भी हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने सफाई भी दी. और जिस अधिकारी से जो भ्रष्टाचार में लीन रहने के लिए आरोपित किया विपक्ष ने, उसे क्लीनचिट हमारे सत्तापक्ष के बहुत से लोगों ने दी। श्रीमन् विपक्ष की ओर से यह आरोपित किया गया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के अतिक्रमण हटाये गये उन्हें बेघर किया गया और बहुत से पैसे वाले,चलते पुर्जा लोगों, असरदार व्यक्तियों का नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण हटाये जाने के अभियान में शामिल नहीं किया उनकी करोड़ों की बिल्डिंग खड़ी हुई हैं। श्रीमन् यह भी सदन के संज्ञान में बात आ गयी कि जिस अधिकारी ने अतिक्रमण हटाये जाने में पूरा-पूरा अपना हाथ बटाया यही नहीं इस प्रदेश के कई स्थानों पर वह रह चुका है और वहां उसके खिलाफ अनेकानेक भ्रष्टाचार के आरोपी हैं और उनके खिलाफ उच्च अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है।

श्रीमन् मैं नहीं कहता हूं कि वह अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन जब सदन के संज्ञान में यह आ गया है और आपके संज्ञान में आ गया है कि अनेकानेक भ्रष्टाचार के प्रकरण उनके विरुद्ध हैं, चाहे यह प्रकरण बटलर पैलेस में स्थित उनके मकान का हो, जो शासन की ओर से दिया गया है, उनकी जमीन हड़पने

का।

चाहे मुरादाबाद में भ्रटाचार का आरोप हो, या आरोप हो, देहरादून में जहां मंसूरी आदि में उन्होंने अपनी पत्नी और स्वयं के नाम से जमीन खरीदी है या फिर यह एक स्कूल को नाजायज तरीके से जो जमीन दी है, या एक शराब व्यवसायी को 6 एकड़ जमीन कम दामों में दे दिया है, इस तरह से अनेक भ्रष्टाचार जो सामने आये हैं, उन सब को यदि सत्ता पक्ष के लोग यह समझते हैं कि सब मिथ्या है तो निश्चित तरीके से तभी उनकी बात की पुष्टि हो सकती है, जब इसकी जांच सदन की एक समिति कर ले। या फिर सी0बी0आई0 से जांच करवा ली जाये। यदि जांच नहीं कराई जाती है तो निश्चित तरीके से सारे प्रदेश में यह संदेश जायेगा कि सरकार ने उस भ्रष्ट अधिकारी का बचाने का काम किया है। और फिर क्या होगा ? एक अधिकारी को तो बचाया जायेगा लेकिन अनेक अधिकारी इस तरह से भ्रष्टाचार में लीन हो जायेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि चर्चा का समय 4-45 तक बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने चर्चा का समय 4-45 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मत से स्वीकृत हुआ)

श्री धनीराम वर्मा-

मान्यवर, मैं भी कह रहा था कि भ्रष्टाचार का आरोप और जिस बात का प्रमाण हमारे पक्ष के माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत करने के लिए आपके समक्ष कहा है, उन प्रमाणों के आधार पर और हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों को जो उन्होंने मौखिक रूप से कहा है, उसको आधार मानकर जांच कराई जाय और एक बात की जांच और करा ली जाय, श्रीमन, क्या यह सही नहीं है कि गोमती नगर में अनेक पूंजीपतियों ने अनेक असरदार लोगों ने ऐसे भू-खण्डों पर कब्जा कर रखा है, ऐसी जगह पर कब्जा कर रखा है, जो सचमुच बहुत कीमती है। और नाजायज तरीके से उसको घेर रखा है।

क्या सरकार उसकी भी जांच करायेगी। सरकार को चाहिये कि गोमती नगर में जिन लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा किया है, उनकी भी जांच करवा लें, चाहे कितना भी असरदार व्यक्ति हो, उसको इस घेरे से अलग मत छोड़ा जाय। मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि अतिक्रमण हटाने का जो काम किया गया है, वह इस बरसात के मौसम में नहीं किया जाना चाहिये था। मुश्किल से किसी ने सिर छुपाने लायक स्थान बनाया और इस बरसाती मौसम में, जब कड़ी धूप भी होती है, तेज बरसात भी होती है, उसको आपने वेघर कर दिया, उसके बच्चे, उसकी

पत्नी उसका परिवार कहाँ रहेगा। अगर एक महीने बाद या डेढ़ महीने बाद समय रख लिया जाता, सितम्बर में रख लिया जाता तो ठीक था।

यह अतिक्रमण हटाने का काम केवल अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, दलितों के शोषण और उनको सताये जाने, आतंकित करने, परेशान करने के लिये इस सरकार ने किया है। जो बहुत ही निन्दनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिये था। श्रीमन् जैसा हमारे माननीय विधायक सी0एन0 सिंह तथा प्रमोद तिवारी व अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि या तो इस विधान सभा की समिति बना दी जाय अन्यथा सी0बी0आई0 से जांच करवा ली जाय, तब यह माना जायेगा कि सरकार निष्पक्ष है। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर यह साबित हो जायेगा कि हमारी बात सही है। वैसे जांच यदि होगी तो जांच में जो भी आयेगा, वह सब सामने आ जायेगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा और उसे हम स्वीकार करने को भी तैयार हैं।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, काफी समय से इस प्रकरण का लेकर चर्चा चल रही थी। मैं केवल 3 बिन्दुओं की ओर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। देहरादून का प्रकरण लेकर जो बात कही गई और उस अधिकारी को आरोपित किया गया, मैं बताना चाहता हूं कि देहरादून की स्पेसिफिक बात कही गई और पूछा गया कि क्या उसकी पूर्व अनुमति ली गई थी, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इसकी समस्त जानकारी सरकार को दी गई और रिटर्न दाखिल किया गया तथा अनुमति प्राप्त की गई।

मैंने हर माननीय सदस्य को ध्यान से सुना और मैं अपनी क्षमता के अनुरूप इस प्रकरण को सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं कुछ शिकायत इस बात को लेकर आई थी मुरादाबाद में नजूल भूमि का अतिक्रमण का काम किया गया वह अपनी सम्पत्ति का मूल्य बढ़ाने की दृष्टि से किया गया। इस मामले की जांच वरिष्ठतम अधिकारी श्री रमेश चन्द्रा, जो इस समय लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा कराई गई और जांच में मान्यवर यह सिद्ध हुआ कि इस प्रकार का कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है, सारा का सारा कार्य नियमित रूप से हुआ है। मुरादाबाद के मामले से संबंधित पत्रावली को मैंने स्वयं देखा है, मेरे पास कुछ अभिलेख भी हैं।

मैं बताना चाहता हूं कि मुरादाबाद मे 13 वर्षों में कुल 44 करोड़ की आमदनी थी और जब वे अधिकारी वहां पर गये तो उसने एक वर्ष के अन्दर वहां की आमदनी 50 करोड़ 30 लाख हो गयी 13 वर्षों में 44 करोड़ इसे आप देखें इन्होंने वहाँ पर विभिन्न योजनाएं चलायीं जिसमें निर्बल वर्ग के लोगों को आवास आवंटित कराये गये, इससे ज्यादा मान्यवर, मैं इस विषय में समय बरबाद नहीं करना चाहता आज प्रश्न प्रहर में माननीय जगदम्बिका पाल जी ने प्रश्न उठाया था कि किन

किन भू-माफियाओं का चिन्हीकरण किया गया है और उसमें सबसे बड़े भू-माफिया कौन-कौन से हैं। अगर उनके बार में हम उँगली उठायेंगे तो उनका क्या होगा। ऐसे बहुत ही विरले होते हैं जिनके विरुद्ध उँगली नहीं उठती है। हम जो न्यायसंगत बात होगी वह कहेंगे, प्रकरण क्या है। एल0डी0ए0 की 192 एकड़ भूमि पर नाजायज कब्जा किया गया, 100 एकड़ भूमि ग्रीन बेल्ट के नाम से लीज़ द्वारा आवंटित की गयी, 170 एकड भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया, उसको 7 करोड़ 31 लाख रुपये में तय किया गया जबकि उसका बाजारी मूल्य 125 करोड़ रुपये था आप लखनऊ के भू-माफियाओं का नाम लिवाना चाहते थे, उनका नाम नहीं लिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

जो सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लिया जाना चहिए, अभी तक तो यही परम्परा रही है।

श्री धनीराम वर्मा-

श्रीमन् माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में कहा है...

श्री हुकुम सिंह-

अभी तो मैंने शुरू ही किया था।

श्री धनीराम वर्मा-

अभी तक आपने जो कहा है उसमें दो बिन्दु हैं, जो अस्पष्ट हैं उनको स्पष्ट कर दें जब अपना भाषण करें। पहला तो यह है कि अभी संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार से भूमि खरीदने की इजाजत दी गयी। क्या सरकार से मौखिक इजाजत दी गयी या लिखित इजाजत दी गयी। क्या भूमि खरीदने की अनुमति ली गयी थी और दूसरी बात जो मुरादाबाद की आमदनी की बात कही कि 40 करोड़ से ज्यादा आमदनी बढ़ा दी, लेकिन श्रीमन् यह भी उत्तर आना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए कि क्या उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार के आरोप थे और क्या उच्चाधिकारियों ने आरोपित किया था।

श्री अध्यक्ष-

जितना समय आप लेने वाले हैं उसके लिए पहले ही प्रस्ताव कर लें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इस चर्चा के लिए 5 बजे तक समय बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि इस चर्चा के लिए पांच बजे तक समय बड़ा दिया जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करता हूं, आपके प्रति सम्मान मेरे मन में इतना है कि मैं उसकी अनदेखी नहीं कर सकता हूं।

देहरादून के बारे में मैंने जानकारी दी, हर सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जब भी अपना रिटर्न दाखिल करता है उसमें वह सारे ट्रान्जेक्शन का उल्लेख करता है, लिखित में है जबानी नहीं।

श्री अध्यक्ष-

यह किस सन् का है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह प्रकरण 1994 का है जब हमारा कोई उत्तरदायी नहीं था और एक बहुत बड़ी जिम्मेदार किस्म की उत्तरदायी सरकार विद्यमान थी, इसके आगे कुछ और जितने प्रकरण है यह 1994 के है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

किसी पर आक्षेप नहीं लगाया है, शांत रहें।

श्री धनीराम वर्मा-

सरकार की अनुमति मिली या नहीं?

श्री हुकुम सिंह-

1994 के बाद मैं 1995 में आता हूं। (व्यवधान) मुरादाबाद में आ रहा हूं, 1995 में तत्कालीन सरकार ने तीन प्रशस्ति पत्र अनुकर्णीय के लिए उस अधिकारियों को दिए जो भी सरकार उस समय थी हमारे सम्मानित साथी कुछ क्रोध में है मुझे आखें दिखा रहें हैं। शायद प्रकरण से अलग होकर कहने के लिए मजबूर कर रहें है, मैं कुछ उल्लेख कर देना चाहता हूं। 700 एकड़ भूमि में क्या किया वह कह रहें है। एक व्यवसायिक भूखण्ड नं0 7 है कपूरथाला में उसका नक्शा पास नहीं हुआ। भूखण्ड में बेसमेन्ट बना है और 12 मंजिल भवन बना है, इस मानचित्र को प्रधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है। बिना अनुमति के कैसे पास हो गया तो उसकी हालत यही होती है जो आज हो रही है। 700 एकड़ में अनधिकृत निर्माण हो रहा है। उस अधिकारी ने निर्माण कार्य रोकने का दुस्साहस कर दिया तो यह कार्यवाही होगी। उस व्यवसाय भूखण्ड 1 व 2 में नक्शा पास नहीं किया और सारे का सारा निर्माण कार्य कर लिया। दस मंजिला भवन बन कर तैयार हो गया नक्शा पास नहीं। यह 1994 की बात है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय राम जग जी, यही परम्परा रही है जो सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लेते हैं। इसीलिए व्यक्तियों का नाम नहीं लिया है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यही नहीं एक समिति बनी हुई है, सहारा आवास संघ लिमिटेड, इसके द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर क्या-क्या कार्य होते हैं। वह बता रहा हूं। एक कर्मयोगी सहकारी आवास समिति लिमिटेड है और एक अग्रेही सहकारी समिति लिमिटेड, एक न्यू अपना घर आवास समिति और एक सहारा भवन सहकारी आवास समिति है।

यह सारी कम्पनियां ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किये हैं जिसका एक भी पैसा सरकार को नहीं दिया सारा का सारा कब्जा नाजायज है (शेम-शेम की आवाजें)।

श्री प्रमोद कुमार-

मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जिस सोसाइटी की बात हो रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरवान्वित होने गये थे।

श्री अध्यक्ष-

ऐसी सोसाइटियां सभी दलों के नेताओं को गौरवान्वित करती है। सभी दलों के नेता गौरवान्वित हुये होंगे वह तो सत्ता के साथ चलती हैं।

श्री धनीराम वर्मा-

श्रीमान् दोनों बिन्दुओं का स्पष्टीकरण था यदि आप संतुष्ट हैं तो कोई बात नहीं यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो उनका स्पष्टीकरण करवा दें।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी का वक्तव्य समाप्त हो जाने दें। फिर करवा देंगें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सहारा इण्डिया आवास लि0 अग्रोही सहकारी आवास लि0 इस तरह की 6 समितियां है जिन्होंने ग्राम सभा की अपार सम्पत्ति पर कब्जा कर रखा है तो सारा विपक्ष एक चट्टान की तरह खड़ा हो जायेगा उस अधिकारी को बेइमान घोषित करने के लिए।

एक माननीय सदस्य-

बरखूराम जी को छोड़कर।

श्री हुकुम सिंह -

उनको मैं धन्यवाद दूंगा। बरखूराम जी ने अपने भाषण में कहा था कि जो बड़े-बड़े भू-माफिया हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे उनकी प्रेरणा से सरकार ने कार्य किया है सबसे पहले बड़ों से शुरू किया है। मान्यवर, एक योजना है यहां पर गोमती नगर में, कामर्शियल काम्पलेक्स बनना था इसकी दर 35 सौ रुपये स्क्वायर मीटर थी। यही जो ऊंची पहुंच वाले थे, 1994 में स्वर्ण जयंती वर्ष इनके लिए था, प्रस्ताव लाये यहां पर हमारा अपोलों अस्पताल बनेगा जिसमें एक मरीज से लाखों रुपया फीस लेंगे। तो मान्यवर, इस जमीन को जिसकी दर 35 सौ रुपये स्क्वायर मीटर थी उनको आठ सौ रुपये वर्ग मीटर की दर से बेंच दी गई (शेम-शेम की आवाजें) और मान्यवर, उस कामर्शियल काम्पलेक्स को उठाकर एक ऐसे निर्जन स्थान पर पहुंचा दिया गया जहां वह कभी विकसित नहीं हो सकेगा। मान्यवर, जिस अधिकारी ने दुस्साहस किया इनके काम अड़चन डालने की कोशिश की तो तीन तरीके होते हैं मनोबल तोड़ने के पहला अपने अपार धन के सहारे खरीदने की, दूसरा राजनीतिक रूप से दबाव डलवाने के तीसरा धमकाने की, यह तीनों उपाय किये गये। पहले तो अपने अधिकारियों को भेजकर करोड़ों रुपये देकर खरीदने की कोशिश की गई, सफलता नहीं मिली तो राजनीतिक दबाव डलवाया गया उन लोगों से जो किसी न किसी रूप में कुछ दिनों पहले तक दिल्ली की सत्ता पर आसीन थे संयोग से अब नहीं हैं। जब वह दबाव काम नहीं आया तो तीसरी कार्यवाही होती है हर जगह अपने एक्सपर्ट भेजकर, कहां-कहां वह नियुक्त रहे.....

चारों तरफ भेजकर झूठे आंकड़े इकट्ठे करने का प्रयास किया गया, कामयाब नहीं हुए तो प्रदेश की सर्वोच्च स्थल, सबसे ऊंची पंचायत बैठी हुई है उसके समय का अपव्यय करने के लिए, इस फ्लोर का दुरुपयोग करने के लिए सारी की सारी कार्यवाही अतिक्रमण की आड़ में लाया गया। हमारे वरिष्ठ साथी टण्डन जी ने विस्तार से बात की मान्यवर, हमारा दिल भरा हुआ है, दिल इसलिए भरा है कि वर्ष 1994 के स्वर्णिम वर्ष में कई लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग या सदुपयोग किया, मैं इस प्रकरण को सदन में नहीं लाना चाहता था लेकिन मेरा दायित्व है कि जब इतनी बातें कही गयी हैं, नेता विपक्ष की जानकारी के लिए, कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं।

मान्यवर, एक योजना थी ई0डब्लू0एस0 की। एकोनामिक वीकर सेक्शन में जो गरीब, असहाय हो, आमदनी बहुत कम हो, जिन्हें कहीं जमीन नहीं मिल पायेगी इस योजना में उनको जमीन आवंटित किये जायेंगे। मान्यवर, लिया किसने, हमारे सम्मानित साथी बैठे हुये हैं, बहुत बड़े राजनैतिक परिवार से आते हैं, करोड़ों-अरबों में खेलते रहे हैं, मेरे मित्र और मेरे मित्र के भाई भी हैं, लेकिन मैं क्या करूं? क्या यह उपयुक्त था कि इतने ऊंचे राजनैतिक घराने के परिवार के आदमी भाई शिवपाल सिंह जी का दुर्बल आय वर्ग में मकान आवंटित हुआ उसके बाद उसको चेंज कराया गया विपुल खण्ड में ताज होटल के बराबर में है। तीन-तीन बार परिवर्तन कराया गया।

(विपक्ष में कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया माननीय सदस्य शांत रहें। उदय राज जी आप स्थान ग्रहण करें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, उदयराज जी को मैं यह भी बता देता हूं कि यह भवन था 5/826 नकद क्रय पद्धति पर इसको फिर परिवर्तित कराया विनीत खण्ड में 540 वर्ग मीटर के भूखण्ड संख्या 1/87, इसके बाद इसको विपुल खण्ड में पी-2/19 में परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया और पैसा कितना दिया गया 35 हजार रुपए गृह परिवर्तन के वह भी माफ कराए गए। इसके बाद एक लाख रुपए का दंड ब्याज लगा उसकी छूट ले ली गई।

* श्री उदयराज यादव-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने नाम लिया है।

श्री अध्यक्ष-

अगर किसी का नाम लिया होगा तो उसको हटवा दिया जाएगा। अगर कोई इसी सदन का सदस्य है तो नाम लेने में आपत्ति नहीं है।

श्री उदय राज यादव-

(× × ×)

श्री अध्यक्ष-

आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं यह लिखा नहीं जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री समय बढ़ाने का प्रस्ताव लाएं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि इस चर्चा का समय 5.10 तक बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि चर्चा का समय 5.10 तक बढ़ा दिया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से पास हुआ)

श्री हुकुम सिंह -

मान्यवर, मेरे पास 102 व्यक्तियों की सूची है। जिहोंने अनियमित तरीके से आवंटित कराया। तरीका यह होता है कि कोई स्कीम प्रकाशित की जाएगी समाचार पत्रों में, आवेदन पत्र लिए जाएंगे आवेदन पत्र अगर अधिक हैं तो लाटरी के आधार पर आवंटन होगा कौन सा प्लाट किस को मिले इसके लिए दुबारा लाटरी निकाली जाएगी वर्ष 1994 में इस मान्यता को ताक पर रखकर प्लाटों का आवंटन किया गया। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कितना बड़ा व्यक्ति हो, एक भी आवंटन इस प्रकार नहीं

---

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया गया।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

पहले संसदीय कार्यमंत्री जी को अपनी बात पूरी कर लेने दें।

श्री प्रमोद कुमार-

मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है उसका जवाब अभी तक नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्यमंत्री जी को पूरा जवाब तो देने दें।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या नियमों में इस प्रकार का प्राविधान है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाएं। आप खामख्वाह उत्तेजना पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया बैठ जाएं।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होकर जोर-जोर से चिल्लाने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री तिवारी जी, आप कृपा करके बैठ जायं। आप सदन में उत्तेजना मत पैदा कीजिये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैंने कहा कि बिना लाटरी के आवंटन की प्रक्रिया का प्राविधान नहीं था। मैं ऐसे दो प्रकरणों का उल्लेख करूँगा जिसको देख करके मेरा मन भी यह कहने लगा कि देश और समाज के बारे में जहां हम खड़े होकर ऊँची-ऊँची बात करते हैं और आदर्श की बात करते हैं, उनकी हालत क्या है। एक प्लाट है, जो पहले वीकर सेक्शन का था, नम्बर है ई0 5/845, फिर चेन्ज हुआ बी-43 में

और फिर चेन्ज हुआ, विपुल खण्ड में ही। जिस व्यक्ति के नाम यह आवंटित हुआ, उनका नाम है (* * *) जिन्हें तीन बार आवंटित किया गया।

श्री अध्यक्ष-

वह इस सदन के सदस्य नहीं हैं। उनका नाम नहीं लिया जा सकता है।

(श्री चन्द्र नाथ सिंह के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य आप क्यों परेशान हो रहे हैं। अमर सिंह नाम से सैकड़ों व्यक्ति हो सकते हैं।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर व्यवधान)

माननीय श्री प्रमोद कुमार जी आपकी यह आदत बहुत खराब है। आप खड़े होकर इस प्रकार उत्तेजित करते हैं। मैं आपसे बार-बार कह रहा हूं।

(श्री राम तेज यादव एडवोकेट जी के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

श्री यादव जी आप कृपा करके बैठ जायं। मैंने उसी समय कह दिया था कि वह सदन के सदस्य नहीं हैं। मैं नाम को हटवा दूंगा। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आप जल्दी समाप्त कीजिये। मैं अब समय नहीं बढ़ाऊँगा।

(श्री बी0 आर0 वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

क्या आप भी कुछ कहना चाहते हैं। ऐसे में तो समय बढ़ाना पड़ेगा।

श्री बाबूराम यादव-

मान्यवर, आप बहुत ही विद्वान अध्यक्ष हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो हूं, वहीं हूं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आप मेरी उत्तेजना को देख सकते हैं और दूसरों की नहीं।

श्री अध्यक्ष-

अब बाबू राम यादव जी बोलने के लिये खड़े हुए हैं, आप बीच में ही बोलने के लिये खड़े हो गये। ऐसा उच्छृखल व्यवहार हमने बहुत कम लोगों का

---

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

देखा है। अब आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री बाबू राम यादव-

इस बात को कहना इसलिये जरूरी है कि आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और इस अध्यक्ष पीठ पर बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं बहुत प्रसन्न हूं, यह सुनकर।

श्री बाबू राम यादव-

अगर मान्यवर, आपको गुस्सा आयेगा...

श्री अध्यक्ष-

मैं चाहता हूं कि शांतिपूर्ण वातावरण में सारा काम हो।

श्री बाबू राम यादव-

श्रीमन्, आपने देखा होगा कि जब चन्द्र नाथ सिंह बोलने के लिये खड़े हुए तो बीच में व्यवधान होने लगा। मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्यमंत्री और पूरी सरकार से निवदेन करता हूं कि जो बिन्दु उठाये गये हैं उस पर उत्तर आना चाहिए। जो बिन्दु उठाये गये हैं वह गोल कर दिये गये और नई चीज प्रस्तुत की जा रही है। किसी का नाम यहां पर लिया जा रहा है और आप उसको कार्यवाही से नहीं निकलवा रहे हैं.. श्रीमन् मेरी प्रार्थना है कि सरकार को निर्देश दें कि जो बिन्दू विपक्षी सदस्यों ने उठाये हैं। उन पर उत्तर दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अगर आपने ध्यान दिया होता तो सुन लिया होता कि मैंने पहले ही नाम कटवा दिया था।

श्री बाबू राम यादव-

श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है कि सरकार को निर्देश दें कि जो बिन्दु विपक्षी सदस्यों ने उठाये हैं उन पर उत्तर दें।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, सदन जो है, वह परम्परा से चलता है। जो नियमावली है, संविधान में जो प्राविजन्स हैं उनके तहत चलता है। मान्यवर, आप स्वतः जानते हैं और यह परिपाटी रही है कि जब कोई स्पष्टीकरण पूछना हो तो सदस्य पूछा करते हैं और व्यवस्था का प्रश्न जैसा आप जानते हैं कि एक मद से दूसरी मद के बीच में कभी भी उठाया जा सकता है। जहां तक मैं देख रहा था कदाचित् हो

सकता है कि आप तक सन्देश पहुंचने में, मैं नहीं कहता कि कोई त्रुटि हुई है। प्रमोद कुमार जो सदस्यों को बैठा रहे थे। मैं बगल में बैठा हुआ था। हो सकता है कि वहां से देखने में महसूस हुआ हो कि वह उत्तेजना फैला रहे हैं।

(दोनों पक्षों के जोर-जोर से बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया शान्त रहिये।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मेरा कोई चापलूसी करने का स्वभाव नहीं है। आपको हो सकता है कि तकलीफ हुई हो। सदन शांतिपूर्ण चले यह आपकी जिम्मेदारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों को रोकना आपकी जिम्मेदारी है और उनकी भी जिम्मेदारी आपके प्रति है। लेकिन मान्यवर, उस पीठ की जो मर्यादा है। आप जैसा व्यक्ति उस पीठ पर बैठा हो। ज्यादा संरक्षण विपक्ष को मिलना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मेरा प्रयास रहता है कि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चले और किसी तरह की उत्तेजना न हो। एक माननीय सदस्य की बात दूसरे लोग सुन लें ताकि उत्तर आ सके।

(व्यवधान)

**जनप्रतिनिधियों के साथ उचित व्यवहार किये जाने से सम्बन्धित व्यवस्था का प्रश्न**

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, अगर उठाने की इजाजत दें तो कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

उठाने के बाद बैठ जाइयेगा।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक आग्रह आपसे कहना चाहता हूं कि जितने माननीय सदस्य यहां पर चुनकर आते हैं दलों की भावना के अनुसार आते हैं। हर दल का नेता होता है और उस दल के भावनाएं होती हैं। जब सदस्य

यहां आता है तो एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। हो सकता है कि कोई बात किसी नियम में न आती हो (× × ×) मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार है। आप सुनें। जायज हो तो ठीक नाजायज हो तो व्यवस्था न दें। लेकिन यहां स्कूल के स्टूडेंट नहीं बैठे हैं कि आप उन्हें हेडमास्टर की तरह डांटकर बैठा दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

बैठ जाईए, बहुत अच्छा किया कि इस बात को उठा दिया। आप भी यहां चुनकर आये हैं किसी निर्वाचन क्षेत्र से, इधर जो बैठे हैं वह भी चुनकर आये हैं, उधर जो बैठे हैं वह भी चुनकर आये हैं और मैं भी चुनकर आया हूं। अब उसको आप हेडमास्टर की शक्ति बता दें चाहे प्रिसिंपल की ताकत बता दें। प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली है। कुछ लोग कभी-कभी अनावश्यक बात कह देते हैं, माननीय सदस्य कहते हैं कि अवसर दिया जाए, तो रोका जाता है उसको अब आप चाहे तो अध्यक्ष समझो, चाहे हैड मास्टर समझो, चाहे प्रिन्सिपल समझो लेकिन मैं प्रयास करूँगा, शान्तिपूर्वक सदन को चलाने का, और अपने अधिकारों का प्रयोग करूँगा। जहां आगे जाने की आवश्यकता होगी तो मैं जाऊँगा, आप उसको अध्यक्ष के नाम से पुकारें चाहे प्रिसिंपल के नाम से पुकारें। अब जब तक संसदीय कार्यमंत्री अपनी बात को समाप्त नहीं करेंगे तब तक आप नहीं बोलेंगे।

**प्रदेश में विशेष रूप से राजधानी लखनऊ में, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान के नाम पर कथित रूप से गरीबों, दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जगदम्बिका पाल आदि द्वारा दी गई सूचना पर चर्चा (क्रमागत)**

(व्यवधान)

आप कार्यवाही चलाने दें। संसदीय कार्यमंत्री जी पहले समय बढ़ाने का प्रस्ताव लायेंगे।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जो चर्चा चल रही है इस चर्चा का समय 5.25 मिनट तक बढ़ा दिया जाय?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह चर्चा जो चल रही है इसका समय 5.25 तक कर दिया जाये?

---

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैंने हां नहीं किया है अभी आप ही ने मना किया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

जिसकी आदत होती है वह बोलता है ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)-

मान्यवर, समय बढ़ाने का प्रस्ताव सामने आया । संसदीय कार्यमंत्री जी ने उसे रखा । विपक्ष के कुछ लोग इस मत के हैं कि समय न बढ़ाया जाये । आपने "हां" "ना" में करा दिया । हम इस पक्ष के हैं कि आप इसका डिवीजन करवा लीजिए, मत विभाजन करवा लीजिए ।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपका निर्णय आ चुका है प्रस्ताव पास हो चुका है ।

श्री अध्यक्ष-

व्यवस्था मैंने दे दी है नियमों के अन्तर्गत मैंने व्यवस्था दे दी है "हां" की संख्या अधिक है इसलिए समय बढ़ गया ।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत कम समय में अपनी बात समाप्त करूँगा । दो-तीन बातें एल0डी0ए0 के बारे में करना चाहूंगा जैसी कि समस्त सम्मानित सदस्यों की जिज्ञासा है कि एल0डी0ए0 के बारे में बताएं । मान्यवर, एक प्लाट है एफ0 2/23 विपुल खण्ड में आवंटित है (× × ×) इस तरह से डायरेक्ट एलाट किया गया है ।

...मान्यवर, चिन्ता इस बात की हो रही है कि इन भू-माफियाओं का दबाव राजनीति पर होता जा रहा है । मैं बहुत ही संयम के साथ नेता प्रतिपक्ष का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह कहना चाहता हूं कि एक समय आया था 1996 के लोक सभा के चुनाव में हजारों आदमी लखनऊ के फाइव स्टार होटल में और दूसरे होटलों में ठहराये गये । इस बात का प्रयास किया गया था कि उसी भू-माफियाओं के माध्यम से सारे लोकतंत्र का ढांचा बिगाड़ दिया जाय । लेकिन मैं लखनऊ के वासियों की तारीफ करूँगा कि उन्होंने इन भू-माफियाओं को नकार दिया । आज वह व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई, बैठे हुए हैं...

(व्यवधान)

---

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मान्यवर, जिस अधिकारी की बार-बार चर्चा हो रही है कि लखनऊ को उसने उजाड़ दिया, तो मान्यवर, मैं दो व्यक्तियों का नाम लेना चाहता हूं। मान्यवर, 1997-98 में लखनऊ विकास प्राधिकरण की आमदनी 19 करोड़ 33 लाख थी, जो वर्ष 1998-99 में 29 करोड़ 98 हजार हो गयी।

(विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया अपने-अपने स्थानों पर जायें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह केवल तीन माह की उपलब्धि है। मान्यवर, हमने कृषकों को प्रतिकर का भुगतान जो कि वर्ष 1997-98 में 96.00 लाख था। उसको बढ़ाकर 395 लाख रुपया वितरित किया है। यह हमारी तीन माह की उपलब्धि है। हमें सुदृढ़ीकरण/विकास शुल्क में जो कि वर्ष 1997-98 में 7.67 लाख रुपया प्राप्त हुए था। उसको बढ़ाकर वर्ष 1998-99 में 47.37 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। जो कि 617 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। शमन शुल्क के रूप में इस वित्तीय वर्ष में कुल 47.00 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं पिछले वर्ष यह 13.00 लाख रुपये था। निर्माण एवं विकास में पिछले वर्ष 930.00 लाख का भुगतान किया गया था जबकि इस वर्ष 960.00 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। अनिस्तारित सम्पत्तियों का निस्तारण में इस वित्तीय वर्ष में कुल 779 ऐसी सम्पत्तियों का आवंटन किया गया है जो विगत कई वर्षों से नहीं बिक पा रही थी। इनका कुल मुल्य 881.00 लाख रुपये है विगत वर्ष 242.00 लाख रुपये का निस्तारण किया गया था।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

मैं सदन को 5.30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय 5 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 5 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी)

5 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता डा0 सरजीत सिंह डंग के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया सभी माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री धनीराम वर्मा-

श्रीमन्, यह सारा उत्तेजना का वातावरण जो सदन में आज उपस्थित हुआ है। केवल एक कारण से, उस कारण से जिसका कि उत्तर हमारे माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने नहीं दिया और अध्यक्ष जी ने बार-बार कहा कि पूरा भाषण हो जायेगा और अगर उत्तर नहीं आयेगा तो दिलवा देंगे। पहले मेरे स्पष्टीकरण का उत्तर दिलवा दिया जाय। क्या यह अधिकारी जिसने देहरादून मंसूरी के अन्तर्गत अपने और अपनी पत्नी के नाम से जमीन खरीदी उसकी परमीशन उच्चाधिकारियों से ले ली थी? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मुरादाबाद में रहते हुए चाहे अरबों रुपये की उस अधिकारी ने सरकार की आमदनी बढ़ा दी है? क्या उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे, और उसे आरोपित किया गया था, और आयुक्त ने एक अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी, क्या ऐसा था, इसका जवाब चाहता हूं?

श्री अधिष्ठाता-

माननीय नेता प्रतिपक्ष आप यह स्वीकार करते हैं कि इस चर्चा को लेकर उत्तेजना का वातावरण यहां बना फिर आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, आपने दो प्रश्न स्पष्टीकरण के रूपे में रखे, इसमें व्यवस्था कहां से आई? यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री धनीराम वर्मा-

जो मैं कह रहा था, उसका उत्तर आना चाहिए, वह न देकर तमाम इधर-उधर विषय से हटकर बातें कहनी शुरू कर दी जिस पर चर्चा हो रही थी, पहले उसका उत्तर आना चाहिए, उस विषय पर, फिर और बातें कहनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है। तो मैं समझूंगा कि जान-बूझकर व्यवधान डालने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदन ने 5.25 बजे तक चर्चा का समय बढ़ाया था, उसमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे थे। 5.25 बजे तक समय था, अब इस चर्चा को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं?

श्री धनीराम वर्मा-

उत्तर के लिए माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि उत्तर हम दिलवायेंगे। उत्तर आ जाये, उसके बाद दूसरा बिन्दु ले लीजिये।

श्री चन्द्र नाथ सिंह-

(× × ×)

(व्यवधान)

---

नोट:- {× × ×} यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

यह अंकित नहीं किया जायेगा।

श्री चन्द्रनाथ सिंह-

(× × ×)

श्री अधिष्ठाता-

कोई बात अंकित नहीं होगी।

श्री राम तेज यादव (एडवोकेट)-

मान्यवर व्यवस्था का प्रश्न है।

(× × ×)

श्री अधिष्ठाता-

श्री यादव की कोई बात अंकित नहीं की जायेगी।

श्री चन्द्र नाथ सिंह-

(× × ×)

श्री अधिष्ठाता-

मैं सी0एन0 सिंह को अनुमति नहीं दे रहा हूं, उनकी कही कोई बात अंकित नहीं की जायेगी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री राम औतार शाक्य-

जब संसदीय कार्य मंत्री अध्यक्ष जी की अनुज्ञा से बोल रहे थे, तो बड़े उत्तेजित थे, कह कुछ रहे थे, जुबान से कुछ निकल रहा था। उसके बाद जब सदन अव्यवस्थित हो गया और माननीय संसदीय कार्य मंत्री विषय से अलग हटकर बोल रहे थे, तो समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने आपत्ति की, फिर भी उनका बोलना बंद नहीं हुआ, लोग वेल में गये, नारेबाजी की। सरकार मुर्दाबाद, उस बीच में सदन व्यवस्थित नहीं था, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री लगातार उत्तेजना में अपना भाषण दिये जा रहे थे, उसको कदापि लिखा नहीं जाय, यह मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

सदन व्यवस्थित हो, चर्चा का कोई सार्थक परिणाम सामने आये, इसलिये कृपया ऐसी ही बात कहियेगा, उत्तेजना बढ़ाने वाली कोई बात नहीं कहियेगा।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अधिष्ठाता जी, सदन में जब चर्चा स्वीकार होती है, तो उसमें हम स्पष्टीकरण भी पूछ सकते हैं और आपकी अनुमति से पूछ रहे हैं। मैंने 3

---

नोट:- (× × ×) यह अंश अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

स्पष्टीकरण पूछे थे, यदि संसदीय कार्य मंत्री चाहें तो जवाब दें अन्यथा मैं विवश नहीं कर रहा हूं। क्या अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली, 1968 के नियम 16 (8) 3 तथा उसके परन्तुक के अनुसार उपाध्यक्ष, जो वर्तमान में है, ने देहरादून में जो जमीन खरीदी थी, उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त की थी यदि की थी, तो उस अनुमति को सदन में आपकी पीठ को देने की कृपा करेंगे। दूसरी बात जानना चाहता हूं कि जिस संस्था का जिक्र किया, उस संस्था ने उत्तर प्रदेश के लिये नाम कमाया है, मैं सहारा की बात कर रहा हूं। जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकरे साहब आये थे, तो वहां गये थे कि नहीं। माननीय मुख्यमंत्री वहां गौरवान्वित होने गये थे कि नहीं और तीसरी बात वर्तमान प्रधानमंत्री जब यहां आये थे, तो वहां गये थे या नहीं, इसका जवाब दिलवा दें।

श्री बाबूराम यादव-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी हमारे दल के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे और आपने निर्देश दिया कि कुछ भी नहीं लिखा जायेगा। जब सी0एन0 सिंह बोल रहे थे, उस समय सदन व्यवस्थित था और आपने कह दिया उनका कुछ भी नहीं लिखा जायेगा। जब सदन व्यवस्थित नहीं था और हमारे दल के सदस्य नारे लगा रहे थे, उसी दौरान माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हमारे दल के सदस्यों पर आरोप लगा रहे थे, और नाम लेकर आरोप लगा रहे थे, उनके आरोप तो कार्यवाही में दर्ज हैं उनको आपने नहीं निकलवाया और जब हमारे दल के सदस्य ने नाम ले लिया तो उनको कार्यवाही से निकलवा दिया, तो मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यदि आप सी0एन0 सिंह के शब्दों को कार्यवाही से निकालने के आदेश दिये हैं, तो संसदीय कार्य मंत्री के भी उन शब्दों को कार्यवाही से निकलवायें, जिनमें उन्होंने हमारे दल के लोगों के नाम लिये हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्यगण, चर्चा में परम्परा है कि जो चर्चा प्रस्तुत करता है, वह अपनी बात करता है और उसमें पक्ष और विपक्ष के लोग अपने विचार प्रकट करते हैं और कोई मंत्री उस पर अपना भाषण करता है, माननीय मंत्री जी अपना उत्तर भाषण देते हैं और बाद में चर्चा समाप्त हो जाती है। यह प्रश्नोत्तर काल नहीं है।

श्री धनीराम वर्मा-

क्या स्पष्टीकरण नहीं पूछा जा सकता है?

श्री अधिष्ठाता-

स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार प्रत्येक माननीय सदस्य को है। जो प्रश्न

माननीय नेता विरोधी दल ने उठाये हैं, अगर उनका उत्तर माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी देना चाहें, तो अवश्य दे दें, लेकिन चर्चा को लेकर अनावश्यक उत्तेजना पैदा हो, यह किसी की मंशा नहीं होनी चाहिये। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर संसदीय कार्य मंत्री जी जिनको सभी लोग नहीं सुन पाये हैं, अगर कोई इस तरह की बात होगी जो नियमों के विरुद्ध होगी, या उत्तेजनात्मक होगी, तो मैं उसे कार्यवाही से निकलवा दूंगा।

श्री बाबूराम यादव-

यह पीठ की गरिमा है कि दोनों पक्षों को समानता से देखें, चाहे आप उस कुर्सी पर विराजमान हों और चाहे माननीय अध्यक्ष जी विराजमान हों और चाहे कोई अधिष्ठाता विराजमान हो (× × ×)

श्री हुकुम सिंह-

मुझे इस पर आपत्ति है।

श्री अधिष्ठाता-

जो श्री सी0एन0 सिंह ने कहा है, उसको मैंने सुना है, वह निश्चित रूप से कार्यवाही में लिखने योग्य नहीं है। जब संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे थे उस समय सदन अव्यवस्थित था, अगर उसमें कोई ऐसी बात होगी जो असंसदीय होगी, उसे माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करके कार्यवाही से निकलवा दूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

(श्री बाबूराम यादव के खड़े होने पर) कोई समय निश्चित होता है, उसके अनुसार कार्यवाही चलती है। (व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव-

जिस दिन माननीय रामवीर उपाध्याय, हमारे बसपा के साथी बोल रहे थे, उन्होंने अपनी पीड़ा कही और माननीय मुख्यमंत्री के पुत्र का नाम लिया और सारा सदन गवाह है, उधर से सब सदस्य खड़े हो गये और इतना उधम मच गया कि मा0 अध्यक्ष ने उसे कार्यवाही से निकाल दिया।

श्री अधिष्ठाता-

उसका कारण यह नहीं था मैं स्वयं पीठ पर था। (व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा-

मान्यवर, क्या अन्ताछरी हो रही है? (व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव-

इस सदन में तमाम पक्षपातों की बात होती फिर भी हमारा सहयोग रहता है, हम लोग सहयोग करते आये हैं, लेकिन इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मा0

---

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

संसदीय कार्य मंत्री ने हम पर आरोप लगा दिया, उनको नहीं निकाला जाता है और जब हम नाम लेते हैं, तो विभिन्न नियमों का सहारा लेकर कार्यवाही से निकाल देते है। मा0 संसदीय कार्यमंत्री ने नादिरा का नाम लिया, श्री अमर सिंह जी का नाम लिया। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो भी संसदीय परम्पराएं हैं, अगर उसके अनुकूल कोई बात नहीं होगी, तो उसे निकाल दिया जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियम 304 की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप कृपया बैठें।

श्री प्रमोद कुमार-

नियम 304 आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

मैंने आपको अनुमति नहीं दी। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी आपको अगर कोई स्पष्टीकरण देना है, तो दे सकते हैं। (व्यवधान) (कई सदस्यों के खड़े होने पर) व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था न फैलाएं। मैंने नियम 304 पढ़ लिया है। अगर कोई असंसदीय शब्द होगा, तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार-

आप मुझे क्यों नहीं पढ़ने दे रहे है? (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। (शोर)

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय प्रमोद जी मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं स्वयं पढ़े दे रहा हूं।

नियम 304 में, सदन की कार्यवाही से शब्दों का निकाला जाना, "यदि अध्यक्ष की राय हो कि सदन में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये हैं जो मानहानि कारक या असंसदीय या अभद्र हैं। तो वे स्वविवेक से आदेश दे सकेंगे। ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सदन की कार्यवाही से निकाल दिये जायें।"

श्री प्रमोद कुमार-

मैं जानना चाहता हूं कि असंसदीय, मानहानिकारक, अशिष्ट शब्द कौन हैं ?

(शोर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय तिवारी जी यह अध्यक्ष या अध्यक्ष पीठ पर बैठे हुए व्यक्ति के स्वविवेक पर है, यह उसका उत्तरदायित्व है।

श्री बाबूराम यादव-

नियमों के विपरीत यदि अध्यक्ष पीठ से व्यवस्था हो तो हमें कहने का अधिकार है।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय नेता प्रतिपक्ष आप अपने सदस्यों को शांत रखिये अगर संसदीय कार्यमंत्री स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो देने दीजिए। नहीं तो मैं अगली मद पर चला जाता हूं।

श्री राम तेज यादव-एडवोकेट-

(× × ×)

श्री अधिष्ठाता-

श्री यादव जी ने जो कहा है वह शब्द कार्यवाही में अंकित नहीं किये जायेगें।

**प्रदेश में बनरोझो (नीलगाय) से हो रही किसानों की फसलों की क्षति एवं उसकी रोकथाम के उपायों के विषय में दि0 6 जुलाई, 98 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं0 1 नत्थी "क" के सम्बन्ध में श्री अवधेश प्रसाद आदि द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन**

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या 12 को स्थगित किया जाता है।

**प्रदेश में आलू तथा अरबी (घुइयाँ) की फसलों में छटका फुंशी व खुरदरापन आदि बीमारियां लगने एवं उसकी रोकथाम के विषय में श्री अम्बिका चौधरी आदि द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन**

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-13 को स्थगित किया जाता है।

(मद संख्या-14 पुकारे जाने पर)

(श्री रामतेज यादव व अनेक सदस्य सदन के वेल में आ गये)

---

नोट-(× × ×) यह अंश जो अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री रामतेज यादव-एडवोकेट-
मान्यवर, ऐसे नहीं चलेगा।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप लोग अपने स्थान पर जायें।

**वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगो पर चर्चा**

**एवं मतदान अनुदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग अनुदान संख्या 73**

**शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (जारी)**

उच्च शिक्षा प्राविधिक शिक्षा ग्राम्य विकास मंत्री (डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)-

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 62,90,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 2,23,63,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, आप इस पर अपना विचार रखें। माननीय सदस्यगण कृपया अपने स्थान पर चलें।

(वेल में आये हुए सदस्यगण रिपोर्टर्स टेबिल पर चढ़कर नारे लगाते रहे।)

माननीय सदस्यगण कृपया अपने स्थान पर चले। मैं सदन को 6,15 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय 5 बजकर 55 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 6 बजकर 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी।)

(6 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 6 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है)

(6 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 6 बजकर 45 मिनट तक बढ़ा दिया है।)

(6 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता डा0 सरजीत सिंह डंग के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

**प्रदेश में विशेष रूप से राजधानी लखनऊ में, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान के नाम पर कथित रूप से गरीबों, दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जगदम्बिका पाल आदि द्वारा दी गई सूचना पर चर्चा (क्रमागत)**

(नेता विरोधी दल) श्री धनीराम वर्मा-

अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से पीठ के माध्यम से दो स्पष्टीकरण चाहे थे। उसमें एक स्पष्टीकरण यह था कि क्या नियमानुसार, जैसा कि नियम है अखिल भारतीय सेवा नियमावली, 1968 के नियम-16-(8)-3 तथा उसके परन्तुक के अनुसार संबंधित अधिकारी ने जिन्होंने जमीन खरीदी है, अपनी पत्नी के नाम और जो स्वयं जमीन खरीदी है, उसके लिए शासन से अनुमति प्राप्त की थी। दूसरी बात कि मुरादाबाद में जब यह अधिकारी विकास प्राधिकरण के पद पर थे, तो उस समय जो 22 करोड़ रुपये का घपला किया था, कोई अधिकारी उस दायरे में आया था। तत्समय के जो जांच अधिकारी थे, उन्होंने आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया था। क्या माननीय संसदीय कार्यमंत्री इन दोनों बातों का उत्तर सदन के पटल पर रखेंगे? क्या जांच अधिकारी ने जांच की थी? और आरोप पाये गये थे?

(पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्यमंत्री) श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह प्रकरण 1989 का है। इसमें एक पत्र नियुक्ति विभाग के सचिव को लिखा गया। प्रेषक प्रभात कुमार, परगनाधिकारी। सेवा में, सचिव नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 10 मार्च, 1989। अचल सम्पत्ति क्रय करने के सम्बन्ध में ऋण लेने हेतु पूर्व सूचना देने के संबंध में। निवेदन है कि मैं तहसील परगना केन्द्र दून के ग्राम मालसी में कृषि उपयोग हेतु 0.43 एकड़ भूमि क्रय करने का विचार बना रहा हूं उसकी कीमत लगभग 30 हजार रुपये है। उसमें शुल्क नियमानुसार देय होगा। 500 रुपये अरबन कोआपरेटिव बैंक और इसके अलावा मान्यवर और विवरण उन्होंने इसमें दे रखे हैं। जब यह जमीन क्रय कर ली तो दूसरा पत्र वित्त सचिव को लिखा अप्रैल, 1989 में उस में लिखा है कि मैंने .43 ए-क्षेत्रफल क्रय किया है उसका खसरा नम्बर 243 है और यह तीन आदमियों से क्रय किया है। उनके भी नाम दिये हुए हैं। भूमि क्रय करने में 36,360/- रुपये लगे जो मैंने 14-3-89 को भुगतान किया। यह धनराशि मेरे द्वारा निम्नलिखित श्रोतों से प्राप्त की गई। मान्यवर, इसमें सारा विवरण श्रोतों का दिया गया है। सारा भुगतान होने के बाद किसी नियम का उल्लंघन होने का प्रश्न नहीं उठता। दूसरा जो मुरादाबाद के बारे में प्रकरण है उसमें तत्कालीन आयुक्त राज राम ने जांचकी। जो वर्तमान अधिकारी प्रभात कुमार से संबंधित नहीं है। इससे पूर्व जो वहां पर उपाध्यक्ष थे, उनसे संबंधित है।

श्री राम तेज यादव-एडवोकेट-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष कृपया अपने सदस्यों से सहयोग करने के लिये कहें। मैं आपका सहयोग चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने प्रस्ताव रख दिया है, उस पर विचार प्रकट करने का मौका दीजिये।

श्री रामतेज यादव-एडवोकेट-

एक लाइन का स्पष्टीकरण है।

श्री धनीराम वर्मा-

जांच के लिये कह रखा है जांच करवा लें।

श्री राम तेज यादव-एडवोकेट.-

इस प्रकरण की सी0बी0आई0 से जांच करवा लें।

श्री अधिष्ठाता-

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। जो उत्तर आपने मांगा वह उत्तर दे दिया।

(व्यवधान)

अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री रामतेज यादव-एडवोकेट- (× × ×)

श्री अधिष्ठाता-

मैंने अनुमति नहीं दी है, लिखा नहीं जायेगा।

(घोर व्यवधान)

(विपक्ष के कई माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गए और रिपोर्टर्स की टेबिल पर खड़े हो गए।)

**वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) स्वीकृत क्रमागत**

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मुन्ना चौहान जी कटौती का प्रस्ताव रखें।

(मुन्ना चौहान जी के कटौती का प्रस्ताव न रखने पर)

मुन्ना चौहान जी कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं अतः मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। (घोर व्यवधान के मध्य)

---

नोट-(× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 62,90,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अम्बरीष कुमार जी कटौती का प्रस्ताव रखें।

(माननीय अम्बरीष जी के कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत न करने पर)

माननीय अम्बरीष जी कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं अतः मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,23,63,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

**वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्यय में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग, अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)**

* माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री (डा0 नेपाल सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,34,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

श्री राम सिंह सैनी जी आप कटौती का प्रस्ताव रखें

(श्री राम सिंह सैनी द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखने पर)

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

---

नोटः- * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39-भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,34,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डा0 नेपाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,17,09,41,000 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

श्री राम सिंह सैनी जी कटौती का प्रस्ताव रखें।

(श्री राम सिंह सैनी द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखने पर)

अतः मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

(डायस पर पर्चे फेंके गये)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,17,09,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**1998-99 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) अनुदान संख्या-74 शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) अनुदान संख्या-75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)**

* बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार (श्री रवीन्द्र शुक्ला)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,96,23,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

---

नोटः- * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

श्री जगदीश नारायण मुन्ना जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव रखें।

(श्री जगदीश नारायण मुन्ना द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखने पर)

अब मैं प्रश्न रख रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,96,23,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री रवीन्द्र शुक्ला-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-74 शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,72,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

श्री जगदीश नारायण मुन्ना जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव रखें।

(श्री जगदीश नारायण मुन्ना द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखने पर)

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-74 शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,72,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री रवीन्द्र शुक्ला-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,88,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

श्री जगदीश नारायण मुन्ना जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव रखें।

(श्री जगदीश नारायण मुन्ना जी के द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखने पर)

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 28,88,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

## नियम 51 की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 20-7-98 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेई की प्रदेश के मेडिकल कालेजों, विशेष रूप से मेरठ मेडिकल कालेज से पूरक परीक्षा पद्धति को कैरीआन पद्धति के अन्तर्गत लाकर लाभ देने विषयक शासनादेश दिनांक 10 जनवरी, 1998 लागू न किये जाने से एम0पी0बी0एस0 छात्रों में व्याप्त असंतोष से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। अगली सूचना श्री राम विशुन आजाद की, प्रदेश में अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति के कर्मियों को कथित रूप से उत्पीड़ित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। अगली सूचना श्री ओंकार सिंह यादव की, जनपद बदायूं के सहसवान क्षेत्रान्तर्गत जूनामई ब्लाक के कतिपय ग्रामों में बाढ़ एवं गंगा की कटान से पीड़ित व्यक्तियों को पुनर्वासित कराये जाने तथा राहत दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई है। अगली सूचना श्री दीपक कुमार की महानगर, कानपुर के ऐतिहासिक श्री सिद्धिनाथ मंदिर व मकदूम शाह बाबा मजार तथा गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई व पूर्वी छोर के 50 गांवों को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर पानी भरा रहने, जगह-जगह जानलेवा गड्ढे होने, खुले मेनहोल होने से आवागमन की उत्पन्न गम्भीर समस्या के संबंध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। अगली सूचना श्री गोरखनाथ पाण्डेय की प्रदेश के परिवहन विभाग में अधिकारियों की मिलीभगत से व्यापारियों द्वारा टोकेन रैकेट चलाकर भ्रष्टाचार एवं घोटाला किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। अगली सूचना डा0 राम बाबू हरित की आगरा महानगर

में नगर निगम द्वारा अधिग्रहीत कालोनियों में सीवर एवं नालों की सफाई न किये जाने तथा जलोत्सारण की समुचित व्यवस्था न होने से जन सामान्य को हो रही कठिनाइयों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

अगली सूचना श्री चन्द्रनाथ सिंह की है।

इलाहाबाद नगर में एडलफी कोटी में विकलांग बच्चों हेतु विकलांग विभाग द्वारा संचालित कार्यशाला के भवन की जर्जर स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए बच्चों की सुरक्षा हेतु कार्यशाला अन्यत्र स्थानातंरित किये जाने के संबंध में" ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। अगली सूचना श्री उदयराज यादव जी की जनपद उन्नाव के हिलौली ब्लाक अन्तर्गत ग्रामसभा गुलरिहा के ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कथित रूप से शासकीय धनराशि का दुरुपयोग किये जाने के संबंध

(घोर व्यवधान)

में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। अगली सूचना श्री अजय कुमार पोइया की मथुरा नगर परिषद् के सेवानिवृत्त कर्मियों को उनके देयों, पेंशन आदि के भुगतान को लेकर 70 दिन से चली आ रही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। अगली सूचना श्री राम औतार शाक्य की गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा नियमों के अन्तर्गत कार्य न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। अगली सूचना डा0 कौशल किशोर की जनपद लखीमपुर में गोला से अलीगंज--बरसौला से बिजुआ होते हुए दुधवा नेशनल पार्क जाने वाली मार्ग की अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण स्थिति से जन-सामान्य को हो रही भीषण असुविधाओं के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। अगली सूचना डा0 वकार अहमद शाह की लखनऊ महानगर में सिविल व बलरामपुर अस्पताल में तथा देहरादून के अस्पताल में सी0टी0 स्कैन मशीनों की स्वीकृति के बावजूद न लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। श्री बनारसी दास चान्दना श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना श्री राजपाल सिंह, श्री विजेन्द्र आर्य की जनपद बागपत के उप जिलाधिकारी बड़ौत द्वारा कथित रूप से की गई अनियमितताओं तथा अनुशासनहीनता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

कुंवर रेवती रमण सिंह, डा0 अशोक बाजपेई, डा0 धर्मज्ञ मिश्र, श्री सतीश जतारिया, श्री मूलचन्द्र श्री मोहम्मद मुस्लिम, श्री अजय भट्ट, की सूचनायें अस्वीकृत हुई।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या 16, 17, 18, 19, 20 एवं 21 पर अंकित संलग्न वक्तव्य पढ़े हुए माने गये।

(संलग्न वक्तव्य पढ़े हुए माने गये)

## प्रदेश में वर्ष 1990 तथा 1992 के नियत वेतन पर नियुक्त एलोपैथिक चिकित्साधिकारी को वेतन समिति की संस्तुतियों के अनुरूप वेतन तथा नान-प्रैक्टिसिंग एलाउन्स दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत डा0 सरजीत सिंह डंग, द्वारा दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

पंजीयन, मनोरंजनकर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

(प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के अन्तर्गत प्रदेश में चिकित्सकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1990 में रु० 2200 और उस पर अनुमन्य मंहगाई भत्ता और अन्य भत्ते प्रतिमाह नियत वेतन की दर पर चिकित्सकों की नियुक्तियां की गयी थीं और वर्ष 1992 में प्रदेश के मैदान क्षेत्र में रु० 4700, पर्वतीय क्षेत्र के उत्तरकाशी, चमोली व पिथौरागढ़ में रु० 5100 तथा पर्वतीय क्षेत्र के अन्य जनपदों में रु0 4900 प्रतिमाह नियत वेतन की दर पर चिकित्सकों की नियुक्तियां की गयी थीं।

2- शासन के संज्ञान में यह आया कि वर्ष 1990 में नियत वेतन की दर पर नियुक्त चिकित्सकों के नियत वेतन की परिलब्धियां मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते में समय-समय पर हुई वृद्धि के कारण, वर्ष 1992 में नियत वेतन पर नियुक्त चिकित्सकों के नियत वेतन से अधिक हो गयी है। अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 1990 और वर्ष 1992 में नियुक्त चिकित्सकों का नियत वेतन दिनांक 1.4.98 से रु0 9440/- प्रतिमाह पुनरीक्षित किया गया है। इस सम्बन्ध में मा0 सदस्य विधान सभा का यह कथन है कि सरकार ने अपने वेतन भोगी समस्त कर्मचारियों के लिए वेतन समिति की संस्तुति को दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू किया है, अतः नियत वेतन पर नियुक्त चिकित्सकों को भी उक्त नियत वेतन 9440 रुपये दिनांक 01 जनवरी, 1996 से अनुमन्य कराया जाय। माननीय सदस्य विधान सभा के उक्त कथन के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि वेतन समिति की संस्तुति में नियत वेतन पर नियुक्त चिकित्सकों के बारे में कोई संस्तुति नहीं की गयी है और उक्त नियत वेतन के पुनरीक्षण का आधार वेतन समिति की संस्तुति नहीं है, अपितु नियत वेतन पर नियुक्त समस्त चिकित्सकों के नियत वेतन समान किये जाने का आधार है।

3- माननीय सदस्य विधान सभा के इस कथन के बारे में कि वेतन पर नियुक्त चिकित्सकों को नान-प्रैक्टिसिंग एलाउन्स नहीं दिया जा रहा है, के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1990 में नियत वेतन पर नियुक्त चिकित्सकों के नियुक्ति-पत्र में ही स्पष्ट उल्लेख है कि प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्राइवेट प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा। वर्ष 1992 में नियत वेतन पर नियुक्त चिकित्सकों के नियुक्ति पत्र में उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस बन्दी भत्ता अनुमन्य कराये जाने का उल्लेख नहीं है। अतः उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस बन्दी भत्ते का भुगतान नहीं किया जा रहा है। वर्ष 1990 और 1992 में नियत वेतन पर

---

नोटः- (यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।)

नियुक्त चिकित्सकों का नियत वेतन शासनादेश दिनांक 19 मई, 1998 द्वारा दिनांक 01.04.98 से समान कर दिया गया है। अतः वर्ष 1992 में नियुक्त चिकित्सकों को भी प्राईवेट प्रैक्टिस बन्दी भत्ते के भुगतान पर विचार कर यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

4- यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त नियत वेतन पर नियुक्त चिकित्सकों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में विभिन्न रिट याचिकायें दायर की गयी। ऐसी 113 रिट याचिकाओं को सूचीबद्ध करते हुए रिट संख्या -360(एस0बी0)/94- डा0 शैलेष गुप्ता बनाम राज्य में दिनांक 5.7.96 को मा0 न्यायालय द्वारा यह निर्णय पारित किया है कि नियत वेतन पर नियुक्त चिकित्सकों को ड्यूटी पर तब तक बनाये रखा जाये जब तक कि नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थी/चिकित्सक कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेते हैं। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने और कार्यभार ग्रहण किये जाने के फलस्वरूप भी प्रदेश में चिकित्सकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए नियत वेतन पर नियुक्त चिकित्सकों की सेवायें समाप्त नहीं की गयी हैं।)

**जनपद मैनपुरी स्थित भोगांव संकिसा बौद्ध पर्यटक स्थल जनपद फर्रुखाबाद को सीधे जोड़ने हेतु सड़क मार्ग के प्रारम्भिक भाषण एवं प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन की स्वीकृति प्रदान कर सड़क का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत श्री राम औतार शाक्य द्वारा दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

पंजीयन, मनोरंजनकर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

(जनपद फर्रूखाबाद में संकिसा एक मात्र बौद्ध पर्यटन केन्द्र है जहां प्रतिवर्ष काफी संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। संकिसा में पर्यटकों-तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए 50 शैयायुक्त एक पर्यटक आवास गृह निर्माणाधीन है। वाह्य सहायता प्राप्त बौद्ध परिपथ द्वितीय चरण की प्रस्तावित योजना में संकिसा में लैण्ड स्कैपिंग, पर्यटक केन्द्र, संग्रहालय, स्तूप, मनन केन्द्र, पहुंच मार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण, ड्रेनेज, वृक्षारोपण, मार्गों का संरक्षण, विद्युतीकरण एवम् जल वितरण की वर्तमान व्यवस्था के उच्चीकरण आदि का कार्य प्रस्तावित है।

संकिसा को जी0टी0 मार्ग पर स्थित बेबर (जनपद मैनपुरी) से सीधा जोड़ने हेतु वेवस, मोटा-बसरौली तक के पूर्व निर्मित मार्ग की लम्बाई के उच्चीकरण के कार्य के लिए रुपया 588.00 लाख के आगणन एवं बसरौली से संकिसा बौद्ध मठ तक नये मार्ग का 6 किमी0 लम्बे मार्ग एवम् काली नदी पर वृहद् सेतु के निर्माण हेतु रुपये 539.00 लाख का आगणन तैयार कराया गया है। इन दोनों आगणनों के कार्य भी ओ0ई0सी0एफ0 (जापान) से वाह्य सहायतित बौद्ध परिपथ द्वितीय चरण की प्रस्तावित योजना के अंतर्गत कराये जाने हेतु पर्यटन विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने का विचार किया जा रहा है।)

---

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

## केन्द्रीय सरकार की भांति उत्तर प्रदेश में भी शहरी भूमि हदबन्दी कानून को तत्काल स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

(डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, सदस्य विधान सभा ने सदन में दिनांक 13 जुलाई, 1998 को नियम -51 के अन्तर्गत दी गई अपनी सूचना में सदन को सूचित किया है कि दिनांक 11 मई, 1998 को केन्द्रीय मंत्रि-मण्डल ने 22 वर्ष पुराना शहरी भूमि हदबन्दी केन्द्रीय कानून को रद्द करने का फैसला किया है। केन्द्र सरकार ने इस कानून को व्यर्थ एवं असफल कानून बताया है तथा संसद के वर्तमान सत्र में विधेयक लाकर उसे रद्द करने का निर्णय लिया है। माननीय सदस्य की अपेक्षा है कि उत्तर प्रदेश में उक्त केन्द्रीय कानून को तत्काल स्थगित करने का निर्णय लिया जाना चाहिए।

2-वस्तुस्थिति यह है कि शहरी भूमि हदबन्दी कानून, (वास्तविक नाम नगर भूमि (सीमारोपण एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 है) राज्य के विधान मण्डल द्वारा दिनांक 07 अगस्त, 1975 को पारित संकल्पों की पृष्ठभूमि में भारत का संविधान के अनुच्छेद 252 खण्ड (1) के अन्तर्गत संसद द्वारा बनाया गया केन्द्रीय अधिनियम है तथा जो दिनांक 17 फरवरी, 1976 से उत्तर प्रदेश की 12 नगर बस्तियों (अरबन एम्लोमरेजान) यथा कानपुर, बरेली, मेरठ, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, मुरादाबाद, देहरादून, गोरखपुर, अलीगढ़ व सहारनपुर में तय है।

3-अधिनियम के उद्देश्यों की विभिन्न कारणों से अपेक्षित पूर्ति न हो सकने तथा अधिनियम के कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं एवं कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में प्रथमतः भारत सरकार के स्तर पर उक्त अधिनियम में संशोधन किये जाने का विचार मन्थन हो रहा था किन्तु कालान्तर में अधिनियम को निरसित (रिपील) करने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है। इसी क्रम में नगर भूमि (सीमारोपण एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 को निरसित किये जाने के निमित्त एक निरसन विधेयक (रिपीलिंग बिल) संसद में दिनांक 11 जून, 1998 को पुनः स्थापित हो चुका है परन्तु उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह विधेयक अभी संसद द्वारा पारित नहीं हुआ है।

4-विधिक रूप से वस्तुस्थिति यह है कि नगर भूमि (सीमारोपण एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 252 खण्ड (1) के अन्तर्गत संसद द्वारा बताया गया एक केन्द्रीय अधिनियम है तथा संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) में यह भी स्पष्ट उपबन्ध है कि उक्त अनुच्छेद के खण्ड (1) के अन्तर्गत संसद द्वारा पारित अधिनियम का संशोधन या निरसन (रिपील) उस राज्य के विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा नहीं किया जा सकेगा जिसमें यह लागू होता है। वर्णित स्थिति में उक्त अधिनियम को स्थगित किये जा सकने का अधिकार राज्य को उपलब्ध नहीं है। संसद में पुरःस्थापित जिस विधेयक के अधिनियम बन जाने के पश्चात् ही राज्य को यह विकल्प उपलब्ध होगा कि निरसन अधिनियम को अंगीकार करे, अथवा नगर भूमि (सीमारोपण विनियमन)

---

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधिनियम, 1976 को यथावत जारी रखे। इस प्रकार वर्तमान में नगर भूमि सीमारोपण एवं विनियमन अधिनियम, 1976 को राज्य में समाप्त (निरसित) करने का कोई अवसर नहीं है। यथा समय इस पर विचार किया जायेगा।)

**सम्पूर्ण प्रदेश में मान्यता प्राप्त अप्रशिक्षित अध्यापकों को पत्राचार बी0टी0सी0 प्रशिक्षण पूर्ण न कराने एवं बी0टी0सी0 परीक्षाओं में सम्मिलित न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रवीन्द्र शुक्ला)-

(श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना दिनांक 23-6-98 के माध्यम से मान्यता प्राप्त अप्रशिक्षित अध्यापकों को पत्राचार बी0टी0सी0 प्रशिक्षण शासनादेश एवं मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशों के अनुपालन में बी0टी0सी0 प्रशिक्षण एवं परीक्षा कराये जाने की मांग की गई है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सूच्य है कि शासनादेश सं0-742/15(13)/94-1499 (8)/77 दिनांक 6 सितम्बर, 1994 द्वारा अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं को द्विवर्षीय पत्राचार प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। उक्त शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार 2 प्रशिक्षण शिविर (प्रथम फेरा) आयोजित किए गए। शासनादेश संख्या-507/15(13)/96-1499(8)/77 दिनांक 18 मार्च, 1996 द्वारा पूर्व शासनादेश दिनांक 6-9-94 के संशोधन में यह आदेश जारी किये गये कि पत्राचार द्वारा बी0टी0सी0 प्रशिक्षण की सुविधा केवल परिषदीय विद्यालयों में मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त अप्रशिक्षित अध्यापकों तथा अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के केवल उन अप्रशिक्षित अध्यापकों, जिनकी नियुक्ति विभागीय अनुमोदन के उपरान्त की गई थी, को ही प्रशिक्षण की सुविधा दी जाये। तदनुसार ऐसे सभी व्यक्तियों, जो अपने को अशासकीय विद्यालयों का अध्यापक बताते थे, परन्तु जिनका अनुमोदन जिला बेसिक शिक्षाधिकारी द्वारा नहीं किया गया था, को प्रशिक्षण का द्वितीय फेरा नहीं कराया गया। जहां तक मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन का प्रश्न है, मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में जिला बेसिक शिक्षाधिकारी बुलन्दशहर द्वारा क्रमशः दिनांक 19-3-98 एवं 3-6-98 को याचीगण के प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए यह निर्णय दिया कि याचीगण का विभागीय अनुमोदन न होने तथा सृजित पद से अधिक पद पर नियुक्ति होने के कारण याचीगण अनुमोदित अध्यापक की श्रेणी में नहीं आते हैं। अतः याचीगण शासनादेश दिनांक 6-9-94 का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं।

प्रायः सभी पत्राचार प्रशिक्षण प्रकरण में जांचोपरान्त सामान्य बिन्दु यह पाया गया कि याचीगण/प्रत्यावेदन-कर्ता की नियुक्ति विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं है। अतएव सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश सं0-591/15(1)/98-1300(5)/97 दिनांक 27 मार्च, 1998 द्वारा बी0टी0सी0 पत्राचार की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।)

---

नोट- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

**जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत निर्मित सम्पर्क मार्गों में अनियमितता तथा मजदूरों को स्वीकृत दर पर मजदूरी का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत सरोज द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य**

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)- (जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत निर्मित सम्पर्क मार्गों की स्थिति निम्नवत् है:-

सरांय अकिल म्योहर मार्ग से मोहिद्दीनपुर देवछार मार्ग

यह मार्ग सुनिश्चित रोजगार योजना 1996-97 के अन्तर्गत 3.00 कि0मी0 लम्बाई हेतु मिट्टी स्तर से लेपन स्तर तक स्वीकृत हुआ था। अम्बेडकर ग्राम मोहिद्दीनपुर देवछार 2.850 कि0मी0 लम्बाई के मार्ग निर्माण के पक्के मार्ग से जुड़ जाता है। अतः 2.850 कि0मी0 के मार्ग का निर्माण मिट्टी से लेपन स्तर तक पूर्ण किया गया है।

मार्ग के निर्माण कार्य में आपूर्ति के कार्य ठेकेदारों द्वारा कराये गये हैं तथा मजदूरी के कार्य क्षेत्रीय श्रमिकों द्वारा कराये गये हैं तथा निर्माण कार्य में सृजित कुल 11010 मानव दिवसों हेतु निर्धारित रु0 47/- प्रति मानव दिवस की दर से कुल रु0 5,17,470.00 का भुगतान किया गया है।

अप्रैल, 97 में कार्य प्रारम्भ किया गया था एवं मार्च, 98 में निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण कर दिया गया है। सभी कार्य विशिष्टियों के अनुसार कराये गये हैं तथा सामग्री का प्रयोग निर्धारित मानक के अनुसार किया गया है। वर्तमान में मार्ग की दशा अच्छी है एवं कहीं कोई पैच अथवा दबक नहीं है।

2. कड़ा अलीपुर जीता से सौरई बुजुर्ग मार्ग-

यह मार्ग विधान सभा क्षेत्र सिराथू जनपद कौशाम्बी में जिला योजना 4225 के अन्तर्गत 1.80 कि0मी0 लम्बाई हेतु रु0 9.00 लाख खड़न्जा से लेपन स्तर तक स्वीकृत है। यह कार्य सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत नहीं कराया गया है। अतः विभागीय पद्धति के अनुसार यह कार्य ठेकेदारी पद्धति से कराया गया है। उक्त मार्ग का निर्माण आगणन के अनुसार विभागीय विशिष्टियों के अनुरूप किया गया है तथा मार्ग निर्माण हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार सामग्री का प्रयोग किया गया है।

मार्ग में कोई क्षति नहीं हुई है, कोई पैच अथवा दबक नहीं है।)

---

नोट- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

**जनपद पीलीभीत की पूरनपुर तहसील में उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत शारदा पार बसाये गये विस्थापित हजारों परिवारों के पुनः शारदा नदी के कटान से प्रभावित क्षेत्र में आ जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत श्री गोपाल कृष्ण द्वारा दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

(जिलाधिकारी, पीलीभीत से प्राप्त सूचनानुसार जनपद की तहसील पूरनपुर के ग्राम, गुनहार, गभिया, सहराई, रमनगरा, शास्त्री नगर, आजाद नगर आदि शारदा नदी के कटान से प्रभावित होते है गत वर्षों में ग्राम गुनहान में 943.01 एकड़, ग्राम गभिया सहराई में 34.50 एकड, ग्राम शास्त्री नगर में 62.25 एकड़, ग्राम आजाद नगर में 440.80 एकड़ भूमि का कटान हुआ है। गत वर्षों में शारदा नदी के कटान से प्रभावित हुए ग्राम गुनहान के 109 परिवारों को ग्राम रमनगरा में प्रत्येक को 2 एकड़ की दर से कुल 218 एकड़ भमि, ग्राम शास्त्री नगर के कटान से प्रभावित परिवारों को ग्राम अशोक नगर में ग्राम आजाद नगर के 74 परिवारों को गौरनिया गांधीनगर में बसानें हेतु आवासीय भूमि आंवटित की गई तथा ग्राम हजारा के 28 परिवारों को ग्राम अभयपुर में बसाया गया है।

जनपद पीलीभीत के शारदा नदी की बाढ़ से जलप्लावन व कटान की समस्या के समाधान हेतु, दीर्घकालीन रणनीति तैयार करने के लिए विशेष सचिव, सिंचाई विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 29.11.90 को शासन के सिंचाई विभाग द्वारा समिति गठित की गई थी। उक्त समिति के द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया था कि उक्त ग्राम शारदा नदी के मेन्डरिंग कोर्स मे है। जिनके जल प्लावन एवं कटान को रोकना असम्भव है जिसका एक मात्र विकल्प यह है कि इन ग्रामों के प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर पुनर्वासित किया जा सकता है। समिति की संस्तुति के अनुसार ही इन ग्रामों के प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वासित किया गया था।

वर्तमान में ग्राम गभिया सहराई व रमनगरा के बीच 1.6 किलों मी0 लम्बाई के बाढ़ निरोधक के निर्माण हेतु रु0 2.10 करोड़ धनराशि की योजना, योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की जा चुकी जिसका निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा वर्षा ऋतु के बाद प्रारम्भ किया जायेगा। इस योजना से दानों ग्रामों के साथ-साथ शारदा बाँध की सुरख भी सुनिश्चित हो जायेगी। जहां तक इस आबादी वाली भूमि के पुनः कटान का प्रश्न है, इस वर्ष अभी तक ग्राम शास्त्री नगर की आबादी की भूमि कटी है जिन्हें नेहरु नगर में उपनिवेशन की भूमि आवंटित कर पुनर्वासित किये जाने का कार्य किया जा रहा है। शेष किसी अन्य ग्राम में शारदा नदी से आबादी की कटान नहीं हुई है जहां तक कृषि योग्य भूमि के कटान का प्रश्न है, कृषि योग्य भूमि का कटान हो रहा है, जिसका सही आंकलन वर्षाकाल के बाद ही सम्भव होगा। प्रभावित परिवारों को जिला प्रशासन द्वारा अनुमन्य सहायता दिलाने की कार्यवाही की जा रही है।)

---

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अधिष्ठाता-

अब हम उठते हैं। कल पूर्वाहन 11 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 3 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ
20 जुलाई, 1998

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा।

पी0एस0यू0पी0ए0पी0 एल0 340 विधान सभा 1-12-98 (488) 813 (इलै0/आफ0) 1